BBNL

एक्सेस एक्रॉस इंडिया
Access Across India

6ठी वार्षिक रिपोर्ट
(2017-18)

6th Annual Report
(2017-18)

भारत ब्रॉडबैन्ड नेटवर्क लिमिटेड
BHARAT BROADBAND NETWORK LIMITED

gekjk nf"Vdk.k

बीबीएनएल का दृष्टिकोण ग्रामीण भारत के लोगों का राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में नेटवर्क अवसंरचना के सृजन के जरिए डिजिटल सशक्तीकरण के माध्यम से ग्रामीण भारत के जीवन में परिवर्तन लाना है जो टीएसपी, आईएसपी इत्यादि जैसे सभी सेवा प्रदात्ताओं के लिए गैर–भेदभावकारी रूप से पहुंच योग्य होगा ताकि ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में नागरिकों और संस्थाओं को वहनीय ब्राडबैंड सेवाएं प्रदान की जा सके जो कि ग्रामीण भारत के लोगों का मानवीय विकास सुकर बनाएगा, आर्थिक विकास में तेजी लाएगा और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा।

अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम में बीबीएनएल ग्रामीण भारत में सुरक्षित, भरोसेमंद, वहनीय और उच्च गुणवत्ता की कनेक्टिविटी प्रदान कर पाएगा।

Our Vision

The vision of BBNL is to change lives of rural India through digital empowerment of the people of rural India by creating network infrastructure as a national asset, accessible on a non-discriminatory basis to all the service providers such as TSPs, ISPs etc to provide affordable broadband services to citizens and institutions in rural and remote areas, which will facilitate human development, boost economic development and improves quality of life of people in Rural India.

Through its constant endeavors BBNL will be able to provide secure, reliable, affordable and high quality connectivity in rural India.

gekjk fe'ku

- ग्रामीण भारत के लिए वहनीय कीमत पर उच्च गति डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करना
- गैर भेदभावपूर्ण तरीके से बी2बी सेवाएं प्रदान करना
- ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार को सुकर बनाना ताकि डिजिटल इंडिया, जिसे भारत सरकार द्वारा भारत को डिजिटल रूप से सशक्त सोसायटी और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के विजन के साथ आरंभ किया गया था, के दृष्टिकोण के अनुरूप सामाजिक–आर्थिक विकास में तेजी लायी जा सके।

Our Mission

- To provide high speed digital connectivity to Rural India at affordable price.
- To provide B2B services in a non-discriminatory manner.
- To facilitate proliferation of broadband services in rural areas so as to foster socio-economic development in line with the vision of 'Digital India' programme which has been launched by Government of India with the vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy.

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

श्री संजय सिंह
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
Sh. Sanjay Singh
Chairman-Cum-Managing Director
DIN 07484614

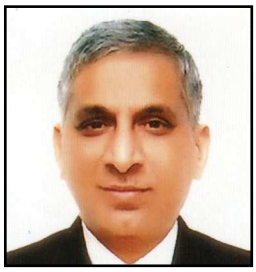

श्री अमित यादव
सरकारी निदेशक
Sh. Amit Yadav
Government Director
DIN 06491798

श्री महमूद अहमद
सरकारी निदेशक
Sh. Mahmood Ahmed
Government Director
DIN 07694375

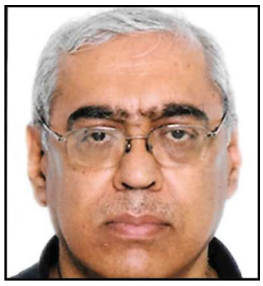

श्री मनोज आनंद
निदेशक (वित्त)
Sh. Manoj Anand
Director (Finance)
DIN 07583289

श्री आर.के. सिंह
निदेशक (प्रचालन)
Sh. R.K. Singh
Director (Operation)
DIN 08178499

श्री शशी रंजन कुमार
सरकारी निदेशक
Sh. Shashi Ranjan Kumar
Government Director
(From 06.11.2015 to 31.01.2018)
DIN 01911656

श्री ए.के. सक्सैना
निदेशक (योजना)
Sh. A.K. Saxena
Director (Planning)
(From 15.11.2017 to 24.09.2018)
DIN 08007046

श्री एन.के. जोशी
निदेशक (प्रचालन)
Sh. N.K. Joshi
Director (Operation)
(From 15.11.2017 to 04.07.2018)
DIN 03250336

श्री बी. के. मित्तल
निदेशक (प्रचालन एवं योजना)
Sh. B. K. Mittal
Director (Operation and Planning)
(From 29.07.2015 to 31.10.2017)
DIN 07251326

पंजीकृत कार्यालय / Registered Office

कमरा सं. 306, तृतीय तल, सी–डॉट परिसर, मांडी गाँव रोड, महरौली, नई दिल्ली–110030

Room No. 306, 3rd Floor, C-DOT Campus, Mandi Gaon Road, Mehrauli, New Delhi-110030

कंपनी सचिव एवं विधि प्रमुख / Company Secretary & Head Legal

श्री ए.सी. उपाध्याय / Sh. A. C. Upadhyay

सांविधिक लेखापरीक्षक / Statutory Auditors

मै. रावला एंड कंपनी, सनदी लेखाकार

M/s Rawla & Company , Chartered Accountants

सचिवीय लेखाकार / Secretarial Auditor

मै. जे.के. गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवीय

M/s J. K. Gupta & Associates, Company Secretaries

बैंकर / Banker

केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया / Canara Bank, State Bank of India

विषय–वस्तु

1.	अध्यक्ष का भाषण	1
2.	छठी वार्षिक आम बैठक की नोटिस (सदस्यों के लिए सूचना)	3
3.	सदस्यों के लिए निदेशकों की रिपोर्ट	7
4.	वार्षिक रिटर्न का उद्धरण	19
5.	कारपोरेट अभिशासन के संबंध में कम्पनी की रिपोर्ट	26
6.	आचार संहिता के अनुपालन संबंधी घोषणा	33
7.	कारपोरेट गवर्नेंस मानदंडों के अनुपालन संबंधी प्रमाण–पत्र	34
8.	सीईओ (सीएमडी) सीएफओ – निदेशक (वित्त) द्वारा वित्तीय विवरण का प्रमाण–पत्र/घोषणा	34
9.	प्रबंधन का विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट	35
10.	सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	41
11.	कॉपारेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट	44
12.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	46
13.	तुलन–पत्र	51
14.	लाभ एवं हानि विवरण	52
15.	वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियां	53
16.	नगद प्रवाह विवरण	70
17.	लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर	72
18.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	73

CONTENTS

1.	Chairperson's Speech	75
2.	6th Annual General Meeting Notice (Notice to the Members)	77
3.	Board's Report to the Members	81
4.	Extract of Annual Return	93
5.	Company's Report on Corporate Governance	100
6.	Declaration Regarding Compliance with Code of Conduct	107
7.	The Certificate on Compliance of Corporate Governance Norms	108
8.	Certification/declaration of financial statements by the CEO (CMD)/CFO (DIR-F)	108
9.	Management Discussion and Analysis Report	109
10.	Secretarial Audit Report	115
11.	A detailed Report on Corporate Social Responsibility	118
12.	Independent Auditor's Report	120
13.	Balance Sheet	125
14.	Statement of Profit and Loss	126
15.	Notes forming part of the Financial Statements	127
16.	Cash Flow Statements	144
17.	Management's Reply to the Comments of the Statutory Auditors	146
18.	Comments of Comptroller and Auditor General of India	147

अस्वीकरण: हिन्दी संस्करण की व्याख्या की कठिनाई के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
Disclaimer: In case of difficulty in the Interpretation of Hindi Version, English Version will prevail.

अध्यक्ष का भाषण

प्रिय शेयरहोल्डर,

मुझे भारत ब्राडबैंड नेटवर्क्स लिमिटेड की छठी वार्षिक आम सभा में आपका स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा है।

बोर्ड की रिपोर्ट संपरीक्षित वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ–साथ 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट पहले से ही आपके पास है और आपकी अनुमति से मैं इन्हें पढ़ा गया मानता हूं।

1 प्रगतिः–

भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) एक एसपीवी के रूप में 25.02.2012 को निगमित की गई थी जिसका उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) में उच्च गति ब्रांडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट की स्थापना, प्रबंधन और ऑपरेशन करना था।

जुलाई, 2017 में मंत्रिमंडल ने भारतनेट के लिए संशोधित कार्यान्वयन नीति अनुमोदित की, जिसमें शामिल हैं:–

चरण–II:

i. राज्यों, निजी क्षेत्र और सीपीएसयू के माध्यम से कार्यान्वयन।

ii. ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए मीडिया (ओएफसी, रेडियो और सेटेलाइट) का इष्टतम सम्मिश्रण।

iii. ब्लॉक से जीपी तक इन्क्रीमेंटल फाइबर।

iv. जीपी स्तर पर डार्क फाइबर उपलब्धता।

v. कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से परियोजना के जीवन–चक्र हेतु नेटवर्क का ऑपरेशन और रख–रखाव।

इस प्रकार, भारतनेट की कुल लागत अब संशोधित होकर 42,068 करोड़ रुपए (जीएसटी, चुंगी और स्थानीय कर को छोड़कर) है।

क. चरण–I की स्थितिः

मुझे यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान दिसंबर, 2017 में चरण–I पूरा कर लिया गया है जिसमें 1,00,000 से अधिक जीपी को सेवा के लिए तैयार बनाया गया है।

ख. भारतनेट का उपयोग

भारतनेट संचार नेटवर्क का समेकन अथवा मध्य परत है। अंतिम माइल कनेक्टिविटी सेवा प्रदाताओं और राज्यों द्वारा प्रदान की जाती है। परियोजना के कार्यान्वयन के साथ ही बीबीएनएल नेटवर्क के उपयोग पर भी जोर दे रहा है। नेटवर्क का उपयोग निम्नलिखित प्रक्रियाओं के जरिए किया जाता है:

i. ग्राम पंचायतों (जीपी) और सरकारी संस्थाओं को एफटीटीएच के द्वारा जोड़ना। यह सभी ग्राम पंचायतों को एक वर्ष के लिए अर्थात् राज्यों द्वारा कनेक्शन लेने तक निःशुल्क बाडबैंड कनेक्शन देकर किया जा रहा है। वाणिज्यिक कनेक्शन बीएसएनएल द्वारा भी दिए जा रहे हैं।

ii. देश भर में सीएसपी के माध्यम से और निविदा प्रक्रिया के जरिए चुनी गई एजेंसियों के माध्यम से वाई–फाई नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। यह एजेंसी भारतनेट ओएफसी के रख–रखाव, जीपी स्तर पर उपकरणों को सही से रखने, जीपी स्तर पर 5 वाई–फाई पहुंच बिंदु (एपी) स्थापित करने, इनमें से 3 एपी सरकारी संस्थानों जैसे कि पुलिस स्टेशन, डाकघरों, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्रों इत्यादि में स्थापित किए जाएंगे और साथ ही नेटवर्क के विपणन के लिए उत्तरदायी होगी। यह मॉडल भारतनेट के रख–रखाव, ऑपरेशन और विपणन में सामने आ रहे मुद्दों का आकलन करने के पश्चात् और इन मुद्दों को हल करने के लिए तैयार किया गया था।

iii. भारतनेट बैंडविथ/डार्क फाइबर को टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं (टीएसपी), इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और अन्यों द्वारा लिया जा रहा है।

ग. चरण–II की स्थितिः

चरण–I पूरा होने के पश्चात् परियोजना के चरण–II का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कार्यान्वयन के तीन मॉडल, राज्य मॉडल, सीपीएसयू मॉडल और निजी क्षेत्र मॉडल के अनुसार परियोजना का कार्यान्वयन आरंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त, चरण–II मॉडल में ब्लॉक से जीपी स्तर तक ओएफसी विछाया जाना है और साथ ही कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा नेटवर्क का जीवन पर्यंत रख–रखाव भी किया जाना है। इसके अतिरिक्त, चरण–II में परियोजना कार्यान्वयन ईपीसी पद्धति से किया गया है। इसकी प्रगति निम्नानुसार है:

- **राज्य द्वारा संचालित मॉडलः** 8 राज्य नामतः छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा और तेलंगाना परियोजना का 2017 में मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित राज्य संचालित मॉडल में कार्यान्वयन कर रहे हैं। राज्यों, यूएसओएफ और राज्यों की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) के साथ चौपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन राज्यों ने कार्यान्वयन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है और उन्हें 877.57 करोड़ रुपए का आरंभिक अग्रिम प्रदान किया गया है। तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों ने आरएफपी जारी कर दिए हैं।
- **निजी क्षेत्र द्वारा संचालित मॉडलः** चरण–II में बिहार और पंजाब में कार्यान्वयन निजी क्षेत्र मॉडल के तहत किया गया है, बीबीएनएल ने सीधे निविदा जारी की हैं और कार्यान्वयन एजेंसी का चयन किया है तथा परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

- **सीपीएसयू द्वारा संचालित मॉडलः** पीजीसीआईएल को दो राज्यों में और बीएसएनएल को 8 राज्यों में कार्यान्वयन संबंधी कार्य सौंपा गया है। पीजीसी आईएल हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड के लिए है तथा बीएसएनएल असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए है।
- **सेटेलाइट कनेक्टिविटीः** पूर्वोत्तर, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सुदूर और पहाड़ी स्थानों में स्थित 6407 जीपी को सेटेलाइट से जोड़ा जा रहा है। ये राज्य हैं जहां ओएफसी कनेक्टिविटी को स्थापित करना कठिन रहा है तथा ओएफसी बिछाने के लिए आरंभिक डीओटी परियोजना में विलंब हुआ है और इसे लंबे समय से पूरा नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इन क्षेत्रों में बैकहॉल भी अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है, जो या तो ओएफसी बैकहॉल के न होने के कारण अथवा ओएफसी पुराना हो जाने अथवा अनुरक्षण के वजह से ढ़ीला है। परियोजना के इस भाग का कार्यान्वयन जारी है।
- **अंतिम माइल कनेक्टिविटीः** दिनांक 11.07.2018 को टेलीकॉम कमीशन ने वाई–फाई अथवा अन्य समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंतिम माईल कनेक्टिविटी अनुमोदित की। प्रत्येक जीपी में 5 पहुंच बिंदु (एपी) स्थापित किए जा रहे हैं और इनमें से 3 एपी सरकारी संस्थाओं में तथा 2 एपी सार्वजनिक स्थानों जिनमें जीपी स्थान पर एक शामिल है, पर स्थापित किए जाने है। टेलीकॉम कमीशन ने सीएससी–एसपीवी के माध्यम से उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में क्रमशः 25000 और 3243 वाई–फाई हॉट–स्पॉट की स्थापना की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सीएससी–एसपीवी को त्रिपुरा के 1178 जीपी और कर्नाटक के 3407 जीपी के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। राजस्थान में 10,000 जीपी में वाई–फाई के माध्यम से अंतिम माईल कनेक्टिविटी का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

2. वित्तीय निष्पादन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने 3,09,99,91,538 रुपए का कुल राजस्व (जिसमें 3,09,64,72,238 रुपए अर्थात् मुख्यतः यूएसओएफ के संबंध में संचालन व्यय हेतु दावे के कारण अन्य आय सहित) और 2,77,24,926 रुपए का कर पश्चात लाभ दर्ज किया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2016–17 में कंपनी को 22,84,80,486 रुपए का कर पश्चात लाभ हुआ था।

3. लाभांश

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने वित्तीय वर्ष के लिए 0.14 रुपये प्रति पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर की दर से लाभांश का प्रस्ताव किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरहोल्डरों के अनुमोदन के अधीन है।

4. मानव संसाधन

सरकार द्वारा कंपनी के लिए निर्धारित चुनौतीपरूण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिभा और मानव संसाधनों को एक सक्रिय भूमिका निभानी होती है। अपनी कर्मचारी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीबीएनएल दूरसंचार विभाग, यूएसओएफ, बीएसएनएल और एमटीएनएल से प्रतिनियुक्ति आधार पर वरिष्ठ प्रबंधकों को लेता रहा है। बीबीएनएल ने नियमित रूप से युवा स्नातक इंजीनियरों और वित्त व्यावसायिकों को भर्ती करने के भी प्रयास किए हैं। सरकार/पीएसयू के सेवानिवृत्त अधिकारियों को लेने के अलावा, अपनी लघु अवधि रिक्तियों को भरने के लिए बीबीएनएल ने राज्य संचालित मॉडल में अपनी भारतनेट परियोजना में तेजी लाने के लिए 4 वरिष्ठ परामर्शदाताओं (डीओटी के सेवानिवृत्त एचएजी और उससे ऊपर के अधिकारी) को भी नियुक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में रिक्त पदों को भरने के लिए सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों और पीएसयू के 58 वर्ष तक की आयु के कर्मचारियों को भर्ती करने का एक विशेष अभियान भी आरंभ किया तथा इसके आधार पर गुवाहाटी और अगरतला में अब सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को नियुक्त किया गया है।

5. कारपोरेट अभिशासन

आपकी कंपनी लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) हेतु कारपोरेट अभिशासन के संबंध में दिशा–निर्देशों में यथा निर्धारित इष्टतम स्तर तक कारपोरेट अभिशासन मानदंडों के पूर्णतः अनुरूप है।

6. अभिस्वीकृति

निदेशक मंडल की ओर से मैं मुख्य शेयरधारक होने के भारत सरकार और अन्य मूल्यवान शेयरधारकों का निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए गहन आभार व्यक्त करता हूं। मैं संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और यूनिवर्सल सर्विस आब्लीगेशन फंड से प्राप्त समर्थन और नियमित मार्गदर्शन की भी सराहना करता हूं।

इसके अतिरिक्त, मैं वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उद्यम विभाग और अन्य प्रतिभागियों का कंपनी में दर्शाए गए विश्वास और भरोसे के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं वर्ष के दौरान बोर्ड सदस्यों, सीएंडएजी, अन्य लेखापरीक्षकों और बैंकरों का उनके द्वारा प्रदर्शित सहयोग तथा समर्थन के लिए सराहना करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

बहुत–बहुत धन्यवाद।

संजय सिंह
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
डीआईएन–07484614

दिनांक : 27.09.2018
स्थानः नई दिल्ली

सीआईएनःयू64100डीएल2012जीओआई232070

सदस्यों के लिए सूचना

कंपनी की निम्नलिखित कार्यों के लिए बृहस्पतिवार, दिनांक 27 सितम्बर, 2018 को 11:30 बजे, कमीशन कक्ष दूसरा तल, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली–110001 में आयोजित होने वाली छठी (6ठी) वार्षिक आम बैठक के लिए सूचना दी जाती हैः–

सामान्य कार्य

मद संख्या 1 – लेखों को अपनाना

दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कंपनी के तुलन–पत्र को शामिल करते हुए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए लाभ एवं हानि विवरण तथा उस पर लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना।

मद संख्या 2 – लाभांश की घोषणा

निम्नलिखित संकल्प पर सामान्य संकल्प के रूप में विचार करना और यदि सही पाया जाए तो संशोधन के साथ अथवा उसके बगैर पारित करनाः–

"**संकल्प लिया जाता है** कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए की गई सिफारिश के अनुसार 0.14 रुपए प्रति शेयर का पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर पर सदस्यों अंतिम लाभांश कंपनी के पात्र सदस्यों/शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए दिए जाने की घोषणा की जाती है।"

मद संख्या 3

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि करना और कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के साथ पठित धारा 142 के प्रावधानों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना।

विशेष कार्य

मद संख्या 4

निम्नलिखित संकल्प को संशोधनों के साथ अथवा उसके बगैर, यदि कोई हो, **सामान्य संकल्प** के रूप में विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे पारित करनाः

सामान्य संकल्पः

"**संकल्प लिया जाता है** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और लागू अन्य प्रावधानों जो कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा यथा संशोधित किए गए हैं और उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसरण में तथा संगत प्राधिकारियों (किसी सांविधिक संशोधन अथवा उस समय लागू पुनः नियमन सहित) द्वारा जारी किसी अन्य दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसरण में श्री आर.के. सिंह (डीआईएन–08178499) जिन्हें कंपनी के निदेशक (प्रचालन)– पूर्णकालीन निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए 5 जुलाई, 2018 से अपर निदेशक के रूप में निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया था और जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के रूप में वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद ग्रहण करते हैं, को 5 जुलाई, 2018 से कंपनी के निदेशक (प्रचालन) – पूर्णकालीन निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

बोर्ड के आदेश द्वारा कृते
भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड

ए.सी. उपाध्याय
सीएस एवं विधि प्रमुख
एफसीएस–4324

दिनांकः 25.09.2018
स्थानः नई दिल्ली

सेवा में,

1. बीबीएनएल के सभी सदस्य
2. सांविधिक लेखापरीक्षक
3. सचिवालय लेखापरीक्षक
4. बीबीएनएल के सभी निदेशक

संलग्नक:

1. **प्रबंधन विचार–विमर्श तथा विश्लेषण और निगम अभिशासन रिपोर्ट सहित निदेशक की रिपोर्ट**
2. **वित्तीय विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए निदेशक की रिपोर्ट में निदेशक की रिपोर्ट–परिशिष्ट के संलग्नक सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां और उस पर प्रबंधन के उत्तर**
3. **निदेशक की रिपोर्ट के संलग्नक – सीएंडएजी की टिप्पणियां**

टिप्पणी:

1. **बैठक में भाग लेने और मतदान करने का पात्र कोई सदस्य उसके बजाय बैठक में भाग लेने और मतदान करने (चुनाव की स्थिति में) के लिए किसी अन्य व्यक्ति, जो अनिवार्य रूप से कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, को प्रोक्सी के रूप में नियुक्त करने का पात्र होगा। प्रभावी होने के लिए प्रोक्सी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक आरंभ होने से 48 घंटे पहले जमा की जानी चाहिए।**
2. ऐसे कारपोरेट सदस्य जो अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजना चाहते है उनसे बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को प्राधिकृत करते हुए बोर्ड के संकल्प की एक समुचित रूप से प्रमाणित प्रति भेजने का अनुरोध किया जाता है।
3. नोटिस में निर्धारित विशेष कार्य के संबंध में, जहां भी लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक टिप्पणी संलग्न है।
4. निदेशक मंडल द्वारा अपनी 9 अगस्त, 2018 को आयोजित बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के प्रावधानों के अधीन की गई 0.14 रुपए की दर से प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की सिफारिश, यदि इस वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित की जाती है तो इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार पात्र सदस्यों/शेयरधारकों को प्रदान किया जाएगा।
5. संलग्न नोटिस तथा व्याख्यात्मक टिप्पणी में संदर्भित दस्तावेज वार्षिक आम बैठक की तारीख तक शनिवार और रविवार (सार्वजनिक अवकाश सहित) को छोड़कर सभी कार्य दिवसों को सामान्य कार्य घंटों (प्रातः 9:30 से सायं 06:00 बजे तक) के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए खुले होंगे।
6. नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति का अनुरोध करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल संलग्न है और वह इस नोटिस का भाग है।
7. सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें 25.09.2018 से 27.09.2018 (दोनों दिनों को शामिल करते हुए) बंद रहेंगे।
8. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का रजिस्टर और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अंतर्गत उनके द्वारा धारित शेयर तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए अनुबंध अथवा करार रजिस्टर वार्षिक आम बैठक के स्थान पर सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।
9. कंपनी अधिनियम की धारा 142 के साथ पठित धारा 139(5) के अनुसरण में किसी सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अथवा पुनः नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा की जाती है और उनका पारिश्रमिक वार्षिक आम बैठक में कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसलिए, कंपनी को कार्य की मात्रा में वृद्धि पर विचार करने के पश्चात् वर्ष 2018–19 के लिए लेखापरीक्षकों का समुचित पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु प्राधिकृत कर सकती हैं। तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए यथोचित सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करें।
10. कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी प्रकार एक दूसरे से संबद्ध नहीं है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक टिप्पणी

मद संख्या 4

श्री आर.के. सिंह, अपर निदेशक एवं निदेशक (परिचालन)–पूर्णकालीन निदेशक की नियुक्ति

श्री आर.के. सिंह की भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के बोर्ड में 5 जुलाई, 2018 से अपर निदेशक एवं निदेशक (प्रचालन)–पूर्णकालीन निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई थी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 के अनुसार वे कंपनी की आगामी वार्षिक आम सभा समाप्त होने तक पद धारण करेंगे।

वे 1985 बैच के भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने बीआईटी सिंद्री, रांची विश्वविद्यालय से प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग की है। उन्होंने मानव संसाधन में विशेषज्ञता के साथ व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर (एमबीए) की है।

उनका समूचे भारत में विभिन्न स्थानों पर दूरसंचार सेवाओं की स्थापना, कमीशनिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और प्रबंधन में तीन दशकों से अधिक

का गहन और विविध अनुभव रहा है। वे भारतनेट के तहत विभिन्न प्रायोगिक परियोजनाओं के माध्यम से योजना, प्रचालन, सेवाओं से संबंधित नीति निर्धारण में अग्रणी रहे हैं।

उनके कंपनी मे शून्य इक्विटी शेयर है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में श्री आर.के. सिंह को छोड़कर कंपनी का कोई भी प्रोमोटर, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके संबंधी किसी भी प्रकार से प्रस्तावित संकल्प से संबंधित अथवा हितबद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल यह विचार करता है कि श्री आर.के. सिंह की पृष्ठभूमि और अनुभव को देखते हुए उन्हें कंपनी के निदेशक (प्रचालन) – पूर्णकालीन निदेशक के रूप में नियुक्त करना कंपनी के हित में होगा। बोर्ड आपके अनुमोदन हेतु संकल्प की सिफारिश करता है।

वार्षिक आम बैठक में नियुक्त किए जा रहे निदेशकों का संक्षिप्त वृत्त–चित्र

छठे एजीएम में पुनः चुने जाने का अनुरोध करने वाले निदेशक

1.

नाम	श्री राजेश कुमार सिंह
डीआईएन	08178499
जन्म तिथि	09.09.1962
नियुक्ति की तारीख	05.07.2018
योग्यता	बी.ई. और एमबीए
विशिष्ट संचालन क्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री राजेश कुमार सिंह 1985 बैच के भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी है। उन्होंने बीआईटी सिंद्री, रांची विश्वविद्यालय से प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग की है। उन्होंने मानव संसाधन में विशेषज्ञता के साथ व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर (एमबीए) की है। उनका समूचे भारत में विभिन्न स्थानों पर दूरसंचार सेवाओं की स्थापना, कमीशनिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और प्रबंधन में तीन दशकों से अधिक का गहन और विविध अनुभव रहा है। वे भारतनेट के तहत विभिन्न प्रायोगिक परियोजनाओं के माध्यम से योजना, प्रचालन, सेवाओं से संबंधित नीति निर्धारण में अग्रणी रहे हैं।
31.03.2018 के अनुसार अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद (अंशकालीन)	शून्य
31.03.2018 के अनुसार अन्य कपनियों में सदस्यता/समितियों की अध्यक्षता	शून्य
धारित शेयरों की संख्या	शून्य

उपस्थिति स्लिप

मैं, कमीशन कक्ष, दूसरा तल, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001 में बृहस्पतिवार, 27 सितम्बर, 2018 को 11:30 बजे आयोजित कंपनी की छठी (6ठी) वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं।

शेयर धारक का नाम _____

_____

प्रोक्सी का नाम _____

_____

(यदि शेयरधारक के स्थान पर प्रोक्सी भाग लेता है तो भरा जाए)

लेजर फोलियो संख्या _____

धारित शेयरों की संख्या _____

शेयरधारक/प्रोक्सी के हस्ताक्षर _____

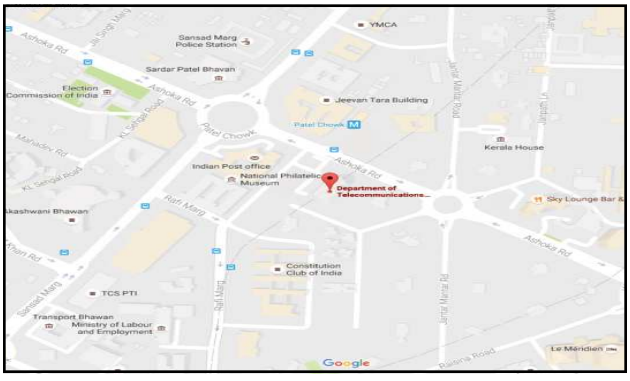

फॉर्म संख्या एमजीटी–11 – प्रोक्सी फॉर्म

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में,

सीआईएन : **यू64100डीएल2012जीओआई232070**

कंपनी का नाम : **भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय : **कमरा संख्या 306, तीसरा तल, सी–डॉट कैम्पस, मान्डी गांव रोड, महरौली, नई दिल्ली–1100 30**

सदस्य (यों) का नाम: _____

पंजीकृत पता: _____

ई–मेल आईडी: _____ **फोलियो संख्या / ग्राहक आईडी:** _____ **डीपी आईडी:** _____

मैं / हम भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के ..... इक्विटी शेयर का सदस्य, निम्निलिखित को

1. नाम: .....
   पता: .....
   ई–मेल आईडी: .....
   हस्ताक्षर: ....., अथवा उसके न होने पर

2. नाम: .....
   पता: .....
   ई–मेल आईडी: .....
   हस्ताक्षर: ....., अथवा उसके न होने पर

3. नाम: .....
   पता: .....
   ई–मेल आईडी: .....
   हस्ताक्षर: .....

बृहस्पतिवार, दिनांक 27 सितम्बर, 2018 को 11:30 बजे, कमीशन कक्ष दूसरे तल, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली–110001 में आयोजित होने वाली कंपनी की छठी (6ठी) आम बैठक तथा निम्नानुसार बैठक के संचालन के नोटिस में निर्धारित संकल्पों के संबंध में किसी स्थगन में मेरे लिए और मेरी तरफ से मेरे / हमारे प्रोक्सी के रूप में भाग लेने तथा मतदान करने (मतदान की स्थिति में) के लिए नियुक्त करता हूं:

क्र.सं.	संकल्प
	सामान्य कार्य
1.	दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कंपनी के तुलन–पत्र को शामिल करते हुए लेखापरीक्षित लेखों और उक्त तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ एवं हानि विवरण तथा लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना।
2.	लाभांश की घोषणा
3.	कंपनी के निदेशक बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि करना और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के साथ पठित धारा 142 के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना।
	विशेष कार्य
4.	श्री आर.के. सिंह की पूर्णकालीन निदेशक के रूप में नियुक्ति

2018 के ..... की ..... तारीख को हस्ताक्षरित

अंशधारक के हस्ताक्षर

प्रोक्सी धारक के हस्ताक्षर

रसीदी टिकट लगाए

टिप्पणी: प्रभावी होने के लिए प्रोक्सी का यह फॉर्म पूरी तरह से भरकर बैठक आरंभ होने के न्यूनतम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करवाया जाना चाहिए।

सदस्यों के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

निदेशक मंडल की ओर से दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की छठी (6ठी) वार्षिक रिपोर्ट तथा संपरीक्षित वार्षिक लेखों के साथ उस पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की समीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरा सौभाग्य है।

1. वित्तीय परिणाम

विवरण	राशि (भारतीय रुपए में)	
	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालन से राजस्व	35,19,300	32,24,500
अन्य आय	3,09,64,72,238	1,06,00,61,543
कुल राजस्व	**3,09,99,91,538**	**1,06,32,86,043**
कर्मचारियों की पारिश्रमिक तथा लाभ	12,94,78,683	4,64,86,754
वित्तीय लागत	40,59,780	43,07,166
अवमूल्यों तथा परिशोधन व्यय	-	50,01,242
प्रशासनिक, संचालन तथा अन्य व्यय	2,90,35,97,143	72,29,72,554
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	15,00,000	-
कुल व्यय	**3,03,86,35,606**	**77,87,67,716**
पूर्व अवधि मद से पूर्व लाभ/(हानि) और कर	**6,13,55,932**	**28,45,18,327**
पूर्व अवधि मदें	**(2,04,56,806)**	**(34,31,885)**
कर से पूर्व लाभ/(हानि) कर	**4,08,99,126**	**28,10,86,442**
कर व्ययः		
चालू वर्ष के लिए कर व्यय	1,31,74,200	7,91,15,040
पूर्व अवधि से संबंधित चालू कर व्यय	-	-
डेफर्ड कर	-	(2,65,09,084)
कर पश्चात लाभ/(हानि)	**2,77,24,926**	**22,84,80,486**
प्रति शेयर अर्जनः		
मूल	0.46	3.81
सरलीकृत	0.46	3.81
सामान्य आरक्षित में हस्तांतरित	**1,00,00,000**	**5,00,00,000**

2. निष्पादन झलकियां और सिंहावलोकन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने कुल 3,09,99,91,538 रुपए का राजस्व (जिसमें 3,09,64,72,238 अर्थात् अन्य आय मुख्यत यूएसओएफ पर संचालन व्यय हेतु दावे के लिए है) और कर पश्चात लाभ 2,77,24,926 रुपए है। पिछले वित्तीय वर्ष 2016–17 में कंपनी को 22,84,80,486 रुपए का कर पश्चात लाभ हुआ है। कंपनी द्वारा सृजित राजस्व बैंडविथ प्रभारों और अन्य आय के कारण हैं जो ब्याज आय की बजह से हुई है।

3. लाभांश

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर 0.14 रूपए की दर से लाभांश की घोषणा की है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

4. आरक्षितों में हस्तांतरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सामान्य आरक्षित खाते में 1,00,00,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है।

5. मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण

कंपनी के लिए सरकार द्वारा तय किए गए चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिभावान व्यक्तियों और मानव संसाधन को एक सक्रिय भूमिका निभानी अपेक्षित है। अपने कर्मचारियों संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीबीएनएल प्रतिनियुक्ति आधार पर डीओटी, यूएसओएफ, बीएसएनएल और एमटीएनएल से वरिष्ठ प्रबंधन को लेती रही है। बीबीएनएल ने युवा स्नातक इंजीनियरों और वित्तीय व्यावसायिकों की भर्ती करने के भी प्रयास किए हैं। सरकार/पीएसयू के सेवानिवृत्त अधिकारियों को भर्ती करने के अतिरिक्त बीबीएनएल लघु अवधि रिक्तियों को भरने के लिए हाल ही में चार वरिष्ठ परामर्शदाताओं की नियुक्ति की है (सेवानिवृत्त एचएजी और डीओटी के उससे ऊपर के अधिकारी)। पूर्वोत्तर राज्यों में रिक्त पदों को भरने के लिए 58 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों और पीएसयू के कर्मचारियों से भरे जाने का एक विशेष अभियान आरंभ किया गया था और इसके आधार पर सेवानिवृत्त सेनाकर्मी अब गुवाहाटी और अगरतला में तैनात किए गए हैं।

प्रशिक्षण

विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किए जाने के लिए एक्जीक्यूटिव की विभिन्न श्रेणियों को संगठित करने और अवसर प्रदान करने की पहल की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना और कार्यक्रम प्रबंधन संस्थान में परियोजना प्रबंधन में 12 अधिकारियों का प्रशिक्षण आरंभ किया गया। युवा इंजीनियरिंग स्नातकों और वित्त व्यावसायिकों को गहन ऑन द जॉब प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अधिकारियों को नियमित रूप से

डीपीई कार्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों और केंद्रीय पीएसयू तथा बीबीएनएल के अधिकारियों को परियोजना निगरानी टूल जिसे बीबीएनएल द्वारा तैयार किया गया है, में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रकटन

कंपनी में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों में शून्य सहनशीलता हैं और उसने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण से संबंधित नीति अपनाई है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी को यौन उत्पीड़न के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बीबीएनएल में सीजीएम (योजना एवं समन्वय) सीजीएम (लेखा) और सहायक प्रबंधक (लेखा), एक्जीक्यूटिव ट्रैनिंग (एचआर) और उपाध्यक्ष, वाईडब्ल्यूसीए की एक आंतरिक समिति का कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों को देखने हेतु गठन किया गया है।

6. वेबसाइट पर रखे गए दस्तावेज (www.bbnl.nic.in)

अधिनियम के अनुसरण में वेबसाइट पर निम्नलिखित दस्तावेज डाले गए हैः

(i) आचार संहिता (बीबीएनएल के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए व्यापार आचार संहिता और नीति);

(ii) सिटीजन चार्टर;

(iii) बीबीएनएल प्रापण पुस्तिका;

(iv) स्वतंत्र बाह्य मॉनीटरों का विवरण (आईईएमएस);

(v) एजीएम की सूचना के साथ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट;

(vi) विसल ब्लोअर नीति/सतर्कता तंत्र;

(vii) उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति।

(viii) सीएसआर संबंधी नीति

7. अब तक हुई प्रगति

''भारतनेट''

मंत्रिमंडल द्वारा 25.10.2011 को अनुमोदित भारतनेट ब्रॉडबैंड द्वारा सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें) को जोड़ने के लिए नेटवर्क स्थापित किए जाने हेतु एक परियोजना है। यह परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है और बनाई गई अवसंरचना एक राष्ट्रीय संपत्ति होगी जो सेवा प्रदाताओं को गैर–भेदभाव रूप से पहुंच योग्य होगी। इस परियोजना का उद्देश्य डिजीटल इंडिया के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए राज्यों तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी से ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में नागरिकों तथा संस्थाओं को बहनीय ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करना है।

मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई, 2017 को भारतनेट के लिए संशोधित कार्यनीति अनुमोदित की जो परियोजना के चरण–1 के कार्यान्वयन अनुभव को समेकित करती है और इसे डिजीटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप बनाती है। इसका सार निम्नानुसार हैः

चरण–II

(i) इसका कार्यान्वयन राज्यों, निजी क्षेत्र और सीपीएसयू के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए मीडिया (ओएफसी, रेडियो और सेटेलाइट) का इष्टतम मिश्रण का उपयोग किया जाएगा।

(iii) ग्राम पंचायतों तक ब्लॉक से नई फाइबर बिछाना (चरण–1 में एफपीओआई से इन्क्रीमेंटल फाइबर बिछायी जा रही है)।

(iv) सेवा प्रदाताओं को पट्टे पर देने के लिए जीपी स्तर पर डार्क फाइबर उपलब्ध कराई जाएगी।

(v) परियोजना के जीवन पर्यन्त नेटवर्क का संचालन और अनुरक्षण।

मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित भारतनेट की कुल लागत 42,068 करोड़ रुपए (जीएसटी, चुंगी और स्थानीय कर को छोड़कर) है।

क. चरण–I की स्थिति

परियोजना का चरण– I दिसंबर, 2017 में पूरा हो गया है जिसमें 1,00,000 से अधिक जीपी को सेवा हेतु तैयार किया जा रहा है।

ख. भारतनेट का उपयोग

- 9794 वाणिज्य फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन प्रदान किए गए है।
- परिस्थितिकी को आरंभ करने और भारतनेट के उपयोग का संवर्धन करने के लिए बैंडविथ के लिए छूट प्राप्त शुल्क तथा सेवा प्रदान करने हेतु नेटवर्क के उपयोग हेतु डार्क फाइबर के लिए छूट प्राप्त शुल्क तैयार और लागू किया गया है।
- सेवा प्रदाताओं को भारतनेट के संबंध में उनके उपकरणों का परीक्षण करने के लिए टीएसपी द्वारा निःशुल्क ट्रायल (अर्थात् प्रति सेवा प्रदाता 10 ट्रायल) का परीक्षण किया जा रहा है और इसे बीबीएनएल द्वारा सुकर बनाया जा रहा है। आज की स्थिति के अनुसार एयरटेल, रिलायंस जियो, आइडिया और वोडाफोन ट्रायल कर रहे हैं।

ग. चरण– II की स्थितिः

चरण– II के 31 मार्च, 2019 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इसकी प्रगति निम्नानुसार है;

- **राज्य द्वारा संचालित मॉडलः** 8 राज्यों नामतः छत्तीसगढ़,

गुजरात, झारखण्ड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा और तेलंगाना को दूरसंचार आयोग द्वारा निधियन की मात्रा के साथ राज्य संचालित मॉडल के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। 8 राज्यों और यूएसओएफ तथा एसआईए के साथ चतुष्पक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन राज्यों ने कार्यान्वयन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है और उन्हें 877.57 करोड़ रुपए का अग्रिम प्रदान किया गया है। तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों ने आरएफपी जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ ने कार्य आरंभ करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में वित्तीय बोलियां खोली गई है।

- **निजी क्षेत्र द्वारा संचालित मॉडलः** बिहार और पंजाब में निजी क्षेत्र मॉडल के अंतर्गत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) ने 6 पैकेज के अंतर्गत आदेश जारी किया है और सर्वेक्षण प्रगतिरत है।
- **सीपीएसयू द्वारा संचालित मॉडलः** 2 राज्यों में पीजीसीआईएल को तथा 8 राज्यों में बीएसएनएल को कार्यान्वयन संबंधी कार्य सौंपा गया है। पीजीसीआईएल ने हिमाचल प्रदेश के लिए डीपीआर प्रस्तुत किए हैं और बीएसएनएल ने 7 टेलीकॉम सर्कल नामतः, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पूर्वी), उत्तर प्रदेश (पश्चिमी), पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए डीपीआर प्रस्तुत किए हैं तथा 01.05.2018 को दूरसंचार आयोग द्वारा डीपीआर अनुमोदित किए गए हैं। बीएसएनएल ने 41035 जीपी के लिए निविदा जारी की है और इसमें से 17869 जीपी के लिए कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं। 9897 किलोमीटर डक्ट बिछायी गई है। बाकी जीपी के लिए निविदाएं जारी करना विभिन्न चरणों में है। पीजीसीआईएल ने दो राज्यों के लिए निविदाएं जारी कर दी हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए वित्तीय बोली खोली गई है और उत्तराखंड के लिए तकनीकी बोली खोली गई है।
- **सेटेलाइट कनेक्टिविटीः** पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित 6407 जीपी को सेटेलाइट माध्यम से जोड़ने की अनुमति प्रदान की गई है ताकि अनुमोदित समय–सीमा के भीतर सभी जीपी को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। इन 6407 जीपी में से 1407 जीपी को बीएसएनएल के माध्यम से सेटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है जबकि बाकी का कार्यान्वयन बोली प्रक्रिया के माध्यम से बीबीएनएल द्वारा किया जा रहा है। बीएसएनएल ने कार्यान्वयन के लिए एजेंसी का चुनाव कर लिया है और कार्य आदेश/क्रय आदेश जारी किया गया है। 1407 जीपी में से पहले 2 जीपी की अगस्त, 2018 में स्थापना कर दी गई है। अब बीबीएनएल की निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा कार्य प्रदान कर दिया गया है।
- **लास्ट माइल कनेक्टिविटीः** 11.07.2018 को दूरसंचार आयोग ने वाई–फाई अथवा अन्य समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से लास्ट माइल कनेक्टिविटी मॉडल अनुमोदित किया। प्रत्येक जीपी में पांच पहुंच बिंदुओं (एपी) की स्थापना की जा रही है और इनमें से 3 एपी सरकारी संस्थाओं में और 2 सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं जिनमें एक जीपी स्थान पर शामिल है। दूरसंचार आयोग ने 25000 और 3243 वाई–फाई हॉटस्पॉट सीएससी–एसपीवी के माध्यम से क्रमशः उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में स्थापना की अनुमति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त सीएससी–एसपीवी को त्रिपुरा के 1178 जीपी और कर्नाटक के 3407 जीपी में संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से वाई–फाई के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा है। राजस्थान में 10,000 जीपी में वाई–फाई के माध्यम से लास्ट माइल कनेक्टिविटी का कार्य राज्य सरकार को सौंपा गया है। कार्यान्वयन प्रगतिरत है और वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	राज्य	जीपी की संख्या	कार्यान्वयन एजेंसी	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	उत्तर प्रदेश	25,000	सीएससी–एसपीवी (एमआईटी के तहत एक निकाय)	10,000 जीपी में स्थापित किए गये
2.	हिमाचल प्रदेश	3243		165 जीपी में स्थापित किए गये
3.	राजस्थान	10,000	राजस्थान सरकार/ आरआईएसएल	6,500 जीपी में स्थापित किए गये
4.	शेष राज्य	2.10 लाख (लगभग)	बीबीएनएल	18.09.2018 को निविदा खोली गई

घ. भारतनेट परियोजना की स्थितिः

12.08.2018 के अनुसार भारतनेट परियोजना की स्थिति निम्नानुसार हैः

क.सं.	गतिविधि	उपलब्धि
1.	ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी (जीपी)	1,18,665
2.	ओएफसी लेड (किमी)	2,86,477 किमी
3.	सर्विस रेडी (जीपी)	1,14,186

8. वार्षिक रिटर्न का उद्धरण फॉर्म संख्या एमजीटी–9

समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में फॉर्म संख्या एमजीटी–9 में कंपनी की वार्षिक रिटर्न का उद्धरण **अनुबंध–क** में दिया गया है।

तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुसार वार्षिक रिटर्न को कंपनी रजिस्ट्रार के पास दायर करने के पश्चात् कंपनी

द्वारा अपलोड किया जाएगा और इसे सदस्यों द्वारा लिंक http://www.bbnl.nic.in/index1.aspx?1sid=50&lev=2&lid=47&langid=1 पर देखा जा सकता है।

9. कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट, प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण तथा अन्य सूचना

9.1 कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट:

आपकी कंपनी सभी प्रतिभागियों के हितों की सुरक्षा में सभी स्तरों पर पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कारपोरेट अभिशासन के उच्च मानकों को बनाए रखने हेतु वचनबद्ध है। कंपनी, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत यथा निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने इष्टतम संभावित सीमा तक अनुपालन करती है।

शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए पेशेवर कंपनी सचिव के एक प्रमाण–पत्र के साथ दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कारपोरेट अभिशासन संबंधी एक रिपोर्ट जो वार्षिक रिपोर्ट का भाग है, इस रिपोर्ट के **अनुबंध–ख** के साथ संलग्न है।

9.2 आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में घोषणा

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित आचार संहिता के अनुपालन संबंधी घोषणा इस रिपोर्ट में **अनुबंध–ग** के रूप में संलग्न है।

9.3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीएमडी)/मुख्य वित्त अधिकारी निदेशक (वित्त) द्वारा वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रमाण–पत्र/घोषणा

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीएमडी)/मुख्य वित्त अधिकारी (निदेशक (वित्त) द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रमाण–पत्र/घोषणा इस रिपोर्ट में **अनुबंध–घ** के रूप में संलग्न है।

9.4 प्रबंधन का विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट:

डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा–निर्देशों के खंड 7.5 के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के संचालन और निष्पादन के संबंध में "प्रबंधन का विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट" **अनुबंध–ड.** में संलग्न है।

10. निदेशक उत्तरदायित्व प्राक्कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) व (5) तथा प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर निदेशक इस बात की पुष्टि करते है कि:

i) वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक लेखे तैयार करने में सभी लागू लेखन मानकों को वस्तुस्थिति से विचलन से संबंधित समुचित व्याख्या के साथ अपनाया गया है;

ii) उन्होंने ऐसी लेखन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सतत् रूप से अपनाया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो वित्तीय वर्ष को समाप्त अवधि के अनुसार कंपनी के मामलों और वित्तीय वर्ष को समाप्त अवधि के लिए लाभ एवं हानि खाते का सही और समुचित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए समुचित एवं विवेकपूर्ण हैं;

iii) उन्होंने उनकी जानकारी और योग्यता के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखन रिकॉर्ड रखने के लिए समुचित एवं पर्याप्त देखभाल की है। उन्होंने यह पुष्टि की है कि उनके पास कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने एवं उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त प्रणाली एवं नियंत्रण मौजूद है;

iv) उन्होंने जारी हितों के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए है;

v) उन्होंने कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा समुचित रूप से कार्य कर रहे हैं; और

vi) उन्होंने सभी लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणाली पर्याप्त थी तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी।

11. सांविधिक लेखापरीक्षक

मै. रावला एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा की है।

12. वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखों की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा उस पर प्रबंधन के उत्तर तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों के साथ उन पर प्रबंधन के उत्तर निदेशक की रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

13. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कंपनी की सचिवालयी लेखापरीक्षा मैसर्स जे.के. गुप्ता एंड एसोसिएट्श, पेशेवर कंपनी सचिव, नई दिल्ली द्वारा की गई है। सचिवालयी लेखापरीक्षा **अनुबंध–च** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

14. सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा उनकी रिपोर्ट में योग्यताओं, निहितार्थों अथवा प्रतिकूल टिप्पणियों अथवा अस्वीकरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(च) के अंतर्गत व्याख्या अथवा टिप्पणियां:

सचिवालयी लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्टों में निम्नलिखित योग्यताएं, निहितार्थ अथवा प्रतिकूल टिप्पणियां थी और उन पर प्रबंधन का उत्तर नीचे दिया गया है:

लेखापरीक्षा पैरा संख्या	सचिवालयी लेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
(i)	समीक्षाधीन अवधि के दौरान यह पाया गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की अनुस्थिति के कारण नहीं किया गया है जिससे डीपीई के निदेशों के तहत भी चूक हुई है कि अपेक्षित संख्या में संचालन निदेशक (सीएमडी/एमडी सहित) बोर्ड की वास्तविक संख्या से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए, इसके अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशकों का न होना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत चूक है।	कंपनी ने कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए पहले ही दूरसंचार विभाग/सार्वजनिक उद्यम विभाग से संपर्क किया है।
(ii)	निदेशक मंडल की समितियों का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अनिवार्य आवश्यकता है जिसको कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में गठित नहीं किया गया है।	कंपनी ने कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए पहले ही दूरसंचार विभाग/सार्वजनिक उद्यम विभाग से संपर्क किया है।

इसके अतिरिक्त, **अनुबंध–क** पर सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सचिवालयी लेखापरीक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की है:–

लेखापरीक्षा पैरा संख्या	सचिवालयी लेखापरीक्षक की टिप्पणियां
अनुबंध–क – क्रम संख्या 3	हमने समीक्षाधीन अवधि के लिए आतंरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर भरोसा किया है, अतः हमने नमूना आधार पर सांविधिक/विधायी अनुपालनों की सटीकता की जांच की है। उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित योग्यताएं/टिप्पणियां भी इस रिपोर्ट का भाग है।
अनुबंध–क – क्रम संख्या 4	हमने समीक्षा अवधि के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर भरोसा किया है अतः हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की सटीकता की जांच नहीं की है। उनकी रिपोर्ट में उल्लिखित योग्यताएं/टिप्पियां इस रिपोर्ट का भाग हैं।

उपर्युक्त के संबंध में प्रबंधन का समेकित उत्तर पहले ही वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रबंधकों के उत्तर के खंड में दिया गया है।

15. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकीय समावेषण तथा शोध एवं विकास पर व्यय

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 134(3)(ड) के प्रावधानों के अनसुरण में ऊर्जा के संरक्षण के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

क) ऊर्जा संरक्षण

क) ऊर्जा के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम अथवा प्रभाव:

कंपनी ने पहले ही शास्त्री पार्क में अपने नेटवर्क प्रचालन केंद्र/कार्यालय में ऊर्जा बचत एलईडी ट्यूबलाइट/बल्बों का स्थापित किया है। ईस्ट किदवई नगर में अपने नए कार्यालय में एलईडी लाइटों का प्रावधान किया गया है।

ख) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:

ग्राम पंचायतों में ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधन के रूप में सौर ऊर्जा पहले ही स्थापित कर दी गई है।

ग) ऊर्जा संरक्षण उपकरण के संबंध में पूंजीगत निवेश:

शून्य

ख) प्रौद्योगिकीय समावेषण, उन्हें अपनाना और नवाचार

क) प्रौद्योगिकीय समावेषण, उन्हें अपनाने और नवाचार के लिए उठाए गए संक्षेप में कदम:

जीपौन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए एक प्रयोग किया गया था। प्रायोगिक परियोजना से सीखते हुए जीपौन के लिए तदंतर निविदा में इसे शामिल किया गया है। इसी प्रकार त्वरित निष्पादन और त्वरित चूक मरम्मत के लिए चरण–II में रिबन आधारित ऑप्टिकल फाइबर और एफडीएमएस आरंभ किया गया है। विभिन्न राज्यों में शीघ्र कार्यान्वयन के लिए एरियल फाइबर बिछायी गई है। सुदूर और पहाड़ी स्थानों (बिना किसी कनेक्टिविटी के) सेटेलाइट कनेक्टिविटी का प्रस्ताव किया गया है।

ख) उपर्युक्त प्रयासों, उदाहरण उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन इत्यादि के परिणामस्वरूप पहुंचे लाभ

जीपी में कनेक्टिविटी के लिए स्वदेशी रूप से तैयार जीपौन बिछाया जा रहा है। बीबीएनएल द्वारा जीओआई/डीओटी की पीएमआई नीति का अनुपालन किया जा रहा हैं।

ग) आयाती प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के आरंभ से शुरू करते हुए विगत पांच वर्षों के दौरान आयातित) निम्नलिखित सूचना दी जा सकती है:

(क) आयातित प्रौद्योगिकी : शून्य

(ख) आयात का वर्ष : शून्य

(ग) क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से समावेशित की गई है : शून्य

(घ) यदि पूरी तरह से समावेशित नहीं की गई है तो वे क्षेत्र जहां ऐसा नहीं हुआ है, इसके कारण तथा भविष्य की योजनाएं : शून्य

(ग) आरएंडडी पर व्यय (राशि रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	2017-18	2016-17
1.	पूंजी	शून्य	शून्य
2.	आवर्ती	शून्य	शून्य
3.	कुल	शून्य	शून्य
4.	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में कुल आरएंडडी व्यय	शून्य	शून्य

16. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

क्र. सं.	विदेशी मुद्रा आय/व्यय	राशि भारतीय रुपए में	
		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	विदेशी मुद्रा आय	शून्य	शून्य
2.	विदेश यात्रा पर भुगतान पर हुआ व्यय	3,50,835	1,45,516
3.	अन्य	1,29,375	4,49,394
4.	सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य (अर्जन आधार पर)	शून्य	शून्य
5.	विदेशी मुद्रा वापसी, यदि कोई हो,	शून्य	शून्य

17. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अब कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा निर्धारित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के क्षेत्राधिकारी/मापदंडों के अधीन शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में बोर्ड ने सीएसआर उप समिति का गठन किया है और बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) का अनुपालन करने के लिए स्वच्छ भारत कोष में 15,00,000/– रुपए का योगदान दिया है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी एक विस्तृत रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की आवश्यकतानुसार **अनुबंध–छ** में संलग्न है।

18. लोगों से जमा

कंपनी ने लोगों से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और इस प्रकार लोगों से मूल अथवा जमा पर ब्याज के लिए कोई राशि तुलन–पत्र की तारीख के अनुसार बकाया नहीं थी।

19. निदेशक बोर्ड

19.1 31.03.2018 के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निम्न तिथि से कार्यग्रहण की अवधि
1.	श्री संजय सिंह@	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	18.03.2016 से
2.	श्री अमित यादव	सरकारी नामिती निदेशक	01.02.2018 से
3.	श्री महमूद अहमद	सरकारी नामिती निदेशक	16.12.2016 से
4.	श्री मनोज आनंद*	निदेशक (वित्त)	29.07.2016 से
5.	श्री एन.के. जोशी**	निदेशक (प्रचालन)	15.11.2017 से
6.	श्री ए.के. सक्सेना***	निदेशक (योजना)	15.11.2017 से

@डी ओ टी के आदेश के अनुसरण में श्री संजय सिंह, प्रशासक, (यूएसओएफ) डीओटी को कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था।

*डी ओ टी के आदेश के अनुसार श्री मनोज आनंद, सीजीएम बीबीएनएल को कंपनी के निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था।

**डी ओ टी के आदेश के अनुसार श्री एन. के. जोशी, डीडीजी (यूएसओएफ) को कंपनी के निदेशक (प्रचालन) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था।

***डी ओ टी के आदेश के अनुसरण में श्री एक.के. सक्सेना, सीजीएम और राज्य प्रमुख महाराष्ट्र, बीबीएनएल को निदेशक (योजना) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

19.2 निम्नलिखित व्यक्तियों को वर्ष के दौरान/पिछली एजीएम की तारीख से समीक्षाधीन तारीख तक निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नियुक्त किया गया था:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री अमित यादव	सरकारी नामिती निदेशक	01.02.2018
2.	श्री आर. के. सिंह	निदेशक (प्रचालन)	05.07.2018

19.3 निम्नलिखित व्यक्ति समीक्षाधीन वर्ष के दौरान/पिछली एजीएम से आज तक की तारीख तक निदेशक/केएमपी नहीं रहे

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	पद छोड़ने की तारीख
1.	श्री बी.के. मित्तल	निदेशक (प्रचालन)	29.07.2015	31.10.2017
2.	श्री बी.के. मित्तल	निदेशक (योजना)	01.01.2016	31.10.2017
3.	श्री शशि रंजन कुमार	सरकारी नामिती निदेशक	06.11.2015	31.01.2018
4.	श्री एन.के. जोशी	निदेशक (प्रचालन)	15.11.2017	04.07.2018
5.	श्री ए.के. सक्सेना	निदेशक (योजना)	15.11.2017	24.09.2018

19.4 निम्नलिखित व्यक्तियों को समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार केएमपी के रूप में पदनामित किया गया था:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री संजय सिंह	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	18.03.2016 से
2.	श्री मनोज आनंद	निदेशक (वित्त)	29.07.2016
3.	श्री एन.के. जोशी	निदेशक (प्रचालन)	15.11.2017
4.	श्री ए.के. सक्सेना	निदेशक (योजना)	15.11.2017
5.	श्री ए.सी उपाध्याय	कंपनी सचिव और प्रमुख विधि	01.04.2014

19.5 बोर्ड की बैठकें

बोर्ड के सदस्यों की बोर्ड बैठक में उपस्थिति तथा अन्य विवरण कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है। वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी के निदेशक बोर्ड की निम्न तारीखों को बारह (12) बैठकें हुई:

65वीं बोर्ड बैठक 25.05.2017	66वीं बोर्ड बैठक 05.06.2017	67वीं बोर्ड बैठक 10.07.2017	68वीं बोर्ड बैठक 26.08.2017
69वीं बोर्ड बैठक 17.10.2017	70वीं बोर्ड बैठक 25.10.2017	71वीं बोर्ड बैठक 07.11.2017	72वीं बोर्ड बैठक 15.11.2017
73वीं बोर्ड बैठक 08.12.2017	74वीं बोर्ड बैठक 20.12.2017	75वीं बोर्ड बैठक 27.02.2018	76वीं बोर्ड बैठक 08.03.2018

20. लेखापरीक्षा समिति

आरंभ में बोर्ड द्वारा 22.04.2013 को लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया है जिसमें दो सरकारी नामिती निदेशक तथा एक संचालन निदेशक शामिल हैं। कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति का सचिव है। वर्ष के दौरान 5 (पांच) लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया गया है।

22वीं लेखापरीक्षा समिति 05.07.2017	23वीं लेखापरीक्षा समिति 13.07.2017	24वीं लेखापरीक्षा समिति 09.11.2017
25वीं लेखापरीक्षा समिति 15.11.2017	26वीं लेखापरीक्षा समिति 20.12.2017	

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए दूरसंचार विभाग/सार्वजनिक उद्यम विभाग से संपर्क किया है, जो लंबित है। जैसे ही मंत्रालय/सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा बीबीएनएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कर दी जाएगी, लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

31.03.2018 तक निदेशक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों की संरचना और श्रेणी तथा 31.03.2018 तक बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	पदनाम	श्रेणी	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1.	श्री अमित यादव*	अध्यक्ष	सरकारी नामिती निदेशक	लागू नहीं
2.	श्री शशि रंजन कुमार**	अध्यक्ष	सरकारी नामिती निदेशक	5
3.	श्री महमूद अहमद	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	4
4.	श्री बी.के. मित्तल***	सदस्य	निदेशक (प्रचालन)	2
5.	श्री एन. के. जोशी***	सदस्य	निदेशक (प्रचालन)	1

*डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री अमित यादव, संयुक्त सचिव (दूरसंचार), डीओटी को 01.02.2018 से सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

**डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री शशि रंजन कुमार संयुक्त सचिव (दूरसंचार), डीओटी 31.01.2018 तक सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

***डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री बी.के. मित्तल, सलाहकार, डीओटी को निदेशक (प्रचालन) और निदेशक (योजना) के पदभार से 31.10.2017 को कार्यमुक्त किया गया था।

****डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री एन.के. जोशी को 15.11.2017 से निदेशक (प्रचालन) का कार्यभार सौंपा गया था।

लेखापरीक्षा समिति की सेवा शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीपीएसई के अभिशासन दिशा–निर्देशों के संबंध में 14 मई, 2010 के निर्देशों के अनुसार हैं। कार्यों की सूची में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखति शामिल है:

- **लेखापरीक्षकों के साथ आवधिक रूप से निम्न के बारे में विचार–विमर्श करना:**
  - आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अनुपालन और उसकी सक्षमता
  - लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों सहिति लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र
  - बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने से पहले त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा
- **निम्नलिखित कार्य करना:**
  - कंपनी की वित्तीय सूचना के प्रकटन के लिए प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं।
  - प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों को बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने से पहले विशेषकर निदेशक की जिम्मेदारी विवरण में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित मामलों के संदर्भ में, परिवर्तन, यदि कोई हो, लेखा नीतियों, प्रमुख लेखन प्रविष्टियों, महत्वपूर्ण समायोजनों और मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्य मतों के संदर्भ में समीक्षा करना।
  - आन्तरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और उन्हें हटाने की सिफारिश करना, लेखापरीक्षा फीस का निर्धारण करना और किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान के अनुमोदन प्रदान करना।
  - लेखापरीक्षा समिति की सेवा शर्तों में उल्लिखित कोई अन्य कार्य करना।
- **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के अंतर्गत विसल ब्लोअर नीति/सतर्कता तंत्र**

कंपनी ने समिति के माध्यम से एक स्थापित विसल ब्लोअर नीति/सतर्कता तंत्र है और यह निदेशकों और अन्य कर्मचारियों द्वारा व्यक्त सही चिंताओं की देखभाल करता है। कंपनी में उन कर्मचारियों और निदेशकों को प्रताड़ित करने के विरूद्ध समुचित रक्षोपाय किए हैं जो ऐसी चिंताएं व्यक्त करते हैं। कंपनी ने सह–कर्मचारियों तथा कंपनी के हितों के संबंध में मामले सूचित करने के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच भी प्रदान की है।

कर्मचारियों को कंपनी की आचार संहिता के विरूद्ध गैर–नीतिगत व्यवहार, वास्तविक अथवा संभावित, धोखाधड़ी अथवा उल्लंघन की घटनाएं प्रबंधन को सूचित करने का अवसर प्रदान करने की नीति तैयार की गई है। वर्ष के दौरान, ऐसी कोई घटना सूचित नहीं की गई।

21. नामित एवं पारिश्रमिक समिति:

आरंभ में बोर्ड में वर्ष 2013 को पारिश्रमिक समिति का गठन किया था। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार अध्यक्ष को एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। तथापि, स्वतंत्र निदेशक की तैनाती अभी तक नहीं की गई है। कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत यथा अपेक्षित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के अभाव में पुनर्गठन नहीं किया जा सका। समिति का दूरसंचार विभाग द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किए जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गठन किया जाएगा। एक सीपीएसयू होने के नाते निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों की योग्यताएं और पारिश्रमिक के मापदंड भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 05.06.2015 की अधिसूचना द्वारा छूट प्रदान की है। समिति का कार्यक्षेत्र डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन दिशा–निर्देशों में दी गई परिभाषा के अनुसार सीमित है।

वर्ष के दौरान 13.07.2017 और 15.11.2017 को 2 बैठकें आयोजित की गई थी। निदेशक बोर्ड की पारिश्रमिक समिति के सदस्यों की वर्तमान

संरचना और श्रेणी तथा बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	पदनाम	श्रेणी	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1.	*	स्वतंत्र निदेशक	गैर–अधिकारिक / अधिकारिक अंशकालीन निदेशक	–
2.	*	स्वतंत्र निदेशक	गैर–अधिकारिक / अधिकारिक अंशकालीन निदेशक	–
3.	श्री अमित यादव**	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	लागू नहीं
4.	श्री महमूद अहमद	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	2
5.	श्री शशि रंजन कुमार***	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	2

*स्वतंत्र निदेशक का पद रिक्त है।

**डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री अमित यादव, संयुक्त सचिव (दूरसंचार), डीओटी को 01.02.2018 से सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

*** डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री शशि रंजन कुमार संयुक्त सचिव (दूरसंचार), डीओटी 31.01.2018 तक सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

22. कार्यकारी समिति

वर्ष के दौरान कार्यकारी समिति की 08 (आठ) बैठके आयोजित की गईं

39वीं कार्यकारी समिति 08.04.2017	40वीं कार्यकारी समिति 24.04.2017	41वीं कार्यकारी समिति 01.06.2017	42वीं कार्यकारी समिति 21.09.2017
43वीं कार्यकारी समिति 11.10.2017	44वीं कार्यकारी समिति 23.10.2017	45वीं कार्यकारी समिति 27.11.2017	46वीं कार्यकारी समिति 27.03.2018

निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति के सदस्यों की संरचना और श्रेणी तथा बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार हैं:–

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	पदनाम	श्रेणी	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1.	श्री संजय सिंह	अध्यक्ष	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	8
2.	श्री मनोज आनंद	सदस्य	निदेशक (वित्त)	8
3.	श्री एन.के. जोशी*	सदस्य	निदेशक (प्रचालन)	2
4.	श्री ए.के. सक्सेना**	सदस्य	निदेशक (योजना)	2
5.	श्री बी.के. मित्तल***	सदस्य	निदेशक (प्रचालन) और (योजना)	6

*डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री एन.के. जोशी को 15.11.2017 से निदेशक (प्रचालन) का कार्यभार सौंपा गया था।

**डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री ए.के. सक्सेना को 15.11.2017 से निदेशक (योजना) का कार्यभार सौंपा गया था।

***डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री बी.के. मित्तल, सलाहकार, डीओटी को निदेशक (प्रचालन) और निदेशक (योजना) के पदभार से 31.10.2017 को कार्यमुक्त किया गया था।

23. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

सीएसआर समिति का कार्य क्षेत्र और संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान 22.03.2018 को पहली बैठक आयोजित की गई। 31 मार्च, 2018 के अनुसार निदेशक मंडल की सीएसआर समिति के सदस्यों की संरचना और श्रेणी तथा बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	पदनाम	श्रेणी	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1.	श्री अमित यादव	अध्यक्ष	सरकारी नामिती निदेशक	1
2.	श्री महमूद अहमद	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	1
3.	श्री मनोज आनंद	सदस्य	निदेशक (वित्त)	1

24. कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और क्रियान्वयन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ढ) के अंतर्गत सूचना

समीक्षाधीन अवधि के दौरान दिनांक 20.12.2017 को एक बैठक (पांचवी) का आयोजन किया गया था। निदेशक बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों की संरचना और श्रेणी तथा 31.03.2018 तक बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	पदनाम	श्रेणी	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1.	श्री महमूद अहमद	अध्यक्ष	सरकारी नामिती निदेशक	1
2.	श्री एन.के. जोशी	सदस्य	निदेशक (प्रचालन)	1
3.	श्री ए.के. सक्सेना	सदस्य	निदेशक (योजना)	1

25. कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अंतर्गत सूचना

बीबीएनएल के एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और संगत नियम भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की राजपत्रित अधिसूचना को देखते हुए लागू नहीं होंगे। संचालन निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें और उपबंधों का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। बीबीएनएल के कंपनी सचिव, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति के वेतन और शर्तें कंपनी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है।

26. बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के निष्पादन तथा उसकी समिति तथा व्यैक्तियों के निष्पादन के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(त) के अंतर्गत प्रक्कथन

बीबीएनएल के एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(त) के प्रावधानों और संगत नियम भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की राजपत्रित अधिसूचना को देखते हुए लागू नहीं होंगे।

27. संबद्ध पक्ष लेनदेन

संबद्ध पक्षों के साथ कोई करार अथवा प्रबंध नहीं था जो समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के तत्वाधान में आता।

28. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा किए गए निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक कंपनी द्वारा कोई ऋणॅ गारंटी अथवा निवेश नहीं किया गया और इस प्रकार उक्त प्रावधान लागू नहीं है।

29. अनारक्षित ऋण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई अनारक्षित ऋण नहीं है।

30. वित्तीय वर्ष के अंत जिससे वित्तीय विवरण संबद्ध है और रिपोर्ट की तारीख के बीच हुए कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले वास्तविक परिवर्तन और वचनबद्धताएं, यदि कोई हो:

वित्तीय वर्ष के अंत जिससे वित्तीय विवरण संबद्ध है और रिपोर्ट की तारीख के बीच हुए कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई वास्तविक परिवर्तन और वचनबद्धताएं नहीं है।

31. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई), 2005 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए समूचे संगठन में व्यापक तंत्र गठित किया है। नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में सहायता और सुलभता प्रदान करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत सूचना तक पहुंच और प्रथम अपील दायर करने की प्रक्रिया व्यक्त करते हुए बीबीएनएल की वेबसाइट पर विस्तृत दिशा–निर्देश डाले गए हैं।

सूचना की विभिन्न श्रेणियों का प्रसार करते हुए अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुरूप बीबीएनएल की वेबसाइट पर स्वतः प्रकटन किया गया है ताकि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से इस अधिनियम का उपयोग करने की न्यूनतम आवश्यकता हो।

32. राजभाषा

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के कारपोरेट और पंजीकृत कार्यालय, नई दिल्ली में राजभाषा अनुभाग मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन और प्रशासन) के तहत कार्य करते है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम में हिंदी के प्रसार के लिए त्रैमासिक हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। इसके अतिरिक्त, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गई और निगम में हिंदी के प्रयोग के संवर्धन हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए की गई महत्वपूर्ण कार्रवाई की संक्षिप्त रिपोर्ट निम्नानुसार है:

क. 14 से 28 सितंबर, 2017 तक एक हिंदी पाक्षिक मनाया गया। इस पाक्षिक के दौरान निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की गई–

i. हिंदी टिप्पण और प्रारूप प्रतियोगिता

ii. हिंदी निबंध प्रतियोगिता

iii. राजभाषा हिंदी और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता

iv. हिंदी डिक्टेशन और लेखन प्रतियोगिता–एमटीएस के लिए

v. कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिता

vi. विभागीय शब्दकोश और अनुवाद प्रतियोगिता

vii. आशु भाषण प्रतियोगिता

viii. निगम के कर्मचारियों द्वारा उनके अधिकारिक कार्य में हिंदी के प्रयोग हेतु समीक्षा और पुरस्कार

ख. दिनांक 28 सितंबर, 2017 को हिंदी पाक्षिक, 2017 के लिए पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। निदेशक (प्रचालन/योजना) ने समारोह की भव्यता बढ़ाई और विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पांचवा स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र और प्रोत्साहन प्रदान किए।

ग. समय–समय पर त्रैमासिक हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में अधिकारिक कार्य में हिंदी के संवर्धन के संबंध में लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन किया गया।

घ. भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालय में हिंदी पुस्तकालय की स्थापना की गई। सृजनात्मक साहित्य से संबंधी पुस्तकें और कार्यालय सहायिका नामक कंपेडियम की प्रतियां पुस्तकालय के लिए खरीदी गई।

ङ. कारपोरेट कार्यालय में स्थापित अधिकांश कंप्यूटरों को हिंदी टाइपिंग कार्य हेतु समर्थ बनाया गया है।

च. अंग्रेजी से हिंदी और विलोमतः अनुवाद का कार्य एक एजेंसी को आउटसोर्स पर दिया गया है। एजेंसी द्वारा कार्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर दिया जाता है। यह प्रबंधन उपयोग में है।

छ. एक हिंदी कंप्यूटिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया और कार्यालय सहायकों को निगम में कंप्यूटरों पर उपलब्ध हिंदी टंकण सुविधाओं के संबंध में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड कारपोरेट और पंजीकृत कार्यालय में राजभाषा हिंदी के संवर्धन हेतु कार्य करता रहा है। हिंदी के प्रयोग में वृद्धि करने और सरकारी कार्य में हिंदी के सरल प्रयोग के लिए वातावरण तैयार किया जा रहा है।

कंपनी ने पहले ही हिंदी में अपनी वेबसाइट www.bbnl.nic.in पर आरंभ कर दी है।

33. सतर्कता

सीवीओ की तैनाती के साथ कंपनी में सितम्बर, 2015 में सतर्कता इकाई की पहले ही स्थापना कर दी गई है। वर्ष 2017–18 के दौरान सीवीसी के निदेशानुसार रोकथाम रूपी सतर्कता सहित विभिन्न सतर्कता संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया गया। 2.00 लाख रूपए और उससे अधिक के अनुमानित मूल्य की निविदाएं टीसीआईएल के ई–पोर्टल का प्रयोग करते हुए आमंत्रित की जा रही है। सभी सतर्कता संबंधी शिकायतों की जांच की गई और समय से इनका निपटान किया गया। सीवीसी के निदेशानुसार 31.10.2017 से 05.11.2017 तक बीबीएनएल में सफलतापूर्वक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2017 मनाया गया।

स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर (आईईएम)

सीवीसी द्वारा परिचालित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सत्यनिष्ठता के समझौते के अंतर्गत शामिल निविदाओं के कार्यान्वयन और प्रभाविता की निगरानी हेतु 2 स्वतंत्र बाह्य मॉनीटरों (आईईएम) की भी नियुक्ति की गई है।

34. शेयरधारकों के लिए सूचना

कंपनी के वित्तीय विवरण और संबद्ध विस्तृत सूचना कंपनी के शेयरधारकों को उपलब्ध है। ऐसी कोई सूचना की मांग करने वाला कोई भी हितधारक किसी भी समय कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्य घंटों के दौरान इसका निरीक्षण कर सकता है।

35. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पर्याप्त होने के संबंध में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(viii) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(थ) के अंतर्गत सूचना

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली वित्तीय सूचना और नियमों और विनियमों का अनुपालन करने में संचालन सक्षमता, संसाधनों के संरक्षण, सटीकता और तीव्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विनियमों और प्रक्रियाओं के साथ इसकी प्रणालियों और प्रक्रियाओं तथा अनुपालन सहित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की सक्षमता और प्रभाविता की समीक्षा करने के लिए एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया द्वारा समर्थित होती है। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के प्रबंधन के साथ विचार–विमर्श किया जाता है और उनकी बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षी की जाती है जो कंपनी में आंतरिक नियंत्रण की सक्षमता और प्रभावित की भी समीक्षा करती है।

36. निदेशकों द्वारा सांविधिक प्रकटनः

आपकी कंपनी का कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है। आपकी कंपनी के निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के तहत यथा अपेक्षित आवश्यक प्रकटन किया है।

37. कारपोरेट अभिशासन के संबंध में दिशा–निर्देशों के अनुपालन के आधार पर ग्रेडिंग

वर्ष 2017–18 के लिए कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा–निर्देशों के

इसके अनुपालन के आधार पर बीबीएनएल का स्वमूल्यांकन ग्रेडिंग डीपीई को प्रस्तुत किया गया है जिसे डीपीई द्वारा अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है।

38. स्वच्छ भारत अभियान

राष्ट्रवार स्वच्छ भारत अभियान के भाग के रूप में आपकी कंपनी ने वर्ष भर विभिन्न अवसरों पर स्वच्छ भारत पखवाड़े का आयोजन किया। आपकी कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने देश भर में और उसके आस–पास कार्यालय परिसरों में आयोजित विभिन्न सफाई कार्यक्रमों में भाग लेते हुए भारत सरकार के इस अभियान में अत्यधिक उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दर्शायी।

39. सूचना प्रौद्योगिकी

बीबीएनएल देश में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लक्ष्य को पूरा करने में बड़े स्तर पर आईटी का प्रयोग कर रहा है जिससे देश के सभी नागरिकों को डिजीटल रूप से जोड़ा जा सके। इसमें दिल्ली में स्थित एक पूर्ण प्राथमिक डाटा केंद्र स्थापित है और बंगलुरु में आपदा रिकवरी डाटा केंद्र स्थापित किया गया है जो बीबीएनएल द्वारा तैयार किए गए ब्रॉडबैंड अवसंरचना की स्थिति के बारे में वास्तविक समय सूचना प्रदान करने के लिए नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त, बीबीएनएल ने बीबीएनएल की विभिन्न दूरसंचार/ब्रॉडबैंड संपत्तियों के दोहन के लिए एक आधुनिक भूगोलीय सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन किया है। इस प्रणाली का उपयोग करते हुए बीबीएनएल की समूची दूरसंचार अवसंरचना की मैपिंग का कार्य और एक गहन वेब आधारित प्रयोग प्रगतिरत है। इसके अतिरिक्त, बीबीएनएल ने कारपोरेट अभिशासन के मानदंडों के अनुसार बीबीएनएल के लेखन के स्वचालन हेतु टेली के रूप में आईटी उपकरण भी तैनात किया है और बीबीएनएल के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक स्वविकसित एमआईएस उपकरण तैयार किया है।

एक परियोजना निगरानी उपकरण को घरेलू रूप से तैयार किया गया है और इसे वास्तविक समय आधार पर विभिन्न गतिविधियों को दर्ज करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ साझा किया गया है। इस उपकरण को बीबीएनएल जीआईएस के साथ भी समेकित किया गया है।

बीबीएनएल की वेबसाइट को जीआईजीडब्ल्यू के अनुरूप बनाया गया है और यह सभी प्रतिभागियों को वास्तविक समय–सूचना प्रदान करती है।

40. लागत रिकार्डों का अनुरक्षण

वर्तमान में बीबीएनएल में लागत रिकार्डों के अनुरक्षण को लागू करने और लागत रिकार्ड तथा लेखा परीक्षा नियम 2014 के लागू नियमों के अनुसार लागत लेखा परीक्षा हेतु लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए कोई इष्टतम सीमा नहीं है। इसलिए वित्तीय वर्ष के दौरान लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और लागत रिकार्डों का अनुरक्षण आवश्यक नहीं है।

41. अभिस्वीकृति

आपके निदेशक बोर्ड दूरसंचार विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नेशनल इंफॉरमेटिक्स सेंटर, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, बीएसएनएल, पीजीसीआईएल, रेलटेल, सी–डॉट, टीसीआईएल, अपने सभी प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं, मूल्य वर्धन सेवा भागीदारों और सभी व्यापार सहयोगियों का वर्ष के दौरान उनके सहयोग और सहायता के लिए हृदय से आभारी है। हम हमारी यात्रा में आपके निरंतर मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं।

आपके निदेशक बोर्ड सीएंडएजी तथा सांविधिक लेखापरीक्षक, सचिवीय लेखापरीक्षक तथा केनरा बैंक से प्राप्त मूल्यवान सहयोग का धन्यवाद सहित आभार व्यक्त करते है। निदेशक मंडल इस अवसर पर प्रत्येक कर्मचारी का मूल्यवान सहयोग परिश्रम तथा समर्पण के लिए धन्यवाद देता है।

42. अनुशेषः **निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैः**

42.1 कंपनी की "वार्षिक रिटर्न का उद्धरण" **अनुबंध–क** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

42.2. "कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट" **अनुबंध–ख** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

42.3 "निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए आचार संहिता" **अनुबंध–ग** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

42.4 "कंपनी के मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रमाण–पत्र/घोषणा" **अनुबंध–घ** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

42.5 "प्रबंधन का विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट" **अनुबंध–ड.** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

42.6 कंपनी की "सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट" **अनुबंध–च** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

42.7 "कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट" **अनुबंध–छ** पर संलग्न है।

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
कृते तथा की ओर से निदेशक बोर्ड

संजय सिंह
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन–07484614

दिनांकः 25.09.2018
स्थानः नई दिल्ली

अनुबंध–क

फॉर्म संख्या एमजीटी–9

वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार में)

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरणः

i.	सीआईएन	यू64100डीएल2012जीओआई232070
ii.	पंजीकरण की तारीख	25 फरवरी, 2012
iii.	कंपनी का नाम	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
iv.	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	श्रेणी – शेयर द्वारा कंपनी लिमिटेड उपश्रेणी – केंद्र सरकार की कंपनी
v.	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	कमरा संख्या 306, तीसरा तल, सी–डॉट कैम्पस, मांडी गांव रोड, महरोली, नई दिल्ली–110030
vi.	क्या यह सूचीबद्ध कंपनी है हां/ना	नहीं
vii.	रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता और संपर्क विवरण	कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि. 305, नई दिल्ली हाउस, तीसरा तल, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001

II. कंपनी की प्रमुख व्यापार गतिविधि

कंपनी के कुल टर्नओवर के 10 प्रतिशत अथवा अधिक की सभी व्यापार गतिविधियां निम्न होंगीः–

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1	राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) की स्थापना, प्रबंधन और प्रचालन का कार्य करना जिसकी ग्राम पंचायतों को मौजूदा तथा भविष्य के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार करके सभी ग्राम पंचायतों को त्वरित गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की भारत सरकार द्वारा परिकल्पना की गई है।	9984222	100%

III. धारित, सब्सिडरी तथा एसोसिएट कंपनियों के विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/सब्सिडरी/एसोशिएट	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू खंड
1	.....	.....	..... शून्य	.....	.....

IV) शेयरहोल्डिंग पद्धति (कुल इक्विटी का इक्विटी शेयर पूंजी विवरण कुल प्रतिशत)

i) *श्रेणी–वार शेयरहोल्डिंग*

अंशधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान : परिवर्तन प्रतिशत में
	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रोमोटर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) व्यक्ति / एचयूएफ									
ख) केंद्र सरकार	शून्य	6,00,00,000	6,00,00,000	99.999995		6,00,00,000	6,00,00,000	99.999995	शून्य
ग) राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय निगम	शून्य	03	03	0.000005		03	03	0.000005	शून्य
ड) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (क) (1)	शून्य	**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**		**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**	शून्य
2) विदेशी									
क) एनआरआई–व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (क)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रोमोटोर के कुल शेयर (क)=(क) (1)+(क)(2)	शून्य	**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**		**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**	शून्य
ख) सार्वजनिक शेयर होल्डिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) म्युचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-

अंशधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान : परिवर्तन प्रतिशत में
	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
ग) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकारें	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) वैंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपयोग (ख) (1)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2) संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) लाख रुपए तक आंशिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयर होल्डर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii)लाख रुपए से अधिक आंशिक शेयरपूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरहोल्डर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (ख) (1)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल सार्वजनिक शेयर (ख) = (ख) (1)+(ख)(2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
सकल योग (क+ख+ग)	**शून्य**	**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**		**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**	**शून्य**

ii) *प्रोमोटरों की शेयरहोल्डिंग*

क्र. सं.	अंशधारकों के नाम	वर्ष के आरंभ में शेयर			वर्ष के अन्त में शेयर			वर्ष के दौरान धारित शेयर में प्रतिशत परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में वचनबद्ध शेयरों / भारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में वचनबद्ध शेयरों / भारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	
1	श्री अमित यादव, संयुक्त सचिव (प्रशासन), डीओटी भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से	5,99,99,994	99.999985	शून्य	5,99,99,994	99.999985	शून्य	शून्य
2	श्री आर.एम. चतुर्वेदी उप महानिदेशक (सीएस), डीओटी	1	0.0000016	शून्य	1	0.0000016	शून्य	शून्य
3	श्री अश्वनि सालवान, डीडीजी (बीबी), यूएसओएफ, डीओटी	1	0.0000016	शून्य	1	0.0000016	शून्य	शून्य
4	श्री रूपेंद्र कुमार निदेशक (यूएसओएफ), डीओटी	1	0.0000016	शून्य	1	0.0000016	शून्य	शून्य
5	श्री राजीव कुमार, डीडीजी (बीएंडपीएफ), डीओटी	1	0.0000016	शून्य	1	0.0000016	शून्य	शून्य
6	श्री आर.एम. अग्रवाल, डीडीजी (एसयू), डीओटी	1	0.0000016	शून्य	1	0.0000016	शून्य	शून्य
7	श्री पवन गुप्ता, निदेशक (पीएसयू–1), डीओटी	1	0.0000016	शून्य	1	0.0000016	शून्य	शून्य
8	मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड	1	0.0000016	शून्य	1	0.0000016	शून्य	शून्य
9	मैसर्स पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	0.0000016	शून्य	1	0.0000016	शून्य	शून्य
10	मैसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	0.0000016	शून्य	1	0.0000016	शून्य	शून्य
	कुल	**6,00,00,003**	**100**	**शून्य**	**6,00,00,003**	**100**	**शून्य**	**शून्य**

टिप्पणी: क्रम संख्या 1 से 7 शेयर दूरसंचार विभाग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति की ओर से धारित है।

iii) *प्रमोटरों / शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया उल्लेख करें)*

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	वर्ष के आरंभ में	6,00,00,003	100%	6,00,00,003	100%
2	वर्ष के दौरान प्रमोटरों के शेयरों में तिथि वार वृद्धि / कमी, वृद्धि / कमी के कारण बताएं (उदाहरण आबंटन / हस्तांतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी इत्यादि)	.....	....कोई परिवर्तन नहीं....	.....	.....
3	वर्ष के अंत में	6,00,00,003	100%	6,00,00,003	100%

(iv) शीर्ष 10 शेयरधारकों की शेयर पद्धति (निदेशकों, प्रोमोटरों और जीडीआर तथा एडीआर धारकों से इतर):

क्र. सं.	सर्वोच्च 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	वर्ष के आरंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	वर्ष के दौरान प्रमोटरों के शेयरों में तिथि वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारण बताएं (उदाहरण आबंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्कीकरण की तारीख पर, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए हों)	शून्य	शून्य	शून्य	श्ज़ॅन्य

(v). निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के शेयर

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	वर्ष के आरंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	वर्ष के दौरान प्रमोटरों के शेयरों में तिथि वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारण बताएं (उदाहरण आबंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. ऋण

भुगतान के बकाया ब्याज/अर्जित परंतु देय नहीं सहित कंपनी का ऋण

	जमा को छोड़कर आरक्षित ऋण	अनारक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋण i) प्रधान राशि ii) ब्याज देय परंतु जिसका भुगतान नहीं किया गया iii) ब्याज अर्जित परंतु देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण में परिवर्तन – जमा – कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निवल परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के अन्त में ऋण i) प्रधान राशि ii) ब्याज देय परंतु जिसका भुगतान नहीं किया गया iii) ब्याज अर्जित परंतु देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिकः

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम					कुल राशि
		श्री संजय सिंह, सीएमडी	श्री मनोज आनंद निदेशक (वित्त)	श्री ए.के. सक्सेना, निदेशक (योजना)	श्री एन. के. जोशी निदेशक (प्रचालन)	श्री बी.के. मित्तल, निदेशक (प्रचालन)	
1.	सकल वेतन (क) आयकर, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	शून्य	32,40,443	30,03,762	शून्य	शून्य	62,44,205
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत पूर्व अपेक्षित का मूल्य	शून्य	34,900	4,24,298	शून्य	शून्य	4,59,198
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के लिए लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	स्टॉक विक्लप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन						
	– लाभ के प्रतिशत के रूप में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	– अन्य, उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (क)		शून्य	32,75,343	34,28,060	शून्य	शून्य	67,03,403
अधिनियम के अनुसार सीमा		सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं					

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिकः

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम			कुल राशि
		श्री अमित यादव (सरकारी नामिती निदेशक)	श्री महमूद अहमद (सरकारी नामिती निदेशक)	श्री शशि रंजन कुमार (सरकारी नामिती निदेशक)	
1	स्वतंत्र निदेशक • बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए फीस • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें	वर्ष के दौरान बीबीएनएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था	वर्ष के दौरान बीबीएनएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था	वर्ष के दौरान बीबीएनएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था	शून्य
कुल (1)		**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
2	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक • बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए फीस • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (2)		**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
कुल (ख)=(1+2)		**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा		**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

ग. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी से इतर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिकः

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ	श्री एस.सी. उपाध्याय, कंपनी सचिव एवं विधि प्रमुख	–	कुल
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत पूर्व अपेक्षित का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के लिए लाभ	शून्य	16,15,407.00 44,900.00 -	- - -	16,15,407.00 44,900.00 -
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	-	शून्य
3.	स्वैट इक्विटी	शून्य	शून्य	-	शून्य
4.	कमीशन –लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य, उल्लेख करें	शून्य	शून्य	-	शून्य
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य	शून्य	-	शून्य
कुल			**16,60,307.00**		**16,60,307.00**

VII. दंड/सजा/अपराध कम्पाउंडिंग

श्रेणी	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए दंड/सजा/कंपाउंडिंग फीस का विवरण	प्राधिकरण /आरडी/एनसीएलएटी/न्यायालय,	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण प्रदान करें)
क. कंपनी					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपाउंडिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. निदेशक					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपाउंडिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. अन्य अधिकारी					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपाउंडिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अनुबंध–ख

कारपोरेट गवर्नेंस के संबंध में कंपनी की रिपोर्ट

1. कारपोरेट गवर्नेंस के दिशा–निर्देशों के संबंध में कंपनी के दर्शन पर एक संक्षिप्त विवरण

कंपनी के लक्ष्य/दृष्टिकोण में पणधारियों के मूल्य में वृद्धि करना शामिल है। कारपोरेट गर्वनेंस में मूल्यों के प्रति ठोस वचनबद्धता और शेयरधारकों के मूल्यों को अधिकतम बनाने के लिए सतत आधार पर व्यापार के संचालन की मजबूत बचनबद्धता के साथ कंपनी के प्रशासन का अभिशासन करने वाले नियमों, विनियमों और नीतियों के नैतिक ढांचे पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य शेयरधारकों, निवेशकों, उपभोक्ताओं, वेंडरों, विनियामकों और बड़े स्तर पर समुदाय तथा सरकार को शामिल करते हुए प्रत्येक भागीदारी के हित की सुरक्षा करना है। भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, डीपीई द्वारा 14 मई, 2010 के पत्र सं. 18 (8)/2005–जीएम द्वारा दिशा–निर्देश जारी करते हुए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा–निर्देश जारी किए हैं जो सभी सीपीएसई के लिए आवश्यक अनुपालन का अध्यादेश देते हैं। कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि केवल कारपोरेट अभिशासन अपने सभी हितधारकों के लिए सतत आधार पर मूल्य सृजित करेगा। कारपोरेट गर्वनेंस मुख्यतः पारदर्शिता, वास्तविक तथ्यों का पूर्ण प्रकटन, बोर्ड की स्वतंत्रता और सभी भागीदारों के लिए निष्पक्षता पर ध्यान केंद्रित करता है।

समय–समय पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट गवर्नेंस के दिशा–निर्देशों के अनुपालन के कदम उठाए जा रहे हैं।

2. निदेशक बोर्डः बोर्ड की संरचना

बीबीएनएल के पीएसयू होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 31.03.2018 के अनुसार बीबीएनएल के बोर्ड में छः सदस्य हैं, जिनमें से चार कार्यरत निदेशक (अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित) हैं, दो भारत सरकार के नीमिती हैं। इस समय में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। कंपनी ने कारपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु प्रशासनिक मंत्रालय/सार्वजनिक उद्य विभाग से संपर्क किया है।

2.1 आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या, तिथि जब आयोजित की गईः

बोर्ड के सदस्यों की बोर्ड बैठक में उपस्थिति तथा अन्य विवरण कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है। वर्ष के दौरान, कंपनी निदेशक मंडल की बारह (12) बैठकें आयोजित की गई हैः

65वीं बोर्ड बैठक 25.05.2017	66वीं बोर्ड बैठक 05.06.2017	67वीं बोर्ड बैठक 10.07.2017	68वीं बोर्ड बैठक 26.08.2017
69वीं बोर्ड बैठक 17.10.2017	70वीं बोर्ड बैठक 25.10.2017	71वीं बोर्ड बैठक 07.11.2017	72वीं बोर्ड बैठक 15.11.2017
73वीं बोर्ड बैठक 08.12.2017	74वीं बोर्ड बैठक 20.12.2017	75वीं बोर्ड बैठक 27.02.2018	76वीं बोर्ड बैठक 08.03.2018

2.2 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति और अन्य निदेशकों एवं समिति सदस्यता, अध्यक्षता की संख्या निम्मानुसार हैः

निदेशक का नाम	श्रेणी	2017–18 के दौरान बोर्ड की बैठक में उपस्थिति	पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	निदेशक की अन्य कंपनियों में संख्या	समितियों की संख्या (बीबीएनएल) सहित)	
					सदस्य	अध्यक्ष
श्री संजय सिंह	सीएमडी	12	हां	-	-	1
श्री अमित यादव@	सरकारी नामिती निदेशक	2	लागू नहीं	2	3	3
श्री महमूद अहमद	सरकारी नामिती निदेशक	12	हां	-	3	1
श्री मनोज आनंद	निदेशक (वित्त)	11	हां	-	2	-
श्री एन.के. जोशी@@	निदेशक (प्रचालन)	4	हां	-	3	-
श्री ए.के. सक्सेना@@@	निदेशक (योजना)	4	हां	-	2	-
श्री शशि रंजन कुमार#	सरकारी नामिती निदेशक	8	हां	1	-	2
श्री बी.के. मित्तल##	निदेशक (प्रचालन) एवं (योजना)	5	लागू नहीं		2	-

@डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री अमित यादव, संयुक्त सचिव (दूरसंचार), डीओटी को 01.02.2018 से सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
@@डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री एन.के. जोशी, जेएटी (यूएसओएफ) को 15.11.2017 से निदेशक (प्रचालन) का कार्यभार सौंपा गया था।
@@@डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री ए.के. सक्सेना, राज्य प्रमुख महाराष्ट्र के साथ 15.11.2017 से निदेशक (योजना)का प्रभार सौंपा गया था।
#डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री शशि रंजन कुमार संयुक्त सचिव (दूरसंचार), डीओटी 31.01.2018 तक सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

##डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री बी.के. मित्तल, सलाहकार, डीओटी को निदेशक (प्रचालन) और निदेशक (योजना) के पदभार से 31.10.2017 को कार्यमुक्त किया गया था।

टिप्पणी:

1. बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 (दस) समितियों से अधिक का सदस्य नहीं है अथवा सभी कंपनियों में पांच (5) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है जिनमें वह निदेशक है। सभी निदेशकों ने अन्य कंपनियों में धारित निदेशक/समिति के पदों के संबंध में अपेक्षित प्रकटन किया है। निदेशकों का संक्षिप्त वृत्त–चित्र इस रिपोर्ट की क्रम सं. 2.4 में दिया गया है।
2. सभी बैठकों में अपेक्षित कोरम उपस्थित था।

2.3 निदेशकों की आयु–सीमा और कार्यकाल

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालीन संचालन निदेशकों की आयु सीमा 60 (साठ) वर्ष है। सामान्यतः अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालीन संचालन निदेशकों की नियुक्ति कार्य ग्रहण करने की तारीख से 5 (पांच) वर्षों के लिए अथवा पदधारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक अथवा भारत सरकार से आगे अनुदेशों तक, जो भी पहले हो, की जाती है। अंशकालीन अधिकारिक निदेशक (सरकारी नामिती) बोर्ड से मंत्रालय के अधिकारी का पद छोड़ने पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाती है।

2.4 मौजूदा निदेशकों और वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए नए निदेशकों का संक्षिप्त वृत चित्र

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	विशिष्ट संचालन क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रकृति	उन कंपनियों के नाम जिनमें व्यक्ति ने निदेशक और बोर्ड की समितियों के सदस्य के पद धारित किए हों
1.	श्री संजय सिंह	सीएमडी	18.03.2016	नीचे दिया गया है	शून्य
2.	श्री अमित यादव	सरकारी नामिती निदेशक	01.02.2018	नीचे दिया गया है	बीएसएनएल और एमटीएनएल
3.	श्री महमूद अहमद	सरकारी नामिती निदेशक	16.12.2016	नीचे दिया गया है	शून्य
4.	श्री मनोज आनंद	निदेशक (वित्त)	29.07.2016	नीचे दिया गया है	शून्य
5.	श्री ए.के. सक्सेना	निदेशक (योजना)	15.11.2017	नीचे दिया गया है	शून्य
6.	श्री आर.के. सिंह	निदेशक (प्रचालन)	05.07.2018	नीचे दिया गया है	शून्य
7.	श्री एन.के. जोशी	निदेशक (प्रचालन)	15.11.2017	नीचे दिया गया है	शून्य

संक्षिप्त प्रोफाइल:–

1. श्री संजय सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1987 कैडर के मध्य प्रदेश कैडर के सिविल अधिकारी हैं। वे प्रधान सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश सरकार के पद पर आसीन थे। वर्तमान में, श्री सिंह, प्रशासक (यूएसओएफ) दूरसंचार विभाग, भारत सरकार ने दिनांक 18.03.2016 को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बीबीएनएल का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया है।
2. श्री अमित यादव, एजीएमयूटी काडर 1991 के एक आईएएस अधिकारी है। वे विज्ञान और विधि स्नातक है और एमबीए डिग्री धारक भी है। वर्तमान में वे संयुक्त सचिव, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार है। इससे पहले उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों में विभिन्न पदधारित किए हैं जिनमें आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, सीएमडी (डीएसआईआईडीसी), सचिव (उद्योग) और सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, काउंसलर, डब्ल्यूटीओ, जिनेवा में भारतीय दूतावास, निदेशक–व्यापार नीति प्रभाग, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, सचिव, कृषि/सहयोग/मत्स्य/जल संसाधन/पशुपालन, आयुक्त, वीएटी, गोवा सरकार, प्रबंध निदेशक, गोवा राज्य अवसंरचना विकास निगम, अपर आयुक्त, बिक्री कर, दिल्ली, उपायुक्त, दक्षिणी जिला, दिल्ली इत्यादि शामिल है।
3. श्री महमूद अहमद आईपी एंड टीएएफएस के 1993 बैच से संबद्ध हैं। हिन्दू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर

पूर्ण करने के पश्चात 1992 की सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से उनका चयन हुआ था। उन्होंने अप्रैल, 2015 से संयुक्त प्रशासक (वित्त), यूएसओएफ का कार्यभार ग्रहण किया। इससे पहले उन्होंने 2010 से 2015 तक शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2005 से 2010 तक इस्पात एवं खनन विभाग, उड़ीसा सरकार में भी कार्य किया। दो दशकों से अधिक के कैरियर में उनका दूरसंचार विभाग तथा अन्यत्र विभिन्न क्षमताओं में गहन और विविध क्षेत्रों का अनुभव है।

4. श्री मनोज आनंद ने दिनांक 29 जुलाई, 2016 को निदेशक (वित्त), भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के रूप में कार्य ग्रहण किया। श्री आनंद आईसीएआई एवं आईसीएसआई के एक सदस्य है। बीबीएनएल में उनके कार्य ग्रहण करने से पहले उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में एमटीएनएल, बीएसएनएल और डीओटी में कार्य किया है। वे भारतीय पीएंडटी लेखा एवं वित्तीय सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी हैं। उनके पास विशेषकर बजटिंग, कॉस्टिंग, टैरिफ, प्रोजेक्ट्स इत्यादि जैसे क्षेत्रों में सरकारी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में लगभग 27 से अधिक वर्षों का गहन एवं विविध क्षेत्रों का अनुभव है।

5. श्री ए.के. सक्सेना 1981 बैच के आईटीएस अधिकारी है जिन्होंने वर्ष 1983 में दूरसंचार विभाग में कार्य ग्रहण किया था। उन्होंने अपना कैरियर पूर्वोत्तर कार्यबल में अपनी पहली तैनाती के साथ आरंभ किया, तब से उन्होंने उत्तर प्रदेश (पश्चिमी), दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र, नई दिल्ली, एमटीएनएल, मुम्बई और बीबीएनएल में कार्य किया है। श्री ए.के. सक्सेना ने एमटीएनएल, मुम्बई में विभिन्न पदों जैसे कि विपणन, एचआर और प्रशासन तथा मोबाइल सेवाओं इत्यादि में महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया है तथा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड में उन्होंने राज्य प्रमुख महाराष्ट्र के रूप में कार्य किया है। उन्हें अगस्त, 2017 माह में दूरसंचार विभाग में वरिष्ठ डीडीजी के रूप में एचएजी ग्रेड में पदोन्नत किया गया था।

6. श्री राजेश कुमार सिंह 1985 बैच के भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी है। उन्होंने बीआईटी सिंद्री, रांची विश्वविद्यालय से प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग की है। उन्होंने मानव संसाधन में विशेषज्ञता के साथ व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर (एमबीए) की है। उनका समूचे भारत में विभिन्न स्थानों पर दूरसंचार सेवाओं की स्थापना, कमीशनिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और प्रबंधन में तीन दशकों से अधिक का गहन और विविध अनुभव रहा है। वे भारतनेट के तहत विभिन्न प्रायोगिक परियोजनाओं के माध्यम से योजना, प्रचालन, सेवाओं से संबंधित नीति निर्धारण में अग्रणी रहे हैं।

7. श्री एन. के. जोशी ने भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार में इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के पश्चात् 1985 में भारतीय दूरसंचार सेवा में कार्यग्रहण किया। उन्होंने विशेषकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भारत में कई स्थानों पर कार्य किया उन्हें कुबैत में प्रमुख टीसीआईएल परियोजना के लिए तैनात किया गया था। निदेशक (प्रचालन) बीबीएनएल के रूप में कार्यग्रहण करने से पहले वे डीडीजी (एसयू) दूरसंचार विभाग मुख्यालय और ईडी, एमटीएनएल, दिल्ली के रूप में कार्यरत थे। उन्हें महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, भारतीय टेलीफोन उद्योग और मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड में सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया था।

2.5 निदेशक बोर्ड के समक्ष रखी गई सूचना

निदेशक बोर्ड को कंपनी के भीतर सूचना तक संपूर्ण पहुंच प्राप्त है जिसमें वार्षिक राजस्व और पूंजीगत बजट, कंपनी के वित्तीय परिणाम दर्शाने वाले आवधिक लेखा विवरण, कंपनी की वित्तीय योजनाएं, लेखापरीक्षा समितियों सहित विभिन्न समितियों की बैठकों के कार्यवृत, वार्षिक रिपोर्ट, निदेशक की रिपोर्ट इत्यादि, लागू कानूनों के अनुपालन संबंधी आवधिक रिपोर्ट, निदेशक तथा अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित पदों के संबंध में निदेशकों द्वारा हित संबंधी प्रकटन और अन्य वास्तविक महत्वपूर्ण सूचना तक पहुंच प्राप्त है।

2.6 बोर्ड की बैठक आयोजित करने के पश्चात् प्रक्रिया

कंपनी का सचिव शासन प्रक्रिया के भाग के रूप में आवश्यक अनुमोदनों और प्रभागों और क्षेत्रों के प्रमुखों को प्रदत्त अनुमोदन/प्राधिकरण के साथ बोर्ड के परिणाम का प्रसार करता है और ऐसा बैठक–पश्चात् अनुपालन तंत्र मौजूद है जिसके द्वारा बोर्ड/समितियों द्वारा इस प्रकार प्रदत्त अनुमोदन के संबंध में कृत कार्रवाई/लंबित कार्रवाई के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई, समीक्षा और रिपोर्टिंग की जाती है।

2.7 निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

एक सरकरी कंपनी होने के नाते निम्नलिखित पूर्णकालीन संचालनरत निदेशकों और प्रमुख अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों का दिनांक 31.03.2018 के अनुसार पारिश्रमिक का निर्णय लागू अनुसार भारत सरकार/बोर्ड द्वारा लिया जाता है।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	आयकर, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत पर परक्यूसिट का मूल्य	कुल
1.	श्री संजय सिंह	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	0.00	0.00	0.00
2.	श्री अमित यादव@	सरकारी नामिती निदेशक	0.00	0.00	0.00
3.	श्री महमूद अहमद	सरकारी नामिती निदेशक	0.00	0.00	0.00
4.	श्री मनोज आनंद	निदेशक (वित्त)	32,40,443.00	34,900.00	32,75,343.00
5.	श्री एन.के. जोशी@@	निदेशक (प्रचालन)	0.00	0.00	0.00
6.	श्री ए.के. सक्सेना@@@	निदेशक (योजना)	30,03,762.00	4,24,298.00	34,28,060.00
7.	श्री शशि रंजन कुमार#	सरकारी नामिती निदेशक	0.00	0.00	0.00
8.	श्री बी.के. मित्तल##	निदेशक (प्रचालन) एवं (योजना)	0.00	0.00	0.00
9.	श्री ए.सी. उपाध्याय	सीएस एंड विधि प्रमुख	16,15,407.00	44,900.00	16,60,307.00

@डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री अमित यादव, संयुक्त सचिव (दूरसंचार), डीओटी को 01.02.2018 से सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
@@डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री एन.के. जोशी, जेएटी (यूएसओएफ) को 15.11.2017 से निदेशक (प्रचालन) का कार्यभार सौंपा गया था।
@@@डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री एक.के. सक्सेना, राज्य प्रमुख महाराष्ट्र के साथ 15.11.2017 से निदेशक (योजना) का प्रभार सौंपा गया था।
#डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री शशि रंजन कुमार संयुक्त सचिव (दूरसंचार), डीओटी 31.01.2018 तक सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
##डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री बी.के. मित्तल, सलाहकार, डीओटी को निदेशक (प्रचालन) और निदेशक (योजना) के पदभार से 31.10.2017 को कार्यमुक्त किया गया था।

2.8 वर्ष 2017–18 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को सिटिंग फीस का भुगतान

वर्ष 2017–18 के दौरान बीबीएनएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। स्वतंत्र निदेशक का पद रिक्त है। कंपनी ने दूरसंचार विभाग को कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता के बारे में सूचित किया है।

2.9 अंशकालीन अधिकारिक निदेशकों/सरकारी नामिती निदेशकों को सिटिंग फीस का भुगतानः

अंशकालीन अधिकारिक निदेशकों/सरकारी नामिती निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

3. बोर्ड की समितियां

कंपनी में निम्नलिखित पांच (5) बोर्ड स्तरीय समितियां:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति
3. जोखिम प्रबंधन समिति
4. कार्यकारी समिति
5. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

4. लेखापरीक्षा समिति

4.1 शर्तों का संक्षिप्त विवरण

लेखापरीक्षा समिति की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीपीएसई के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में 14 मई, 2010 के दिशा–निर्देशों के अनुरूप है।

4.2 लेखापरीक्षा समिति का कार्य क्षेत्र

लेखापरीक्षा समिति प्रबंधन, सांविधिक तथा आंतरिक लेखापरीक्षकों और निदेशक बोर्ड के बीच सेतु का कार्य करती है। इसके कार्यों की सूची में अन्य बातों के साथ–साथ निम्न शामिल है:

- **लेखापरीक्षकों के साथ आवधिक रूप से निम्न के बारे में विचार–विमर्श करनाः**
  - आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अनुपालन और उसकी सक्षमता
  - लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों सहित लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र
  - बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने से पहले त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा
- **निम्नलिखित कार्य करनाः**
  - कंपनी की वित्तीय सूचना के प्रकटन के लिए प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।

– प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों को बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने से पहले विशेषकर निदेशक की जिम्मेदारी विवरण में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित मामलों के संदर्भ में, परिवर्तन, यदि कोई हो, लेखा नीतियों, प्रमुख लेखन प्रविष्टियों, महत्वपूर्ण समायोजनों और मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्य मतों के संदर्भ में समीक्षा करना।

– आन्तरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और उन्हें हटाने की सिफारिश करना, लेखापरीक्षा फीस का निर्धारण करना और किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान के अनुमोदन प्रदान करना।

– लेखापरीक्षा समिति की सेवा शर्तों में उल्लिखित कोई अन्य कार्य करना।

– सीईओ/सीएफओ विवरण तथा प्रबंधन विचार–विमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट की समीक्षा करना।

4.3 सदस्यों और अध्यक्ष की संरचना, संघटन

लेखापरीक्षा समिति जिसका बोर्ड द्वारा 22.04.2013 को गठन किया गया है जिसमें दो सरकारी नामिति निदेशक और कार्यशील निदेशक हैं। कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति का सचिव होता है। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की पांच (5) बैठकें आयोजित की गई थीं।

22वीं लेखापरीक्षा समिति 05.07.2017	23वीं लेखापरीक्षा समिति 13.07.2017	24वीं लेखापरीक्षा समिति 09.11.2017
25वीं लेखापरीक्षा समिति 15.11.2017	26वीं लेखापरीक्षा समिति 20.12.2017	

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए दूरसंचार विभाग/सार्वजनिक उद्यम विभाग से संपर्क किया है जो लंबित है। जैसे ही मंत्रालय/सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा बीबीएनएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कर दी जाती है तो तत्काल लेखापरीक्षा समिति का गठन कर दिया जाएगा। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों की संरचना और श्रेणी तथा बैठक में उपस्थिति 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार नीचे दी गई है:–

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	पदनाम	श्रेणी	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1.	श्री अमित यादव*	अध्यक्ष	सरकारी नामिती निदेशक	लागू नहीं
2.	श्री शशि रंजन कुमार**	अध्यक्ष	सरकारी नामिती निदेशक	5
3.	श्री महमूद अहमद	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	4
4.	श्री बी.के. मित्तल***	सदस्य	निदेशक (प्रचालन)	2
5.	श्री एन.के. जोशी****	सदस्य	निदेशक (प्रचालन)	1

*डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री अमित यादव, संयुक्त सचिव (दूरसंचार), डीओटी को 01.02.2018 से सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

**डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री शशि रंजन कुमार संयुक्त सचिव (दूरसंचार), डीओटी 31.01.2018 तक सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

***डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री बी.के. मित्तल, सलाहकार, डीओटी को निदेशक (प्रचालन) और निदेशक (योजना) के पदभार से 31.10.2017 को कार्यमुक्त किया गया था।

****डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री एन.के. जोशी, जेएटी (यूएसओएफ) को 15.11.2017 से निदेशक (प्रचालन) का कार्यभार सौंपा गया था।

5. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

आरंभ में बोर्ड द्वारा 2013 में पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार अध्यक्ष को स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। तथापि, स्वतंत्र निदेशक की तैनाती की जानी अभी बाकी है। कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अंतर्गत यथा अपेक्षित नामिती एवं पारिश्रमिक समिति समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों के अभाव में पुनः गठित नहीं की जा सकी। इस समिति का दूरसंचार विभाग द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किए जाने के पश्चात् अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पुनः गठन किया जाएगा। एक सीपीएसई होने के नाते निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारियों की योग्यताओं और पारिश्रमिक के लिए मानदंडों का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 5/6/15 को जारी राजपत्रित अधिसूचना के आधार पर छूट प्रदान की गई है। समिति का दायरा सार्वजनिक प्रशासन द्वारा जारी कॉर्पोरेट दिशा–निर्देशों की परिभाषा तक सीमित है।

वर्ष के दौरान 02 (दो) बैठकें छठी दिनांक 13.07.2017 और 15.11.2017 को सातवीं आयोजित की गई थी। निदेशक बोर्ड की पारिश्रमिक समिति के सदस्यों की वर्तमान संरचना और श्रेणी तथा बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	पदनाम	श्रेणी	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1.	*	स्वतंत्र निदेशक	गैर–अधिकारिक / अधिकारिक अंशकालीन निदेशक	-
2.	*	स्वतंत्र निदेशक	गैर–अधिकारिक / अधिकारिक अंशकालीन निदेशक	-
3.	श्री अमित यादव**	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	लागू नहीं
4.	श्री महमूद अहमद	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	2
5.	श्री शशि रंजन कुमार***	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	2

*स्वतंत्र निदेशक का पद रिक्त है।

**डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री अमित यादव, संयुक्त सचिव (दूरसंचार), डीओटी को 01.02.2018 से सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

***डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री शशि रंजन कुमार संयुक्त सचिव (दूरसंचार), डीओटी 31.01.2018 तक सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

6. जोखिम प्रबंधन समिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान दिनांक 20.12.2017 को एक बैठक (पांचवीं) का आयोजन किया गया था। निदेशक बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों की संरचना और श्रेणी तथा 31.03.2018 तक बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	पदनाम	श्रेणी	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1.	श्री महमूद अहमद	अध्यक्ष	सरकारी नामिती निदेशक	1
2.	श्री एन.के. जोशी	सदस्य	निदेशक (प्रचालन)	1
3.	श्री ए.के. सक्सेना	सदस्य	निदेशक (योजना)	1

7. कार्यकारी समिति

वर्ष के दौरान, कार्यकारी समिति की 08 (आठ) बैठकें आयोजित की गई।

39वीं कार्यकारी समिति 08.04.2017	40वीं कार्यकारी समिति 24.04.2017	41वीं कार्यकारी समिति 01.06.2017	42वीं कार्यकारी समिति 21.09.2017
43वीं कार्यकारी समिति 11.10.2017	44वीं कार्यकारी समिति 23.10.2017	45वीं कार्यकारी समिति 27.11.2017	46वीं कार्यकारी समिति 27.03.2018

निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति के सदस्यों की संरचना और श्रेणी तथा बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार हैं:–

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	पदनाम	श्रेणी	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1.	श्री संजय सिंह	अध्यक्ष	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	8
2.	श्री मनोज आनंद	सदस्य	निदेशक (वित्त)	8
3.	श्री एन.के. जोशी*	सदस्य	निदेशक (प्रचालन)	2
4.	श्री ए.के. सक्सेना**	सदस्य	निदेशक (योजना)	2
5.	श्री बी.के. मित्तल***	सदस्य	निदेशक (प्रचालन) और (योजना)	6

*डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री एन.के. जोशी, जेएटी (यूएसओएफ) को 15.11.2017 से निदेशक (प्रचालन) का कार्यभार सौंपा गया था।

**डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री एक.के. सक्सेना, सीजीएम और राज्य प्रमुख महाराष्ट्र, बीबीएनएल को निदेशक (योजना) का अतिरिक्त प्रभार 15.11.2017 को सौंपा गया था।

***डीओटी के आदेश के अनुसरण में श्री बी.के. मित्तल, सलाहकार, डीओटी को निदेशक (प्रचालन) और निदेशक (योजना) के पदभार से 31.10.2017 को कार्यमुक्त किया गया था।

8. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

सीएसआर समिति का कार्य क्षेत्र और संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान 22.03.2018 को पहली बैठक आयोजित की गई थी। 31 मार्च, 2018 को निदेशक मंडल की सीएसआर समिति के सदस्यों की संरचना और श्रेणी तथा बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशकों का नाम	पदनाम	श्रेणी	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1.	श्री अमित यादव	अध्यक्ष	सरकारी नामिती निदेशक	1
2.	श्री महमूद अहमद	सदस्य	सरकारी नामिती निदेशक	1
3.	श्री मनोज आनंद	सदस्य	निदेशक (वित्त)	1

9. सांविधिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने वर्ष 2017–18 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक/शाखा लेखापरीक्षकों के रूप में निम्नलिखित सनदी लेखाकार फर्मों की नियुक्ति की है:

रावला एंड कंपनी
फर्म पंजीकरण संख्या 001661एन
सनदी लेखाकार
नई दिल्ली

वर्ष 2017–18 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक को 5,00,000/– रुपए (पांच लाख रूपए) का भुगतान किया गया था।

10. वार्षिक आम बैठक (एजीएम):

कंपनी की पिछली 3 वार्षिक आम बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:–

एजीएम की संख्या	वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	पारित विशेष संकल्प
5वीं वार्षिक आम बैठक	01.04.2016 से 31.03.2017	27.12.2017	16:00 बजे	कॉन्फ्रेंस कमरा, दूसरा तल, संचार भवन, नई दिल्ली–110001	शून्य
4थी वार्षिक आम बैठक	01.04.2015 से 31.03.2016	29.11.2016	16:00 बजे	कॉन्फ्रेंस हाल, 13वां तल, संचार भवन, नई दिल्ली–110001	शून्य
3री वार्षिक आम बैठक	01.04.2014 से 31.03.2015	28.09.2015	16:00 बजे	कॉन्फ्रेंस हाल, 13वां तल, संचार भवन, नई दिल्ली–110001	शून्य

11. प्रकटन

(i) वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण पार्टी संबंधित लेन–देन का प्रकटन:

कंपनी ने निदेशकों अथवा वरिष्ठ प्रबंधन अथवा उनके संबंधियों के साथ 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कोई वास्तविक वित्तीय अथवा वाणिज्यिक लेनदेन नहीं किया है जिसका कंपनी के हितों पर कोई प्रभाव हो।

वर्ष 2017–18 के लिए लेखों का भाग बनने वाले पार्टी लेनदेन से संबंधित लेखन मानक 18 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटन किए गए हैं।

(ii) यह पुनः पुष्टि की जाती है कि किसी भी सांविधिक निकाय द्वारा कोई दंड, आदेश लगाया गया है।

(iii) अन्य बातों के साथ–साथ एक विसल ब्लोअर तंत्र की एक उत्साही मापदंड के रूप में स्थापना करते हुए सीजी मानदंडों के अनुपालन के समावेशन के लिए डीपीई के समझौता ज्ञापन कार्यबल के अधिदेश के परिणामस्वरूप कंपनी ने विसल ब्लोअर नीति/सतर्कता तंत्र स्थापित किया है जिसका बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया था।

(iv) कंपनी दूरसंचार विभाग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अध्यक्षीय निर्देशों और अन्य दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करती रही है।

(v) वर्ष के दौरान, पुस्तकों तथा लेखों में ऐसे किसी व्यय को डेबिट नहीं किया गया है जो बिजनेस व्यय के उद्देश्य के लिए न किए गए हों और व्यक्तिगत स्वरूप के किसी भी व्यय को निदेशक बोर्ड तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए खर्च किया गया हो।

(vi) लेखे कार्रवाई का प्रकटन कंपनी वित्तीय विवरण तैयार करने में भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों का अनुसरण करती है। कंपनी ने किसी भी लेखा मानक में निर्धारित मानक से भिन्न व्यवहार नहीं अपनाया है।

(vii) लेखा पुस्तकों/अन्य व्यय में लिए गए व्यय की मदों तथा प्रशासनिक एवं अन्य वित्तीय व्यय के ब्यौरे वित्तीय विवरण तथा लेखा टिप्पणियों में दिए गए हैं।

(viii) वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष का भाषण भी उन शेयरधारकों को वितरित किया जाता है जो कंपनी की वार्षिक आम बैठक में भाग लेते है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाता है।

(ix) प्रबधन का विचार–विमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट निदेशक की रिपोर्ट 2017–18 का भाग है।

(x) डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसरण में कंपनी की 'व्यापार आचार संहिता और बोर्ड सदस्यों तता वरिष्ठ प्रबंधन की नीति' बोर्ड द्वारा निर्धारित की गईहै और बीबीएनएल दवारा इसका कार्यान्वयन किया गया है। उक्त कोड़ को संबद्ध पक्षों को परिचालित किया गया है और इसे कंपनी को वेबसाइट पर डाला गया है। कंपनी के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए उक्च आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि करता है। इस संबंध में कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की घोषणा रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

12. संचार के माध्यम

वार्षिक वित्तीय विवरण, नई विज्ञप्ति, निविदा तथा कैरियर संभावनाएं इत्यादि कंपनी के वेबसाइट में डाली जाती हैं।

सूचना को कंपनी की वेबसाइट पर डाला जानाः– कंपनी की वेबसाइट www.bbnl.nic.in एक उपभोक्ता सुकर साइट है जिसमें सभी नवीनतम घटनाक्रम शामिल हैं।

अन्य बातों के साथ–साथ लेखापरीक्षित लेखे, निदेशक की रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा इन पर प्रबंधन का उत्तर भारत के सीएंडएजी की टिप्पणियां और समीक्षा को शामिल करते हुए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों और पात्र व्यक्तियों को, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लेख किया गया है, को परिचालित की जाती है तथा इसे संसद के सदनों के पटल पर भी रखा जाता हैं।

13. सदस्य बोर्ड का प्रशिक्षण

नए निदेशकों को कंपनी के दृष्टिकोण नीति, वित्तीय मामलों, बिजनेस प्रचालन, जोखिम मामलों सहित प्रमुख मूल्यों के संबंध में उन्मुखीकरण और इंडक्शन प्रदान किया जाता है। सामान्य प्रक्रिया पुस्तिका ब्राउजर्स, वार्षिक रिपोर्ट, प्रशासनिक मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, कंपनी का संगम ज्ञापन, कारपोरेट गवर्नेंस पर दिशा–निर्देश इत्यादि प्रदान करना है।

14. निदेशकों द्वारा शेयरहोल्डिंग और स्टॉक विकल्पः

लगभग सौ प्रतिशत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी होने के नाते 99.99 प्रतिशत शेयर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित है। निदेशकों को किसी योग्यता शेयर रखने की आवश्यकता नहीं है।

कंपनी ने अपने निदेशकों/कर्मचारियों के लिए कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किए हैं।

15. कारपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन संबंधी प्रमाण–पत्र

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए लागू कारपोरेट गवर्नेंस दिशा–निर्देश जारी किए हैं जिन्हें मई, 2010 से अनिवार्य बनाया गया है।

सामान्यतः, कंपनी ने बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की संख्या को छोड़कर सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों में यथानिर्धारित कार्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों की शर्तों का अनुपालन किया है। कंपनी ने इस मामले को नियुक्ति प्राधिकरण अर्थात् भारत सरकार के साथ उठाया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के विचाराधीन है। इस संबंध में पेशेवर कंपनी सचिव से एक प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया है जो इस रिपोर्ट का भाग हैं।

अनुबंध–ग

आचार संहिता के अनुपालन संबंधी घोषणा

मैं यह घोषित करता हूं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधकों कार्मिकों के लिए कंपनी की व्यापार आचार संहिता और नीति के अनुपालन के बारे में निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिकों से पुष्टि प्राप्त की है।

कृत तथा की ओर से निदेशक मंडल
भारतब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड

संजय सिंह
अध्यक्ष–सह–प्रबंधक निदेशक
डीआईएन07484614

दिनांकः 25.09.2018
स्थानः नई दिल्ली

कारपोरेट गवर्नेंस मानदंडों के अनुपालन संबंधी प्रमाण–पत्र

सेवा में,

सदस्य,

मैसर्स भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड,
कमरा संख्या 306, तीसरा तल, सी–डॉट कैंपस,
मांडी गांव रोड, महरोली,
नई दिल्ली–110030

हमने दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा यथा उल्लिखित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट गवर्नेंस मानदंडों के संबंध में दिशा–निर्देशों में यथा निर्धारित अनुसार मैसर्स भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में संगत पुस्तकों, रिकॉर्ड और विवरणों की जांच की है।

कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच दिशा–निर्देशों में यथा निर्धारित कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है। हमारी रिपोर्ट/प्रमाण–पत्र न तो लेखापरीक्षा और न ही वह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर विचारों की अभिव्यक्ति है।

प्रस्तुत रिकार्डों, व्याख्या और सूचना की हमारी जांच के आधार पर हम यह प्रमाणित करते है कि कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति जो हमारी समझ से भारत सरकार द्वारा की जाती है, को छोड़कर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) के लिए कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा–निर्देशों, 2010 की सभी अनिवार्य शर्तों का अनुपालन किया है। कंपनी निरंतर इसे कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुपालन हेतु भारत सरकार के साथ उठा रही है।

हम यह भी उल्लेख करते है कि यह अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का और न ही प्रभाविता की सक्षमता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते शिफा बद्री एंड एसोशिएट्स
कंपनी सेक्रेटरी

शिफा बद्री
एम सं. एफ 7965
सीपी सं.17399

दिनांकः 28.08.2018
स्थानः नोएडा

अनुबंध–घ

कंपनी के चीफ एक्जीक्यूटिव/मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रमाणपत्र/घोषणा

हम भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के संजय सिंह, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और मनोज आनन्द, निदेशक (वित्त) और सीएफओ 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबध में निम्नलिखित प्रमाणित करते हैं:

(1) हमने वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसारः

i. इन विवरणों में ऐसी कोई वास्तविक गलत विवरण नहीं है अथवा किसी वास्तविक तथ्य को हटाया नहीं गया है अथवा इनमें ऐसे विवरण नहीं हैं जोकि भ्रामक हों; तथा

ii. ये विवरण कंपनी के मामलों की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और ये मौजूदा लेखन मानकों, लागू नियमों और विनियमों के अनुसार हैं।

(2) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो धोखाधड़ीपूर्ण, गैर–कानूनी अथवा कंपनी की आचार–संहिता का उल्लघंन हों।

(3) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उन्हें बनाये रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाविता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षक समिति को आंतरिक नियंत्रण के डिजायन अथवा संचालन में खामियां, यदि कोई हो, जिनके प्रति हम अवगत हैं के बारे में सूचित किया है तथा इनमें संशोधन करने के लिए उठाये गए कदमों अथवा उठाये जाने के लिए प्रस्तावित कदमों के बारे में सूचित किया है।

(4) जहां लागू हों हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षक समिति को निम्न सूचित किए हैं:

क. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपार्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हों;

ख. वर्ष के दौरान लेखन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हो और इसे वित्तीय विवरणों की टिप्पणी में प्रकट किया गया है; और

ग. महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की घटनाएं, यदि कोई हों, जिनमें कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका हो।

संजय सिंह
अध्यक्ष–सह–प्रबंधन निदेशक
डीआईएन 07484614

मनोज आनन्द
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–07583289

दिनांकः 25.09.2018
स्थानः नई दिल्ली

अनुबंध–ड.

प्रबंधन का विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

i) उद्योग अवसंरचना और विकास

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार को एक प्रमुख आर्थिक वृद्धि का साधन माना जाता है। विश्व भर में और भारत में किए गए कई अध्ययनों से ब्रॉडबैंड सघनता और ग्रामीण लोगों की अर्थव्यवस्था में सुधार के बीच के मजबूत संबंध देखा गया है। ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए प्राथमिक संचार माध्यम है। चाहे यह 4जी डाटा सेवाएं, केबल टीवी सेवाएं हों अथवा ई–स्वास्थ्य, ई–शिक्षा इत्यादि हो। असीमित बैंडविथ ले जाने की अपनी क्षमता के जरिए ऑप्टिकल फाइबर डिजीटल सिग्नल के प्रवाह के लिए अत्यधिक व्यवहार्य माध्यम प्रदान करता है।

उद्योग जगत से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण यह सुझाते है कि ऑप्टिकल फाइबर जिला तथा ब्लॉक स्तर तक पहुंच गया है। ब्लॉक स्तर पर यह मुख्यतः सीपीएसयू है और मुख्यतः इसकी सबसे बड़ी उपस्थिति है, जबकि अधिकांश निजी ईकाइयां जिला स्तर पर उपस्थित है। ग्रामीण क्षेत्र अधिकांशतः ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से वंचित है। निजी संचालकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार मामलों के अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों तक ब्रॉडबैंड सेवाएं ले जाने में शायद ही कोई निवेश किया गया है।

देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजीटल डिवाइड को पाटने के लिए सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है। इस संदर्भ में एनओएफएन (अब भारतनेट) की अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सृजित करने तथा उनकी सेवाओं को ग्रामीण उपभोक्ताओं तक विस्तार करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों में सेवा प्रदाताओं को योग्य बनाने हेतु देश में 2,50,000 ग्राम पंचायतों तक छूट गए ओएफसी नेटवर्क प्रदान करने हेतु स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। नेटवर्क तक सभी सेवा प्रदाताओं के लिए गैर भेदकारी पहुंच परियोजना का एक प्रमुख घटक है।

ii) एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

बीबीएनएल का एक एसडब्लयूओटी विश्लेषण नीचे दिया गया है:

दृढ़ता:

- नेटवर्क के त्वरित विस्तार के लिए सीपीएसयू की मौजूदा केबल का लाभ उठाना।
- सरकार से मजबूत वचनबद्धता और निधियन
- सरकारी पूल से अत्याधिक अनुभवी और तकनीकी रूप से मजबूत श्रमिकोंकी उपलब्धता
- ओएफसी नेटवर्क डालने/स्थापित करने के लिए सुव्यवस्थित एवं प्रयोग–सिद्ध प्रक्रियाओं और विनिर्देशों की उपलब्धता।
- राज्यी सरकारों से निःशुल्क आरओडब्लयू के रूप में तथा जीपी में अवसंरचना के रूप में मजबूत सहायता
- राज्यों की चरण–।। के कार्यान्वलयन में भागीदारी।

कमजोरियां:

- पॉवर, चोरी और कनेक्टिविटी जैसी ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं से नेटवर्क के प्रदर्शन पर प्रभाव।
- कुछ क्षेत्रों में मौजूदा खराब फाइबर नेटवर्क एसएएल पर प्रभाव डाल सकता है।
- बहु–एजेंसी क्रियान्वयन मॉडल से विशेषकर उस भूगोल के संबंध में सहयोग संबंधी मुद्दे उठ सकते हैं जिन्हें एनओएफएन के अंतर्गत शामिल किया जाना है।
- वृहत भूगोलीय प्रसार और बहु एजेंसियों के साथ समन्वय के कारण ओएंडएम चुनौतियां।
- बीबीएनएल के एक नए संगठन होने के नाते संगठनात्मक स्थापना अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं की गई है।
- लौसी फाइबर

संभावनाएं

- डाटा और वीडियों की बढ़ती हुई मांग से उच्च बैंडविथ की मांग में अत्यधिक वृद्धि होगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार संभावनाएं वी2सी और बी2बी सेवाओं के प्रसार का पक्ष लेंगी।
- अल्प ब्राडबैंड का अर्थ बडी मांग होगा
- डिजीटल इंडिया पहल के कारण जी2सी और बी2सी सेवाओं के लिए अधिक मांग संभावित।
- ब्रॉडबैंड के सेवा डिलीवरी हेतु मूल अवंसरचना के रूप में सरकार का दृष्टिकोण।

खतरे

- ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प क्रय शक्ति अनिश्चित मांग के कारण राजस्व पर दबाव बना सकती है।
- डिजीटल साक्षरता, वहनीय उपकरणों और स्थानीय भाषा में पर्याप्त विषय–वस्तु का अभाव।
- ग्रामीण पर्यावरण प्रणाली समग्र नहीं है जिसमें अल्प अपटेक हो सकता है जिसके कारण परियोजना की व्यवहार्यता में प्रभाव पड़ सकता है।
- जिले से ब्लॉक क्षेत्र तक वहनीय बैंडविथ का उपलब्ध अंतर।

iii) क्षेत्र–वार अथवा उत्पाद–वार प्रदर्शन

बीबीएनएल केवल एक बाजार क्षेत्र में कार्य कर रही है अर्थात अपने नेटवर्क से बैंडविथ और डार्क फाइबर प्रदान करना। बीबीएनएल द्वारा भारतनेट परियोजना के अंतर्गत बाजार को किए जाने वाले प्रस्ताव गैर–भेदभावपूर्ण आधार पर सेवाप्रदाताओं को प्रदान किए जाने वाली

होलसेल बैंडविथ की परियोजना है। बैंडविथ बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित की जा रही हैं। बीबीएनएल लीज पर विभिन्न सेवा प्रदाताओं एवं भागीदारों के लिए बिछायी जा रही इंक्रीमेंटल केबल पर भारतनेट फाइबर भी प्रदान कर रही है। इस फाइबर का सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने नेटवर्क में कनेक्टिविटी अंतराल को भरने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल की व्यापक पहुंच को देखते हुए और बीएसएनएल के बीबीएनएल नेटवर्क की ओएंडएम एजेंसी होने के नाते बीएसएनएल के साथ राजस्व शेयरिंग करार (आरएसए) किया गया है जिसमें बीएसएनएल भारतनेट का प्रयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भारतनेट की सेवाओं का विपणन करेगी और अर्जित राजस्व को बीएसएनएल तथा बीबीएनएल के बीच बांटा जाएगा।

बीबीएनएल एनसीओ, एमएसओ इत्यादि की आवश्यकताओं को समझने के लिए अपने विपणन कार्यों को मजबूत बना रही है और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर रही है।

iv) परिदृश्य

क. **भारतनेट कनेक्टिविटी:** बीबीएनएल गैर–भेदभाव फोन आधार पर बीबीएनएल के एन्क्रीमेंटल केवल पर भारतनेट बैंडविथ और डार्क फाइबर प्रदान करता है। शुल्क प्रकाशित किए गए हैं और कोई भी सेवा प्रदाता ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए इस कनेक्विविटी का उपयोग कर सकता है।

ख. **फाइबर (एफटीटीएच)/ब्रॉडबैंड सेवाएं:** सेवाओं में तेजी लाने के लिए बीबीएनएल ने बीएसएनएल के साथ एक राजस्व शेयरिंग करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें बीएसएनएल भारतनेट का उपयोग करते हुए ग्रामीण उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करता रहा है। 24 अगस्त, 2018 के अनुसार विभिन्न राज्यों जैसे कि केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, ओडिशा और पुद्दुचेरी में भारतनेट कनेक्टिविटी का प्रयोग करते हुए बीएसएनएल द्वारा ग्राम पंचायतों में लगभग 13,205 वाणिज्यिक एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त, बीबीएनएल ने सेवाओं की स्थिरता का मूल्यांकन करते हुए और ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को ब्रॉडबैंड सेवाओं का अनुभव कराते हुए एटी के लिए 1.25 लाख रुपए जीपी में एफटीटीएच कनेक्शन के प्रावधान किए है। 24 अगस्त, 2018 के अनुसार ऐसे एफटीटीएच कनेक्शन का उपयोग करते हुए लगभग 1,06,000 जीपी में सेवाएं प्रदान की गई है।

ग. **बाई–फाई हॉटस्पॉट:**

- बीएसएनएल ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुद्दुचेरी, केरल और उत्तर प्रदेश में 1694 ग्राम पंचायतों में बाई बाई–फाई हॉटस्पॉट के लिए भारतनेट कनेक्टिविटी का प्रयोग किया है।
- हरियाणा, चंडीगढ़, पुद्दुचेरी, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यूएसओएफ द्वारा व्यवहार्य अंतर निधियन के माध्यम से 5,000 ग्राम पंचायतों में बाई–फाई सेवाएं प्रदान करने के लिए सीएससी एसपीवी द्वारा भारतनेट बैंडविथ का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीएससी एसपीवी को उत्तर प्रदेश में 25,000 जीपी और हिमाचल प्रदेश में 3,243 जीपी में दूरसंचार आयोग (टीसी) द्वारा बाई–फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने का कार्य दिया गया है। हाल ही में टीसी ने त्रिपुरा में 1178 जीपी और कर्नाटक में 3407 जीपी यूएसओएफ द्वारा वीजीएफ के माध्यम से बाई–फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है। 24 अगस्त, 2018 के अनुसार 19089 जीपी में बाई–फाई अवसंरचना स्थापित की गई है और सीएससी एसपीवी द्वारा लगभग 5016 जीपी में सेवा आरंभ की गई है।
- राजस्थान सरकार यूएसओएफ द्वारा व्यवहार्य अंतर निधियन के माध्यम से 10,000 जीपी में बाई–फाई सेवाएं स्थापित कर रही है। आज की स्थिति के अनुसार उन्होंने 6500 जीपी में बाई–फाई इन्फ्रा स्थापित किए हैं जिनमें से 1200 जीपी सक्रिय हो गए हैं।

घ. **दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी):** दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने अपने 4जी/एलटीई सेवाओं के लिए भारतनेट कनेक्टिविटी का उपयोग करने की इच्छा जताई है। रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन और आइडियो सेल्युलर ने पहले ही इसके लिए 17.86 करोड़ रुपए का अग्रिम जमा करवाया है। रियालंस जियो 30,000 से अधिक जीपी में व्यवहार्यता का अध्ययन कर रहा है जबकि एयरटेल लगभग 10,000 जीपी में व्यवहार्यता अध्ययन कर रहा है। एयरटेल ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में 320 जीपी में 1जीबीपीएस बैंडविथ का अनुरोध किया है जिसके लिए स्थापना चल रही है और 24 अगस्त, 2018 के अनुसार 33 सर्किटों की स्थापना की गई है। वोडाफोन को हरियाणा में 204 जीपी के लिए डार्क फाइबर की व्यवहार्यता प्रदान की गई है जिसके लिए उन्होंने 11 जीपी में डार्क फाइबर का अनुरोध किया है। इसके लिए स्थापना की कार्रवाई चल रही है।

ङ. **इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी):** विभिन्न आईएसपी ने जीपी में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक और पंजाब राज्यों में लगभग 2340 जीपी में भारतनेट कनेक्टिविटी ली है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न आईएसपी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात राज्यों में भारतनेट का उपयोग करने की व्यवहार्यता का अध्ययन कर रहे है।

च. **स्वान समेकनः** राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना प्रायोगिक परियोजना के तहत केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में 72जीपी और 170 कार्यालयों को जोड़ा गया है, कर्नाटक के मैसूर जिले में 258 जीपी और 59 कार्यालयों को जोड़ा गया है, पुदुचेरी में 48 जीपी को जोड़ा गया है, गुजरात के आनंद जिले में 117 जीपी को जोड़ा गया है, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में 190 जीपी को जोड़ा गया है और चंडीगढ़ में 12 में से 11 जीपी को जोड़ा गया है। स्वान का राजस्थान में 1605 जीपी में विस्तार किया गया है और इसका पश्चिम बंगाल में 03 जीपी में विस्तार किया गया।

छ. **डार्क फाइबर प्रयोगः** बीएसएनएल द्वारा केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और ओडिशा में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए लगभग 445 फाइबर किलोमीटर का उपयोग किया गया है।

v) जोखिम और चिंताए

जोखिम प्रबंधन कंपनी की व्यापार नीति का एक समेकित भाग है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का उद्यम जोखिम प्रबंधन अवसंरचना द्वारा अभिशासन किया जाता है। जोखिम प्रबंधन परिदृश्य ढांचे में बोर्ड की समितियां वरिष्ठ प्रबंधन समितियां शामिल है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति ("आरएमसी") जोखिम नीतियों के अनुपालन की समीक्षा करती है, जोखिम वहनीयता सीमाओं की निगरानी करती है, विशिष्ट मुद्दों से संबंधित जोखिम प्रदर्शन की समीक्षा तथा विश्लेषण करती है और संगठन में जोखिम का परिदृश्य प्रदान करती है। आरएमसी कंपनी में एक मजबूत जोखिम प्रबंधन संस्कृति का समावेशन करने के लिए एक स्वस्थ तथा स्तवंत्र जोखिम प्रबंधन संचालन का पोषण करती है। बीबीएनएल के बोर्ड द्वारा इन मुद्दों को हल करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। कंपनी ने बीबीएनएल के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति ढांचा तैयार किया है।

vi) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उनकी पर्याप्तता

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली वित्तीय सूचना देने और नियमों और विनियमों के अनुपालन में संचालन सक्षमता, संसाधनों के संरक्षण, सटीकता और तीव्रता के लिए तैयार की गई है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की सहायता इसकी प्रणाली तथा प्रक्रिया और विनियमों तथा प्रक्रिया के साथ अनुपालन सहित कंपना के आंतरिक नियंत्रण की सटीकता और सक्षमता की समीक्षा के लिए एक आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर प्रबंधन में विचार–विमर्श किया जाता है और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्व ारा इसकी समीक्षा की जाती है जो कंपनी में आंतरिक नियंत्रण की सटीकता तथा प्रभाविता की भी समीक्षा करती है।

vii) संचालनात्मक प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन पर विचार–विमर्श

संक्षिप्त वित्तीय परिणाम नीचे दिए गए है:–

विवरण	राशि (भारतीय रुपए में)	
	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालन से राजस्व	35,19,300	32,24,500
अन्य आय	3,09,64,72,238	1,06,00,61,543
कुल राजस्व	**3,09,99,91,538**	**1,06,32,86,043**
कर्मचारियों की पारिश्रमिक तथा लाभ	12,94,78,683	4,64,86,754
वित्तीय लागत	40,59,780	43,07,166
अवमूल्यों तथा परिशोधन व्यय	-	50,01,242
प्रशासनिक, संचालन तथा अन्य व्यय	2,90,35,97,143	72,29,72,554
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	15,00,000	-
कुल व्यय	**3,03,86,35,606**	**77,87,67,716**
पूर्व अवधि मद से पूर्व लाभ/(हानि) और कर	6,13,55,932	28,45,18,327
पूर्व अवधि मदें	(2,04,56,806)	(34,31,885)
कर से पूर्व लाभ/(हानि) कर	4,08,99,126	28,10,86,442
कर व्ययः		
चालू वर्ष के लिए कर व्यय	1,31,74,200	7,91,15,040
पूर्व अवधि से संबंधित चालू कर व्यय	-	-
डेफर्ड कर	-	(2,65,09,084)
कर पश्चात लाभ/(हानि)	**2,77,24,926**	**22,84,80,486**
प्रति शेयर अर्जनः		
मूल	0.46	3.81
सरलीकृत	0.46	3.81
सामान्य आरक्षित में हस्तांतरित	**1,00,00,000**	**5,00,00,000**

viii) नियुक्त व्यक्तियों की संख्या सहित मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध में वास्तविक विकास

आज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी को संगठित तथा समुचित रूप से स्थापित किया गया है। निर्देशी सिद्धांत संगठन को इच्छुक बनाए रखना है। संगठन तीन शाखाओं में बना है – वित्त, योजना तथा प्रचालन। सरकार द्वारा कंपनी के लिए स्थापित किए गए चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कंपनी, प्रतिभा और मानव संसाधन सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अपनी कर्मचारियों की आवश्य,कताओं को पूरा करने के लिए बीबीएनएल डीओटी, यूएसओएफ, बीएसएनएल तथा एमटीएनएल से प्रतिनियुक्ति आधार पर वरिष्ठ प्रबंधन के प्रयास करता रहा है। बीबीएनएल ने युवा स्नायतक इंजीनियरों और वित्त/व्यावसायिकों को नियमित रूप से नियुक्त करने के भी प्रयास किए हैं। लघु अवधि पदों को भरने के

लिए सरकार/पीएसयू के सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त करने के अतिरिक्त , बीबीएनएल ने राज्य संचालित मॉडल में अपनी भारतनेट परियोजना में तेजी लाने के लिए 4 वरिष्ठ, परामर्शदाताओं (सेवानिवृत्त एचएजी और डीओटी के उसके उपर के अधिकारी) को नियुक्त, किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में रिक्तियों भरने के लिए सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों और पीएसयू अधिकारियों को 58 वर्ष की आयु तक लेने का एक विशेष अभियान आरंभ किया गया और इसके आधार पर सेवानिवृत्त सेना कर्मियों को अब गुवाहाटी और अगरतला में नियुक्त किया गया है। बीबीएनएल का संगठनात्मकक चार्ट निम्नातनुसार है–

x) उपलब्धियां

मंत्रिमंडल द्वारा 25.10.2011 को अनुमोदित भारतनेट ब्रॉडबैंड द्वारा सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें) को जोड़ने के लिए नेटवर्क स्थापित किए जाने हेतु एक परियोजना है। यह परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है और बनाई गई अवसंरचना एक राष्ट्रीय संपत्ति होगी जो सेवा प्रदाताओं को गैर–भेदभाव रूप से पहुंच योग्य होगी। इस परियोजना का उद्देश्य डिजीटल इंडिया के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए राज्यों तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी से ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में नागरिकों तथा संस्थाओं को बहनीय ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करना है।

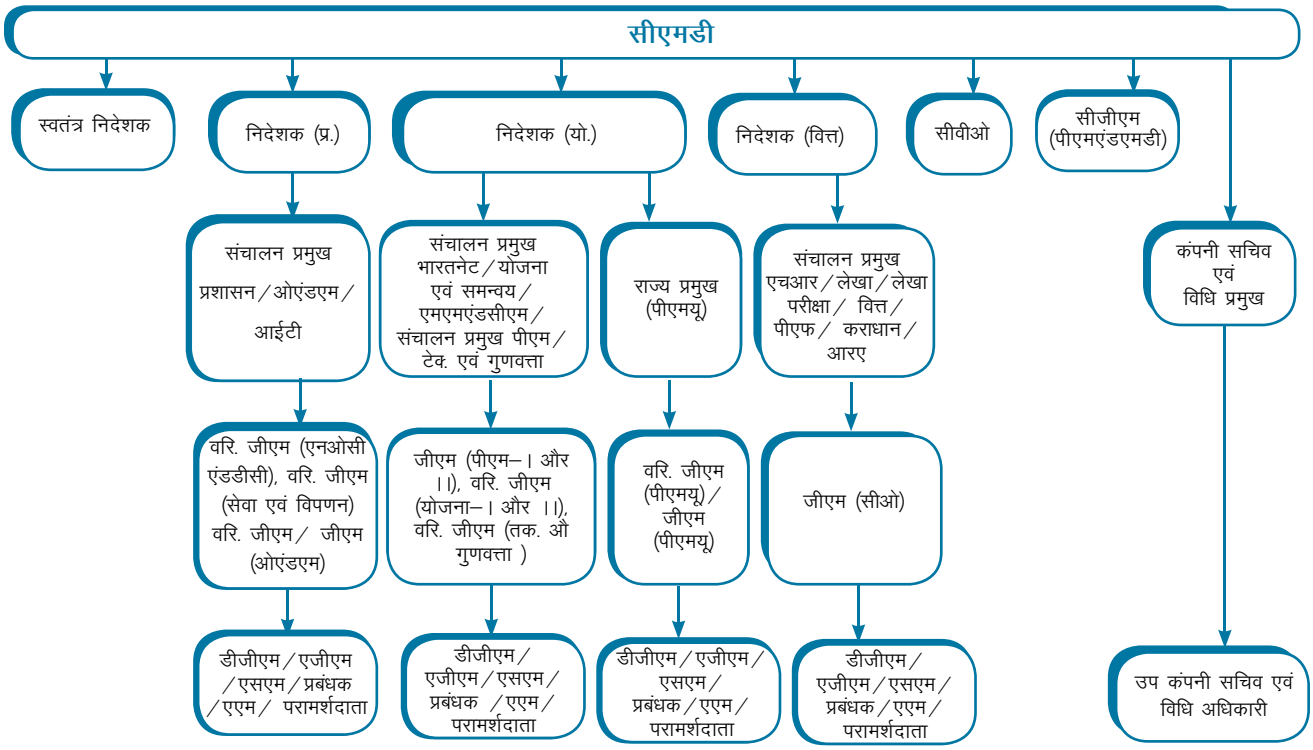

बीबीएनएल एक नया संगठन है और यह आवश्यकता अनुसार बढ़ रहा है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कर्मचारियों की संख्या थी।

स्तर	कार्यरत (कुल)	एससी/एसटी	ओबीसी	सामान्य	महिलाएं	एससी/एसटी	ओबीसी	सामान्य
स्तर–1	96	20	10	66	3	0	0	3
स्तर–2	30	5	7	18	6	2	0	4
कुल	**126**	**25**	**17**	**84**	**9**	**2**	**0**	**7**

ix) पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण

बीबीएनएल पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुष्टि करता है।

मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई, 2017 को भारतनेट के लिए संशोधित कार्यनीति अनुमोदित की जो परियोजना के चरण–I के कार्यान्वयन अनुभव को समेकित करती है और इसे डिजीटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप बनाती है। इसका सार निम्नानुसार है:

चरण–II

i. इसका कार्यान्वयन राज्यों, निजी क्षेत्र और सीपीएसयू के माध्यम से किया जाएगा।

ii. ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए मीडिया (ओएफसी, रेडियो और सेटेलाइट) का इष्टतम मिश्रण का उपयोग किया जाएगा।

iii. ग्राम पंचायतों तक ब्लॉक से नई फाइबर बिछाना (चरण– I में एफपीओआई से इन्क्रीमेंटल फाइबर बिछायी जा रही है)।

iv. सेवा प्रदाताओं को पट्टे पर देने के लिए जीपी स्तर पर डार्क फाइबर उपलब्ध कराई जाएगी।

v. परियोजना के जीवन पर्यन्त नेटवर्क का संचालन और अनुरक्षण।

मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित भारतनेट की कुल लागत 42,068 करोड़ रुपए (जीएसटी, चुंगी और स्थानीय कर को छोड़कर) है।

क. चरण–I की स्थितिः

परियोजना का चरण–I दिसंबर, 2017 में पूरा हो गया है जिसमें 1,00,000 जीपी को सेवा हेतु तैयार किया जा रहा है।

ख. भारतनेट का उपयोग

- 9794 वाणिज्य फाइबर टू द होम (एफपीटीएच) कनेक्शन प्रदान किए गए है।
- परिस्थिति को आरंभ करने और भारतनेट के उपयोग का संवर्धन करने के लिए बैंडविथ के लिए छूट प्राप्त शुल्क तथा सेवा प्रदान करने हेतु नेटवर्क के उपयोग हेतु डार्क फाइबर के लिए छूट प्राप्त शुल्क तैयार और लागू किया गया है।
- सेवा प्रदाताओं को भारतनेट के संबंध में उनके उपकरणों का परीक्षण करने के लिए टीएसपी द्वारा निःशुल्क ट्रायल (अर्थात् प्रति सेवा प्रदाता 10 ट्रायल) का परीक्षण किया जा रहा है और इसे बीबीएनएल द्वारा सुकर बनाया जा रहा है। आज की स्थिति के अनुसार एयरटेल, रिलायंस जियो, आइडिया और वोडाफोन ट्रायल कर रहे हैं।

ग. चरण–II की स्थितिः

चरण– II के 31 मार्च, 2019 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इसकी प्रगति निम्नानुसार हैः

- **राज्य द्वारा संचालित मॉडलः** 8 राज्यों नामतः छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा और तेलंगाना को दूरसंचार आयोग द्वारा निधियन की मात्रा के साथ राज्य संचालित मॉडल के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। 8 राज्यों और यूएसओएफ तथा एसआईए के साथ चतुष्पक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन राज्यों ने कार्यान्वयन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है और उन्हें 877.57 करोड़ रुपए का अग्रिम प्रदान किया गया है। तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों ने आरएफपी जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ ने कार्य आरंभ करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में वित्तीय बोलियां खोली गई हैं।
- **निजी क्षेत्र द्वारा संचालित मॉडलः** बिहार और पंजाब में निजी क्षेत्र मॉडल के अंतर्गत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) ने 6 पैकेज के अंतर्गत आदेश जारी किया है और सर्वेक्षण प्रगतिरत है।
- **सीपीएसयू द्वारा संचालित मॉडलः** 2 राज्यों में पीजीसीआईएल को तथा 8 राज्यों में बीएसएनएल को कार्यान्वयन संबंधी कार्य सौंपा गया है। पीजीसीआईएल ने हिमाचल प्रदेश के लिए डीपीआर प्रस्तुत किए हैं और बीएसएनएल ने 7 टेलीकॉम सर्कल नामतः, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पूर्वी), उत्तर प्रदेश (पश्चिमी), पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए डीपीआर प्रस्तुत किए हैं तथा 01.05.2018 को दूरसंचार आयोग द्वारा डीपीआर अनुमोदित किए गए हैं। बीएसएनएल ने 41035 जीपी के लिए निविदा जारी की है और इसमें से 17869 जीपी के लिए कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं। 9897 किलोमीटर डक्ट बिछायी गई है। बाकी जीपी के लिए निविदाएं जारी करना विभिन्न चरणों में है। पीजीसीआईएल ने दो राज्यों के लिए निविदाएं जारी कर दी हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए वित्तीय बोली खोली गई है और उत्तराखंड के लिए तकनीकी बोली खोली गई है।
- **सेटेलाइट कनेक्टिविटीः** पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित 6407 जीपी को सेटेलाइट माध्यम से जोड़ने की अनुमति प्रदान की गई है ताकि अनुमोदित समय–सीमा के भीतर सभी जीपी को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। इन 6407 जीपी में से 1407 जीपी को बीएसएनएल के माध्यम से सेटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है जबकि बाकी का कार्यान्वयन बोली प्रक्रिया के माध्यम से बीबीएनएल द्वारा किया जा रहा है। बीएसएनएल ने कार्यान्वयन के लिए एजेंसी का चुनाव कर लिया है और कार्य आदेश/क्रय आदेश जारी किया गया है। 1407 जीपी में से पहले 2 जीपी की अगस्त, 2018 में स्थापना कर दी गई है। अब बीबीएनएल की निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा कार्य प्रदान कर दिया गया है।
- **लास्ट माइल कनेक्टिविटीः** 11.07.2018 को दूरसंचार आयोग ने बाई–फाई अथवा अन्य समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से लास्ट माइल कनेक्टिविटी मॉडल अनुमोदित किया। प्रत्येक जीपी में पांच पहुंच बिंदुओं (एपी) की स्थापना की जा रही है और इनमें से 3 एपी सरकारी संस्थाओं में और 2 सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं जिनमें एक जीपी स्थान पर शामिल है। दूरसंचार आयोग ने 25000 और 3243 बाई–फाई हॉटस्पॉट की स्थापना की सीएससी–एसपीवी के माध्यम से क्रमशः उत्तर

प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में स्थापना की अनुमति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त सीएससी–एसपीवी को त्रिपुरा के 1178 जीपी और कर्नाटक के 3407 जीपी में संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से बाई–फाई के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा है। राजस्थान में 10,000 जीपी में बाई–फाई के माध्यम से लास्ट माइल कनेक्टिविटी का कार्य राज्य सरकार को सौंपा गया है। कार्यान्वयन प्रगतिरत है और वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

क. सं.	राज्य	जीपी की संख्या	कार्यान्वयन एजेंसी	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	उत्तर प्रदेश	25,000	सीएससी–एसपीवी (एमआईटी के तहत एक निकाय)	10,000 जीपी में स्थापित किए गए
2.	हिमाचल प्रदेश	3243		165 जीपी में स्थापित किए गए
3.	राजस्थान	10,000	राजस्थान सरकार/ आरआईएसएल	6,500 जीपी में स्थापित किए गए
4.	शेष राज्य	2.10 लाख (लगभग)	बीबीएनएल	18.09.2018 को निविदा खोली गई

घ. भारतनेट परियोजना की स्थिति:

12.08.2018 के अनुसार भारतनेट परियोजना की स्थिति निम्नानुसार है:

क.सं.	गतिविधि	उपलब्धि
1.	आप्टिकल फाइबर कनेक्विविटी (जीपी)	1,18,665
2.	ओएफसी लेड (किमी)	2,86,477 kms
3.	सर्विस रेडी (जीपी)	1,14,186

xii) नवीकरणीय ऊर्जा विकास

बीबीएनएल ग्रामीण क्षेत्रों से काम करता है और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग की आवश्यकता को समझता है। ग्राम पंचायतों में सभी ओएनटी के लिए सौर ऊर्जा प्रणाली का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया है।

xiii) विदेशी मुद्रा संरक्षण

बीबीएनएल सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वरीयता विपणन पहुंच को अपनाते हुए विदेशी मुद्रा का संरक्षण करने में सहायता कर रहा है।

xiv) कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अब कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा निर्धारित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के क्षेत्राधिकारी/मापदंडों के अधीन शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में बोर्ड ने सीएसआर उप समिति का गठन किया है और बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) का अनुपालन करने के लिए स्वच्छ भारत कोष में 15,00,000/– रुपए का योगदान दिया है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी एक विस्तृत रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की आवश्यकतानुसार **अनुबंध–छ** में संलग्न है।

फॉर्म संख्या एमआर–3 अनुबंध–च

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्य

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
कमरा संख्या 306, तीसरा तल, सी–डॉट कैम्पस
मांडी गांव रोड, महरोली,
नई दिल्ली–110030

हमने, **भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड** (जिसे आगे कंपनी कहा गया है) जिसका पंजीकृत कार्यालय कमरा संख्या 306, तीसरा तल, सी–डॉट कैम्पस, मांडी गांव मार्ग, महरौली, नई दिल्ली–110030 में है, द्वारा अपनाई गई लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कारपोरेट पद्धतियों के अनुपालन की सचिवालयी लेखापरीक्षा की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी जो कारपोरेट व्यवहार/सांविधिक अनुपालन और उन पर हमारे मत को व्यक्त करने के लिए समुचित आधार है।

कंपनी की पुस्तकों, कागजों, कार्यवृत पुस्तकों, फॉर्म और दायर रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों एवं कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान हमारी जांच के आधार पर हम यह सूचित करते हैं कि हमारे विचार से कंपनी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी सूचित करते है कि कंपनी में उस तरीके से तथा यहां सूचित के अधीन समुचित वृहत प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र मौजूद है।

हमने, "कंपनी" की 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार पुस्तकों, कागजों, कार्यवृत्त पुस्तको और दायर रिटर्न और रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और डी–मेट स्वरूप में शेयरों के लिए कंपनी पर लागू सीमा तक इनके तहत बनाए गए नियम;

(iii) गैर–सूचीबद्ध कंपनी के लिए लागू सीमा तक डिपोजिटरी अधिनियम, 1996;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक ऋणों की सीमा के तहत बनाए गए नियम और विनियम;यदि लागू हों

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('एसईबीआई अधिनियम')) के तह निर्धारित नियम, विनियम और दिशा–निर्देश; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं)

(vi) किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग करार; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं)

(vii) बोर्ड और आम बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानकों का सामान्यतः अनुपालन;

(viii) कंपनी पर लागू अन्य अधिनियम, नामतः

(क) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 तथा उसके तहत बनाए गए नियम;

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 तथा उसके तहत बनाए गए नियम;

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 तथा उसके तहत बनाए गए नियम;

(घ) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 तथा उसके तहत बनाए गए नियम;

(ड.) अनुबंध श्रमिक (विनियम और निषेध) अधिनियम, 1970;

(च) भारत का दूरसंचार एवं विनियम अधिनियम, 1997;

(छ) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1981; और

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

(i) समीक्षाधीन अवधि के दौरान यह पाया गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण नहीं किया गया है जिससे डीपीई दिशा–निर्देशों के तहत चूक हुई है जिसमें यह आवश्यक होता है कि कार्यरत निदेशकों (सीएमडी/एमडी सहित) की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, साथ ही स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत चूक है।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनिवार्य आवश्यकता निदेशक मंडल की समितियों का गठन भी कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण समुचित रूप से नहीं किया गया है।

आगे हम यह सूचित करते है कि

निदेशक मंडल के गठन में परिवर्तन जो समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकें, एजेंडा और एजेंडा के संबंध में विस्तृत नोट के बारे में पर्याप्त नोटिस दिया गया था जो उन्हें न्यूनतम सात दिन पहले भेज दिया गया था और बैठक से पहले तथा बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए आगे और अधिक सूचना मांगने तथा एजेंडा मदों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक तंत्र मौजूद है।

सदस्य के विचारों पर विचार करते हुए, यदि कोई हो, बहुमत से निर्णय लिया जाता है और उसे बैठकों के कार्यवृत्त भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

आगे हम यह सूचित करते है कि कंपनी में लागू कानून, नियमों, विनियमों और दिशा–निर्देशों के अनुपालन की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और कार्रवाई के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रिया मौजूद है।

आगे हम यह सूचित है कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाले उपरोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों इत्यादि के अनुपालन में कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई है।

कृते जे.के. गुप्ता एंड एसोशिएट्स

जितेश गुप्ता
एफसीएस संख्या 3978
सीपी संख्या:2448

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 17.09.2018

जीपे त्मचवतज पे जव इम तमंक ूपजी वनत समजजमत व िमअमद कंजम ्ीपबी पे ंददमगमक ेष् **।ददमगनतम ।ष्** ंदक वितउे ंद पदजमहतंस चंतज व ि जीपे तमचवतजण

'अनुबंध–क'

सेवा में,

सदस्य

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
कमरा संख्या 306, तीसरा तल, सी–डॉट कैम्पस
मांडी गांव रोड, महरोली,
नई दिल्ली–110030

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी चाहिए

1. सचिवालयी रिकॉर्ड का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयी रिकॉर्ड मत व्यक्त करना है।

2. हमने सचिवालय रिकॉर्ड की विषय–वस्तु की सटीकता के संबंध में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए यथा उचित लेखापरीक्षा पद्धति और प्रक्रिया का अनुपालन किया है। यह जांच यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर की गई थी कि सचिवालयी रिकॉर्डों में सही तथ्य प्रदर्शित किए गए है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और पद्धति हमारे मत के लिए समुचित आधार पर प्रदान करती है।

3. हमने समीक्षाधीन अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर भरोसा किया है, अतः हमने नमूना आधार पर सांविधिक/विधायी अनुपालन की सटीकता की जांच की है। उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित योग्यताएं/टिप्पणियां भी इस रिपोर्ट का भाग है।

4. हमने समीक्षाधीन अवधि के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा पर भरोसा किया है, अतः, हमने कंपनी के लेखों के वित्तीय रिकॉर्ड और पुस्तकों की सटीकता की जांच नहीं की है। उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित योग्यताएं/टिप्पणियां भी इस रिपोर्ट का भाग है।

5. जहां भी आवश्यक हो हमने कानून, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं इत्यादि के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

6. कारपोरेट एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधकों की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण आधार पर पद्धतियों की जांच तक सीमित थी।

7. सचिवालयी लेखापरीक्षा न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही ऐसी प्रभावित अथवा सक्षमता है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते जे.के. गुप्ता एंड एसोशिएट्स

जितेश गुप्ता
एफसीएस संख्या 3978
सीपी संख्या:2448

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 17.09.2018

अनुबंध–छ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की आवश्यकताओं के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट

1. किए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के परिदृश्य सहित कंपनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त परिचय और सीएसआर नीति और परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के वेब लिंक का संदर्भ

बीबीएनएल एक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय जिम्मेदार व्यापार तथा सतत् तरीके से व्यापार करने के प्रति वचनबद्ध है जो अपने सभी भागीदारों की बेहतरी के लिए समृद्धि के सृजन और वितरण को सुयोग्य बनाता है। चाहे वह आंतरिक हो अथवा बाह्य तथा यह कार्य नीतिगत प्रणालियों एवं सतत् प्रबंधन पद्धतियों के कार्यान्वयन एवं समेकन के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए बीबीएनएल अपनी आंतरिक कार्य प्रणालियों, गतिविधियों, प्रक्रियाओं एवं साथ ही पहलों तथा क्षमता निर्माण, समुदायों के सशक्तिकरण, समावेशी, सामाजिक–आर्थिक उन्नति, पर्यावरण संरक्षण, हरित एवं ऊर्जा सक्षम प्रौद्योगिकी के संवर्धन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास और समाज के वंचित तथा अल्प वंचित वर्गों के उत्थान के संबंध में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और निरंतरता के सभी पहलों पर संतुलित जोर दिए जाने को शामिल करेगा।

सीएसआर नीति और परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का वेब लिंकः–

http://www.bbnl.nic.in/transparency/corporate-social-responsibility

2. सीएसआर समिति की संरचना

31.03.2018 के अनुसार बोर्ड स्तरीय कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं निरंतरता समिति में निम्नलिखित शामिल हैः–

एक कार्यशील निदेशक	: श्री मनोज आनंद, निदेशक (वित्त)
सरकारी नामिती निदेशक	: श्री अमित यादव
	: श्री महमूद अहमद
स्वतंत्र निदेशक	: अभी नियुक्त किए जाने बाकी हैः

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का कर पूर्व औसत लाभः

(राशि रूपए में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	कुल
	(14,16,551)	(5,65,97,155)	28,10,86,442	**22,30,72,736**
औसत निवल लाभ				**7,43,57,579**
औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत				**14,87,152**

टिप्पणीः उपरोक्त को देखते हुए कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) का अनुपालन करने के लिए स्वच्छ भारत कोष में 15,00,000 रुपए (औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत से अधिक) का अंशदान दिया है।

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद संख्या 3 में दर्शाई गई राशि का 2 प्रतिशत)

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए निर्धारित सीएसआर व्यय 14,87,152 रुपए था जिसे राउंड–ऑफ करके 15,00,000 रुपए कर दिया गया और वित्तीय वर्ष 2017–18 में इसका व्यय किया गया (पिछले तीन वर्षों के लिए धारा 135 के अनुरूप औसत लाभ के 2 प्रतिशत से अधिक)।

पिछला वर्ष कमी – शून्य

कुल निर्धारित सीएसआर व्यय – 15,00,000 रुपए

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए व्यय की राशि का विवरणः

(क) वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशिः 15,00,000/– रुपए के आबंटित सीएसआर बजट में से कंपनी ने वित्तीय वर्ष'18 में 15,00,000/– रुपए की राशि का व्यय किया। इससे 100 प्रतिशत सीएसआर बजट का समग्र उपयोग हुआ है।

(ख) अव्ययित राशिः शून्य

(ग) वह तरीका जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान राशि का व्यय किया गया, नीचे दिया गया हैः

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुपालन में स्वच्छ भारत कोष के लिए 15,00,000 रुपए का अंशदान दिया है।

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना अथवा पहचान की गई गतिविधि	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) उस राज्य और जिले का उल्लेख करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम चलाए गए	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार	परियोजना अथवा कार्यक्रम पर व्यय की गई राशि उप–शीर्ष: (1) परियोजना अथवा कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवर–हेड	सूचित की जाने वाली अवधि तक संचयी व्यय	व्यय की राशि: प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1.	स्वच्छ भारत कोष	लागू नहीं	लागू नहीं	15.00 लाख रुपए	15.00 लाख रुपए	15.00 लाख रुपए	प्रत्यक्ष

उत्तरदायित्व विवरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुरूप है।

संजय सिंह
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन–07484614

अमित यादव
अध्यक्ष–सीएसआर समिति
डीआईएन–06491798

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्ट

हमने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कंपनी के तुलन–पत्र और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण तथा कैश एवं फ्लो विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है। कंपनी में 32 परियोजना निगरानी ईकाइयां (पीएमयू) है और इनके लेखों को केंद्रीय कार्यालय के लेखों में शामिल किया जाता है तथा कंपनी द्वारा इन पीएमयू के कोई पृथक लेखे नहीं बनाए गए है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में कथित मामलों के लिए और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धातों के अंतर्गत अधिसूचित लेखन मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते है तथा इसमें समय–समय पर इसके तहत जारी संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित लेखन मानक शामिल है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उन्हें हटाने के लिए प्रावधानों के अनुसरण में समुचित लेखन रिकॉर्ड रखनाय समुचित लेखा नीतियों का चयन और प्रयोगय ऐसे निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो कि सही हैय और पर्याप्त आंतिरक वित्तीय नियंत्रण का क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण करना जो कि लेखा रिकॉर्ड की सटीकता तथा संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे जो ऐसे वित्तीय विवरण तैयार करने तथा प्रस्तुत करने से संगत हों जो कि एक सही दृष्टिकोण प्रदान करते है और वास्तविक दुर्कथन से मुक्त हैं जहां भी वे धोखाधड़ी अथवा भूल के कारण हों, भी शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करना है।

हमने अधिनियिम के प्रावधानों, लेखन एवं लेखापरीक्षा मानकों तथा उन मामलों को ध्यान में लिया है जिन्हें अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित होता है।

हमने, हमारी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों, जैसा कि अधिनियम की धारा 143(10) के तहत उल्लेख किया गया है, के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षा होती है कि हम नीतिगत आवश्यकताओं और योजनाओं का अनुपालन करें तथा यह समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक दुर्कथन से मुक्त है।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में मात्रा और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु निष्पादन प्रक्रिया शामिल होती है। चयनित प्रक्रिया वित्तीय विवरणों के वास्तवकि दुर्कथन, चाहे वह धोखाध ाड़ी के कारण हो अथवा चूक के कारण हो, के जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है। ऐसे जोखिम मूल्यांकन करते हुए लेखापरीक्षक कंपनी से संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते है और ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने में जो परिस्थितियों से संगत है किंतु कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर विचार व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं है, के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने पर विचार करता है। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखन नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशक द्वारा किए गए लेखन अनुमानों का औचित्य तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण मूल्यांकन शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे योग्य लेखापरीक्षा मत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त तथा समुचित है।

योग्यता का आधार

जीएसटी का कार्यान्वयन 01.07.2017 से किया गया है और कंपनी ने प्रत्येक पीएमयू के लिए लेखों की पृथक पुस्तकें नहीं रखी है। जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों का अन्य गैर–अनुपालन भी हुआ है अर्थात् ब्लॉक की गई मदों पर इनपुट के गलत दावे, लिक्वीडेटेड क्षति पर जीएसटी का गैर–भुगतान अथवा टेलीकॉम सर्विस प्रदाता इत्यादि से समय से प्राप्त अग्रिम जिसकी ब्याज की सृजित देनदारी है और अधिक इनपुट कर क्रेडिट। इसके प्रभाव को कंपनी द्वारा सभी गैर–अनुपालन के पूर्ण विवरण की अनुपलब्धता के कारण निर्धारित नहीं किया गया है।

मत

हमारे विचार से और हमारे सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई व्याख्या के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण अपेक्षित तरीके से और निम्नलिखित योग्यताओं के अधीन अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना को 31 मार्च, 2018 के अनुसार कंपनी के मामलों, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके नगद प्रवाह के बारे में भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही परिदृश्य प्रदान करते हैं।

मामले का जोर

हम निम्नलिखित वित्तीय विवरण टिप्पणियों पर ध्यान आकर्षित करते हैं जो वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। हमारे विचार इन मामलों के संबंध में अर्हक नहीं हैं।

क) सदंर्भ टिप्पणी 1.6 और 9 (iii)

(i) ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए कार्य के निष्पादन की योजना दो चरणों में पूरी की जानी अपेक्षित है:

चरण–I: भारतनेट के चरण– I के अंतर्गत 1,00,000 जीपी को पूरा करने के लक्ष्य को दिसंबर, 2017 में प्राप्त कर लिया गया है।

(ii) जीपीओएन पूंजीकरण (71627) जीपी लिट् स्थिति पर आधारित है जो बीबीएनएल द्वारा जीपी में एफटीटीएच के प्रावधान/कार्यकरण पर आधारित है। यह आंकड़े सेवा के लिए तैयार जीपी के साथ तुलनीय नहीं है जिसके लिए 1,00,000 जीपी का लक्ष्य दिसंबर, 2017 में प्राप्त किया गया था।

ख) सदंर्भ टिप्पणी 9 (iv)

निष्पादन एजेसियों (बीएसएनएल, रेलटेल और पीजीसीआईएल) से अंतिम बिल प्राप्त नहीं हुए हैं और पूंजीकरण कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर किया जाता है। किसी अंतर के संबंध में इसे अंतिम निपटान के बस में समायोजित किया जाएगा।

ग) संदर्भ टिप्पणी 10 (iii)

परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के लिए लागत का प्रतिशत वेतन व्यय में भविष्य के वृद्धि को ध्यान में रखते हुए व्यय की चालू प्रवृत्ति के आधार पर कैपेक्स के तीन प्रतिशत के रूप में लिया जाता है।

घ) संदर्भ टिप्पणी 16

ब्रॉडबैंड प्रभारों से राजस्व कंपनी द्वारा इकट्ठा किया गया सीधी राशि को दर्शाता है। कंपनी ने अपने नेटवर्क के उपयोग के लिए बीएसएनएल के साथ एक राजस्व शेयरिंग करार (आरएसए) भी किया है। वर्तमान में, कंपनी का राजस्व हिस्से (आरएसए के अनुसार निवल राजस्व का 20 प्रतिशत) को बीएसएनएल के बिलिंग सॉफ्टवेयर में समुचित कोड तैयार न किए जाने के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस राजस्व को निपटान/प्राप्ति के वर्ष में लिया जाएगा। 31.03.2018 के अनुसार भारतनेट पर 8,288 एफटीटीएच कनेक्शन (बीएसएनएल द्वारा) और 3,766 वाई–फाई हॉटस्पॉट (बीएसएनएल/सीएससी द्वारा) कार्यरत है।

ड) संदर्भ टिप्पणी 17

कंपनी ने 304,26,96,912 रुपए (वित्तीय वर्ष 2016–17 100,41,81,893 रुपए) की अन्य आय की राशि को लिया है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 19.07.2017 को अनुमोदित भारतनेट की संशोधित कार्यान्वयन नीति के अनुसार राजस्व के निवल संचालन व्यय (निवल ओपेक्स) को दर्शाती है।

च) संदर्भ टिप्पणी 33

वेंडर से प्राप्त योग्य/को/से देय राशि पुष्टि के अधीन है।

अन्य मामले

1. भारतनेट की परिसंपत्तियों के सृजन के उद्देश्य से कंपनी द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति सूची को सीपीएसयू को प्रदान कर दिया गया है। निष्पादन एजेंसियों सीपीएसयू से उपभोग/कस्टडी रिपोर्ट/प्रमाण–पत्रों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।
2. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान ऋण आधार पर बीएसएनएल को 184,320,197 रुपए का स्टॉक दिया है जो अभी भी लंबित है और कंपनी को यह राशि वापस नहीं की गई है। संदर्भ लेखा विवरण की टिप्पणी–14।
3. कंपनी ने निष्पादन एजेंसियों (अर्थात् बीएसएनएल, रेलटेल और पीजीसीआईएल) से करारों से खरीद और बीजक के विवरण प्राप्त हुए है परंतु कार्यान्वयन निष्पादन एजेंसियों से बीजक प्राप्त नहीं हुए है।

अन्य विधि एवं विनियामक आवश्यकताओं संबंधी रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के रूप में केंद्रीय भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) में अपेक्षा की गई है और कंपनी के पुस्तकों और रिकॉर्डों की ऐसी जांच के आधार पर हमें दी गई सूचना और व्याख्या के अनुसार इसे उचित पाया है, हमनें आदेश के अनुच्छेद 3 ओर 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में अनुबंध–1 एक विवरण दिया गया है।
2. हम कंपनी की पुस्तकों और रिकॉर्डों की ऐसी जांच जिसे हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार अधिनियम की धारा 143 (5) के अनुरूप हमारी रिपोर्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के संबंध में अनबंध–2 में संलग्न कर रहे हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थी।
3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित है हम यह सूचित करते हैं कि:

   क. हमने वह सारी सूचना और व्याख्या प्राप्त की है जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थी;

ख. हमारे विचार से कंपनी द्वारा प्रत्येक राज्य में पृथक जीएसटीएन की प्रत्येक पीएमयू के लिए पृथक पुस्तकों को छोड़कर विधि द्वारा यथा अपेक्षित समुचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं जहां तक वे इन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

ग. इस रिपोर्ट में दिए गए तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण और कैश फ्लो विवरण लेखापुस्तकों के अनुरूप हैं;

घ. हमारे विचार से तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण और कैश फ्लो विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखन मानकों के अनुरूप हैं;

ङ. एक सरकारी कंपनी होने के नाते भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के अनुसरण में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा (2) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं;

च. *कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सक्षमता और इन नियंत्रणों की संचालन प्रभाविता के संबंध में हमें दी गई जानकारी और वयाख्या के अनुसार कंपनी ने भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में दिशा–निर्देशी टिप्पणी में कथित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए अथवा उस पर आधारित मापदंडों पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित नहीं किए हैं इस कारण से हम हमारे विचार का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में अक्षम हैं कि क्या कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्तक आंतिरक वित्तीय नियंत्रण हैं और क्या ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2018 के अनुसार प्रभावी रूप से संचालित थे। हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा–परीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा के निर्धारण में उपरोक्त सूचित अस्वीकरण पर विचार किया है और यह अस्वीकरण कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को प्रभावित नहीं करता है;*

छ. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संबंध में और हमारी जानकारी तथा हमें दी गई व्याख्या के अनुसार

(i) कंपनी ने आकस्मिक देनदारी और पूंजीगत वचनबद्धता के संबंध में अपने वित्तीय विवरणों में बकाया कानूनी विवाद प्रकट किए हैं संदर्भ टिप्पणी 27.1 से 27.2

(ii) कंपनी ने कानून के अंतर्गत लागू अथवा लेखन मानकों के अनुसार हमारी रिपोर्ट में ऊपर कथित को छोड़कर डेरिवेटिव करारों सहित दीर्घावधि करार के संबंध में वास्तविक घाटे (यदि कोई हो) के लिए प्रावधान किया है।

(iii) कंपनी को 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि में अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

कृते रावला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001661एन

सीए राजाराम गुप्ता
पार्टनर
एम. सं. 081279

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 09 अगस्त, 2018

अनुबंध–1: 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट से संबंधित

[हमारी समान तारीख की रिपोर्ट के शीर्षक "अन्य विधि एवं विनियामक आवश्यकताओं से संबंधित रिपोर्ट" के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुच्छेद 1 में संदर्भित,]

I. क. कंपनी अचल संपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति दशार्ते हुए अचल संपत्ति रजिस्टर रखती है

ख. विभिन्न सर्कल में भारतनेट की परिसंपत्तियों को डीओटी के अधिकारियों (संचार लेखा नियंत्रकों) जो निर्दिष्ट निगरानी प्राधिकारी है, द्वारा वास्तविक रूप से जांच की गई है। डीओटी की रिपोर्ट में कुछ वस्तु खामियां पाई गई है जिनमें से कुछ निम्नानुसार है:–

(i) कुछ उपकरणों के घटक नहीं पाए गए।

(ii) यूएओएफ के साइन बोर्ड कई साइटों पर नहीं पाए गए।

(iii) कनेक्टिविटी और गति सीमा के मुद्दे कंपनी के बैंचमार्क से नीचे पाए गए।

कंपनी ने इन रिपोर्टों पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की है।

पीएमएयू के कार्यालय में अचल परिसंपत्तियों की वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा वास्तविक रूप से जांच की गई है परंतु वास्तविक जांच रिपोर्ट यह प्रमाणित नहीं करती है कि अचल परिसंपत्ति रजिस्टर की तुलना में कोई अंतर हुआ है।

कारपोरेट कार्यालय के लिए परिसंपत्तियों की वास्तविक जांच की एक आवधिक प्रणाली का अनुपालन किया जा रहा है परंतु हमें कोई नीति दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।

ग. जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है कंपनी की अपनी कोई स्वयं की अचल संपत्ति नहीं है।

ii. कंपनी द्वारा भारतनेट के सृजन के उद्देश्य से प्रापण की गई संपत्ति सूची को सीपीएसयू को दिया गया है कार्यकारी एजेंसी सीपीएसयू से उपभोग/उपयोग/कस्टडी रिपोर्ट/प्रमाणपत्रों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।

कार्यान्वययन एजेंसियों द्वारा की गई खरीद का खरीद बिलों सहित विवरण प्रदान नहीं किया गया है।

iii. कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत रखें गए रजिस्ट्रर में किसी कंपनी, फर्म, सीमित देनदारी भागीदारी अथवा अन्य पक्षों को आरक्षित अथवा अनारक्षित ऋण प्रदान नहीं किए हैं।

iv. कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 185/186 के प्रावधानों के अनुसार कोई ऋण, गारंटी ओर प्रतिभूति प्रदान नहीं की है।

v. कंपनी ने जनता से कोई डिपोजिट स्वीकार नहीं किया है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देश और कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधान अथवा अन्य संगत प्रावधान और उनके तहत बनाये गए नियम लागू नहीं हैं।

vi. केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप–धारा 1 के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों के अनुरक्षण निर्धारित नहीं किए हैं।

vii. क. कंपनी सामान्यतः भविष्य निधि, आयकर,जीएसटी और अन्य सांविधिक देनदारियों सहित अन्य गैर–विवादित सांविधिक देनदारियों को टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं से प्राप्त अग्रिम पर जीएसटी के ब्याज की देनदारी, वेंडरों से वसूल की गई लिक्विडेटेड क्षति, बीजक की तारीख से 180 दिनों के बाद देय गैर–भुगतान किए गए ट्रेड इत्यादि को छोड़कर समुचित प्राधिकारियों के पास जमा कराने में नियमित रही है और इस राशि का योग्यता के संदर्भित आधार का निर्धारण नहीं किया जा सका।

ख) 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार देय होने की तारीख से छः माह से अधिक की अवधि के लिए कोई गैर–विवादित देनदारी नहीं है।

ग. हमें दी गई सूचना और व्यांख्या के अनुसार 31 मार्च, 2018 के अनुसार भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर और मूल्य वर्धित कर, सेवा कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क, उपकर और बकाया अन्य सांविधिक देनदारी के संबंध में कोई विवादित देनदारी नहीं है।

viii. कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार में ऋण के पुर्न भुगतान में कोई चूक नहीं की है अथवा डिबेंचर धारकों के प्रति कोई देनदारी नहीं है।

ix. कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक पब्लिक ऑफर अथवा आगे पब्लिक ऑफर (डेब्ट इंस्ट्रूमेंट सहित) अथवा दीर्घावधि ऋण के जरिए कोई राशि उगाही है।

x. कंपनी द्वारा अथवा उसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कोई वास्तविक धोखाधड़ी की घटना हमारी लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में नहीं आई है अथवा सूचित नहीं की है।

xi. कंपनी ने अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों द्वारा अधिदेशित अपेक्षित अनुमोदनों के अनुसरण में प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान/प्रावधान किया है।

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तद्नुसार आदेश का अनुच्छेद 3 (ii) लागू नहीं हैं।

xiii. संबंधित पक्षों केसाथ लेनदेन जहां लागू हो अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुरूप हैं और इन लेनेदन का विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखन मानकों में अपेक्षित है।

xiv. कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई वरीयता आबंटन अथवा निजी प्लेसमेंट नहीं किया है अथवा पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किए हैं।

xv. कंपनी ने निदेशकों अथवा उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया है।

xvi. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के अंतर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक नहीं है।

कृते रावला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001661एन

सीए राजाराम गुप्ता
पार्टनर
एम. सं. 081279

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 09 अगस्त, 2018

अनुबंध–2

[हमारी समान तारीख की रिपोर्ट के शीर्षक "अन्य विधि एवं विनियामक आवश्यकताओं से संबंधित रिपोर्ट" के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुच्छेद 2 में संदर्भित]

वर्ष 2017–18 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत दिशा–निर्देशों संबंधी रिपोर्ट

1. क्या कंपनी का फ्री–होल्ड' तथा लीज होल्ड के लिए स्पष्ट टाईटल डीड है? यदि नहीं है तो कृपया फ्री–होल्ड और लीज होल्ड' भूमि के क्षेत्र का उल्लेख करें जिसके लिए टाईटल/लीज डीड उपलब्ध नहीं है।
   - कंपनी की कोई अचल संपत्ति नहीं है।
2. कृपया सूचित करें कि क्या डेब्ट/ऋण/ब्याज इत्यादि में छूट का कोई मामला है यदि है तो उसके क्याा कारण हैं और उसमें कितनी राशि शामिल हैं।
   - वर्ष के दौरान डेब्ट/ऋण/ब्याज में छूट का कोई मामला नहीं पाया गया है।
3. क्या सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में प्राप्त संपत्तियों और तीसरे पक्षों के पास पड़ी संपत्ति सूची के लिए समुचित रिकॉर्ड रखें जाते हैं?
   - कंपनी द्वारा भारत नेट संपत्तियों के सृजन के उद्देश्य से प्राप्त की गई संपत्ति सूची को सीपीएसयू को दिया गया है। निष्पादन एजेंसी सीपीएसयू से उपभोग/उपयोग/कस्टडी रिपोर्ट/प्रमाणपत्रों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।
   - निष्पादन एजेंसी बीएसएनएल में वर्ष 2014–15 के दौरान 184,320,197 रुपए का अनुप्रयुक्त स्टॉक मौजूद था जिसमें से कंपनी के उद्देश्य के लिए ऋण आधार पर बिना किसी लागत लाभ के खरीदी गई संपत्ति सूची को समायोजित किया जाना अभी बाकी है।

कंपनी ने निष्पादन एजेंसियों (अर्थात् बीएसएनएल, रेलटेल और पीजीसीआईएल) से ठेकेदारों से प्राप्त खरीद और बीजकों का विवरण प्राप्त कर लिया है परंतु कार्यान्वयन एजेंसियों से बीजक प्रदान नहीं किए गए है।

कृते रावला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001661एन

सीए राजाराम गुप्ता
पार्टनर
एम. सं. 081279

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 09 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि रूपए में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
क	इक्विटी और देनदारियां			
1	**शेयरधारकों की निधियां**			
	शेयर निधि	3	60,00,00,030	60,00,00,030
	आरक्षित और अधिशेष	4	20,37,19,086	17,59,94,160
			80,37,19,116	**77,59,94,190**
2	**गैर–चालू देनदारियां**			
	डेफर्ड कर देनदारियां (निवल)	5	-	-
	दीर्घावधि देनदारियां	6	12,91,79,01,212	9,52,47,56,498
			12,91,79,01,212	**9,52,47,56,498**
3	**चालू देनदारियां**			
	देय ट्रेड	7	3,01,28,55,187	1,89,60,15,411
	अन्य चालू देनदारियां	8	1,06,76,65,51,475	68,22,17,70,680
			1,09,77,94,06,662	**70,11,77,86,091**
	कुल		**1,23,50,10,26,990**	**80,41,85,36,779**
ख	परिसंपत्तियां			
1	**गैर–चालू परिसंपत्तियां**			
	संपत्ति, प्लांट और उपकरण	9	1,82,663	70,041
	गैर–वास्तविक संपत्तियां	9	258	232
	पूंजीगत प्रगतिरत कार्य	10	22,48,75,75,740	18,13,47,60,387
			22,48,77,58,661	**18,13,48,30,660**
2	दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	11	53,17,50,24,537	29,81,86,91,389
			53,17,50,24,537	**29,81,86,91,389**
3	**चालू संपत्तियां**			
	प्राप्ति योग्य ट्रेड	12	-	47,19,816
	रोकड़ तथा रोकड़ समकक्ष	13	28,61,99,15,103	19,61,19,23,097
	लघु अवधि ऋण और अग्रिम	14	2,03,06,02,932	1,81,94,57,470
	अन्य चालू परिसंत्तियां	15	17,18,77,25,757	11,02,89,14,347
			47,83,82,43,792	**32,46,50,14,730**
कुल			**1,23,50,10,26,990**	**80,41,85,36,779**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार		2		
संलग्नक टिप्पणियां वित्तीय विवरण का समेकित भाग है।				

संलग्न सम तिथि की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते रावला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएम001661एन

राजा राम गुप्ता
पार्टनर
एम सं. 081279

कृते तथा की ओर से **भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड**

संजय सिह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07484614

मनोज आनन्द
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 07583289

अविनाश चंद्र उपाध्याय
कंपनी सचिव एवं विधि प्रमुख
एम.सं. एफ : 4324

दिनांकः 09 अगस्त, 2018
स्थानः नई दिल्ली

लाभ एवं हानि विवरण

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

राशि रूपए में

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
1	प्रचालन से राजस्व	16	35,19,300	32,24,500
2	अन्य आय	17	3,09,64,72,238	1,06,00,61,543
3	**कुल राजस्व (1+2)**		**3,09,99,91,538**	**1,06,32,86,043**
4	**व्यय**			
	क. कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	18	12,94,78,683	4,64,86,754
	ख. वित्तीय लागत	19	40,59,780	43,07,166
	ग. अवमूल्यन और परिशोधन व्यय	9	-	50,01,242
	घ. प्रशासनिक, आपरेटिंग और अन्य व्यय	20	2,90,35,97,143	72,29,72,554
	ड. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	24	15,00,000	
	कुल व्यय		**3,03,86,35,606**	**77,87,67,716**
5	**पूर्व अवधि मदों और कर से पूर्व लाभ/घाटा (3-4)**		6,13,55,932	28,45,18,327
6	पूर्व अवधि मदें	21	(2,04,56,806)	(34,31,885)
7	**कर से पहले लाभ/घाटा (5+6)**		4,08,99,126	28,10,86,442
8	**कर व्यय**			
	क. चालू वर्ष के लिए चालू कर व्यय		1,31,74,200	7,91,15,040
	ख. पूर्व अवधि से संबंधित चालू कर व्यय		-	-
	ग. डैफर्ड कर			(2,65,09,084)
			1,31,74,200	5,26,05,956
9	**कर पश्चात लाभ/घाटा (7-8)**		**2,77,24,926**	**22,84,80,486**
10	**प्रति शेयर अर्जन**	32		
	क. बेसिक		0.46	3.81
	ख. डाल्यूटेड		0.46	3.81
	महत्वपूर्ण लेखन नीतियों का सार	2		
	संलग्न टिप्पणी वित्तीय विवरणों का समेकित भाग हैं			

संलग्न सम तिथि की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते रावला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएम001661एन

राजा राम गुप्ता
पार्टनर
एम सं. 081279

कृते तथा की ओर से भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड

संजय सिह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07484614

मनोज आनन्द
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 07583289

अविनाश चंद्र उपाध्याय
कंपनी सचिव एवं विधि प्रमुख
एम.सं. एफ : 4324

दिनांकः 09 अगस्त, 2018
स्थानः नई दिल्ली

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणी

1. कंपनी प्रोफाइल–भारतनेट परियोजना

1.1 कंपनी का स्वामित्व नई दिल्ली स्थित कारपोरेट कार्यालय के साथ भारत सरकार द्वारा किया जाता है। शेयर द्वारा सीमित देनदारी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में कंपनी को 25 फरवरी, 2012 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अधिनिगमित किया गया था और इसे भारत में लगभग 2,50,000 ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत सरकार के 25.10.2011 के निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय आप्टीकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) अब भारतनेट की स्थापना हेतु विशेष उद्देश्य साधन (एसपीवी) के रूप में स्थापित किया गया था।

1.2 भारतनेट का सृजन और उसका रख–रखाव यूनिवर्सल सर्विस आब्लीगेशन फंड (यूएसओएफ) द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित होगा। तद्नुसार कंपनी ने प्रशासक यूएसओएफ और बीबीएनएल के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति के साथ 25.02.2014 को भारत में सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों में गैर–दीर्घापूर्ण आधार पर बैंडविथ का प्रभावी प्रावधान करने के लिए आवश्यक ओएफसी परिवहन नेटवर्क तथा संबद्ध अवसरंचना प्रदान करने (अर्थात् प्रापण, स्थापना, परीक्षण, कमीशन) संचालन, रख–रखाव और प्रबंधन हेतु करार किया।

1.3 यूएसओएफ बीबीएनएल को भारतनेट के सृजन, आपरेशन और रख–रखाव के लिए 2020 तक समुचित पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) और आपरेटिंग व्यय की निवल लागत (औपेक्स) राजस्व से निवल हेतु अनुदान/इम्दाद प्रदान करेगा।

1.4 भारतनेट के कार्यान्वयन के लिए बीबीएनएल ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), पॉवरग्रिड कारॅपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) और रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया (रेलटेल) के साथ समझौता ज्ञापन/करार पर हस्ताक्षर किए हैं। भूगौलीय सूचना विज्ञान (जीआईएस) के कार्यान्वयन के लिए नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (एनएमएस) और एनआईसी हेतु सेंट्रल फॉर डवलपमेंट ऑफ टेलिमेटिक्स (सी. डॉट) के साथ अलग से समझौता ज्ञापन/करार किया है।

1.5 भारत सरकार ने 19.07.2017 को भारतनेट के लिए एक संशोधित कार्यान्वयन नीति अनुमोदित की जिसमें ब्लॉक मुख्यालयों (बीएचक्यू) से सीधे ग्राम पंचायतों तक मीडिया के इष्टतम मिश्रण अर्थात् विद्युत पोल पर ओएफसी, त्वरित तैनाती के लिए रेडियो और सेटेलाइट तथा अंडर ग्राउंड ओएफसी की सीधी कनेक्टिविटी चरण–I में की जा रही है। परियोजना का कार्यान्वयन राज्यों तथा राज्यों की एजेंसियों, सीपीएसयू और निजी क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। व्यवहार्य अंतर निधियन के माध्यम से और नेटवर्क के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए सभी जीपी में अंतिम माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लूजी फाइबर को प्रतिस्थापित करने के लिए मंत्रिमंडल के अनुमोदन से विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं।

1.6 जीपी को कनेक्ट करने के लिए कार्य के निष्पादन की दो चरणों में पूरा करने की योजना बनाई गई थी:

चरण–I: भारतनेट के चरण–I के अंतर्गत सेवा तैयार में 1,00,000 जीपी को जोड़ने को पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर, 2017 में प्राप्त कर लिया गया है।

चरण–II: बाकी 1,50,000 जीपी को 31 मार्च, 2019 तक बीएचक्यू से सीधे जोड़ने हेतु प्रस्तावित।

1.7 परियोजना के चरण–2 का कार्यान्वयन निम्नानुसार है:

i. राज्य द्वारा संचालित मॉडल: भारतनेट का कार्यान्वयन 8 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात, ओडिशा और महाराष्ट्र में इस मॉडल के माध्यम से किया जा रहा है। दूरसंचार आयोग द्वारा इन सभी राज्यों में परियोजना के लिए बीपीआर अनुमोदित किए गए है। सभी राज्यों के साथ निविदा जारी करने के लिए आरएफपी टेम्प्लेट साझा किए गए हैं। सभी राज्यों को जुटाव अग्रिम जारी किए गए है।

ii. निजी क्षेत्र द्वारा संचालित मॉडल: इस मॉडल के माध्यम से दो राज्यों नामतः पंजाब और बिहार का कार्यान्वयन किया जा रहा है। राज्य के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के चयन हेतु बीबीएनएल द्वारा आरएफपी जारी किया गया है। प्रत्येक राज्य में तीन पैकेज के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों का अब चयन कर लिया गया है।

iii. सीपीएसयू द्वारा संचालित मॉडल: बाकी राज्यों में पीजीसीआईएल (उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में) इस मॉडल द्वारा और अन्य सभी राज्यों में बीएसएनएल द्वारा परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

1.8 बीबीएनएल की आरंभ में प्रत्येक जीपी में 100 एमबीपीएस बैंडविथ प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी। इस चरण–2 में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी), इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) और बहुप्रणाली संचालकों (एमएसओ) इत्यादि की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डार्क फाइबर के प्रावधान के साथ चरण–2 में ओएफसी पर एक जीबीपीएस तक बढ़ाया गया है। बीबीएनएल ने सेवाओं के प्रावधान के लिए राजस्व शेयरिंग आधार पर बीएसएनएल के साथ समझौता भी किया है। राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के विभागों, डाक विभाग से नेटवर्क के उपयोग के लिए संपर्क किया गया है।

1.9 भारतनेट के उपयोग के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन

(बीजीएफ) के संबंध में वाई–फाई हॉट्स्पॉट (राज्य में संस्थाओं सहित की खुली बोली, सीएससी ई–गवर्नेंस लिमिटेड और राज्य सरकारों के माध्यम से स्थापना की जा रही है।

1.10 बीबीएनएल अब भी परियोजना निर्माण के चरण में है। समूची नेटवर्क के पूरा करने की परिलक्षित तारीक 31 मार्च, 2019 है। बीबीएनएल को नेटवर्क के उपयोग के लिए बड़े टीएसपी से सकारात्मक प्रतक्रिया प्राप्त हुई है।

2. महत्वपूर्ण लेखन नीतियों का सार

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

क. वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं।

ख. वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कपंनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और कंपनी (लेखन मानक) संशोधन नियम 2016 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य संगत प्रावधानो में निर्दिष्टं लेखन मानकों के संबंध में सभी वस्तुस्थिति का अनुपालन करते हुए तैयार किए गए हैं।

ग. कंपनी लेखन की मर्चेंटाइल प्रणाली का अनुसरण करती है और अन्यथा कहे जाने को छोड़कर अर्जन आधार पर आय और व्येय को मान्यता प्रदान करती है।

घ. कंपनी द्वारा लागू लेखन नीतियां अन्यथा कहे जाने को छोड़कर पिछले वर्ष में प्रयुक्त लेखन नीतियों के अनुसार हैं।

2.2 अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने में इस आश्य के अनुमानों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है/का प्रयोग किया जाता है कि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान संपत्ति, देनदारी, राजस्व और व्यय की सूचित राशि को ध्यान में रखा गया है। हालांकि ऐसे अनुमान सभी संगत उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए उचित आधार पर लगाये जाते हैं, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकता है और ऐसे अंतर को उस अवधि में लिया जाता है जिसमें परिणाम हुए हों।

2.3 नगद प्रवाह विवरण

अप्रत्यक्ष पद्धति का प्रयोग करते हुए जहां गैर–नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभाव के लिए असाधारण मदों से पूर्व सामायोजित किया जाता है अथवा पिछली अथवा भविष्य की नगद प्राप्तियों अथवा भुगतान को प्रोद्भूत किया जाता है, नगद प्रवाह की सूचना दी जाती है। संचालन, निवेश, कंपनी की वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया गया है।

समकक्ष नगद लघु कालीन, अत्यधिक लिक्विड निवेश जो नगद राशि में परिवर्तनीय होते हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के गैर–महत्वपूर्ण के अधीन होते है।

2.4 राजस्व मान्यता

सेवा से आय को लेखन मानक–9 के अनुरूप और राजस्व आधार पर लेखों में लिया जाता है। तद्नुसार

क) सभी सेवाओं के लिए राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब वह अर्जित किया गया हो और बिलिंग के समय वसूला गया हो। बिलिंग की तारीख से वर्ष के अंत तक गैर–बिल राजस्व को वर्ष के दौरान अर्जित राजस्व के रूप में दर्ज किया जाता है। जिस अवधि में सेवा प्रदान की गई हो। विवादित समझे जाने वाले बिल (प्रबंधन द्वारा), दो वर्ष से अधिक के लिए बकाया डेब्ट और दो वर्ष के लिए देय डेब्ट को प्रबंधन को आवश्यस समझे जाने की सीमा तक के संबंध में प्रावधान किए जाते हैं।

ख) रख–रखाव और प्रोजेक्ट कार्य से होने वाली स्क्रेप की बिक्री से आय को वर्ष की बिक्री में विविध आय के रूप में दिया गया है।

ग) सभी आय इस बात को छोड़कर प्रोद्भूत आधार पर ली जाती है जहां आय की वसूली में अनिश्चितता हो जैसे कि लिक्विडेटेड क्षति।

घ) यूएसओएफ से आपरेटिंग व्ययय की निवल लागत भारतनेट के राजस्व से निवल से प्राप्ति योग्य इमदाद को उस वित्तीय वर्ष में अन्य आय के रूप में लिया जाता है।

ङ) ब्याज को अनुपातिक आधार पर प्रोद्भूत आधार पर लिया जाता है। भारतनेट के सृजन के लिए यूनीवर्सल सर्विस आबलीगेशन फंड (यूएसओएफ) से प्राप्त निधियों पर अर्जित ब्याज को सरकारी अनुदान के रूप में लिया जाता है।

2.5 संपत्ति, प्लांट और उपकरण

क) वास्तविक संपत्तियों को यूएसओएफ के सृजन के लिए प्राप्त पूंजीगत इम्दाद की निवल लागत पर कहा गया है। इन संपत्तिंयों को पुस्तकों में 1 रूपए के आंशिक मूल्य पर निम्नानुसार दर्शाया गया है:

1.1 केबल प्रणाली को 1 रूपए प्रति किलोमीटर के रूप में ओएफसी किलोमीटर के रूप में दर्शाया गया है।

1.2 उपकरण को प्रति एंटी 1 रूपए के रूप में ओएनटी के रूप में दर्शाया गया है।

1.3 अन्य सभी संपत्तियों को 1 रूपए प्रति इकाई के रूप में दर्शाया गया है।

ख) आप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क को ओएफसी के स्वीरकार्य परीक्षण (ए/टी) के लिए पूंजीकृत किया गया है। जहां सफल स्वीकार्य परीक्षण (ए/टी) के पश्चात आप्टिकल लाइन टर्मिनल (ओएलटी) और ग्राम पंचायत के बीच नेटवर्क लिंक स्थापित कर दिया जाता है तो

भारतनेट के जीपीओएन उपकरण को पूंजीकृत किया जाता है।

ग) तुलनपत्र की तारीख के अनुसार पूंजीगत प्रगतिरत कार्य के अंतर्गत अचल संपत्तियों की लागत उपयोग के लिए तैयार नहीं है।

पूंजीगत प्रगतिरत कार्य की लागत में शामिल हैं।

(i) परियोजना के लिए जारी भंडार और सामग्रियों की लागत तथा

(ii) पीएलबी डक्टज की लागत तथा ट्रेंचिंग, केबल बिछाने के कार्य की लागत जोकि निष्पादन एजेंसियों द्वारा सूचित की गई हो और भारतनेट के लिए प्रयुक्त की गई हो।

(iii) राज्यों की परियोजना प्रबंधन इकाईयों, कारपोरेट कार्यालय की योजना शाखा और कारपोरेट कार्यालय की वित्तीय शाखा की अनुपातिक लागत इत्यादि के कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ सहित स्थापना एवं अन्य व्यय।

(iv) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की लागत को वेंडरों से प्राप्त लिक्विडेटेड क्षति द्वारा घटाया जाता है।

घ) वास्तविक संपत्ति, उपकरण, इंस्ट्रूमेंट और पुर्नस्थापना कार्य पर व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जबकि प्रबंधन के विचार से इससे राजस्व अर्जन क्षमता में वृद्धि हो।

ड) गैर वास्तविक संपत्ति यूएसओएफ से प्राप्त पूंजीगत इम्दाद की निवल लागत पर कही गई है इसे 1 रूपए प्रति इकाई के आंशिक मूल्य पर दर्शाया गया है।

च) नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली/नेटवर्क आपरेटिंग केंद्र तथा डाटा केंद्र को पूंजीकृत किया जाता है जब वह सफल स्वीकार्य परीक्षण के पश्चात् उपयोग के लिए तैयार हो जाए।

छ) संपत्ति के पूंजीकरण के लिए ओवरहेड लागत का प्रतिशत व्यय की चालू प्रवत्ति के आधार पर तथा वेतन एवं प्रशासनिक व्यय में भविष्य की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कैपेक्स के 3% के रूप में लिया जाता है।

ज) लेखन नीति के अनुसार संपत्ति, प्लांट और उपकरण को आशिंक मूल्य पर दर्शाया जा रहा है और तद्नुसार यूएसओएफ/डीओटीए से प्राप्ति योगं अनुदान/इम्दाकद से सृजित संपत्तियों पर कोई वार्षिक अवमूल्यन लागू नहीं हैं।

झ) परिसंपत्तियों के सृजन के लिए प्राप्त संपत्ति सूचियों को लागत पर लिया जाता है और भारतनेट की परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सीडब्ल्यूआईपी में अंतरित किया जाता है। संपत्ति सूची की लागत में शुल्क और कर (उद्यमों द्वारा कर प्राधिकरणों से तदंतर के अतिरिक्त), सहित क्रय कीमत, आंतरिक भाड़े और अर्जन पर हुए अन्य प्रत्यक्ष व्यय शामिल होते है।

2.6 संपत्ति सूची

संपत्तियों के सृजन, मरम्मत और रख–रखाव के लिए प्राप्त की गई संपत्ति सूची को लागत पर लिया जाता है। संपत्ति सूची की लागत में शुल्क और कर (उद्यमों द्वारा कर प्राधिकरणों से तदंतर के अतिरिक्त), सहित क्रय कीमत, आंतरिक भाड़े और अर्जन पर हुए अन्य प्रत्यक्ष व्यय शामिल होते है।

2.7 सरकारी अनुदान

क. अवमूल्यन योग्य संपत्तियों से संबंधित इम्दाद/अनुदान को असंबंधित संपत्तियों के मूल्य के निर्धारण में काटा जाता है। वर्ष के दौरान प्राप्त सरकार अनुदान परंतु जिसे वास्तविक/गैर–वास्ताविक संपत्ति के सृजन के लिए प्रयोग न किया गया हो, को दीर्घावधि देनदारी/अन्य चालू देनदारी जैसा भी मामला हो, के रूप में आगे ले जाया जाता है। राजस्व से संबंधित सरकारी इम्दोद/अनुदान (औपेक्स) को लाभ एवं हानि विवरण में अर्जन आधार पर अन्य आय के रूप में लिया जाता है।

ख. भारतनेट के सृजन के लिए यूनिवर्सल सर्विस आबलीगेशन फंड (यूएसओएफ) से प्राप्त निधियों पर अर्जित ब्याज को यूएसओएफ/डीओटी से इमदाद/अनुदान के रूप में लिया जाता है।

ग. राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदान/इमदाद (ओपेक्स) को प्रोद्भूत आधार पर अन्य आय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में लिया जाता है।

2.8 विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा में लेनदेन उस लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनियम दर पर दर्ज किया जाता है अर्थात् भुगतान अथवा बिलिंग, जैसा भी मामला हो, की तारीख पर लिया जाता है।

तुलनपत्र की तारीख पर विदेशी मुद्रा वित्तीय संपत्तियों को सूचित किए जाने की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर लिया जाता है।

2.9 लीज

लीज को उस सीमा तक वित्तय अथवा आपरेटिंग लीज आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिसके लिए लीज्ड संपत्ति के स्वामित्व का जोखिम और रिवार्ड लीजर अथवा लीजी का होता है और तद्नुसार लीज की संपत्ति और लीज के भुगतान को वित्तीय विवरणों में दर्ज किया जाता है।

2.10 कर्मचारी लाभ

क) लघु अवधि कर्मचारी लाभ

लघु अवधि कर्मचारी लाभ को उस अवधि में माना जाता है जिसमें सेवा प्रदान की गई। है।

चिकित्सा लाभ

कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अन्य व्यक्तिगत दावा बिलों को लेखों को अंतिम रूप दिए जाने तक प्राप्त बिलों के संबंध में वास्तविक आधार पर लिया गया है।

ख) दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

i) पेंशन अंशदान (ग्रेच्युटी सहित)

सरकारी कर्मचारी तथा प्रतिनियुक्ति पर अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों जिन्हें विषय पर सरकारी नियमों द्वारा शासित किया जाता है, सरकार से पेंशन के पात्र है, जिसे अंशदान योजना में परिभाषित किया गया है। कंपनी सरकार को पेंशन नियमों और एफआरएंडएसआर के अनुसार लागू दरों पर पेंशन (ग्रेच्युटी केलिए देनदारी सहित) के लिए मासिक अंशदान देती है और राशि को लाभ एवं हानि विवरण में लिया जाता है।

ii) कर्मचारी भविष्य निधि

प्रतिनियुक्ति पर अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कंपनियों के कर्मचारियों जिन्हें ईपीएफ अधिनियम द्वारा शासित किया जाता है, कंपनी संबंधित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों को कर्मचारी के मूल वेतन और भत्ते की पूर्व निर्धारित पर नियोक्ता का अंशदान और संबद्ध प्रशासनिक प्रभार प्रदान करती है, और यह राशि लाभ और हानि विवरण में ली जाती है।

बीबीएनएल द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों जो ईपीएफ अधिनियम द्वारा शासित होते है, के लिए कंपनी नियोक्ता का अंशदान प्रदान करती है और ईपीएफओ को कर्मचारियों के अंशदान के साथ संबद्ध प्रशासनिक प्रभार प्रदान करती है। नियोक्ता का अंशदान और प्रशासनिक प्रभारों को लाभ एवं हानि विवरण में लिया जाता है।

iii) अवकाश वेतन हेतु अंशदान

सरकारी कर्मचारियों तथा प्रतिनियुक्ति पर अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों के लिए बीबीएनएल द्वारा सरकार अन्य सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को एफआरएंडएसआर के एफआर 115(ख) के अनुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए अवकाश वेतन अंशदान देती है और यह राशि लाभ एवं हानि विवरण में ली जाती है। परिणामतः अवकाश की अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए देय अवकाश वेतन सरकार/अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पास होता है। इसके अतिरिक्त, सेवा छोड़ने/सेवानिवृत्ति से पहले अथवा पश्चात कोई अवकाश नगदीकरण भी सरकार/अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उत्तरदायित्व है।

iv) ग्रेच्युटी

अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों, जिन्हें ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 द्वारा शासित किया जाता है, के लिए कंपनी ग्रेच्युटी के लिए अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अंशदान देती है तथा यह राशि लाभ एवं हानि विवरण में ली जाती है।

v) बीबीएनएल द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पश्चात लाभ

ग्रेच्युटी: ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के भुगतान के अनुसार ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान किया जाता है।

अवकाश वेतन के लिए अंशदानः नियुक्ति पश्चात लाभ के रूप में भुगतान किए जाने वाले अवकाश वेतन के संबंध में मूल नियम और अनुपूरक नियमों के एफआर 115(ख) के अनुसार प्रावधान किया गया है और इस राशि को लाभ एवं हानि विवरण में लिया गया है। एफआर 115(ख) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ मूल वेतन का 30 प्रतिशत जमा डीए होगा।

बीबीएनएल द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए नियोक्ता का अंशदान ईपीएफ तथा ग्रेच्युटी के लिए क्रमशः मूल वेतन तथा डीए का 12 प्रतिशत और 4.81 प्रतिशत की दर से होगा। बाकी सेवानिवृत्ति लाभ के लिए कंपनी द्वारा नीति तैयार की जानी अभी बाकी है। इसे तैयार करने के लंबित रहने और अनुमोदन के लंबित होने तक कंपनी बकाया सेवानिवृत्ति लाभ के लिए कर्मचारियों के मूल वेतन तथा डीए के 13.19 प्रतिशत की दर का प्रावधान करती है।

2.11 पूर्व अवधि मदें

आय अथवा व्यय जो एक अथवा अधिक पूर्व अवधि के वित्तीय विवरण तैयार करने में हुई चूक अथवा छोड़ दिए जाने के परिणाम स्वरूप वर्तमान अवधि में सामने आता है तो इसे लाभ एवं हानि विवरण में पूर्व अवधि मद के रूप में लिया जाता है।

2.12 आय पर कर

चालू अवधि के लिए आय पर व्यय को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसरण में निकाली गई आय तथा कर क्रेडिट के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

एएस–22 के अनुसार, डेफर्ड कर देनदारी/संपत्तियों को रिपोर्टिंग तारीख के अनुसार लागू कर की दरों का प्रयोग करते हुए लेखन मानक व्याख्या 3 और मात्रात्मकता के घटकों को ध्यान में रखते हुए उक्त अवधि के लिए लेखन आय और कर योग्य आय के बीच टाइमिंग अंतर पर मान्यता दी जाती है।

डेफर्ड कर संपत्तियों को मान्यता दी जाती है तथा उन्हें इस वास्तविक सुनिश्चितता की सीमा तक आगे ले जाया जाता है कि ऐसे आगे ले जाई गई कर संपत्तियों की वसूली की जा

सकती है।

2.13 प्रावधान

प्रावधानों को उस स्थिति में मान्यता दी जाती है जबकि कंपनी के पास पिछली घटनाओं के परिणास्वरूप एक वर्तमान वचनबद्धता होय यह अधिक संभावना है कि वचनबद्धता के निपटान के लिए संसाधनों के प्रवाह की आवश्यकता होगी, और राशि को विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया गया है।

2.14 आकस्मिक देनदारियां

देनदारियों, यद्दिप आकस्मिक होने पर उनका प्रावधान किया जाता है, यदि प्रबंधन के अनुसार ऐसी देनदारियों के परिपक्व होने के समुचित अवसर हों अन्य आकस्मिक देनदारियां, गलत दावों को छोड़कर, जिन्हें ऋण के रूप में नहीं लिया जाता है, को टिप्पणी के माध्यम से प्रकट किया जाता है।

2.15 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन ("ईपीएस") में कर पश्चात् निवल लाभ (कर से निवल असाधारण आय को छोड़कर) शामिल होता है। मूल तथा डाइलूटिड ईपीएस में प्रयुक्त शेयरों की संख्या वर्ष के दौरान बकाया शेयरों को भारित औसत संख्या है।

2.16 क्षेत्र की सूचना देना

ऐसा केवल एक मुख्य क्षेत्र है जिसमें एओएफएन के जरिए दीर्घावधि सेवा अर्थात् शेयरिंग आधार बैंडविथ का प्रावधान है।

3. शेयर कैपिटल

(क) प्राधिकृत **(राशि रुपए में)**

विवरण	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि रुपए में	शेयरों की संख्या	राशि रुपए में
(क) प्राधिकृत प्रत्येक 10/– रुपए मूल्य के 100,00,00,000 (पी.वाई. 100,00,00,000) इक्विटी शेयर	1000,000,000	10,00,00,00,000	1000,000,000	10,00,00,00,000
(ख) जारी, अंशदान प्रदत्त तथा पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक 10/– रुपए मूल्य के 6,00,00,003 (पी.वाई. 6,00,00,003) इक्विटी शेयर	6,00,00,003	60,00,00,030	6,00,00,003	60,00,00,030

संदर्भ टिप्पणी (i) से (ii) नीचे

(i) वर्ष के आरंभ और अंत में शेयरों की संख्या तथा बकाया राशि का पुनर्मिलान

विवरण	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि रुपए में	शेयरों की संख्या	राशि रुपए में
वर्ष के आरंभ में बकाया	6,00,00,003	60,00,00,030	6,00,00,003	60,00,00,030
जमा: वर्ष के दौरान जारी	0	0	0	0
वर्ष के अंत में बकाया	6,00,00,003	60,00,00,030	6,00,00,003	60,00,00,030

(ii) कंपनी के 5: शेयर से अधिक शेयर वाले शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों के ब्यौरे

शेयरधारकों का नाम	31 मार्च, 2018 के अनुसार		31 मार्च, 2017 के अनुसार	
	धारित शेयरों की संख्या	होल्डिंग का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	होल्डिंग का प्रतिशत
केंद्र सरकार	6,00,00,000	99.99%	6,00,00,000	99.99%

- बीएसएनएल, पीजीसीआईएल एवं रेलटेल 10/– रुपए प्रत्येक के एक–एक इक्विटीर शेयर धारी हैं।
- कंपनी में 10/– रुपए प्रति शेयर के समान मूल्य वाले एक ही स्तर के इक्विटी शेयर है।
- **सदस्यों का मत:** मौजूदा प्रत्येक सदस्य और जो इक्विटी शेयरधारक हो, को एक मत देने का अधिका होगा और इक्विटी शेयरधारक की ओर से सामान्य प्रोक्सी के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार होगा तथा मतदान होने पर प्रत्येक सदस्य को उसके पास धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मद देने का अधिकार होगा। मतदान होने पर इक्विटी शेयरधारक के मताधिकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 47 में निर्दिष्ट किए गए हैं।

4. आरक्षित और अधिशेष

राशि रुपए मे

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
(क)	**सामान्य आरक्षित**		
	वर्ष के आरंभ में बकाया	8,46,81,834	3,46,81,834
	जमाः लाभ एवं हानि विवरण से हस्तांतरित	1,00,00,000	5,00,00,000
	घटाः वित्तीय वर्ष के घाटे से समायोजित	-	-
	वर्ष के अंत में बकाया – सामान्य आरक्षित	**9,46,81,834**	**8,46,81,834**
(ख)	**लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष/घाटा**		
	वित्तीय वर्ष के आरंभ में बकाया	9,13,12,326	(8,71,68,160)
	जमाः वर्ष के लिए लाभ/(घाटा)	2,77,24,926	22,84,80,486
	घटाः सामान्य आरक्षित में हस्तांतरित	(1,00,00,000)	(5,00,00,000)
	वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया–बेशी/(घाटा)	10,90,37,252	9,13,12,326
	कुल (क+ख)	**20,37,19,086**	**17,59,94,160**

5. डेफर्ड कर देनदारियां (निवल संपत्ति)

(राशि रूपए मे)

	विवरण	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
क	**डेफर्ड की देनदारियां**		
	अचल संपत्ति पर अवमूल्यन	-	-
	अन्य	-	-
	कुल(क)	**-**	**-**
ख	**डेफर्ड कर संपत्तिः**		
	गेज्युटी का प्रावधान	1,43,120	3,70,003
	अवकाश नगदीकरण	3,27,448	8,46,569
	अधिवर्षिता	3,92,639	84,593
	कुल (ख)	**8,63,207**	**13,01,165**
	निवल डेफर्ड कर देनदारियां (क)–(ख)	**(8,63,207)**	**(13,01,165)**

* डेफर्ड कर संपत्तियों को मान्यता नहीं दी गई है चूंकि कर योग्य आय की कोई वास्तविक निश्चितता नहीं हैं।

6. दीर्घावधि देनदारी

(राशि रूपए मे)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
i	स्वयं के कर्मचारियों से नियुक्ति पश्चात लाभ	2,21,07,027	22,54,280
ii	भारतनेट परियोजना के लिए यूनिवर्सल सर्विस आबलीगेशन फंड से प्राप्त इमदाद*	12,89,57,94,185	9,52,25,02,218
	कुल	**12,91,79,01,212**	**9,52,47,56,498**
	*यूएसएओएफ से अनुदान/इमदाद से समायोजित इनपुट कर क्रेडिट दर्शाता है		

7. देय ट्रेड

(राशि रूपए मे)

विवरण	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
माइक्रों और लघु उद्यमों के लिए देय *	3,88,96,016	-
स्बंधित पक्षों के लिए देय	-	-
अन्यों के लिए देय	2,97,39,59,171	1,89,60,15,411
कुल	**3,01,28,55,187**	**1,89,60,15,411**

8. अन्य चालू देनदारिया

(राशि रूपए मे)

विवरण	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
भारतनेट परियोजना के लिए यूनिवर्सल सर्विस आब्लीगेशन से प्राप्त इम्दाद[1]	1,05,94,01,95,122	68,02,84,49,810
सांविधिक देय	56,46,81,175	12,79,59,675
कर्मचारियों के लिए देनदारी	79,74,045	57,45,673
सरकारी विभागों को देय	3,71,31,116	5,05,38,619
एजीआर आधारित लाइसेंस फीस के लिए देनदारी	-	4,17,129
पीएसयू को देय	32,72,303	40,91,278
अन्यों को देय	3,24,42,499	28,94,778
सेवाओं के लिए प्राप्त अग्रिम	17,56,85,220	-
ईएमडी तथा निष्पादन सुरक्षा जमा	51,69,995	16,73,718
कुल	**1,06,76,65,51,475**	**68,22,17,70,680**
टिप्पणी:		
(1) निष्पादन एजेंसियों में रिवर्स चार्ज प्रणाली के तहत स्रोत पर कर कटौती और सेवा कर का भुगतान काटा है। कंपनी में बीबीएनएल की ओर से किए गए नियमित कर अनुपालन का विवरण है।	53,17,50,24,537	29,81,86,91,389

9. सम्पत्ति, प्लांट और उपकरण

(राशि रूपए में)

विवरण	1 अप्रैल, 2017 के अनुसार आरंभिक शेष	जमा	1 अप्रैल, 2018 के अनुसार आरंभिक शेष	सृजित संपत्तियों के लिए प्रयुक्त अनुदान	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
वास्तविक परिसंपत्तियां						
उपकरण	-	1,28,769	1,28,769	1,28,757	12	-
आप्टीकल फाइबर केबल	59,555	15,88,60,37,127	15,88,60,96,682	15,88,59,89,760	1,06,922	59,555
जीपीओएन	7,889	4,15,61,51,763	4,15,61,59,652	4,15,60,88,025	71,627	7,889
कार्यालय उपकरण	328	23,08,592	23,08,920	23,08,489	431	328
विद्युत स्थापना और उपकरण	163	83,19,183	83,19,346	83,18,490	856	163
फर्नीचर और फिटिंग	1,176	1,23,02,219	1,23,03,395	1,23,01,930	1,465	1,176
कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग	927	82,10,309	82,11,236	82,09,954	1,282	927
पुस्तकें	3	8,199	8,202	8,134	68	3
कुल (क)	**70,041**	**20,07,34,66,161**	**20,07,35,36,202**	**20,07,33,53,539**	**1,82,663**	**70,041**

सम्पत्ति, प्लांट और उपकरण (जारी)

(राशि रूपए मे)

अवास्तविक संपत्तियां						
साफ्टवेयर	227	44,98,789	44,99,016	44,98,763	253	227
वीडियो फिल्म	1		1		1	1
बेवसाइट	1		1		1	1
ट्रेडमार्क	1		1		1	1
एनएलडी लाइसेंस के लिए प्रवेश शुल्क	1		1		1	1
आईएसपी लाइसेंस के लिए प्रवेश शुल्क	1		1		1	1
कुल (ख)	**232**	**44,98,789**	**44,99,021**	**44,98,763**	**258**	**232**
सकल योग (क)+ (ख)	**70,273**	**20,07,79,64,950**	**20,07,80,35,223**	**20,07,78,52,302**	**1,82,921**	**70,273**

i. वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों में जमा ओएफसी किलोमीटर के आधार पर निर्धारित किया गया है और जीपीओएन कार्य 31.03.2018 तक पूरा हो गया है।

ii. ओएफसी पूंजीकरण सीपीएसयू द्वारा किए गए एटी पर आधारित है जहां सीपीएसयू द्वारा एटी नहीं किया गया है/रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, पूंजीकरण नहीं किया गया है।

iii. जीपीओएन पूंजीकरण जीपी लिट स्थिति पर आधारित है जो कि बीबीएनएल द्वारा जीपी में एफटीटीएच के प्रावधान/कार्यकरण पर आधारित है। यह आंकड़ा सेवा तैयार जीपी के तुलनीय नहीं है जिसके लिए दिसंबर, 2017 में 1,00,000 जीपी का लक्ष्य रखा गया है।

iv. कार्यान्वयन एजेंसियों से अंतिम बिल प्राप्त नहीं हुए हैं और पूंजीकरण कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर किया गया है। किसी अंतर के मामले में इसे अंतिम सेटलमेंट में समायोजित किया जाएगा।

10. प्रगतिरत पूंजीगत कार्य

(राशि रूपए मे)

विवरण	1 अप्रैल, 2017 के अनुसार	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	समायोजन	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
पीएलबी डक्ट्स, ट्रैंचिंग, लेयिंग वर्क्स	10,30,13,56,088	16,12,33,52,068	13,74,02,42,848		12,68,44,65,308	10,30,13,56,088
सीपीएसयू और भारतनेट को जारी ओएफसी तथा जीपीओएन	7,56,03,40,564	14,86,06,74,971	5,94,55,29,540	6,42,39,78,943	10,05,15,07,052	7,56,03,40,564
भारतनेट की स्थापना से संबंधित कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं स्थापना प्रभार पर व्यय	81,93,48,420	25,65,88,784	58,21,31,372		49,38,05,832	81,93,48,420
निम्न के लिए क्रेडिट						
i. भारतनेट परियोजना के लिए संपत्ति सूची पर लगायी गई लिक्विडेटिड क्षति	(54,62,84,685)	(42,16,32,636)	(22,57,14,870)		(74,22,02,451)	(54,62,84,685)
कुल	**18,13,47,60,387**	**30,81,89,83,187**	**20,04,21,88,890**	**6,42,39,78,943**	**22,48,75,75,740**	**18,13,47,60,387**

i. बीबीएनएल द्वारा प्राप्त किए गए ऑप्टिकल फाइबर केबल और जीपीओएन उपकरण का मूल्य जिन्हें सीपीएसयू द्वारा परियोजना के लिए प्रेषणकर्ता के रूप में प्राप्त किया गया था, को खरीद की लागत पर सीडब्ल्यूआईपी के रूप में दर्शाया गया है। सीपीएसयू द्वारा खरीदी गई ओएफसी तथा अन्य मदें जैसे कि पीएलबी डक्ट और सीएसयू द्वारा ट्रेंचिंग और लेइंग के लिए कार्य आदेश हेतु भुगतान को सीडब्ल्यूआईपी में तीन सीपीएसयू द्वारा प्रस्तुत मासिक निधि उपयोग रिपोर्ट (परिशिष्ट–IV) के अनुसार अंतरित किया गया है।

ii. लिक्विडेटिड क्षति में निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) के नगदीकरण से प्राप्त 21,28,00,000 रुपए शामिल है और यह मामला अपीलीय प्राधिकरण के पास न्यायाधीन है।

iii. परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के लिए ली गई लागत का प्रतिशत वर्तमान प्रवृत्ति के आधार पर कैपेक्स का 3 प्रतिशत है और वेतन व्यय में भविष्य की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

iv. महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुसार बीबीएनएल द्वारा प्रापण की गई ऑप्टिकल फाइबर केबल तथा जीपीओएन उपकरण का मूल्य तथा निष्पादन एजेंसियों को आपूर्त उपकरणों का मूल्य सीडब्ल्यूआईपी के रूप में लिया गया है।

11. दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

(राशि रूपए में)

क्र.स.	विवरण	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
(क)	पूंजीगत अग्रिम (संदर्भ टिप्पणी 23)	53,03,39,90,370	29,72,21,89,854
(ख)	सुरक्षा जमा	14,10,34,168	9,65,01,535
	कुल (क)+(ख)	**53,17,50,24,537**	**29,81,86,91,389**

12. प्राप्ति योग्य ट्रेड

(राशि रूपए में)

क्र.स.	विवरण	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
क	भुगतान की देय तारीख से छः माह से अधिक हेतु बकाया		
i)	आरक्षित	-	-
ii)	अनारक्षित	-	47,19,816
iii)	शंकालु	-	-
	कुल	-	**47,19,816**
ख	**घटाः प्राप्ति योग्य शंकालू ट्रेड के लिए प्रावधान**	**-**	**-**
	कुल प्राप्त योग्य ट्रेड	**-**	**47,19,816**

प्राप्ति योग्य ट्रेड बीएसएनएल के माध्यम से सक्रिट/बैंडविथ प्रदान करने के लिए है।

13. नगद एवं बैंक बकाया

(राशि रूपए में)

क्र.स.	विवरण	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
1	**नगद और नगद समकक्ष**		
	हाथ रोकड़	-	-
	निदेशकों के पास	25,222	20,000
	कर्मचारियों के पास	1,41,155	1,87,454
	कर्मचारियों के लिए इम्प्रेस्ट खाता	1,66,377	2,07,454
	बैंक बकाया		
	चालू खाते में बकाया	4,94,47,027	22,90,12,182
	तीन माह से कम की परिपक्वता वाले टर्म डिपोजिट	-	3,91,83,00,000
	अचल जमा–अन्य	-	-
	कुल (क)	**4,96,13,404**	**4,14,75,19,636**
2	**अन्य बैंक बकाया**		
	तीन माह से कम की परिपक्वता वाले टर्म डिपोजिट	-	-
	तीन माह से अधिक और 12 माह से कम की परिपक्वता वाले टर्म डिपोजिट	28,56,96,11,699	15,46,37,53,461
	12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले टर्म डिपोजिट	6,90,000	6,50,000
	हाथ में चैक, ड्राफ्ट और पोस्टल ऑर्डर	-	-
	कुल (ख)	**28,57,03,01,699**	**15,46,44,03,461**
	कुल (क) + (ख)	**28,61,99,15,103**	**19,61,19,23,097**
	टिप्पणीः कंपनी द्वारा आरओडब्ल्यू, डीएमआरसी और डीओटी के लिए तथा लाइसेंस फीस के लिए दी गई बैंक गारंटियों के लिए राशि को मार्जन के रूप में रखा गया है	34,01,58,768	33,10,18,378

14. लघु अवधि ऋण और अग्रिम

(राशि रूपए में)

क्र.स.	विवरण	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
क.	**कर्मचारियों के लिए ऋण और अग्रिम – अनारक्षित, अच्छे माने गए**		
(i)	कर्मचारियों के लिए अग्रिम	59,72,990	52,41,370
(ii)	अस्थायी अग्रिम	52,572	9,309
कर्मचारियों को कुल ऋण और अग्रिम		**60,25,562**	**52,50,679**
ख.	**अन्य को अग्रिम – अनारक्षित, अच्छे माने गए**		
	सरकारी विभाग	-	3,17,55,885
	अग्रिम कर (वैट)	-	23,955
	पीएसयू	1,60,12,76,552	1,45,95,02,412
	बीएसएनएल को ऋण आधार पर जारी ऑप्टिकल फाइबर केबल	18,43,20,197	18,43,20,197
	श्रमिक किराये पर लेना	28,57,053	2,55,51,174
	वेंडर, ठेकेदार इत्यादि	1,59,296	1,71,918
अन्य को कुल अग्रिम		**1,78,86,13,098**	**1,70,13,25,540**
ग.	**प्रदत्त आय कर**		
	आयकर वापसी	11,28,81,251	8,91,17,242
	अग्रिम कर – टीडीएस	13,62,57,221	10,28,79,049
	घटाः आयकर के लिए प्रावधान	(1,31,74,200)	(7,91,15,040)
	प्रदत्त कुल आयकर	**23,59,64,272**	**11,28,81,251**
कुल– लघु अवधि ऋण और अग्रिम		**2,03,06,02,932**	**1,81,94,57,470**

15. अन्य चालू परिसंपत्तिया

(राशि रूपए में)

क्र.स.	विवरण	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
क	**एफडीआर पर अर्जिय ब्जाय**	**20,33,79,969**	**47,95,77,083**
ख	प्राप्ति योग्य कैनवैट क्रेडिट	12,89,57,94,185	9,52,25,02,218
ग	**अन्य**		
i)	सरकारी विभागों से प्राप्ति योग्य	1,99,94,390	1,90,90,740
ii)	पीएसयू से प्राप्ति योग्य	19,06,144	17,91,096
iii)	कर्मचारियों से प्राप्ति योग्य	-	-
iv)	अन्य से प्राप्ति योग्य	31,77,138	17,22,138
v)	पूर्व प्रदत्त व्यय	1,30,37,089	72,253
vi)	यूएसओएफ से प्राप्ति योग्य राशि*	4,05,04,36,842	1,00,41,81,893
कुल अन्य चालू संपत्ति		**17,18,77,25,757**	**11,02,89,37,421**

*304.62 करोड़ रूपए (वित्तीय वर्ष 2016–17 100.41 करोड़ रूपए) की राशि के देय आपरेटिंग व्यय (निवल औपेक्स) को अन्य आय के रूप में लिया गया है और संगत राशि यूएसओएफ से प्राप्ति योग्य है।

16. प्रचालन से राजस्व

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
बैंडविथ प्रभार	35,19,300	32,24,500
प्रचालन से कुल राजस्व	**35,19,300**	**32,24,500**

टिप्पणीः यह कंपनी द्वारा सीधे एकत्रित राशि को दर्शाता है। कंपनी ने अपने नेटवर्क के उपयोग के लिए बीएसएनएल के साथ राजस्व शेयरिंग करार (आरएसए) किया है। कंपनी का राजस्व हिस्सा (आरएसए के अनुसार निवल राजस्व का 20 प्रतिशत) वर्तमान में निर्धारणीय नहीं है चूंकि बीएसएनएल के बिलिंग सॉफ्टवेयर में समुचित कोड अभी सृजित नहीं किया गया है। इस राजस्व को निपटान/प्राप्ति के वर्ष में लिया जाएगा। 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार 8,288 एफटीटीएच कनेक्शन (बीएसएनएल द्वारा) और 3,766 वाई–फाई हॉटस्पॉट (बीएसएनएल/सीएससी द्वारा) भारतनेट में कार्यरत है।

17. अन्य आय

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
एफडीआर पर ब्याज	1,18,50,76,827	1,02,88,56,523
घटाः सीडब्लयूआईपी/इम्दाद में अंतरित यूएसओएफ निधियों से संबंधित	1,13,65,88,121	97,87,06,635
लाभ एवं हानि लेखे में लिया गया ब्याज	**4,84,88,706**	**5,01,49,888**
ब्याज–अन्य	-	-
अन्य – गैर–संचालन आय	17,28,583	57,29,762
औपेक्स के लिए यूएसओएफ से इमदाद	3,04,62,54,949	1,00,41,81,893
कुल अन्य आय	**3,09,64,72,238**	**1,06,00,61,543**

कंपनी ने 304,62,54,949 रूपए की अन्य आय (वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 100,41,81,893 रूपए) ली है। जो 19.07.2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित भारतनेट की संशोधित कार्यान्वयन नीति के अनुसार राजस्व से निवल समूचे आपरेटिंग व्यय (निवल औपेक्स) को दर्शाता है।

18. कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ	30,77,37,412	26,18,76,799
अवकाश वेतन अंशदान	2,23,99,045	2,04,89,888
पेंशन अंशदान	3,46,68,049	3,27,39,744
कर्मचारियों भविष्य निधि और ग्रेच्युटी में अंशदान	28,43,195	25,82,332
चिकित्सा लाभ	1,42,74,144	1,43,82,086
कर्मचारियों के लिए प्रदत्त पूर्व अपेक्षित कर	38,32,871	30,67,651
सकल कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	**38,57,54,716**	**33,51,38,500**
घटाः प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के लिए आबंटित कर्मचारी लाभ व्यय	25,62,76,033	28,86,51,746
लाभ एवं हानि विवरण में लिए गए निवल कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	**12,94,78,683**	**4,64,86,754**

i. (i) योजना शाखा (ii) जोनल अधिकारियों और (iii) परियोजना मॉनीटरिंग इकाई के कर्मचारियों से संबंधित पारिश्रमिक और लाभ पर व्यय तथा कारपोरेट कार्यालय की वित्त विंग को आनुपातिक व्यय सीडब्लयूआईपी को आबंटित किया गया है।

ii. निदेशक बोर्ड द्वारा संस्वीकृत कुल 36 ई9 तथा 81 ई7 पदों के लिए कंपनी विधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

iii. सभी कर्मचारी (कंपनी के 22 सीधे भर्ती कर्मचारी को छोड़कर) केंद्र सरकार/बीएसएनएल/एमटीएनएल से प्रतिनियुक्ति पर हैं और उनका पारिश्रमिक विदेश सेवा प्रतिनियुक्ति नियमों द्वारा दिशा–निर्देशित होता है।

iv. कंपनी को अभी सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया है। कंपनी ने उसे अनुसूची "क" कंपनी के रूप में वर्गीकृत करवाने के लिए मामला अपने प्रशासनिक मंत्रालय के साथ उठाया है। तथापि, कंपनी बोर्ड स्तर पर तथा बोर्ड स्तर से नीचे अपने कर्मचारियों को अनुसूची "क" कंपनी की सुविधाएं प्रदान कर रही है।

19. वित्तीय लागत

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए
बैंक प्रभार	40,35,634	43,03,272
बैंक द्वारा ब्याज	-	-
सांविधिक देनदारी पर ब्याज – अन्य	1,91,68,084	3,894
घटाः बीएसएनएल से प्राप्त*	1,91,43,938	-
	24,146	3,894
अन्य वित्तीय प्रभार	-	-
कुल वित्तीय लागत	**40,59,780**	**43,07,166**

*निष्पादन एजेंसी द्वारा सेवा कर के विलंब से भुगतान पर ब्याज

20. प्रशासनिक, संचालन और अन्य व्यय

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए
विद्युत	40,96,811	49,00,150
किराया	14,30,64,450	13,73,86,920
और रखरखाव*	2,47,29,95,375	61,56,87,927
मरम्मत और अनुरक्षण – अन्य	2,61,53,354	2,38,56,130
दर तथा कर	2,35,769	80,926
विज्ञापन व्यय	49,39,303	21,80,920
लेखापरीक्षकों को भुगतान – लेखापरीक्षा शुल्क	5,00,000	4,62,500
अन्य मामले	20,000	16,000
व्यावसायिक तथा परामर्श प्रभार	6,13,83,341	4,42,80,571
सेवाओं पर व्यय तथा अन्य व्यय	33,85,168	61,05,594
सामान्य व्यय	60,02,741	39,82,198
यात्रा एवं परिवहन	1,64,85,153	1,02,64,045
मुद्रण तथा स्टेशनरी	27,30,441	23,24,221
एजीआर आधारित लाइसेंस फीस	52,81,880	1,24,35,547
संचार व्यय	42,08,807	38,26,317
पुस्तकें और आवधिक पत्रिकाएं	12,022	10,715
सुरक्षा सेवा	23,57,951	16,49,380
प्रशिक्षण व्यय	2,25,684	6,26,243
श्रमिकों को किराये पर लेना	9,58,49,509	3,60,20,343
वाहन किराए पर लेने संबंधी व्यय	5,35,36,328	2,93,42,608
सॉफ्टवेयर के लिए होस्टिंग प्रभार	1,33,056	-
छोड़ी गई चालू संपत्ति (सेवा प्रदाता को छोड़कर)	-	1,29,576
अन्य हानि	-	1,04,160
सकल प्रशासनिक, आपरेटिव और अन्य व्यय	**2,90,35,97,143**	**93,56,72,991**

प्रशासनिक, संचालन और अन्य व्यय

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए
घटाः प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में आबंटित प्रशासनिक, संचालन और अन्य व्यय	-	21,27,00,437
लाभ एवं हानि विवरण में ले जाये गए निवल प्रशासनिक, संचालन तथा अन्य व्यय	**2,90,35,97,143**	**72,29,72,554**

*कंपनी ने बीएसएनएल को दिए गए अग्रिम के लिए इन्क्रीमेंटल फाइबर के रखरखाव हेतु संचालन एवं रखरखाव व्यय के रूप में समायोजित किया है। बीएसएनएल द्वारा जारी बिल संबंधित पीएसयू में प्रक्रियाधीन है।

21. पूर्व अवधि मदें

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए
आय (क)		
निविदा दस्तावेजों की बिक्री	-	-
कुल (क)	**-**	**-**
व्यय (ख)		
कर्मचारी लाभ (ख1)		
वेतन एवं भत्ते	-	47,400
क्वार्टरों के लिए किराया	-	-
कर्मचारी लाभ	-	-
पूर्व अपेक्षित पर कर	-	-
कर्मचारी लाभ – अन्य	3,63,274	-
ख1 का योग	**3,63,274**	**47,400**
प्रशासनिक, संचालन और अन्य व्यय (ख2)		
संचार व्यय	1,70,570	65,650
सेवाओं पर व्यय	-	-
सामान्य व्यय	2,00,003	38,700
ऊर्जा तथा ईंधन	970	1,63,369
व्यावसायिक और परामर्षी प्रभार	(39,754)	1,01,836
एनएलडी सेवा के लिए लाइसेंस फीस (पीपी)	(74,63,312)	-
किराया और कर	24,565	488
किराया	45,45,779	34,38,706
मरम्मत और अनुरक्षण – भवन	11,27,100	37,239
मरम्मत और अनुरक्षण – अन्य	97,903	22,178
यात्रा और परिवहन	(10,178)	15,605
मुद्रण एवं स्टेशनरी	185	6,952
श्रमिकों को किराये पर लेना	2,14,35,022	2,07,05,410
वाहन किराये पर लेना संबंधी व्यय	3,229	96,547
पुस्तकें और पत्रिकाएं	3,329	1,524
सॉफ्टवेयर के लिए होस्टिंग प्रभार	3,10,872	-
टेंजिबल संपत्ति का अवमूल्यन	-	-

पूर्व अवधि मदें

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए
इंटेंजिबल संपत्ति का परिशोधन	-	-
ख2 का योग	**2,04,06,283**	**2,46,94,204**
पूर्व अवधि मदों का योग (क)–(ख1)–(ख2)	**(2,07,69,557)**	**(2,47,41,604)**
ग1 घटाः पूर्व अवधि कर्मचारी लाभ व्यय प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में आबंटित	3,12,751	40,825
ग2 घटाः पूर्व अवधि प्रशासनिक, संचालन तथा अन्य व्यय मदें प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में आबंटित	-	2,12,68,894
लाभ एवं हानि विवरण में ले जाये गये निवल पूर्व अवधि मदें (निवल) – (ख2+ग1+ग2)	**(2,04,56,806)**	**(34,31,885)**

22. प्राप्त पूंजीगत इम्दाद

(राशि रूपए में)

वर्ष	ओपनिंग	प्राप्त अनुदान	बेशी निधियों पर ब्याज	कुल	उपयोग	शेष
2012-13	-	405.00	-	405.00	-	405.00
2013-14	405.00	514.00	-	919.00	-	919.00
2014-15	919.00	1,351.85	-	2,270.85	-	2,270.85
2015-16	2,270.85	2,415.11	-	4,685.96	-	4,685.96
2016-17	4,685.96	5,600.00	202.45	10,488.41	2,733.31	7,755.10
2017-18	7,755.10	6,000.07	113.66	13,868.82	1,985.22	11,883.60
कुल		**16,286.03**	**316.11**		**4,718.53**	

23. पूंजीगत अग्रिम

23.1 भारतनेट के लिए अग्रिम का विवरण (संदर्भ टिप्पणी संख्या 11(क))

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
i) भारतनेट के लिए बीएसएनएल (संदर्भ टिप्पणी 23.2)	14,92,44,91,856	24,31,32,97,019
ii) भारतनेट के लिए पीजीसीआईएल (संदर्भ टिप्पणी 23.2)	1,67,66,94,254	1,86,62,55,673
iii) भारतनेट के लिए रेलटेल (संदर्भ सहित 23.2)	55,07,06,908	1,95,50,56,937
iv) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी–डॉट)'	28,25,17,717	13,64,31,768
v) नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेंटर (एनआईसी) फॉर जीआईएस ''	17,45,88,893	17,45,88,893
vi) कार्यालय और आवासीय स्थान तथा एनएमएस के लिए शहरी विकास मंत्रालय/एनबीसीसी	1,10,57,74,729	1,12,34,58,105
vii) भारतनेट चरण–2 के लिए राज्य एजेंसियां	9,03,97,76,013	15,31,01,460
viii) वाई–फाई हॉटस्पॉट के लिए सीएससी (व्यवहार्यता अंतर निधियन)	2,25,94,40,000	-
ix) भारतनेट चरण–2 के लिए बीएसएनएल	23,02,00,00,000	-
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम का योग (क)+(ख)	**53,03,39,90,370**	**29,72,21,89,855**

*इसमें सर्वेक्षण रिपोर्ट विश्लेषण तथा जीपीओएन योजना उपकरण के लिए दूरसंचार जीओ सतर्कता हल के कार्यान्वयन हेतु किए गए अग्रिम भुगतान शामिल है।
**एनआईसी को जीआईएस परियोजना के लिए भुगतान हेतु जारी किया गया। परियोजना 31.03.2018 को 62.5 प्रतिशत पूरी हो गई है। कार्य के पूर्ण अंश को सफल एटी के पश्चात् पूंजीकृत किया जाएगा।

23.2 सीपीएसयू को चरण–1 के लिए दिए गए अग्रिम का पुनर्मिलान

(राशि रुपए में)

विवरण	बीएसएनएल	पीजीसीआईएल	रेलटेल
31.03.2017 तक प्रदत्त कुल अग्रिम	64,13,59,87,935	6,53,64,50,757	6,14,46,99,821
31.03.2017 तक सीडब्ल्यूआईपी को अंतरित	39,82,26,90,916	4,67,01,95,084	4,18,96,42,884
31.03.2017 के अनुसार बकाया	24,31,32,97,019	1,86,62,55,673	1,95,50,56,937
वर्ष 2017–18 के दौरान दिए गए अग्रिम	21,10,29,22,958	4,34,07,36,389	2,89,26,69,099
2017–18 के दौरान सीडब्ल्यूआईपी को अंतरित	30,49,17,28,121	4,53,02,97,808	4,29,70,19,128
31.03.2018 के अनुसार अग्रिम का बकाया	14,92,44,91,856	1,67,66,94,254	55,07,06,908

24. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी ने केंद्रीय भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में अंशदान के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत यथापेक्षित वर्ष के दौरान 15,00,000 रुपए की राशि व्यय की है।

25. संबंधित पक्ष प्रकटन

क) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

पदनाम	नाम	कार्यग्रहण की अवधि प्रभावी
सीएमडी	श्री संजय कुमार सिंह'	18.03.2016 से
निदेशक (एफ)	श्री मनोज आनंद	29.07.2016 से
निदेशक (ओ)/(पी)	श्री बी.के. मित्तल	29.07.2015 से 31.10.2017 तक
निदेशक (ओ)	श्री एन.के. जोशी	15.11.2017 से
निदेशक (पी)	श्री एन.के. सक्सेना	15.11.2017 से
सरकारी निदेशक	श्री महमूद अहमद	16.12.2016 से
सरकारी निदेशक	श्री शशि रंजन कुमार	06.11.2015 से 31.01.2018 तक
सरकारी निदेशक	श्री अमित यादव	01.02.2018 से

*प्रशासक–यूएसओएफ, दूरसंचार विभाग का पद भी धारित करते हैं। यूएसओएफ से प्राप्त अनुदान/इमदाद उपरोक्त टिप्पणी 23 के अनुसार है।

26. प्रबंधन का पारिश्रमिक

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए
वेतन तथा भत्ते*	62,44,205	38,62,999
पूर्व अपेक्षित*	4,59,198	2,32,793
ईपीएफ अंशदान*	15,20,000	-
सीटिंग फीस	-	-
कुल प्रबंधन पारिश्रमिक	**82,23,403**	**40,95,792**

*प्रबंधकीय पारिश्रमिक कंपनी के निदेशक (योजना) और निदेशक (वित्त), बीबीएनएल से संबंधित है।

27. आकस्मिक देनदारी और वचनबद्धता

27.1 आकस्मिक देनदारी

i. दावे जिन्हें डेब्ट के रूप में नहीं लिया गया है, निम्नानुसार हैं:

(राशि रूपए में)

विवरण	31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार	
	मामलों की संख्या	राशि रुपए में	मामलों की संख्या	राशि रुपए में
किदवई नगर में प्रस्तावित परिसर में लीज स्थान निर्माण के लिए एनबीसीसी/एमओयूडी को प्रदत्त निर्माण संबद्ध तीन किश्तों पर सेवाकर	1	4,96,00,000	1	4,96,00,000
ऑप्टिकल फाइबर केबल के वर्गीकरण हेतु विविध उत्पाद कर दावे	12	5,54,00,000	12	5,54,00,000
उन मामलों जिनमें निर्णय के विरूद्ध कंपनी अपील की प्रक्रिया में है, सहित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा चूक/ आपूर्तिकर्ताओं के दावों के संबंध में विवाचन के मामले	5	5,97,84,80,901	2	5,75,63,52,092

(ii) कंपनी द्वारा दी गई बैंक गारंटियां

(राशि रूपए में)

मद	31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार	
	नगद मार्जिन के साथ	नगद मार्जिन के बगैर	नगद मार्जिन के साथ	नगद मार्जिन के बगैर
मामलों की संख्या	104	-	147	-
राशि	34,01,58,768	-	33,10,18,378	-

27.2 वचनबद्धता

पूंजीगत वचनबद्धता:

(राशि रूपए में)

क्र. सं.	विवरण	परियोजना का पीओ मूल्य/लागत	प्राप्त आपूर्ति/ किए गए कार्य का मूल्य	बकाया वचनबद्धता
1.	आप्टिकल फाइबर केबल आपूर्ति	15,58,97,60,847	12,83,72,91,022	2,75,24,69,825
2.	जीपीओएन उपकरण	6,01,23,42,887	3,83,66,10,253	2,17,57,32,634
3.	जीआईएएस	38,48,00,000	19,32,00,000	19,16,00,000
4.	भवन स्थान के लिए	1,30,47,96,156	96,22,81,128	34,25,15,028
5.	भारतनेट चरण–2	92,63,11,46,000	11,03,59,96,200	81,59,51,49,800

28. लीज

कंपनी ने लीज पर विभिन्न परिसर और वाहन लिए हैं

(राशि रूपए में)

विवरण	एक वर्ष से कम के लिए	एक वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम के लिए	5 वर्ष से अधिक के लिए
स्थान हेतु	110,640,892	18,011,925	16,998,399
वाहन हेतु	16,497,996	18,923,892	-

वित्तीय लीज: कंपनी में 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कोई महत्वपूर्ण वित्तीय लीज नहीं है।

29. विदेशी मुद्रा पर व्यय

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा	3,50,835	1,45,516
अन्य	1,29,375	4,49,394
कुल	**4,80,210**	**5,94,910**

30. प्रति शेयर अर्जन

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए
क. कर पश्चात् लाभ (लाभ और हानि विवरण का संदर्भ)	2,77,24,926	22,84,80,486
ख. घटाः कर सहित वरीयता लाभांश	-	-
ग. न्यू मेटर के लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध बकाया (क–ख)	2,77,24,926	22,84,80,486
घ. मूल और डायलूटिड ईपीएस की गणना के लिए डिनोमीनेटर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	6,00,00,003	6,00,00,003
ङ. शेयरों का फेस मूल्य	10	10
च. प्रति शेयर बेसिक और डायलूटिड अर्जन (सी/डी)	0.46	3.81
छ. इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	6,00,00,003.00	6,00,00,003.00
ज. इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ और हानि विवरण के अनुसार निवल लाभ (च'छ)	2,77,24,926	22,84,80,486
बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या का पुनर्मिलान		
बेसिक ईपीएस की गणना के लिए डिनोमीनेटर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	6,00,00,003.00	6,00,00,003.00
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयर	शून्य	शून्य
ईपीएस की गणना के लिए डिनोमीनेटर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	6,00,00,003.00	6,00,00,003.00

31. निदेशक मंडल के विचार से चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम का कंपनी के कार्य में सामान्य रूप से वसूली पर मूल्य है जो वह न्यूनतम राशि है जिसका उन्होंने तुलनपत्र में उल्लेख किया है।

32. वेंडरों से प्राप्ति योग्य/को/से देय राशि पुष्टि के अधीन है।

33. जहां भी आवश्यक हो पिछले वर्ष के आंकड़ों को उन्हें समूहित अथवा पुनः प्रबंधित किया गया है।

संलग्न सम तिथि की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते रावला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएम001661एन

राजा राम गुप्ता
पार्टनर
एम सं. 081279

कृते तथा की ओर से **भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड**

संजय सिह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07484614

मनोज आनन्द
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 07583289

अविनाश चंद्र उपाध्याय
कंपनी सचिव एवं विधि प्रमुख
एम.सं. एफ : 4324

दिनांकः 09 अगस्त, 2018
स्थानः नई दिल्ली

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड

नगद प्रवाह विवरण (राशि रूपए मे)

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए नगद प्रवाह	वर्ष 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	वर्ष 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
ऑपरेटिंग गतिविधियों से नगद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	4,08,99,126	28,10,86,442
निवल नगद प्रवाह में कर पूर्व लाभ के मिलान का समायोजन		
अवमूल्यन तथा परिशोधन व्यय	-	50,01,242
गैर–वसूल विदेशी मुद्रा (लाभ)/घाटा (निवल)	-	-
शंकालू व्यापार व्यय हेतु प्रावधान	-	-
ब्याज आय	(4,84,88,706)	(5,01,49,888)
अन्य गैर–ऑपरेटिंग आय	(3,04,44,25,495)	(1,00,99,11,655)
ब्याज व्यय	24,146	3,894
बेशी प्रावधान जिनकी आवश्यकता नहीं है तो छोड़े गए हैं	-	
कार्यकारी पूंजीगत प्रभारों से पूर्व लाभ	**(3,05,19,90,929)**	**(77,39,69,965)**
कार्यकारी पूंजी में संचलन		
प्राप्ति योग्य व्यापार में (वृद्धि)/कमी	47,19,816	92,88,474
लघु अवधि ऋण तथा अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(39,54,65,658)	(1,29,77,46,249)
अन्य चालू संपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(6,15,81,15,412)	(9,18,97,86,466)
संपत्ति–सूची में (वृद्धि)/कमी	-	-
देय ट्रेड में (वृद्धि)/कमी	1,11,68,39,776	6,78,49,976
अन्य देनदारियों तथा प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	1,78,94,76,351	1,32,46,15,404
प्रचालन से/में (प्रयुक्त) अर्जित रोकड़	**(3,64,25,45,128)**	**(9,08,57,78,861)**
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (वापसी से निवल)	(1,31,74,200)	(7,91,15,040)
ऑपरेटिंग गतिविधियों में निवल नगद प्रवाह/(प्रयुक्त)	**(6,70,77,10,257)**	**(9,93,88,63,866)**
निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह		
पूंजीगत प्रगतिरत कार्य सहित अचल संपत्तियों की खरीद	(4,35,29,28,001)	3,23,86,37,246
अचल परिसंपत्तियों के लिए प्रयुक्त अनुदान	(19,85,22,46,840)	(26,37,33,40,499)
दीर्घावधि अग्रिम	**(23,17,20,12,952)**	**(10,10,23,31,909)**
बैंक जमा मैच्युरिटी (तीन माह से अधिक की मूल मैच्युरिटी)	(13,10,58,98,238)	(11,59,91,02,466)
सहायक कंपनियों के शेयरों में निवेश	-	-
अन्य प्रचालन से आय	3,04,44,25,495	1,00,99,11,655

(राशि रूपए में)

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए नगद प्रवाह	वर्ष 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	वर्ष 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
अचल संपत्तियों की बिक्री से अर्जन	-	-
प्राप्त ब्याज आय	4,84,88,706	5,01,49,888
निवेश गतिविधियों में निवल नगद प्रवाह (प्रयुक्त)(ख)	**(57,39,01,71,830)**	**(43,77,60,76,085)**
वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह		
एनओएफएन के लिए यूएसओएफ से प्राप्त अनुदान	60,00,00,00,000	56,00,00,00,000
प्रदत्त ब्याज	(24,146)	(3,894)
इक्विटी शेयर पर प्रदत्त लाभांश (कारपोरेट लाभांश सहित)	-	-
वित्तीय गतिविधियों में निवल नगद प्रवाह/(प्रयुक्त) (ग)	**59,99,99,75,854**	**55,99,99,96,106**
नगद तथा समकक्ष में निवल वृद्धि/कमी (क+ख+ग)	**(4,09,79,06,232)**	**2,28,50,56,155**
वर्ष के आरंभ में नगद तथा नगद समकक्ष	4,14,75,19,636	1,86,24,63,481
विदेशी मुद्रा में नगद तथा नगद समकक्ष पर विनिमय दर के अंतर का प्रभाव		
वर्ष के अंत में नगद तथा समकक्ष	**4,96,13,404**	**4,14,75,19,636**

संलग्न सम तिथि की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते रावला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएम001661एन

राजा राम गुप्ता
पार्टनर
एम सं. 081279

दिनांकः 09 अगस्त, 2018
स्थानः नई दिल्ली

कृते तथा की ओर से **भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड**

संजय सिह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07484614

मनोज आनन्द
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 07583289

अविनाश चंद्र उपाध्याय
कंपनी सचिव एवं विधि प्रमुख
एम.सं. एफ : 4324

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
1.	**योग्यता का आधार** जीएसटी का कार्यान्वयन 01.07.2017 से किया गया है और कंपनी ने प्रत्येक पीएमयू के लिए लेखों की पृथक पुस्तकें नहीं रखी है। जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों का अन्य गैर–अनुपालन भी हुआ है अर्थात् ब्लॉक की गई मदों पर इनपुट के गलत दावे, लिक्वीडेटेड क्षति पर जीएसटी का गैर–भुगतान अथवा टेलीकॉम सर्विस प्रदाता इत्यादि से समय से प्राप्त अग्रिम जिसकी ब्याज की सृजित देनदारी है और अधिक इनपुट कर क्रेडिट। इसके प्रभाव को कंपनी द्वारा सभी गैर–अनुपालन के पूर्ण विवरण की अनुपलब्धता के कारण निर्धारित नहीं किया गया है।	2017–18 दिनांक 01.07.2017 से जीएसटी के कार्यान्वयन का प्रथम वर्ष रहा है। कंपनी ने 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जीएसटी पंजीकरण लिया है। इसने देय तिथियों के भीतर जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सभी रिटर्न दायर की हैं। ये जीएसटी रिटर्न मुख्यतः चरण–1 की तीन कार्यान्वयन सीपीएसयू जिन्होंने बीबीएनएल की ओर से और उसके नाम से कार्य किया था, से प्राप्त सूचना और आंकड़ों के आधार पर दायर की गई है। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा इंगित की गई विशिष्ट मदों के संबंध में कंपनी ने प्रख्यात कर परामर्शदाता फर्म की सेवाएं सूचीबद्ध की है और वे तदनुसार कार्यवाही करेगी। कंपनी प्रत्येक राज्य में अपने वित्तीय कर्मचारियों की संख्या को मजबूत बनाने तथा सांविधिक अनुपालनों को सुनिश्चित करने के लिए यथाशीघ्र ईआरपी हल का कार्यान्वयन करने की भी इच्छुक है।
2.	**अन्य विधि एवं विनियामक आवश्यकताओं से संबंधित रिपोर्ट** 3 (च) कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सक्षमता के संबंध में और ऐसे नियंत्रणों की आपरेटिंग प्रभाविता के संबंध में हमें दी गई सूचना और व्याख्या के अनुसार कंपनी ने भारत के सनदी लेखाकार संस्थांन द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तींय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी दिशा–निर्देशी टिप्पणी के संबंध में कथित आंतरित नियत्रण के आवश्यीकत घटकों पर विचार करते हुए अथवा उन पर आधारित मानदंडों पर वित्तीय रिपोर्टिंग में अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना अभी तक नहीं की है। इस कारण से हम हमारे इस मत का आधार प्रदान करने के लिए समुचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में अक्षम रहें कि क्या कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और 31 मार्च, 2018 के अनुसार ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे। हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा के निर्धारण में उपरोक्त सूचित डिस्क्लेमर पर विचार किया है और यह डिस्क्लेमर कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को प्रभावित नहीं करता है।	बीबीएनएल में लेखन एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की सरकारी प्रणाली की पद्धति के आधार पर आंतरिक जांच की प्रणाली मौजूद है। अधिकांश भुगतान और लेखन कारपोरेट कार्यालय में किए जाते हैं। कार्यालय की वर्तमान संख्या को देखते हुए मौजूदा प्रणाली को सक्षम माना गया है। कंपनी प्रत्येक राज्य में अपने वित्तीय कर्मचारियों की संख्या को मजबूत बनाने तथा सांविधिक अनुपालनों को सुनिश्चित करने के लिए यथाशीघ्र ईआरपी हल का कार्यान्वयन करने की भी इच्छुक है।

सत्यमेव जयते

कार्यालय

महानिदेशक लेखापरीक्षा (डाक व दूरसंचार)

शाम नाथ मार्ग, (समीप पुराना सचिवालय), दिल्ली–110 054

Office of the

Director General of Audit (Post & Telecommunications)

Sham Nath marg, (Near Old Secretariat), Delhi 110 054

सं. आरईपी–पीएसयू लेखा/एफ–173/बीबीएनल/2017–18/45

दिनांक 25/09/2018

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
सी–डॉट कैंपस, मांडी गांव रोड,
मेहरौली, नई दिल्ली–110030

विषयः भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के 31 मार्च, 2018 को समाप्त खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शून्य टिप्पणियां

महोदय,

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी.बी.एन.एल.) के 31 मार्च, 2018 को समाप्त खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत 'शून्य टिप्पणियां' प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ है।

कृपया पावती भेजें

भवदीय,

संलग्नकः उपरोक्त अनुसार

(राजेश रंजन)
निदेशक (एएमजी–1)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग अवसंरचना के अनुसरण में 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा से संबंधित मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों के संबंध में विचार व्यक्त करना है। ऐसा उनके द्वारा 9 अगस्त, 2018 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा किये जाने का उल्लेख किया गया है।

मैने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों तक पहुंच के बगैर स्वपतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रश्नों और कंपनी के कार्मिकों तथा कुछ लेखन रिकॉर्डों की चयनित जांच तक सीमित हैं। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी संज्ञान में ऐसा महत्वपूर्ण कुछ तथ्य नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट पर अथवा अनुपूरक प्रश्न उठा सकता हो।

कृते तथा की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

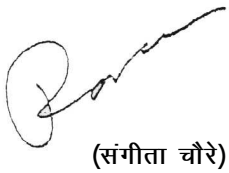

(संगीता चौरे)
लेखापरीक्षा महानिदेशक
डाक एवं दूरसंचार

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 25.09.2018

Chairperson's Speech

Dear Shareholders,

I am pleased to welcome you to the 6th Annual General Meeting of Bharat Broadband Network Limited.

The Annual Report for the financial year ended 31st March, 2018 along with Board's Report, Audited Financial Statements and Auditor's report are already with you and with your permission I assume them to be taken as read.

1 Progress:-

The Bharat Broadband Network Limited (BBNL) was incorporated on 25/02/2012 as an SPV with the aim to carry out the business of establishment, management, and operation of BharatNet to provide high speed broadband connectivity to all Gram Panchayats (GPs).

In July 2017 the Cabinet approved a modified implementation strategy for BharatNet, which includes:

Phase-II:

i. The implementation through States, Private Sector and CPSUs.

ii. Optimal mix of media (OFC, Radio and satellite) to connect GPs.

iii. Incremental fiber from Block to GP.

iv. Dark fibres availability at GP level.

v. Operation and maintenance of the network for the lifetime of the project through the implementing agency.

Thus, the total cost of the BharatNet, now stands revised to Rs. 42,068 crore (exclusive of GST, Octroi and local taxes).

A. Status of Phase-I:

It gives me immense pleasure to inform that during the last financial year the Phase-I has been completed in December 2017, with over 1,00,000 GPs being made Service Ready.

B. Utilization of the BharatNet

BharatNet is the aggregation or middle layer of the communication network. The Last Mile Connectivity is to be provided by the Service Providers and the States. Along with the implementation of the project, BBNL is emphasising the utilisation of the network as well. The utilisation of the network is through the following modalities:

i. Connecting the Gram Panchayats (GP) and Government Institutions by FTTH. This is being done by providing the free broadband connection to all GPs for one year, i.e. till the point the States take the connection. Commercial connections are being provided by BSNL as well.

ii. Wi-Fi network is being setup for all the GPs in the country through CSC and through agencies selected through tendering process. This agency would be responsible for maintenance of BharatNet OFC, upkeep of equipment at GP level, setting up of 5 wi-fi Access Points (AP) at GP level, 3 of these APs to be setup at Government Institutions, such as Police Stations, Post Offices, schools, health centers etc., as well as marketing of network. This model was formulated after assessing the issues being faced in maintenance, operation and marketing of the BharatNet and to address the such issues.

iii. BharatNet bandwidth/ dark fiber is also being taken by the Telecom Service Providers (TSP), Internet Service Providers and others.

C. Status of Phase-II :

After the completion of Phase-I, the implementation of the Phase II of the project. According to the three models of implementation approved by the Cabinet; State Model, CPSU model and Private Sector model approved by the Cabinet the implementation of the project has been initiated. Moreover under the phase II model, OFC is to be laid from Block to GP, as well as the lifetime maintenance of the network is also to be done by the implementing agency. Moreover, the project implementation in phase II has been undertaken through EPC mode. The progress is as follows:

- **State Led Model:** 8 States namely Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Odisha and Telangana are implementing the project under State-led model, as approved by the Cabinet in 2017. Quadripartite MoUs have been entered into between the States, the USOF and State Implementing Agency (SIA) of the States. These States have initiated the implementation process and mobilization advance of Rs. 877.57 crore has also been provided to them. All States except Tamil Nadu have floated the RFP.
- **Private Sector Led Model:** The implementation in Bihar and Punjab in Phase II has been undertaken under Private Sector model, there BBNL

directly floated the tender and has selected the implementing agency and the project is under implementation.

- **CPSU Led Model:** PGCIL has been assigned the implementation work in two States and BSNL in 8 States. PGCIL is for Himachal Pradesh and Uttarakhand and BSNL for Assam, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal and Sikkim
- **Satellite Connectivity:** 6407 GPs, located in remote and hilly locations of north east, J&K, HP and Uttarakhand are being connected on Satellite. These are areas where provision of OFC connectivity has been difficult and the initial DOT projects to lay OFC have been delayed and not being completed for a very long time. Moreover, in these areas the backhaul is also not upto the requisite quality, either on account of OFC backhaul not being there or lossy in nature due to OFC being old or due to maintenance issues. The implementation of this part of the project is underway.
- **Last Mile Connectivity:** Telecom Commission on 11.07.2018 has approved a Last Mile connectivity model through Wi-Fi or another suitable technology. At each GP, 5 Access Points (APs) are being set up, and out of these 3 APs are to be installed at Government institutions and 2 APs at public places including one at the GP location. Telecom Commission has also approved provision of 25000 and 3243 wifi hotspots in UP and HP respectively through CSC-SPV. Further, CSC-SPV has been assigned the implementation of Wi-Fi at 1178 GPs of Tripura and 3407 GPs of Karnataka through the respective state governments. The work of last mile connectivity through wifi in 10000 GPs in Rajasthan is being setup by the state government.

2. FINANCIAL PERFORMANCE

During the period under review, the Company has recorded a total revenue of Rs. 3,09,99,91,538 (which includes Rs.3,09,64,72,238 i.e. Other income primarily on account of claim for operational expenses on USOF) and profit after tax to the tune of Rs. 2,77,24,926. In the previous F.Y. 2016-17 the Company had a profit after tax of Rs.22,84,80,486.

3. DIVIDEND

During the period under review, the Company has proposed dividend at the rate of Rs. 0.14 per fully paid up equity share for the financial year which is subject to approval of Shareholders in the ensuing Annual General Meeting.

4. HUMAN RESOURCES

For achieving the challenging targets set by Government for the company, talent and human resource plays an active role. To meet its staffing requirements, BBNL has been leveraging on the senior management from DOT, USOF, BSNL and MTNL on deputation basis. BBNL has also made efforts for recruiting young graduate engineers and finance professionals regularly. Apart from hiring retired officers of government /PSUs, to fill up its short-term vacancies, BBNL has also engaged 4 senior consultants (retired HAG and above officers of DOT) for speeding up its BharatNet Project in state-led models. In order to fill up the vacant positions in north east states, a special drive from retired army officers and PSU employees up to 58 years of age was initiated and based on that retired army personnel are now placed at Guwahati & Agartala.

5. CORPORATE GOVERNANCE

Your company is fully complied with corporate governance norms up to maximum level, as stipulated in guidelines on corporate governance for Central Public Sector Enterprises (CPSE) issued by Department of Public Enterprises, Govt. of India.

6. ACKNOWLEDGEMENT

On behalf the Board of Directors I wish to convey my deep gratitude to Government of India, being the majority shareholder and all other valued shareholders for the continued support and trust. I also would like to appreciate the support and regular guidance received from Ministry of Communication, Department of Telecommunications and Universal Service Obligation Fund.

Further, I would like to thank the Ministry of Finance, Ministry of Electronics and Information Technology, various Ministries of the Government of India, State Governments, Department of Public Enterprises and other stakeholders, for the confidence and trust reposed in the Company.

I also place on record my sincere appreciation and thanks to the Board Members, C&AG, Other Auditors and Bankers for the co-operation and support that has been demonstrated by them during the year.

Thank you very much.

Sanjay Singh
Chairman-Cum-Managing Director
Bharat Broadband Network Limited
DIN-07484614

Date: 27.09.2018
Place: New Delhi

CIN : U64100DL2012GOI232070

Notice to the Members

Notice is hereby given for the Sixth (6th) Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday, 27th September, 2018 at 11:30 hrs. at Commission Room, 2nd Floor, Sanchar Bhavan, 20 Ashoka Road, New Delhi-110001 to transact the following businesses:-

ORDINARY BUSINESS:

ITEM NO. 1 - ADOPTION OF ACCOUNTS

To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements comprising of Balance Sheet of the Company as at March 31, 2018 and the Statement of Profit & Loss for the period ended on March 31, 2018 and Auditors Reports thereon and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, in terms of Section 143(6) of the Companies Act, 2013 together with the Reports of the Directors and its annexures.

ITEM NO. 2 - DECLARATION OF DIVIDEND

To consider and if thought fit, to pass with or without modification the following resolution as ordinary resolution:-

"**RESOLVED THAT** a final dividend of ₹ 0.14/- per share on fully paid up equity shares as recommended by the Board of Directors of the Company for the year ended March 31, 2018 be and is hereby declared for the financial year 2017-18 to the eligible members/shareholders of the Company."

ITEM NO. 3

To ratify the remuneration of Statutory Auditors for the financial year 2017-18 and to authorise Board of Directors of the Company to fix remuneration of the Statutory Auditors of the Company for the financial year 2018-19 in terms of the provisions of Section 139(5) read with Section 142 of the Companies Act, 2013.

SPECIAL BUSINESS:

ITEM NO. 4

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), if any, the following resolution as an **ORDINARY RESOLUTION:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 149, 152 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 as amended by Companies (Amendment) Act 2017 and the rules made thereunder and provisions of any other guidelines issued by relevant authorities (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Shri R.K.Singh (DIN - 08178499), who was appointed by the Board of Directors as an Additional Director to function as Director (Operation) - Whole Time Director of the Company with effect from 5th July, 2018 and who holds office upto the date of this Annual General Meeting in terms of Section 161(1) of Companies Act, 2013, be and is hereby appointed as a Director (Operation) - Whole time Director of the Company w.e.f 5th July, 2018.

By order of the Board
For Bharat Broadband Network Limited

A.C.Upadhyay
CS & Head Legal
FCS-4324

Date: 25.09.2018
Place: New Delhi

To,

1. All the Members of BBNL
2. Statutory Auditor
3. Secretarial Auditor
4. All Directors of BBNL

Enclosures:-

1. **Board's Report including Management Discussion and Analysis and Corporate Governance Report**
2. **Financial Statements & Annexure to Directors' Report-Addendum to Directors' Report for the Financial Year 2017-18, Comments of Auditors and Management Replies thereto**
3. **Annexure to Board's Report – Comments of C&AG**

NOTES:

1. **A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY. THE PROXY FORM DULY COMPLETED MUST BE DEPOSITED AT THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY NOT LESS THAN FORTY-EIGHT HOURS (48 HRS.) BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING. BLANK PROXY FORM IS ATTACHED. MEETING WILL BE HELD IN PHYSICALLY.**
2. Corporate members intending to send their authorized representative are requested to send a duly certified true copy of the Board Resolution / Authority Letter authorizing their representative to attend and vote on their behalf at the Annual General Meeting, along with Proxy Form / Attendance Slip.
3. Relevant Explanatory Statement pursuant to Section 102(2) of the Companies Act, 2013, in respect of Special Business, as set out above is annexed hereto.
4. The dividend @ ₹ 0.14/- per equity share, as recommended by the Board of Directors in its Meeting held on August 9, 2018, subject to the provisions of Section 123 of the Companies Act, 2013, if approved, by the Members at this Annual General Meeting, will be paid to the eligible Members/Shareholders as per the Companies Act, 2013.
5. Documents referred to in the accompanying Notice and the Explanatory Statement are open for inspection at the Registered Office of the Company during normal business hours (9:30 am to 6:00 pm) on all working days except Saturdays and Sundays (including Public Holidays) up to the date of the Annual General Meeting.
6. Brief profile of the Directors seeking appointment/ reappointment is annexed hereto and forms part of the Notice.
7. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 25.09.2018 to 27.09.2018 (both days inclusive).
8. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 & the Register of Contracts or arrangements, maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 will be available for inspection by the members at the AGM venue.
9. Pursuant to Section 139(5) read with Section 142 of the Companies Act, 2013, the Statutory Auditor of a Government Company are appointed or re-appointed by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India and their remuneration is to be fixed by the Company in the Annual General Meeting. Therefore, it is proposed to obtain approval of the Members of the Company in Annual General Meeting to fix the remuneration of Statutory Auditors for the financial year 2018-19, after taking into consideration the increase in volume of work etc. Accordingly, the Members are requested to authorize the Board of Directors of the Company to fix the remuneration of the Statutory Auditors of the Company, as it deems fit, for the financial year 2018-19.
10. None of the Directors of the Company is in any way related with each other.

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

ITEM NO. 4:

APPOINTMENT OF SHRI R.K. SINGH, ADDITIONAL DIRECTOR & DIRECTOR (OPERATION) - WHOLE TIME DIRECTOR

Shri R.K. Singh was appointed as an Additional Director & Director (Operation) – Whole Time Director on the Board of Bharat Broadband Network Limited (BBNL) w.e.f 5th July, 2018. In terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, he holds office upto the conclusion of ensuing Annual General meeting of the Company.

He is an officer of the Indian Telecommunication Services of 1985 batch. He did his Engineering in Electronics and Communication from B.I.T. Sindri, Ranchi University securing first position in University. He completed Master of Business Administration (MBA) with specialization in Human Resource.

He has vast and varied experiences of more than three decades in Installation, Commissioning, Operation, Maintenance and Management of Telecom Services at various places all over India. He was instrumental in policy formulation relating to Planning, Operation and Services roll out through various Pilot Projects under BharatNet.

He holds NIL equity shares in the Company.

Pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, except Shri R.K.Singh, None of the Promoters, Directors, Key Managerial Personnel of the Company and their relatives thereof is anyway concerned or interested in the proposed resolution.

The Board of Directors considers that in view of the background and experience of Shri R.K. Singh, it would be in the interest of the Company to appoint him as a Director (Operation) – Whole Time Director of the Company. The Board recommends the resolution for your approval.

BRIEF RESUME OF THE DIRECTORS BEING CONFIRMED AT THIS ANNUAL GENERAL MEETING

Director seeking re-election at the 6th AGM:

1.

Name	Shri Rajesh Kumar Singh
DIN	08178499
Date of Birth	09/09/1962
Date of Appointment	05/07/2018
Qualification	B.E & MBA
Expertise in specific functional area	Shri Rajesh Kumar Singh is an officer of the Indian Telecommunication Services of 1985 batch. He did his Engineering in Electronics and Communication from B.I.T. Sindri, Ranchi University securing first position in University. He completed Master of Business Administration (MBA) with specialization in Human Resource. He has vast and varied experiences of more than three decades in Installation, Commissioning, Operation, Maintenance and Management of Telecom Services at various places all over India. He was instrumental in policy formulation relating to Planning, Operation and Services roll out through various Pilot Projects under BharatNet.
Directorship held in other Companies (Part-time) as on 31.03.2018	NIL
Membership / Chairmanship of Committees in other Companies as on 31.03.2018	NIL
No. of Shares held	NIL

ATTENDANCE SLIP

I hereby record my presence at the Sixth (6th) Annual General Meeting of the Company held on Thursday, 27th September, 2018 at 11:30 hrs. at Commission Room. 2nd Floor, Sanchar Bhavan, 20 Ashoka Road, New Delhi- 110001:

Name of the Shareholder_____

_____

Name of the Proxy_____

_____

(To be filled if the proxy attends, instead of the shareholders)

Ledger Folio No. _____

No. of shares held_____

Signature of the Shareholder/ Proxy _____

Form No. MGT -11— PROXY FORM

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CIN : **U64100DL2012GOI232070**

Name of the Company : **BHARAT BROADBAND NETWORK LIMITED**

Registered office : **R. No. 306, 3rd Floor, C-Dot Campus, Mandi Gaon Road, Mehrauli, New Delhi - 110 030**

Name of the Members (s) : _____

Registered Address : _____

E-mail Id : _____ **Folio No/Client Id :** _____ **DP ID:** _____

I/We, being the Member (s) of.....Equity Shares of Bharat Broadband Network Limited, hereby appoint

1. Name: .....
   Address: .....
   E-Mail Id: .....
   Signature: ....., or failing him/her

2. Name: .....
   Address: .....
   E-Mail Id: .....
   Signature: ....., or failing him/her

3. Name: .....
   Address: .....
   E-Mail Id: .....
   Signature: .....

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me /us and on my/our behalf at the 6th Annual General Meeting of the Company, to be held on, Thursday, 27th September, 2018 at 11:30 hrs. at Commission Room. 2nd Floor, Sanchar Bhavan, 20 Ashoka Road, New Delhi- 110001 and at any adjournment thereof, in respect of such resolutions set out in the Notice convening the meeting as are indicated below:

Sl. No.	Resolutions
	Ordinary Business
1.	To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements comprising of Balance Sheet of the Company as at March 31, 2018 and the Statement of Profit & Loss for the period ended on that date and Auditors Reports thereon and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, in terms of Section 143(6) of the Companies Act, 2013 together with the Reports of the Directors and its annexures.
2.	Declaration of Dividend
3.	To ratify the remuneration of Statutory Auditors for the Financial Year 2017-18 & to authorise Board of Directors of the Company to fix remuneration of the Statutory Auditors of the Company for the financial year 2018-19 in terms of the provisions of Section 139(5) read with Section 142 of the Companies Act, 2013.
	Special Business
4.	Appointment of Shri R.K.Singh as Whole Time Director

Signed this ..... day of 2018

Signature of shareholder

Signature of Proxy holder (s)

Affix Revenue Stamp

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

Board's Report to the Members

Dear Members,

On behalf of the Board of Directors, I am privileged to present the Sixth (6th) Annual Report of Bharat Broadband Network Limited (**the Company**) and Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2018 together with the report of the Auditors and Review of the Comptroller & Auditor General of India thereon.

1. FINANCIAL RESULTS

Particulars	Amount in INR	
	For the year ended 31st March, 2018	For the year ended 31st March 2017
Revenue from Operations	35,19,300	32,24,500
Other Income	3,09,64,72,238	1,06,00,61,543
Total Revenue	**3,09,99,91,538**	**1,06,32,86,043**
Employee's Remuneration and Benefits	12,94,78,683	4,64,86,754
Finance cost	40,59,780	43,07,166
Depreciation and amortisation expense	-	50,01,242
Administrative, operating and other expenses	2,90,35,97,143	72,29,72,554
Corporate Social Responsibility	15,00,000	-
Total Expenses	**3,03,86,35,606**	**77,87,67,716**
Profit / (Loss) before prior period items and tax	**6,13,55,932**	**28,45,18,327**
Prior period items	**(2,04,56,806)**	**(34,31,885)**
Profit / (Loss) before Tax	**4,08,99,126**	**28,10,86,442**
Tax Expense		
Current Tax expense for current year	1,31,74,200	7,91,15,040
Current Tax expense relating to prior period	-	-
Deferred Tax	-	(2,65,09,084)
Profit / (Loss) after Tax	**2,77,24,926**	**22,84,80,486**
Earnings per share		
Basic	0.46	3.81
Diluted	0.46	3.81
Transferred to General Reserve	**1,00,00,000**	**5,00,00,000**

2. PERFORMANCE HIGHLIGHTS AND OVERVIEW

During the period under review, the Company has recorded a total revenue of ₹ 3,09,99,91,538 (which includes ₹3,09,64,72,238 i.e. Other income primarily on account of claim for operational expenses on USOF) and profit after tax to the tune of ₹ 2,77,24,926. In the previous F.Y. 2016-17 the Company had a profit after tax of ₹22,84,80,486. The revenue generated by the Company is on account of Bandwidth charges and other income which is on account of interest income.

3. DIVIDEND

The Company has proposed dividend at the rate of ₹ 0.14 per fully paid up equity share for the financial year which is subject to approval of Shareholders in the ensuing Annual General Meeting.

4. TRANSFER TO RESERVES

During the year under review, the Company has transferred ₹1,00,00,000/- to the General Reserve Account.

5. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT & TRAINING

For achieving the challenging targets set by Government for the company, talent and human resource plays an active role. To meet its staffing requirements, BBNL has been leveraging on the senior management from DOT, USOF, BSNL and MTNL on deputation basis. BBNL has also made efforts for recruiting young graduate engineers and finance professionals regularly. Apart from hiring retired officers of government /PSUs, to fill up its short-term vacancies, BBNL has also engaged 4 senior consultants (retired HAG and above officers of DOT) for speeding up its BharatNet Project in state-led models. In order to fill up the vacant positions in north east states, a special drive from retired army officers and PSU employees up to 58 years of age was initiated and based on that retired army personnel are now placed at Guwahati & Agartala.

Training

Initiatives were taken to organise and provide opportunities to different class of Executives to be trained in various areas. The training for 12 officers in Project Management at International Institute of Projects and Program Management was initiated. The young engineering graduates and the finance professionals are provided extensive on the job training. Officers are regularly sent for training in the DPE programs. Training was provided to the staff of state implementing agencies and the central

PSUs and the officers of BBNL in the Project Monitoring Tool developed in-house by BBNL.

DISCLOSURE AS PER SEXUAL HARRASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

The Company has zero tolerance for sexual harassment at workplace and has adopted a policy on prevention, prohibition and redressal of sexual harassment at workplace in line with the provisions of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the Rules framed thereunder.

During the financial year 2017-18, the Company has not received any complaints on sexual harassment. An internal Committee of CGM (Plg. & Coord.), CGM (Accounts), Assistant Manager (Accounts), Executive Trainee (HR) & Vice President, YWCA, exists in BBNL to look into issues related with the sexual harassment of women at work place.

6. DOCUMENTS PLACED ON THE WEBSITE (www.bbnl.nic.in)

The following documents have been placed on the website in compliance with the Act:

(i) Code of Conduct (Code of Business Conduct and Ethics for Directors and Senior Management of BBNL);
(ii) Citizen Charter;
(iii) BBNL Procurement Manual;
(iv) Details of Independent External Monitors (IEMs);
(v) Annual Reports of the Company along with AGM Notice;
(vi) Whistle Blower Policy / Vigil Mechanism
(vii) Enterprise Risk Management policy
(viii) Policy on CSR

7. PROGRESS SO FAR

"BharatNet"

BharatNet, approved by the Cabinet on 25.10.2011, is a project to create network to connect all the Gram Panchayats (approx. 2.5 lakh GPs) by broadband. This project is under implementation and the infrastructure created will be a national asset, accessible on a non-discriminatory basis to the Service Providers. The project aims to provide affordable broadband services to citizens and institutions in rural and remote areas, in partnership with States and the private sector, towards realization of the vision of 'Digital India'.

The Cabinet approved a modified strategy for BharatNet on July 19, 2017, which integrates the implementation experience of Phase-I of the project and aligns it with the vision of Digital India. The gist is as follows:

Phase-II:

i. The implementation is to be done through States, Private Sector and CPSUs.
ii. Optimal mix of media (OFC, Radio and satellite) to be used to connect GPs.
iii. Laying of fresh fibre from Block to GP (in Phase I incremental fibre from FPOI is being laid)
iv. Dark fibre to be available at the GP level for leasing out to Service Providers.
v. Operation and maintenance of the network for the lifetime of the project.

The total cost of the BharatNet, approved by the cabinet, is ₹ 42,068 crore (exclusive of GST, Octroi and local taxes).

A. Status of Phase-I:

The Phase-I of the project has been completed in December 2017, with over 1,00,000 GPs being made Service Ready.

B. Utilization of the BharatNet

- 9794 commercial Fiber to the Home (FTTH) connections have been provided.
- To trigger the ecosystem and promote BharatNet utilization, concessional Tariff for bandwidth and dark fibre for utilizing the network for service delivery has been formulated and applied.
- Further, to enable the Service Providers to test their equipment on the BharatNet, free trials (i.e. 10 trials per Service Provider) are also being tested by TSP and being facilitated by BBNL. As on date, Airtel, Reliance Jio, Idea and Vodafone are conducting trials.

C. Status of Phase-II :

The Phase-II is targeted to be completed by 31st March 2019. The progress is as follows;

- **State Led Model:** 8 States namely Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Odisha and Telangana have been approved for implementation under State-led model, along with quantum of funding, by Telecom Commission. Quadripartite MoUs have been signed with all the 8 States and the USOF and SIAs. These States have initiated the implementation process and mobilization advance of ₹ 877.57 crore has also been provided to them. All States except Tamil Nadu have floated the RFP. Chhattisgarh has signed the contract agreement with the Project Implementing

Agency (PIA) for starting the work. Financial Bids have been opened in Jharkhand, Gujarat and Maharashtra.

- **Private Sector Led Model:** For implementation of the project under private sector model in Bihar and Punjab, Bharat Broadband Network Limited (BBNL) has placed orders under 6 packages and the survey is in progress.
- **CPSU Led Model:** PGCIL has been assigned the implementation work in two States and BSNL in 8 States. PGCIL has submitted the DPRs for Himachal Pradesh and BSNL has submitted the DPRs for 7 Telecom Circles namely Assam, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh (East), Uttar Pradesh (West), West Bengal and Sikkim and DPRs have been approved by the Telecom Commission on 01.05.2018. BSNL has floated Tenders for 41035 GPs and out of them, Work Orders issued for 17869 GPs. 9897 km duct has been laid. For the remaining GPs, tendering is at various stages. PGCIL has floated Tenders for their 2 States. Financial bids opened for Himachal Pradesh and Technical bids opened for Uttarakhand.
- **Satellite Connectivity:** 6407 GPs, located in remote and hilly locations of north east, J&K, HP and Uttarakhand have been approved to be connected on Satellite media so as to provide broadband connectivity to all the GPs within the approved timeline. Out of these 6407 GPs, 1407 GPs are being provided satellite connectivity through BSNL; while the rest are being implemented by BBNL through a bidding process. BSNL has selected the agency for implementation and Work Order/Purchase Order has been placed. The first two GPs out of the 1407 GPs have been commissioned in August 2018. BBNL's tender has since been finalised and work has been awarded.
- **Last Mile Connectivity:** Telecom Commission on 11.07.2018 has approved a Last Mile connectivity model through Wi-Fi or another suitable technology. At each GP, 5 Access Points (APs) are being set up, and out of these 3 APs are to be installed at Government institutions and 2 APs at public places including one at the GP location. Telecom Commission has also approved provision of 25000 and 3243 wifi hotspots in UP and HP respectively through CSC-SPV. Further, CSC-SPV has been assigned the implementation of Wi-Fi at 1178 GPs of Tripura and 3407 GPs of Karnataka through the respective state governments. The work of last mile connectivity through wifi in 10000 GPs in Rajasthan is entrusted to the state government. The implementation is in progress and the current status is as follows:

S. No.	State	No. of GPs	Implementing Agency	Implementation Status
1.	Uttar Pradesh	25,000	CSC-SPV (A body under MeitY)	Installed in 10,000 GPs
2.	Himachal Pradesh	3243		Installed in 165 GPs
3.	Rajasthan	10,000	Rajasthan Government/ RISL	Installed in 6,500 GPs
4.	Remaining States	2.10 lakh (approx.)	BBNL	Tender opened on 18.9.2018

D. Status of BharatNet project:

As on 12.08.2018 the status of BharatNet project is as below:-

S. No.	Activity	Achievement
1.	Optical Fibre connectivity (GPs)	1,18,665
2.	OFC laid (Kms)	2,86,477 kms
3.	Service Ready (GPs)	1,14,186

8. FORM NO. MGT.9 EXTRACT OF ANNUAL RETURN

The extract of Annual Return of the Company in Form No. MGT-9 for the year under report pursuant to Section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is placed at **Annexure-A.**

However, as per the requirement of the Companies Act, 2013 the annual return shall be uploaded by the Company after filing the same with the Registrar of Companies and thereafter the same can be viewed by the members at this link: http://www.bbnl.nic.in/index1.aspx?1sid=50&lev=2&lid=47&langid=1.

9. CORPORATE GOVERNANCE REPORT, MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS AND OTHER INFORMATION REQUIRED UNDER THE COMPANIES ACT, 2013 (ACT)

9.1 Corporate Governance Report:

Your company is committed towards maintaining high standards of Corporate Governance to ensure transparency and accountability at all levels protecting the interest of all the stakeholders. The Company complies

with the conditions of Corporate Governance as stipulated under the Companies Act and Guidelines on Corporate Governance for CPSEs issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Government of India to the maximum extent possible.

A "Report on Corporate Governance" for the year ended March 31, 2018, supported by a Certificate from, Practicing Company Secretary confirming compliance of conditions, forms part of the Annual Report, is attached to this report as **Annexure-B.**

9.2 Declaration regarding compliance with the Code of conduct

Declaration regarding compliance with the Code of conduct signed by Chairman-cum-Managing Director is attached to this report as **Annexure-C.**

9.3 Certification/declaration on financial statements by the Chief Executive/Chief Finance Officer

Certification/declaration on financial statements by the Chief Executive (CMD)/Chief Finance Officer [Director (F)] of the Company on the Financial Statement for the year ended on 31st March 2018 is attached to this report as **Annexure-D.**

9.4 Management Discussion & Analysis Report:

In terms of the Clause 7.5 of the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs issued by the DPE, a "Management Discussion and Analysis Report" on the operations and performance of the company for the year ended March 31, 2018, is attached to this report as **Annexure-E.**

10. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to the requirement of Section 134(3)(C) and (5) of the Companies Act, 2013, and based on the representations received from the management, the directors hereby confirm that:

i. in the preparation of the annual accounts for the financial year 2017-18, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanations relating to material departures;

ii. they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for the financial year;

iii. they have taken proper and sufficient care to the best of their knowledge and ability for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act. They confirm that there are adequate systems and controls for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

iv. they have prepared the annual accounts on a going concern basis;

v. they have laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and operating properly; and

vi. they have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

11. STATUTORY AUDITORS

M/s. Rawla & Co., Chartered Accountants, New Delhi were appointed as Statutory Auditors of your Company for the financial year 2017-18 by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG of India) in terms of Section 139 of the Companies Act, 2013. Statutory Auditors have audited the Financial Statements of the Company for the Period ended 31st March, 2018.

12. AUDITORS' REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS

The Independent Auditors' Report on the Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2018 and the Management's Replies thereon and the comments of Comptroller & Auditor General of India (C&AG) on Financial Statements for the period ended 31st March, 2018 under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 along with the Management's Replies thereon are enclosed to the Board's Report.

13. SECRETARIAL AUDIT REPORT

The Secretarial Audit of the company for the financial year 2017-18 pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 has been conducted by M/s. J.K.Gupta & Associates, Practicing Company Secretaries, New Delhi. The Secretarial Audit Report has been attached to this report as **Annexure-F.**

14. EXPLANATION OR COMMENTS UNDER SECTION 134(3)(f) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON QUALIFICATIONS, RESERVATIONS OR ADVERSE REMARKS OR DISCLAIMERS MADE BY THE SECRETARIAL AUDITOR IN THEIR REPORT:

There were following qualifications, reservations or adverse remarks made by the Secretarial Auditor in their reports and the Management's Replies thereon is given below:

Audit Para no.	Comments of Secretarial Auditor	Management's Reply
(i)	During the period under review it has been observed that the composition of Board of Directors of the Company has not been duly constituted due to non-presence of the Independent Directors in the Company which also leads to the default under DPE Guidelines that requires number of Functional Directors (including CMD/MD) should not exceed 50% of the actual strength of the Board, further non-presence of the Independent Directors is also a default under Section 149 of the Companies Act, 2013.	Company has already approached to Department of Telecommunications/ Department of Public Enterprises for appointment of Independent Directors on the Board of the Company.
(ii)	The composition of Committees of Board of Directors mandatorily required under Companies Act, 2013 is also not duly constituted due to non-presence of Independent Directors in the Company.	Company has already approached to Department of Telecommunications/ Department of Public Enterprises for appointment of Independent Directors on the Board of the Company.

Further, in their Secretarial Audit Report of **Annexure A,** the Secretarial Auditor has commented the following:-

Audit Para No.	Comments of Secretarial Auditor
Annexure A – Sl. No.3	We have relied on the Internal Auditors' Report for the period under review; hence we have verified the correctness and appropriateness of Statutory Compliances of the Company on sample basis. The qualifications/Observations mentioned in their Audit report also forming part of this report.
Annexure A – Sl. No.4	We have relied on the Statutory Auditors Report for the period under review; hence we have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company. The qualifications/Observations mentioned in their Audit report also forming part of this report.

Consolidated Management's replies on the above has already been given in the section of Management's Reply attached with Annual Report.

15. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION & EXPENDITURE ON RESEARCH & DEVELOPMENT

Information in accordance with the provisions of Section 134 (3) (m) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8 (3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 regarding Conservation of Energy is given below:-

A) Conservation of Energy

a) The steps taken or impact of conservation of energy:

The Company has already placed energy saving LED tube lights / bulbs at its Network Operations Centre / office in Shastri Park. Provision has been made for LED lights at its new office at East Kidwai Nagar.

b) The steps taken by the company for utilizing alternate source of energy:

Solar Power has already been installed in all Gram Panchayats as an alternative source of power for GPON equipment.

c) The capital investments on energy conservation equipment:

Nil.

B) Technology absorption, adaptation and innovation

a) Efforts, in brief, made towards technology absorption, adaptation and innovation

A Pilot was carried out using GPON technology. Learning's from the Pilot project is incorporated in the subsequent tender for GPON. Similarly, ribbon based optical fiber and FDMS have been introduced in Phase-II, for speedy execution and quick fault repair. In various states aerial fiber has been deployed to quicker implementation. In remote and hilly locations (without any

connectivity) satellite connectivity has been proposed.

b) Benefits derived as a result of the above efforts e.g. Product improvement, cost reduction, product development, import substitution etc.

Indigenously made GPON is being deployed for connectivity at GPs. The PMI policy of GOI/DOT is being followed by BBNL.

c) In case of imported technology (imported during the last 5 years reckoned from the beginning of the financial year) following information may be furnished:

a) Technology imported : NIL

b) Year of import : NIL

c) Has technology been fully absorbed? : NIL

(d) If not fully absorbed, areas where this has not taken place, reasons therefore and future plans action. : NIL

C) Expenditure on R&D (Amount in ₹)

Sl.No.	Particulars	2017-18	2016-17
1.	Capital	NIL	NIL
2.	Recurring	NIL	NIL
3.	Total	NIL	NIL
4.	Total R&D expenditure as a percentage of total turnover	NIL	NIL

16. FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & OUTGO

Sl. No.	Foreign Exchange Earnings/Outgo	Amount in ₹	
		For the year ended 31st March, 2018	For the period ended 31st March 2017
1.	Foreign Exchange Earnings	NIL	NIL
2.	Expenditure on Payment on Foreign Travel	3,50,835	1,45,516
3.	Others	1,29,375	4,49,394
4.	Value of imports based on CIF basis (on Accrual basis)	NIL	NIL
5.	Foreign Exchange repatriated, if any	NIL	NIL

17. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Your company now is covered under the purview / criteria of Corporate Social Responsibility (CSR) as stipulated under the Companies Act 2013. In accordance with Companies Act, 2013, the Board has formed a CSR sub-committee of the Board and Company has contributed ₹15,00,000/- towards Swachh Bharat Kosh to comply with Section 135(5) of the Companies Act, 2013 for the FY 2016-17. A detailed Report on Corporate Social Responsibility is annexed as **Annexure 'G'** as per the requirements of Section 135 of the Companies Act, 2013.

18. DEPOSIT FROM PUBLIC

The Company has not accepted any deposits from public and as such, no amount on account of principal or interest on deposits from public was outstanding as on the date of the balance sheet.

19. BOARD OF DIRECTORS

19.1 The Board of Directors of the Company as on 31.03.2018 are as under:

Sl. No.	Name of the Director	Designation	Period of Occupancy with effect
1.	Shri Sanjay Singh@	Chairman-cum-Managing Director	From 18.03.2016
2.	Shri Amit Yadav	Govt. Nominee Director	From 01.02.2018
3.	Shri Mahmood Ahmed	Govt. Nominee Director	From 16.12.2016
4.	Shri Manoj Anand*	Director (Finance)	From 29.07.2016
5.	Shri N.K.Joshi**	Director (Operations)	From 15.11.2017
6.	Shri A.K.Saxena***	Director (Planning)	From 15.11.2017

@Pursuant to DoT Order Shri Sanjay Singh, Administrator (USOF), DoT was entrusted the additional charge of CMD of the Company.
* Pursuant to DoT Order Shri Manoj Anand, CGM, BBNL, was entrusted the additional charge of Director (Finance).
** Pursuant to DoT Order Shri N.K.Joshi, DDG (USOF), DoT, was entrusted the additional charge of Director (Operations).
*** Pursuant to DoT Order Shri A.K.Saxena, CGM & State Head Maharastra, BBNL, was entrusted the additional charge of Director (Planning).

19.2 The following persons were appointed as Director/ Key Managerial Personnel (KMP) during the year / from the date of last AGM to till date under report:

Sl.No.	Name of the Director	Designation	Date of Appointment
1.	Shri Amit Yadav	Govt. Nominee Director	01.02.2018
2.	Shri R.K.Singh	Director (Operations)	05.07.2018

19.3 The following persons ceased to be Director/KMP during the year under report / from the date of last AGM to till date:

Sl.No.	Name of the Director	Designation	Date of Appointment	Date of cessation
1.	Shri B.K.Mittal	Director (Operations)	29.07.2015	31.10.2017
2.	Shri B.K.Mittal	Director (Planning)	01.01.2016	31.10.2017
3.	Shri Shashi Ranjan Kumar	Govt. Nominee Director	06.11.2015	31.01.2018
4.	Shri N.K. Joshi	Director (Operations)	15.11.2017	04.07.2018
5.	Shri A.K. Saxena	Director (Planning)	15.11.2017	24.09.2018

19.4 The following persons were designated as KMP as per provisions of the Companies Act, 2013 during the period under report:

Sl.No.	Name of the Director	Designation	Date of Appointment
1.	Shri Sanjay Singh	Chairman-cum-Managing Director	From 18.03.2016
2.	Shri Manoj Anand	Director (Finance)	29.07.2016
3.	Shri N.K.Joshi	Director (Operations)	15.11.2017
4.	Shri A.K.Saxena	Director (Planning)	15.11.2017
5.	Shri A.C.Upadhyay	Company Secretary & Head Legal	01.04.2014

19.5 Board Meetings:

Attendance and other details in the Board Meeting of the Board Members are given in the Corporate Governance Report.

During the year 2017-18 the Board of Director of the Company net Twelve (12) time as below:

65th Board Meeting 25.05.2017	66th Board Meeting 05.06.2017	67th Board Meeting 10.07.2017	68th Board Meeting 26.08.2017
69th Board Meeting 17.10.2017	70th Board Meeting 25.10.2017	71st Board Meeting 07.11.2017	72nd Board Meeting 15.11.2017
73rd Board Meeting 08.12.2017	74th Board Meeting 20.12.2017	75th Board Meeting 27.02.2018	76th Board Meeting 08.03.2018

20. AUDIT COMMITTEE:

The Audit Committee, which was initially constituted by the Board on 22.04.2013 consists of two Govt. nominee Directors and One Functional Director. The Company Secretary is the Secretary of the Audit Committee. During the year 5 (Five) Audit Committee meetings were held as below:

22nd Audit Committee 05.07.2017	23rd Audit Committee 13.07.2017	24th Audit Committee 09.11.2017
25th Audit Committee 15.11.2017	26th Audit Committee 20.12.2017	

Further, Company's request to the Department of Telecommunications / Department of Public Enterprises for appointment of Independent Directors is pending. The audit committee may need to be re-constituted upon appointment of Independent Directors by the Ministry/ /Department of Public Enterprises.

The composition and category of Members of the Audit Committee of the Board of Directors and attendance at the meeting is as under upto 31.03.2018: -

Sr. No.	Name of the Directors	Designation	Category	No. of Meeting Attended
1.	Shri Amit Yadav*	Chairman	Govt. Nominee Director	Not Applicable
2.	Shri Shashi Ranjan Kumar**	Chairman	Govt. Nominee Director	5
3.	Shri Mahmood Ahmed	Member	Govt. Nominee Director	4
4.	Shri B.K.Mittal***	Member	Director (Operations)	2
5.	Shri N.K. Joshi****	Member	Director (Operations)	1

* Pursuant to DoT Order, Shri Amit Yadav, JS (T), DoT was appointed as Govt Nominee Director on 01.02.2018.

** Pursuant to DoT Order, Shri Shashi Ranjan Kumar, JS (T), DoT was Govt Nominee Director upto 31.01.2018.

***Pursuant to DoT Order, Shri B.K.Mittal, Advisor, DOT was relinquished from the additional charge of Director (Operation) & Director (Planning) w.e.f. 31.10.2017.

****Pursuant to DoT Order, Shri N.K.Joshi was entrusted with the charge of Director (Operations) w.e.f. 15.11.2017.

The Terms of Reference of the Audit Committee are in accordance with Section 177 of the Companies Act, 2013 and the Guidelines dated 14th May, 2010 on Corporate Governance of CPSEs issued by Department of Public Enterprises. The few list of functions inter-alia includes the following:

- **To hold discussion with Auditors periodically about:**
  - Internal control systems compliance and adequacy thereof.
  - Scope of audit including observations of the Auditors.
  - Review of the quarterly, half yearly and annual financial statements before submission to the Board.
- **To perform the following functions:**
  - Overseeing the company's financial reporting process and system for disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
  - Reviewing, with the management, the annual financial statements before submission to the Board for approval, with particular reference to matters required to be included in the Directors Responsibility Statement, changes, if any, in accounting policies, major accounting entries, significant adjustments made, and qualifications in the Draft Audit Report.
  - Recommending the appointment and removal of internal auditors, fixation of audit fee and also approval for payment for any other services.
  - Carrying out any other function as mentioned in the Terms of Reference of the Audit Committee.
- **Whistle Blower Policy / Vigil Mechanism u/s 177(9) of the Companies Act, 2013:**

The company has already in place an established Whistle Blower Policy / Vigil Mechanism and oversees through the audit committee, the genuine concerns expressed by the Directors and other employees. The company has also provided adequate safeguards against victimization of employees and Directors who express their concerns. The company has also provided direct access to the Chairman of the Audit Committee on reporting issues concerning the interests of co-employees and the company.

The policy has been formulated to provide an opportunity to employees to report to the management instances of unethical behaviour, actual or suspected, fraud or violation of the company's code of conduct. No such instances were reported during the year.

21. NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE:

Initially, the Board constituted the Remuneration Committee in the year 2013. As per DPE Guidelines Chairman should be an Independent Director, However Independent Director has yet not been posted. The Nomination & Remuneration Committee as required under Section 178 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 could not be re-constituted for want of Independent Directors on Board of the company during the year under review. The Committee will be re-constituted in terms of the provisions of the Act as soon as the Independent Directors are appointed by the Department of Telecommunications. Being a CPSU, the criteria for qualifications and remuneration of Directors, Key Managerial Personnel and other employees is decided by the Govt. of India and the Ministry of Corporate Affairs has granted exemption vide notification dated 05.06.2015. The scope of the Committee is limited to as defined in Corporate Governance Guidelines, issued by DPE.

During the year two meetings of this committee were held on 13.07.2017 & on 15.11.2017. The present composition and category of Members of the Remuneration Committee

of the Board of Directors and attendance at the meeting is as under:-

Sr. No.	Name of the Directors	Designation	Category	No. of Meeting Attended
1.	*	Independent Director	Non-official / official part time Director	-
2.	*	Independent Director	Non-official / official part time Director	-
3.	Shri Amit Yadav**	Member	Govt. Nominee Director	NA
4.	Shri Mahmood Ahmed	Member	Govt. Nominee Director	2
5.	Shri Shashi Ranjan Kumar***	Member	Govt. Nominee Director	2

*The position of Independent Director is vacant.

** Pursuant to DoT Order, Shri Amit Yadav, JS (T), DoT was appointed as Govt Nominee Director on 01.02.2018.

*** Pursuant to DoT Order, Shri Shashi Ranjan Kumar, JS (T), DoT was Govt Nominee Director upto 31.01.2018.

22. EXECUTIVE COMMITTEE

During the year 08 (Eight) Executive Committee meetings were held.

39th Executive Committee 08.04.2017	40th Executive Committee 24.04.2017	41st Executive Committee 01.06.2017	42nd Executive Committee 21.09.2017
43rd Executive Committee 11.10.2017	44th Executive Committee 23.10.2017	45th Executive Committee 27.11.2017	46th Executive Committee 27.03.2018

The composition and category of Members of the Executive Committee of the Board of Directors and attendance at the meeting is as under:-

Sr. No.	Name of the Directors	Designation	Category	No. of Meeting attended
1.	Shri Sanjay Singh	Chairperson	Chairman-cum-Managing Director	8
2.	Shri Manoj Anand	Member	Director (Finance)	8
3.	Shri N.K.Joshi*	Member	Director (Operations)	2
4.	Shri A.K.Saxena**	Member	Director (Planning)	2
5.	Shri B.K.Mittal***	Member	Director (Operations) & (Planning)	6

*Pursuant to DoT Order, Shri N.K.Joshi was entrusted with the charge of Director (Operations) w.e.f. 15.11.2017.

** Pursuant to DoT Order, Shri A.K.Saxena was entrusted with the charge of Director (Planning) w.e.f. 15.11.2017.

***Pursuant to DoT Order, Shri B.K.Mittal, Advisor, DOT was relinquished from the additional charge of Director (Operation) & Director (Planning) w.e.f. 31.10.2017.

23. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) COMMITTEE

Scope and constitution of CSR Committee is as per the provisions of the Companies Act, 2013. During the period under review one meeting was held on (1st) 22.03.2018. As on 31st March, 2018, the composition and category of Members of the CSR Committee of the Board of Directors and attendance at the meeting is as under:-

Sr. No.	Name of the Directors	Designation	Category	No. of Meeting attended
1.	Shri Amit Yadav	Chairman	Govt. Nominee Director	1
2.	Shri Mahmood Ahmed	Member	Govt. Nominee Director	1
3.	Shri Manoj Anand	Member	Director (Finance)	1

24. INFORMATION UNDER SECTION 134(3)(n) OF THE COMPANIES ACT, 2013 CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

During the period under review one (1) meeting was held on (5th) 20.12.2017. The composition and category of Members of the Risk Management Committee of the Board of Directors and attendance at the meeting is as under upto 31.03.2018:-

Sr. No.	Name of the Directors	Designation	Category	No. of Meeting attended
1.	Shri Mahmood Ahmed	Chairman	Govt. Nominee Director	1
2.	Shri N.K.Joshi	Member	Director (Operations)	1
3.	Shri A.K.Saxena	Member	Director (Planning)	1

25. INFORMATION UNDER SECTION 197 OF THE COMPANIES ACT, 2013 READ WITH RULE 5(2) OF THE COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014 REGARDING EMPLOYEES REMUNERATION

BBNL being a Government Company, the provisions of section 197 of the Companies Act, 2013 and relevant Rules does not apply in view of the Gazette notification dated 05.06.15 issued by Government of India, Ministry of Corporate Affairs. The terms and conditions of the appointment of Functional Directors is decided by the Government of India. The salary, terms and conditions of the appointment of Company Secretary, KMPs of BBNL, is in line with the parameters prescribed by the Company.

26. STATEMENT UNDER SECTION 134(3)(p) OF THE COMPANIES ACT, 2013 REGARDING FORMAL ANNUAL EVALUATION MADE BY BOARD OF ITS OWN PERFORMANCE AND THAT OF ITS COMMITTEES AND INDIVIDUAL DIRECTORS

BBNL being a Government Company, the provisions of section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013 and relevant Rules does not apply in view of the Gazette notification dated 05.06.15 issued by Government of India, Ministry of Corporate Affairs.

27. RELATED PARTY TRANSACTIONS

There was no contract or arrangements made with related parties which would come under the purview of Section 188 of the Companies Act, 2013 during the year under review.

28. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

There was no loans, guarantees or investments made by the company exceeding the limits specified under Section 186 of the Companies Act, 2013 during the year under review and hence, the said provision is not applicable.

29. UNSECURED LOAN

During the year under review, there is no unsecured loan.

30. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY WHICH HAVE OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR TO WHICH THE FINANCIAL STATEMENTS RELATED AND THE DATE OF THE REPORT

No material changes and commitments affecting the financial position of the company occurred between the end of the financial year to which the financial statements related and the date of this report.

31. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Your company has set up an elaborate mechanism throughout the Organization to deal with the requests received under the Right to Information (RTI) Act, 2005. To assist and facilitate the citizen in obtaining information, detailed guidelines have been placed on BBNL's website, spelling out the procedure for securing access to information and filing of first appeals under the Act.

Proactive disclosures have been made on BBNL's website in line with Section 4(1)(b) of the Act, disseminating various categories of information so that citizens have minimum need to resort to the Act for the purpose of obtaining information.

32. RAJBHASHA (OFFICIAL LANGUAGE)

The Official language section in Bharat Broadband Network Limited corporate and registered Office, New Delhi functions under the Chief General Manager (Human Resources and Administration).

Quarterly Hindi workshops were organized for the propagation of Hindi in the Corporation, during the year under report. In addition to this, meetings of the Official language Implementation Committee were held and important decisions were taken to promote use of Hindi in the Corporation. A brief report on the substantive actions

taken for implementation of the Official language policy of the Union is as under-

A. A Hindi fortnight was observed from 14th to 28th September 2017. The following competitions were duly held during the fortnight-

   i. Hindi noting and drafting competition
   ii. Hindi essay competition
   iii. Official language Hindi and general knowledge competition
   iv. Hindi dictation and handwriting competition for MTS
   v. Hindi typing on computers competition
   vi. Departmental glossary and translation competition
   vii. Extempore speech competition
   viii. Review and Reward for use of Hindi by the officials of the Corporation in their official work.

B. An Award ceremony for 'Hindi Fortnight 2017' was held on 28th September, 2017. The Director (Operations/Planning) very kindly graced the ceremony and awarded certificates and incentives to the participants who secured 1st, 2nd, 3rd, 4th, and 5th positions in various competitions.

C. Quarterly Hindi workshops were organized from time to time. The decisions taken with regard to the promotion of Hindi in official work, in the official language implementation committee meetings, were implemented.

D. Hindi library has been established in the Bharat Broadband Network Limited, Corporate and registered office. Books related to creative literature and copies of a compendium named 'Karyalaya Sahayika' were purchased for the library.

E. Most of the computers, installed in the corporate office, have been enabled for Hindi typing work.

F. Translation work from English to Hindi and vice versa has been outsourced to an agency. The work is to be taken up by the agency on the rates prescribed by the government. The arrangement is in use.

G. A Hindi computing workshop was organized and practical training was provided to the Office Assistants with regard to Hindi typing facilities available on the computers in the Corporation.

Bharat Broadband Network Limited has been proactively promoting Official language Hindi in the corporate and registered office. Conducive atmosphere for increasing use of Hindi and also to use simple Hindi in the official work is being created.

The Company has already launched its website in Hindi also at www.bbnl.nic.in.

33. VIGILANCE

The Vigilance unit has already been set up in the Company in September, 2015 with the posting of CVO. During the year 2017-18, steps were taken to carry out vigilance activities including preventive Vigilance as per directives of CVC. Tenders of estimated values of ₹ 2.00 lakhs & above are being invited using e-portal of TCIL. All vigilance complaints were examined & settled in time. As per direction of CVC 'Vigilance Awareness week' 2017 was observed successfully in BBNL from 31.10.2017 to 05.11.2017.

Independent External Monitors (IEMs)

Two Independent External Monitors (IEMs) have also been appointed to oversee the implementation and effectiveness the tenders covered under the Integrity Pact in line with the Standard Operating Procedure (SOP) circulated by the CVC.

34. INFORMATION TO SHAREHOLDERS

Financial Statements of the Company and the related detailed information are available to the stakeholders of the Company. Any stakeholders seeking any such information at any point of time, can inspect the same during business hours in a working day at the registered office of the Company.

35. INFORMATION UNDER SECTION 134(3)(q) OF THE COMPANIES ACT, 2013, READ WITH RULE 8(5)(viii) OF COMPANIES (ACCOUNTS) RULES, 2014 REGARDING ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS

The Company's internal control system is designed to ensure operational efficiency, protection and conservation of resources, accuracy and promptness in financial reporting and compliance with laws and regulations. The internal control system is supported by an internal audit process for reviewing the adequacy and efficacy of the Company's internal controls, including its systems and processes and compliance with regulations and procedures. Internal Audit Reports are discussed with the Management and are reviewed by the Audit Committee of the Board which also reviews the adequacy and effectiveness of the internal controls in the Company.

36. STATUTORY DISCLOSURE BY DIRECTORS:

None of the Directors of your company is disqualified as per provisions of Section 164 of the Companies Act,

2013. Your Directors have made necessary disclosures as required under various provisions of the Companies Act, 2013.

37. GRADING ON THE BASIS OF COMPLIANCE WITH GUIDELINES ON CORPORATE GOVERNANCE

Self-evaluation grading of BBNL on the basis of its compliance with the Guidelines on Corporate Governance for the year 2017-18 has submitted to DPE which is yet to be finalized by DPE.

38. SWACHH BHARAT ABHIYAN

As part of the nation-wide Swachh Bharat Abhiyan, your Company organized a Swachh Bharat Pakhwada on several occasions throughout the year. Officers and Staff of Your Company responded very eagerly to this campaign of the Government of India, by participating in various cleanliness programmes organized in and around the office complexes across the country.

39. INFORMATION TECHNOLOGY

BBNL is using IT intervention in a big way to help it in realising the target of providing broadband to all Gram Panchayats in the country so as to digitally connect all citizens of the country. It maintains a full-fledged Primary data centre located at Delhi and a Disaster Recovery data centre located at Bengaluru, which hosts the Network Management System to provide real time information about the health of the broadband infrastructure deployed by BBNL. Further, BBNL has implemented a state of art Geographical Information System to capture various telecom/broadband assets of BBNL. The work for mapping entire Telecom infrastructure of BBNL using this system and through a web based application is in progress. Besides this BBNL has also deployed IT tools in the form of "Tally" for automating the accounting of BBNL as per norms of corporate governance and a self developed MIS tool for generating reports for senior management of BBNL.

A project monitoring tool has been in house developed and shared with all the implementing agencies for capturing and recording the various activities on real time basis. This tool has also been integrated with BBNL GIS.

BBNL website has been made GIGW compliant and it provides real time information to all the stakeholders.

40. MAINTENANCE OF COST RECORDS

At present, BBNL is not in threshold limit for applicability of maintenance of Cost Records and for appointment of Cost Auditor for Cost Audit as per applicable Rules of the Cost Records and Audit Rules, 2014, therefore, appointment of Cost Auditor & maintenance of Cost Records is not required during the financial year.

41. ACKNOWLEDGEMENTS

Your Directors would like to place their gratitude to the Department of Telecommunications, Department of Public Enterprises, Ministry of Finance, Universal Service Obligation Fund, Ministry of Electronics and Information Technology, National Informatics Centre, various Ministries of the Government of India, State Governments, BSNL, PGCIL, RAILTEL, C-DOT, TCIL, all its technology providers, equipment suppliers, value added service partners and all the business associates for the co-operation and support that has been demonstrated by them during the year. We seek your continued guidance in our journey.

Your Directors would also like to thank Comptroller and Auditor General of India, Statutory Auditors, Secretarial Auditors, Internal Auditors and also Canara Bank and other bankers. The Directors also take this opportunity to express their appreciation for the employees of the company for their efforts and contribution to Company's progress.

42. ADDENDA: The following documents are annexed:

42.1 "Extract of Annual Return" of the company is attached to this report as **Annexure-A.**

42.2 "Report on Corporate Governance" is attached to this report as **Annexure-B.**

42.3 "Code of conduct for directors and senior management" is attached to this report as **Annexure-C.**

42.4 "Certification/declaration on financial statements by the Chief Executive/Chief Finance Officer of the Company" is attached to this report as **Annexure-D.**

42.5 "Management Discussion & Analysis Report" is attached to this report as **Annexure-E.**

42.6 "Secretarial Audit Report" of the company is attached to this report as **Annexure-F.**

42.7 "Report on Corporate Social Responsibility" is attached as **Annexure- G.**

Bharat Broadband Network Limited

For and on behalf of the Board of Directors

Sanjay Singh
Chairman-Cum-Managing Director
DIN-07484614

Date: 25.09.2018
Place: New Delhi

ANNEXURE – A

Form No. MGT-9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN
as on the financial year ended on 31.03.2018
[Pursuant to section 92(3) *of the Companies Act, 2013* and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i.	CIN	U64100DL2012GOI232070
ii.	Registration Date	25th February, 2012
iii.	Name of the Company	Bharat Broadband Network Limited
iv.	Category / Sub-Category of the Company	Category - Company Limited by Shares Sub-Category – Union Government Company
v.	Address of the Registered office and contact details	Room no. 306, 3rd Floor, C-Dot Campus, Mandi Gaon Road, Mehrauli, New Delhi-110030
vi.	Whether listed company Yes / No	No
vii.	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	Karvy Computershare Pvt. Ltd. 305, New Delhi House, 3rd Floor, 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl. No.	Name and Description of main products / services	NIC code of the Product/ service	% to total turnover of the company
1	To carry on the business of establishment, management and operation of National Optical Fibre Network (NOFN) which has been envisaged by the Government of India to provide high speed broadband connectivity to all gram panchayats by extending the existing and future Optical Fibre network to the gram panchayats	9984222	100%

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES-

S. No.	Name and address of the company	CIN/GLN	Holding/ subsidiary/ Associate	% of shares held	Applicable Section
1	.....	.....	..... NIL	.....	.....

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) *Category-wise Share Holding*

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) Indian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Individual/HUF									
b) Central Govt.	NIL	6,00,00,000	6,00,00,000	99.999995		6,00,00,000	6,00,00,000	99.999995	NIL
c) State Govt(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Bodies Corp.	NIL	03	03	0.000005		03	03	0.000005	NIL
e) Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Any Other....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (A)(1)	**NIL**	**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**		**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**	**NIL**
2) Foreign									
a) NRIs-Individual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Other Individual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Any Other....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (A)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Shareholding of Promoter (A)=(A)(1)+(A)(2)	**NIL**	**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**		**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**	**NIL**
B. Public Shareholding	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Mutual Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Central Govt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) State Govt(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
e) Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Insurance Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) FIIs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) Foreign Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (B) (1)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) **Bodies Corp.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) **Indian**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) **Overseas**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) **Individuals**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto ₹ 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess ₹ 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (B) (1)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Total Public Shareholding (B) = (B) (1) + (B) (2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Grand Total (A + B + C)	**NIL**	**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**		**6,00,00,003**	**6,00,00,003**	**100**	**NIL**

ii) ***Shareholding of Promoters***

Sl. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in share holding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/ encumber-red to total shares	
1	President of India through Shri Amit Yadav, Joint Secretary (A), DOT	5,99,99,994	99.999985	NIL	5,99,99,994	99.999985	NIL	NIL
2	Shri R.M. Chaturvedi, Dy. Director General (CS), DOT	1	0.0000016	NIL	1	0.0000016	NIL	NIL
3	Shri Ashwani Salwan, DDG (BB), USOF, DOT	1	0.0000016	NIL	1	0.0000016	NIL	NIL
4	Shri Rupendra Kumar, Director (USOF), DOT	1	0.0000016	NIL	1	0.0000016	NIL	NIL
5	Shri Rajeev Kumar, DDG (B&PF), DOT	1	0.0000016	NIL	1	0.0000016	NIL	NIL
6	Shri R.M.Agarwal, DDG (SU), DOT	1	0.0000016	NIL	1	0.0000016	NIL	NIL
7	Shri Pawan Gupta, Director (PSU-1), DOT	1	0.0000016	NIL	1	0.0000016	NIL	NIL
8	M/s Bharat Sanchar Nigam Limited	1	0.0000016	NIL	1	0.0000016	NIL	NIL
9	M/s PowerGrid Corporation of India Limited	1	0.0000016	NIL	1	0.0000016	NIL	NIL
10	M/s Railtel Corporation of India Limited	1	0.0000016	NIL	1	0.0000016	NIL	NIL
	Total	**6,00,00,003**	**100**	**NIL**	**6,00,00,003**	**100**	**NIL**	**NIL**

NOTE: Sl. No. 1 to 7 shares are held on behalf of President of India through Department of Telecommunications

iii) ***Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)***

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	6,00,00,003	100%	6,00,00,003	100%
2	Date wise Increase / Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc.:	.....	..... NO CHANGE	.....	.....
3	At the End of the year	6,00,00,003	100%	6,00,00,003	100%

iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.	For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	Nil	Nil	Nil	Nil
2	Date wise Increase / Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc.)	Nil	Nil	Nil	Nil
3	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	Nil	Nil	Nil	Nil

v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sl. No.	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning of the year	NIL	NIL	NIL	NIL
2	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc):	NIL	NIL	NIL	Nil
3	At the End of the year	NIL	NIL	NIL	Nil

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	NIL	NIL	NIL	NIL
Total (i+ii+iii)	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**
Change in Indebtedness during the financial year • Addition • Reduction	NIL	NIL	NIL	NIL
Net Change	NIL	NIL	NIL	NIL
Indebtedness at the end of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	NIL	NIL	NIL	NIL
Total (i + ii + iii)	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager					Total Amount
		Shri Sanjay Singh, CMD	Shri Manoj Anand D(Fin.)	Shri A.K.Saxena, D(Plg.)	Shri N.K.Joshi, D(Opr.)	Shri B.K.Mittal, D(Opr.)	
1.	Gross Salary						
	(a) Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income Tax, 1961	NIL	32,40,443	30,03,762	NIL	NIL	62,44,205
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961	NIL	34,900	4,24,298	NIL	NIL	4,59,198
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax, 1961	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
2.	Stock Option	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Sweat Equity	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Commission						
	– as % of profit	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	– Others, specify	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
5.	Others, please specify	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Total (A)		NIL	32,75,343	34,28,060	NIL	NIL	67,03,403
Ceiling as per the Act		Not Applicable to Government company					

B. Remuneration to other directors:

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors			Total Amount
		Shri Amit Yadav (Nominee Director)	Shri Mahmood Ahmed (Nominee Director)	Shri Shashi Ranjan Kumar (Nominee Director)	
1	Independent Directors • Fee for attending board/committee meetings • Commission • Others, please specify	No Independent Director was on BBNL Board during the year	No Independent Director was on BBNL Board during the year	No Independent Director was on BBNL Board during the year	NIL
Total (1)		**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**
2	Other Non-Executive Directors • Fee for attending board/committee meetings • Commission • Others, please specify	NIL	NIL	NIL	NIL
Total (2)		**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**
Total (B) = (1 + 2)		**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**
Total Managerial Remuneration		**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**
Overall Ceiling as per the Act		**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**

C. Remuneration to key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	Shri A.C. Upadhyay, Company Secretary & Head Legal	-	Total
1.	Gross salary a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) Income-tax Act, 1961	NIL	16,15,407.00 44,900.00 -	- - -	16,15,407.00 44,900.00 -
2.	Stock Option	NIL	NIL	-	NIL
3.	Sweat Equity	NIL	NIL	-	NIL
4.	Commission - as % of profit - others, specify	NIL	NIL	-	NIL
5.	Others, please specify	NIL	NIL	-	NIL
Total			**16,60,307.00**		**16,60,307.00**

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD/ NCLT/COURT]	Appeal made, if any (give details)
A. COMPANY					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
B. DIRECTORS					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

ANNEXURE-B

Company's Report on Corporate Governance

1. A brief statement on Company's philosophy on Guidelines of Corporate Governance

The Mission/Vision statement of the Company includes enhancing the stakeholders' value. The Corporate Governance emphasizes an ethical framework of rules, regulations and policies governing the administration of the Company with a strong commitment to values and conduct of business on a sustainable basis to maximize shareholders' value. It aims at protecting the interest of every stakeholder including shareholders, investors, customers, vendors, regulators, the community at large and the government. The Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector enterprises (CPSEs) issued by Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, DPE vide its letter no. 18(8)/2005-GM dtd. May 14, 2010 entailing instructions, further mandates all CPSEs for necessary compliance. Company firmly believes that only good corporate governance will generate value on a sustained basis to all its stakeholders. Corporate Governance primarily concerns transparency, full disclosure of material facts, independence of Board and fair play with all stakeholders.

The steps are being taken up to comply/adhere with all compliances in terms of the Guidelines of Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises from time to time.

2. Board of Directors - Composition of the Board

Being a PSU, the appointment/nomination of Directors is made by the President of India through Ministry of Communication, Department of Telecommunications and Department of Public Enterprises. As on 31.03.2018, Board of BBNL have six Members, of whom four are Functional Directors (including Chairman–cum–Managing Director), two are nominees of Government of India. There are no Independent Directors. Company has approached Administrative Ministry/Department of Public Enterprises for the appointment of Independent Director.

2.1 Number of Board Meetings held, dates on which held:

Attendance and other details in the Board Meeting of the Board Members are given in the Corporate Governance Report. During the year the Board of Directors of the Company met Twelve (12) times on:-

65th Board Meeting 25.05.2017	66th Board Meeting 05.06.2017	67th Board Meeting 10.07.2017	68th Board Meeting 26.08.2017
69th Board Meeting 17.10.2017	70th Board Meeting 25.10.2017	71st Board Meeting 07.11.2017	72nd Board Meeting 15.11.2017
73rd Board Meeting 08.12.2017	74th Board Meeting 20.12.2017	75th Board Meeting 27.02.2018	76th Board Meeting 08.03.2018

2.2 The details as to the attendance of the Directors in the Board Meetings and number of other directorships and committee memberships, chairmanships as on 31st March, 2018 are as follows:

Name of the Director	Category	Attendance in Board Meeting during 2017-18	Attendance in Last AGM	Number of Directorships in other Companies	Number of Committees (including BBNL)	
					Member	Chairman
Shri Sanjay Singh	CMD	12	Yes	_	-	1
Shri Amit Yadav@	Govt. Nominee Director	2	NA	2	3	3
Shri Mahmood Ahmed	Govt. Nominee Director	12	Yes	-	3	1
Shri Manoj Anand	Director (Finance)	11	Yes	-	2	_
Shri N.K.Joshi@@	Director (Operations)	4	Yes	-	3	-
Shri A.K.Saxena@@@	Director (Planning)	4	Yes	-	2	-
Shri Shashi Ranjan Kumar#	Govt. Nominee Director	8	Yes	1	_	2
Shri B.K.Mittal##	Director (Operations) & (Planning)	5	NA		2	–

@ Pursuant to DoT Order, Shri Amit Yadav, JS (T), DoT was appointed as Govt Nominee Director on 01.02.2018.
@@Pursuant to DoT Order, Shri N.K.Joshi, JAT (USOF) was entrusted with the charge of Director (Operations) w.e.f. 15.11.2017.
@@@ Pursuant to DoT Order, Shri A.K.Saxena, State Head Maharastra was entrusted with the charge of Director (Planning) w.e.f. 15.11.2017.
# Pursuant to DoT Order, Shri Shashi Ranjan Kumar, JS (T), DoT was Govt Nominee Director upto 31.01.2018.
##Pursuant to DoT Order, Shri B.K.Mittal, Advisor, DOT was relinquished from the additional charge of Director (Operation) & Director (Planning) w.e.f. 31.10.2017.

Note:-

1. None of the Directors of the Board is a member of more than 10 (ten) committees or Chairman of more than 5 (five) committees across all the companies in which he is a Director. All the Directors have made requisite disclosures regarding Directorship/ Committee position occupied by them in other Companies. A brief resume of the Directors are given in the sl. no. 2.4 of this report.
2. The required quorum was present for all the meetings.

2.3 Age Limit and Tenure of Directors

The age limit for the Chairman-cum-Managing Director and other Whole-time Functional Directors is 60 (sixty) years. Generally, the Chairman-cum-Managing Director and other Whole-Time Functional Directors are appointed for a period of 5 (five) years from the date of taking over the charge or till the date of superannuation of the incumbent, or till further instructions / orders from the Government of India, whichever event occurs earliest. Part-time Official Directors (Government Nominees) retires from the Board on ceasing to be officials of the Ministry. Independent Directors are appointed by the Government of India.

2.4 Brief profile of the existing Directors and new Directors appointed during the year:

S. No.	Name of the Director	Designation	Date of Appointment	Nature of expertise in specific functional areas	Names of companies in which the person holds the Directorship and the membership of Committees of the Board
1.	Shri Sanjay Singh	CMD	18.03.2016	Given below	NIL
2.	Shri Amit Yadav	Govt. Nominee Director	01.02.2018	Given below	BSNL and MTNL
3.	Shri Mahmood Ahmed	Govt. Nominee Director	16.12.2016	Given below	NIL
4.	Shri Manoj Anand	Director (Finance)	29.07.2016	Given below	NIL
5.	Shri A.K.Saxena	Director (Planning)	15.11.2017	Given below	NIL
6.	Shri R.K. Singh	Director (Opt)	05.07.2018	Given below	NIL
7.	Shri N.K.Joshi	Director (Operations)	15.11.2017	Given below	NIL

Brief Profile:-

1. Shri Sanjay Singh is an officer of the 1987 batch of the Indian Administrative Service allotted to Madhya Pradesh Cadre. He was a Principal Secretary, Law & Legislative Affairs Department and Technical Education & Training Department, Bhopal, Government of Madhya Pradesh. Presently, Shri Singh, Administrator (USOF), Department of Telecommunications, Govt. of India, has assumed the additional charge of Chairman-cum- Managing Director, BBNL on 18.03.2016.
2. Shri Amit Yadav is an IAS Officer of AGMUT Cadre 1991. He is a Science & Law graduate and also holds MBA degree. Presently, he is a Joint Secretary, Department of Telecommunications, Government of India. Prior to this he held various positions in different Government Departments which includes Commissioner, East Delhi Municipal Corporation, CMD (DSIIDC), Secretary (Industries) and Secretary Finance, Government of NCT of Delhi, Counselor, Indian Mission to the WTO, Geneva, Director- Trade Policy Division, Department of Commerce, Government of India, Secretary Agriculture/Co-operation/ Fisheries/ Water Resources/ Animal Husbandry, Commissioner VAT, Government of Goa, Managing Director, Goa State Infrastructure Development Cooperation,

Additional Commissioner, Sales Tax, Delhi, Deputy Commissioner, South District, Delhi etc.

3. Shri Mahmood Ahmed belongs to the 1993 batch of IP&TAFS. He was selected through the Civil Services Examination of 1992 after completing his Masters from Hindu College, Delhi University. He has assumed the charge of Joint Administrator(F), USOF from April, 2015 onwards. Prior to this assignment, he served as Director in the Ministry of Urban Development, Government of India from 2010 to 2015. He also had a stint in the Department of Steel and Mines, Government of Odisha from 2005 to 2010. In a career spanning over two decades, he has rich and varied field experience in various capacities in the Department of Telecom and elsewhere.

4. Shri Manoj Anand, joined as Director (Finance), Bharat Broadband Network Limited (BBNL) on 29th July, 2016. Shri Anand is a Member of ICAI & ICSI. Prior to his joining BBNL, he has worked with MTNL, BSNL and DOT in various capacities. He is a Higher Administrative Grade Officer of the Indian P & T Accounts & Finance Service. He has rich and varied fields experience of about 27 years in Government financial management system especially in areas such as budgeting, costing, tariff, projects, etc.

5. Shri A. K. Saxena, is an ITS Officer of 1981 Batch who joined Department of Telecommunications in the year 1983. He started his career with his first posting in North East Task Force since then he has served in UP (West), Telecom Engineering Centre, New Delhi, MTNL Mumbai and BBNL. Shri A. K. Saxena has worked in MTNL Mumbai as General Manager in various positions like Marketing, HR & Admin, and Mobile Services etc, and in Bharat Broadband Network Limited as State head Maharashtra. He was promoted to HAG grade as Senior DDG in Department of Telecom in the month of August, 2017.

6. Shri Rajesh Kumar Singh is an officer of the Indian Telecommunication Services of 1985 batch. He did his Engineering in Electronics and Communication from B.I.T. Sindri, Ranchi University securing first position in University. He completed Master of Business Administration (MBA) with specialization in Human Resource. He has vast and varied experiences of more than three decades in Installation, Commissioning, Operation, Maintenance and Management of Telecom Services at various places all over India. He was instrumental in policy formulation relating to Planning, Operation and Services roll out through various Pilot Projects under BharatNet.

7. Shri N. K. Joshi joined Indian Telecom Service in 1985 after completing Engineering degree in Electronics and Communication from Indian Institute of Science, Bangalore. He has worked at many places inside India, especially in Punjab and Himachal Pradesh. He was deputed to head TCIL's project at Kuwait. Prior to joining as Director (Operation), BBNL, he held position of DDG (SU) in DoT Headquarters and ED, MTNL, Delhi. He was nominated as Government Director in Mahanagar Telephone Nigam Limited, Indian Telephone Industry and Millennium Telecom Limited.

2.5 Information placed before the Board of Directors

The Board of Directors have complete access to the information within the Company which includes Annual Revenue and Capital Budget, Periodic Statement of Accounts showing financial results of the Company, Financing Plans of the Company, Minutes of the Meetings of various Committees including Audit Committees, Annual Report, Directors' Report etc., Periodic Report on Compliance of applicable Laws, Disclosure of interest by Directors about Directorship and position occupied by them in other companies & other materially important information.

2.6 Process after the Board Meeting is held

The Secretary of the company as a part of the Governance Process, disseminate the outcome of the Board with necessary approvals and permissions/authorizations accorded to the Heads of the Divisions/Areas and there is a post-meeting compliance mechanism by which the necessary follow-ups, review and reporting for actions taken/ pending on the approval so accorded by the Board/ Committees are made.

2.7 Remuneration of Directors and Key Managerial Personnel:

Being a Government company, the remuneration as on 31.03.2018 of the following Whole-Time Functional Directors and Other Key Managerial Personnel is decided by the Government of India / Board, as applicable.

Amount in (₹)

Sl. No.	Name	Designation	Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income Tax, 1961	Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961	Total
1.	Shri Sanjay Singh	Chairman-cum-Managing Director	0.00	0.00	0.00
2.	Shri Amit Yadav@	Govt. Nominee Director	0.00	0.00	0.00
3.	Shri Mahmood Ahmed	Govt. Nominee Director	0.00	0.00	0.00
4.	Shri Manoj Anand	Director (Finance)	32,40,443.00	34,900.00	32,75,343.00
5.	Shri N.K.Joshi@@	Director (Operations)	0.00	0.00	0.00
6.	Shri A.K.Saxena@@@	Director (Planning)	30,03,762.00	4,24,298.00	34,28,060.00
7.	Shri Shashi Ranjan Kumar#	Govt. Nominee Director	0.00	0.00	0.00
8.	Shri B.K.Mittal##	Director (Operations) & (Planning)	0.00	0.00	0.00
9.	Shri A.C.Upadhyay	CS & Head Legal	16,15,407.00	44,900.00	16,60,307.00

@ Pursuant to DoT Order, Shri Amit Yadav, JS (T), DoT was appointed as Govt Nominee Director on 01.02.2018.

@@Pursuant to DoT Order, Shri N.K.Joshi, JAT (USOF) was entrusted with the charge of Director (Operations) w.e.f. 15.11.2017.

@@@ Pursuant to DoT Order, Shri A.K.Saxena, State Head Maharastra was entrusted with the charge of Director (Planning) w.e.f. 15.11.2017.

Pursuant to DoT Order, Shri Shashi Ranjan Kumar, JS (T), DoT was Govt Nominee Director upto 31.01.2018.

##Pursuant to DoT Order, Shri B.K.Mittal, Advisor, DOT was relinquished from the additional charge of Director (Operation) & Director (Planning) w.e.f. 31.10.2017.

2.8 Payment of sitting fees to Independent Directors during the year 2017–18:

There were no Independent Directors on BBNL Board during the year 2017-18. The position of Independent Director is vacant. The company has communicated about the requirement of Independent Directors in the Company, to the Department of Telecommunications.

2.9. Payment of sitting fees to Part-Time Official Directors/ Govt. Nominee Directors:

No remuneration is paid by the company to Part-Time Official Directors/ Govt. Nominee Directors.

3 Committees of The Board:

The company has the following Five (5) Board level Committees:

1. Audit Committee
2. Nomination and Remuneration Committee
3. Risk Management Committee
4. Executive Committee
5. Corporate Social Responsibility Committee

4. Audit Committee

4.1 Brief description of terms of reference

The Terms of Reference of the Audit Committee are in accordance with Section 177 of the Companies Act, 2013 and the Guidelines dated 14th May, 2010 on Corporate Governance of CPSEs issued by Department of Public Enterprises.

4.2 Scope of Audit Committee

The Audit Committee acts as a link between the Management, Statutory and Internal Auditors and the Board of Directors. The list of functions inter-alia includes the following:

- **To hold discussion with Auditors periodically about:**
  - Internal control systems compliance and adequacy thereof.
  - Scope of audit including observations of the Auditors.
  - Review of the quarterly, half yearly and annual financial statements before submission to the Board.
- **To perform the following functions:**
  - Overseeing the company's financial reporting process and system for disclosure of its financial information to ensure that the financial

statements are correct, sufficient and credible.

- Reviewing, with the management, the annual financial statements before submission to the Board for approval, with particular reference to matters required to be included in the Directors Responsibility Statement, changes, if any, in accounting policies, major accounting entries, significant adjustments made, and qualifications in the Draft Audit Report.
- Recommending the appointment and removal of internal auditors, fixation of audit fee and also approval for payment for any other services.
- Carrying out any other function as mentioned in the Terms of Reference of the Audit Committee.
- Review the CEO/CFO Statement and also Management Discussion and Analysis Report.

4.3 Constitution, Composition, name of Members and Chairperson

Initially, the Audit Committee, which has been constituted by the Board on 22.04.2013 consists of two Govt. nominee Director & One Functional Director. Company Secretary is the Secretary of the Audit Committee. During the year 5 (Five) Audit Committee meetings were held.

22nd Audit Committee 05.07.2017	23rd Audit Committee 13.07.2017	24th Audit Committee 09.11.2017
25th Audit Committee 15.11.2017	26th Audit Committee 20.12.2017	

Further, Company has approached to Department of Telecommunications (MOC) / Department of Public Enterprises for appointment of Independent Directors which is pending. As soon as Independent Directors are appointed by the Ministry/ /Department of Public Enterprises on the Board of BBNL, the Audit Committee will be reconstituted immediately. The composition and category of Members of the Audit Committee of the Board of Directors and attendance at the meeting is as under upto 31.03.2018: -

Sr. No.	Name of the Directors	Designation	Category	No. of Meeting Attended
1.	Shri Amit Yadav*	Chairman	Govt. Nominee Director	Not Applicable
2.	Shri Shashi Ranjan Kumar**	Chairman	Govt. Nominee Director	5
3.	Shri Mahmood Ahmed	Member	Govt. Nominee Director	4
4.	Shri B.K.Mittal***	Member	Director (Operations)	2
5.	Shri N.K.Joshi****	Member	Director (Operations)	1

* Pursuant to DoT Order, Shri Amit Yadav, JS (T), DoT was appointed as Govt Nominee Director on 01.02.2018.

** Pursuant to DoT Order, Shri Shashi Ranjan Kumar, JS (T), DoT was Govt Nominee Director upto 31.01.2018.

***Pursuant to DoT Order, Shri B.K.Mittal, Advisor, DOT was relinquished from the additional charge of Director (Operation) & Director (Planning) w.e.f. 31.10.2017.

****Pursuant to DoT Order, Shri N.K.Joshi, JAT (USOF) was entrusted with the charge of Director (Operations) w.e.f. 15.11.2017.

5. Nomination and Remuneration Committee

Initially, the Board was constituted the Remuneration Committee in the year 2013. As per DPE Guidelines Chairman should be an Independent Director, However Independent Director has yet not been posted. The Nomination & Remuneration Committee as required under Section 178 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 could not be re-constituted for want of Independent Directors on Board of the company during the year under review. The Committee will be re-constituted in terms of the provisions of the Act as soon as the Independent Directors are appointed by the Department of Telecommunications. Being a CPSE, the criteria for qualifications and remuneration of Directors, Key Managerial Personnel and other employees is decided by the Govt. of India and the Ministry of Corporate Affairs has granted exemption vide notification dated 05.06.2015. The scope of the Committee is limited as defined in Corporate Governance Guidelines, issued by DPE.

During the year (02) Two meeting were held on 6th meeting on 13.07.2017 & 7th on 15.11.2017. The present composition and category of Members of the Remuneration Committee of the Board of Directors and attendance at the meeting is as under:-

Sr. No.	Name of the Directors	Designation	Category	No. of Meeting Attended
1.	*	Independent Director	Non-official / official part time Director	-
2.	*	Independent Director	Non-official / official part time Director	-
3.	Shri Amit Yadav**	Member	Govt. Nominee Director	NA
4.	Shri Mahmood Ahmed	Member	Govt. Nominee Director	2
5.	Shri Shashi Ranjan Kumar***	Member	Govt. Nominee Director	2

*The position of Independent Director is vacant.

** Pursuant to DoT Order, Shri Amit Yadav, JS (T), DoT was appointed as Govt Nominee Director on 01.02.2018.

*** Pursuant to DoT Order, Shri Shashi Ranjan Kumar, JS (T), DoT was Govt Nominee Director upto 31.01.2018.

6. Risk Management Committee

During the period under review one (1) meeting was held on (5th) 20.12.2017. The composition and category of Members of the Risk Management Committee of the Board of Directors and attendance at the meeting is as under upto 31.03.2018:-

Sr. No.	Name of the Directors	Designation	Category	No. of Meeting attended
1.	Shri Mahmood Ahmed	Chairman	Govt. Nominee Director	1
2.	Shri N.K.Joshi	Member	Director (Operations)	1
3.	Shri A.K.Saxena	Member	Director (Planning)	1

7. Executive Committee

During the year 08 (Eight) Executive Committee meetings were held.

39th Executive Committee 08.04.2017	40th Executive Committee 24.04.2017	41st Executive Committee 01.06.2017	42nd Executive Committee 21.09.2017
43rd Executive Committee 11.10.2017	44th Executive Committee 23.10.2017	45th Executive Committee 27.11.2017	46th Executive Committee 27.03.2018

The composition and category of Members of the Executive Committee of the Board of Directors and attendance at the meeting is as under:-

Sr. No.	Name of the Directors	Designation	Category	No. of Meeting Attended
1.	Shri Sanjay Singh	Chairperson	Chairman-cum-Managing Director	8
2.	Shri Manoj Anand	Member	Director (Finance)	8
3.	Shri N.K.Joshi*	Member	Director (Operations)	2
4.	Shri A.K.Saxena**	Member	Director (Planning)	2
5.	Shri B.K.Mittal***	Member	Director (Operations) & (Planning)	6

*Pursuant to DoT Order, Shri N.K.Joshi, JAT (USOF) was entrusted with the charge of Director (Operations) w.e.f. 15.11.2017.

** Pursuant to DoT Order, Shri A.K.Saxena, State Head Maharastra was entrusted with the charge of Director (Planning) w.e.f. 15.11.2017.

***Pursuant to DoT Order, Shri B.K.Mittal, Advisor, DOT was relinquished from the additional charge of Director (Operation) & Director (Planning) w.e.f. 31.10.2017.

8. Corporate Social Responsibility (CSR) Committee

Scope and constitution of CSR Committee is as per the provisions of the Companies Act, 2013. During the period under review one (1) meeting was held on (1st) 22.03.2018. As on 31st March, 2018, the composition and category of Members of the CSR Committee of the Board of Directors and attendance at the meeting is as under:-

Sr. No.	Name of the Directors	Designation	Category	No. of Meeting Attended
1.	Shri Amit Yadav	Chairman	Govt. Nominee Director	1
2.	Shri Mahmood Ahmed	Member	Govt. Nominee Director	1
3.	Shri Manoj Anand	Member	Director (Finance)	1

9. Statutory Auditor

In exercise of the powers conferred by Section 139 of Companies Act, 2013, the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) has appointed the following Chartered Accountant Firms as Statutory Auditor / Branch Auditors of the company for the year 2017-18:

Rawla & Co.
Firm Regn. No. 001661N,
Chartered Accountants,
New Delhi

Statutory Audit fee for the year 2017-18 was paid ₹ 5,00,000/- (Rupees Five Lakh only).

10. Annual General Meetings (AGMs):

The details of last 3 Annual General Meetings of the Company are as under:-

No. of AGM	Financial Year	Date	Time	Venue	Special Resolutions Passed
5th Annual General Meeting	01.04.2016 to 31.03.2017	27.12.2017	16:00 Hrs.	Conference Room, 2nd Floor, Sanchar Bhawan, New Delhi-110001	Nil
4th Annual General Meeting	01.04.2015 to 31.03.2016	29.11.2016	16:00 Hrs.	Conference Hall, 13th Floor, Sanchar Bhawan, New Delhi-110001	Nil
3rd Annual General Meeting	01.04.2014 to 31.03.2015	28.09.2015	16:00 Hrs.	Conference Hall, 13th Floor, Sanchar Bhawan, New Delhi-110001	Nil

11. Disclosures:

(i) Disclosure of the materially significant related party transactions:

The company has not entered into any materially significant related party transactions with the Directors or the Senior Management Personnel or their relatives for the year ended 31st March, 2018 that has potential conflicts with the interest of the company.

Necessary disclosures have been made under the Accounting Standards 18 relating to the Related Party Transactions forming part of the Accounts for the year 2017-18.

(ii) It is reaffirmed that no penalties, strictures have been imposed by any statutory body.

(iii) Whistle Blower Policy / Vigil Mechanism:- Consequent upon the mandate of the DPE's MoU Task Force for inclusion of Compliance of CG Norms, inter-alia, establishing a whistle blower mechanism also as one of the Dynamic Parameters, the Company has put in place the Whistle Blower Policy /Vigil Mechanism which was approved by the Board.

(iv) The Company has been meticulously following the presidential directives and other guidelines issued by the Department of Telecommunications and the Department of Public Enterprises from time to time.

(v) During the year, no expenditure is debited to the books and accounts which are not for the purpose of business expenditure and no expenses which are of personal nature have been incurred for the Board of Directors and Top Management.

(vi) Disclosure of Accounting Treatment: Company follows the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India in the preparation of Financial Statements. Company has not adopted a treatment different from that prescribed in any of the Accounting Standard.

(vii) Items of expenditure debited in Books of Accounts / Other Expenses and details of Administrative and other financial expenses are given in the Financial Statements and Notes to Accounts.

(viii) Chairman's Speech at AGM is also distributed to the Shareholders who attended the Annual General Meeting of the Company and the same is also displayed on the website of the Company.

(ix) Management Discussion and Analysis Report forms part of the Directors' Report 2017-18.

(x) Pursuant to DPE Guidelines, the 'Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management' of the company has been laid down by the BBNL Board and the same has been implemented in BBNL. The said code has been circulated to all concerned and the same is also hosted on the website of the company. The Board members and Senior Management Personnel of the company have affirmed compliance with the provisions of the said Code of Conduct for the Financial Year ended 31st March, 2018. A declaration in this regard by Chairman-cum-Managing Director of the company is annexed with the report.

12. Means of Communication

Annual financial statements, new releases, tenders and career opportunities etc., are placed on the company's website.

Posting of information on the website of the Company: - The Company's website www.bbnl.nic.in is a user friendly site, containing all the latest developments.

Annual Report of the Company containing inter-alia, Audited Accounts, Directors Report, Independent Auditors Report and replies of management thereto, on Comments and Review of the C & AG of India are circulated amongst all the Members and other entitled thereto, as enunciated in the Companies Act, 2013 and also laid before the Houses of the Parliament.

13. Training of Board of Members:

The new Directors are given orientation and induction regarding Company's vision, core value including ethics, financial matters, business operations, and risk matters. The normal practice is to furnish booklets, brochures, Annual report, MOU signed with administrative ministry, Memorandum & Article of Association of the Company, guidelines on Corporate Governance etc.

14. Shareholding by the Directors and Stock Options:

Being a nearly hundred percent Government Owned Company, 99.99% shares are held by the President of India through Ministry of Communications, Department of Telecommunications. The Directors are not required to hold any qualification shares.

The Company has not issued any stock options to its Directors/Employees.

15. Certificate on Compliance of Corporate Governance:-

Department of Public Enterprises (DPE) has issued Corporate Governance guidelines applicable for Central Public Sector Enterprises, which has been made mandatory effective from May 2010.

In general, the Company has complied with the mandatory requirement of the guidelines on Corporate Governance issued by DPE except the requirement relating to minimum number of Independent Directors on the Board of the Company. The Company has taken up the issue with the appointing authority, viz., Government of India which is under the consideration. A certificate to the effect has been obtained from Practicing Company Secretaries which forms part of the Report.

ANNEXURE-C

Declaration Regarding Compliance with the Code of Conduct

I hereby declare that the Company has received affirmation from the Board Members and the Senior Management Personnel with regard to Compliance of the Code of Business Conduct and Ethics of the Company for Directors and Senior Management Personnel, in respect of the financial year ended on 31st March, 2018.

Bharat Broadband Network Limited
For and on behalf of the Board of Directors

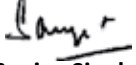

Sanjay Singh
Chairman-Cum-Managing Director
DIN-07484614

Date: 25.09.2018
Place: New Delhi

The Certificate on Compliance of Corporate Governance Norms

To

The Members,

M/s Bharat Broadband Network Limited
Room No. 306, 3rd Floor C-Dot Campus,
Mandi Gaon Road, Mehrauli,
New Delhi – 110030

We have examined the relevant books, records and statements in connection with compliance of the conditions of Corporate Governance of **M/s Bharat Broadband Network Limited** for the financial year ended 31st March, 2018, as stipulated in the **Guidelines on Corporate Governance Norms for Central Public Sector Enterprises,** as enunciated by the Department of Public Enterprises (DPE).

The compliance of the conditions of the Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance as laid down in the guidelines. Our Report/ Certification is neither an audit nor an expression of the opinion on the financial statements of the Company.

On the basis of our examination of the records produced, explanations and information furnished, we certify that the company has complied with all the mandatory conditions in conformity with the requirements of the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSEs), 2010 except appointment of requisite number of Independent Directors on the Board of the Company which we understand is done by Government of India (GOI). The Company is continuously pursuing the same with (GOI) to comply with Companies Act, 2013 and DPE Guidelines.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency of the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For Shifa Badri & Associates
Company Secretaries

Shifa Badri
M No. F7965
CP No. 17399

Date : 28.08.2018
Place : Noida

ANNEXURE-D

Certification/declaration on financial statements by the Chief Executive/Chief Finance Officer of the Company

We Sanjay Singh, Chairman-cum-Managing Director and Manoj Anand, Director (Finance) & CFO of Bharat Broadband Network Limited certify that in respect of the Financial Year ended on 31st March 2018:

(1) We have reviewed financial statements for the year and that to the best of our knowledge and belief:

(i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading; and

(ii) these statements together present a true and fair view of the company's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

(2) There are to the best of our knowledge and belief, no transaction entered into by the Company during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Company's code of conduct.

(3) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Company pertaining to financial reporting and we have disclosed to the Auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we are aware and the steps taken or proposed to be taken to rectify the same.

(4) We have indicated, wherever applicable, to the Auditors and the Audit Committee.

a. significant changes if any in internal control over financial reporting during the year;

b. significant changes if any in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

c. instances of significant fraud, if any wherein there has been involvement of management or an employee having a significant role in the company's internal control system over financial reporting.

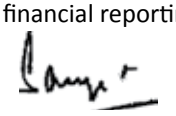

Sanjay Singh
Chairman–Cum- Managing Director
DIN-07484614

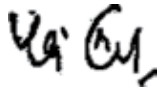

Manoj Anand
Director (Finance)
DIN-07583289

Date: 25.09.2018
Place:- New Delhi

ANNEXURE-E

Management Discussion and Analysis Report

i) Industry Structure and Developments

Proliferation of broadband services in the rural areas of the country is seen as a key driver for economic growth. Number of studies done world-wide and in India have shown a strong correlation between broadband penetration and economic well-being of the rural population. Optical Fibre is considered the primary communication media for broadband services. Whether it is 4G data services, Cable TV services or e-Health, e-Education etc., optical fibre through its ability to carry virtually unlimited bandwidth provides the most viable medium for carrying the digital signals.

Analysis of data received from industry suggests that the optical fibre has reached up to the District and Block level. At the Block level, it is predominantly the CPSUs which have the largest presence, while most of the private players are present up to the District level. Rural areas by and large are deprived of optical fibre connectivity. Due to lack of business case in rural areas for private operators, there has hardly been any investment done in taking the broadband services up to the rural areas.

In order to bridge the digital divide that exists between rural and urban areas of the country Government intervention was inevitable. In this context NOFN (now BharatNet) as a national asset was initiated to provide the missing OFC network up to the 2,50,000 Gram Panchayats in the country to enable service providers (Government as well as Private sector) to create last mile connectivity and provision their services in rural areas. Non-Discriminatory Access to all the service providers to the network is one of the key tenets of the project.

ii) SWOT Analysis

A SWOT analysis of BBNL is presented below:

Strengths:

- Leveraging the existing OF cables of CPSUs for faster roll out of the network.
- Strong commitment and funding from the Government.
- Availability of highly experienced and technically sound manpower from Government pool.
- Availability of established field proved processes and specifications for laying the OFC network.
- Strong support from State Governments in terms of free RoW and infrastructure at GPs.
- Participation of States in implementation of Phase-II.

Weaknesses:

- Problems of rural areas like power, theft and connectivity may strain the performance of the network.
- Poor health of existing fiber network in some of the areas may impact the SLAs.
- Multi-agency implementation model leads to coordination issues specifically with respect to vast geographies that need to be covered under NOFN.
- O&M challenges due to vast geographical spread and coordination with multiple agencies.
- BBNL being relatively newer organization, the organizational setup is not yet fully established.
- Lossy fibre

Opportunities

- Growing demand for data and video will spur demand for high bandwidth.
- Business imperatives in rural areas will favour proliferation of B2C and B2B services.
- Low broadband penetration means huge untapped demand.
- Due to impetus from Digital India initiatives, high demand expected for G2C and B2C services.
- Government vision of Broadband as basic infrastructure for service delivery

Threats

- Low purchasing power in rural areas may put pressure on revenues due to uncertain demand.
- Lack of digital literacy, affordable devices and adequate content in local language.
- Rural Ecosystem is not mature which may result in low uptake threatening the viability of the project.
- Availability gap of affordable bandwidth from District to Block segment.

iii) Segment wise or product wise performance

BBNL is operating only in one market segment ie offering bandwidth and dark fiber from its network. BBNL's offering to market under the BharatNet project is of wholesale bandwidth to be offered to service providers on a Non-Discriminatory basis. The bandwidth is being offered under different plans suitable to cater to the market needs. BBNL is also offering BharatNet fibre on the incremental cable

being laid to various service providers/ stakeholders on lease. This fibre may be used by the service providers to bridge the connectivity gap in their network.

Considering the wide reach of BSNL in rural areas and also BSNL being the O&M agency for BBNL's network, a revenue sharing arrangement (RSA) has been reached with BSNL whereby BSNL will market the services of BharatNet in the rural areas using BharatNet and the revenue earned will be shared between BSNL and BBNL.

BBNL is also strengthening its marketing function to understand the needs of LCOs, MSOs etc and create offerings suitable to their requirements.

iv) Outlook

a. **BharatNet Connectivity:** BBNL offers BharatNet bandwidth and dark fibre on BBNL's incremental cable on non-discriminatory basis. The tariff has been published and any service provider may use this connectivity for providing its services to the people in rural areas.

b. **Fibre (FTTH) / Broadband Services:** To facilitate faster roll-out of services, BBNL has entered into a revenue sharing agreement with BSNL whereby BSNL has been providing broadband services to rural customers using BharatNet. As on 24th August 2018, about 13,205 number of commercial FTTH connections in Gram Panchayats have been provided by BSNL using BharatNet connectivity in various states including Kerala, Karnataka, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttrakhand, Rajasthan, Gujarat, Jharkhand, Bihar, Telangana, West Bengal, UP, Maharashtra, Assam, Odisha and Puducherry. Moreover, BBNL has also made provision for taking an FTTH connection at 1.25 lakh GPs for AT, assessing the stability of services and giving a feel and experience of Broadband services to the people at GP-level. As on 24th August 2018, about 1,06,000 GPs have been made Service-open using such FTTH connections.

c. **Wi-Fi Hotspots:**

- BSNL has used BharatNet connectivity to provision Wi-Fi hot-spots in 1694 GPs in the States of Maharashtra, Karnataka, Puducherry, Kerala and Uttar Pradesh.
- CSC SPV has used BharatNet bandwidth to provide Wi-Fi services in 5000 GPs in Haryana, Chandigarh, Puducherry, Uttar Pradesh, Jharkhand, Maharashtra, Karnataka, Bihar, M.P, Chhattisgarh, Odisha, Punjab, Himachal Pradesh and Uttrakhand through Viability Gap Funding by USOF. Further, CSC SPV has been awarded the work of provisioning WiFi Hotspots in 25000 GPs in Uttar Pradesh and 3243 GPs in Himachal Pradesh by the Telecom Commission (TC). Recently, TC has also approved provisioning of WiFi Hotspots in 1178 GPs in Tripura and 3407 GPs in Karnataka through VGF by the USOF. As on 24th August, 2018, Wi-Fi infrastructure has been deployed in 19089 GPs and service delivery has started in about 5016 GPs by CSC SPV.
- Government of Rajasthan is provisioning Wi-Fi services at 10000 GPs through viability gap funding by USOF. As on date, they have deployed WiFi infra at 6500 GPs out of which 1200 GPs have become active.

d. **Telecom Service Providers (TSPs):** Telecom Service Providers have expressed their interest in utilizing BharatNet connectivity mainly for their 4G/ LTE services. Reliance Jio, Bharti Airtel, Vodafone and Idea Cellular have already deposited an advance of ₹ 17.86 Crore towards the same. Reliance Jio has been studying feasibility in more than 30,000 GPs while Airtel is studying feasibility in about 10,000 GPs. Airtel has also requested 1 Gbps bandwidth at 320 GPs in various States including Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Gujarat etc for which provisioning is going on and as on 24th August, 2018, 33 circuits have been provisioned. Vodafone has been provided feasibility of dark fibre for 204 GPs in Haryana against which they have requested dark fibre in 11 GPs. The provisioning for the same is in progress.

e. **Internet Service Providers (ISPs):** Various ISPs have taken BharatNet connectivity at about 2340 GPs in the States of Maharashtra, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Kerala, Karnataka and Punjab to provide broadband services at GPs. Further, several ISPs are studying the feasibility of utilising BharatNet in the States of UP, Maharashtra, Jharkhand, MP, Chhattishgarh, Rajasthan, and Gujarat.

f. **SWAN Integration:** Under National Information Infrastructure Pilot Project, 72 GPs & 170 horizontal offices are connected in Trivandrum District

of Kerala, 258 GPs & 59 horizontal offices are connected in Mysore District of Karnataka, 48 GPs are connected in Puducherry, 117 GPs are connected in Anand District of Gujarat, 190 GPs are connected in Haridwar District of Uttrakhand and 11 GPs out of 12 are connected in Chandigarh. RSWAN has been extended to 1605 GPs in Rajasthan, and SWAN has been extended to 03 GPs in West Bengal.

g. **Dark Fibre Utilization:** A total of about 445 Fibre KMs have been utilised by BSNL in the States of Kerala, Maharashtra, West Bengal, Telangana, Jharkhand, Rajasthan, Gujarat, Karnataka and Odisha for delivery of Broadband services.

v) Risks and Concern

Risk Management is an integral part of the Company's business strategy. The risk management process is governed by the Enterprise Risk management framework. The Risk Management oversight structure includes Committees of the Board and Senior Management Committees. The Risk Management Committee of the Board ("RMC") reviews compliance with risk policies, monitors risk tolerance limits, reviews and analyses risk exposure related to specific issues and provides oversight of risk across the organization. The RMC nurtures a healthy and independent risk management function to inculcate a strong risk management culture in the Company. A Risk management Committee has been constituted by BBNL Board to address these issues. The Committee has formulated a Risk Management Policy framework for BBNL.

vi) Internal Control Systems and their Adequacy

The Company's internal control system is designed to ensure operational efficiency, protection and conservation of resources, accuracy and promptness in financial reporting and compliance with laws and regulations. The internal control system is supported by an internal audit process for reviewing the adequacy and efficacy of the Company's internal controls, including its systems and processes and compliance with regulations and procedures. Internal Audit Reports are discussed with the Management and are reviewed by the Audit Committee of the Board which also reviews the adequacy and effectiveness of the internal controls in the Company.

vii) Discussion on financial performance with respect to operational performance:

The brief financial results are given below:

Particulars	Amount in INR	
	For the year ended 31st March, 2018	For the year ended 31st March 2017
Revenue from Operations	35,19,300	32,24,500
Other Income	3,09,64,72,238	1,06,00,61,543
Total Revenue	**3,09,99,91,538**	**1,06,32,86,043**
Employee's Remuneration and Benefits	12,94,78,683	4,64,86,754
Finance cost	40,59,780	43,07,166
Depreciation and amortisation expense	-	50,01,242
Administrative, operating and other expenses	2,90,35,97,143	72,29,72,554
Corporate Social Responsibility	15,00,000	-
Total Expenses	**3,03,86,35,606**	**77,87,67,716**
Profit / (Loss) before prior period items and tax	6,13,55,932	28,45,18,327
Prior period items	(2,04,56,806)	(34,31,885)
Profit / (Loss) before Tax	4,08,99,126	28,10,86,442
Tax Expense		
Current Tax expense for current year	1,31,74,200	7,91,15,040
Current Tax expense relating to prior period	-	-
Deferred Tax	-	(2,65,09,084)
Profit / (Loss) after Tax	**2,77,24,926**	**22,84,80,486**
Earnings per share		
Basic	0.46	3.81
Diluted	0.46	3.81
Transferred to General Reserve	**1,00,00,000**	**5,00,00,000**

viii) Material developments in Human Resource, Industrial Relations front, including number of people employed

Your Company has been organized and properly structured to meet the present day requirements. The guiding principle is to keep the organization Lean and Flat. The organization is built around three Branches – Finance, Planning and Operations. For achieving the challenging targets set by Government for the company, talent and human resource plays an active role. To meet its staffing requirements, BBNL has been leveraging on the senior management from DOT, USOF, BSNL and MTNL on deputation basis. BBNL has also made efforts for recruiting

young graduate engineers and finance professionals regularly. Apart from hiring retired officers of government /PSUs, to fill up its short-term vacancies, BBNL has also engaged 4 senior consultants (retired HAG and above officers of DOT) for speeding up its BharatNet Project in state-led models. In order to fill up the vacant positions in north east states, a special drive from retired army officers and PSU employees up to 58 years of age was initiated and based on that retired army personnel are now placed at Guwahati & Agartala. The organization chart of BBNL is as follows:

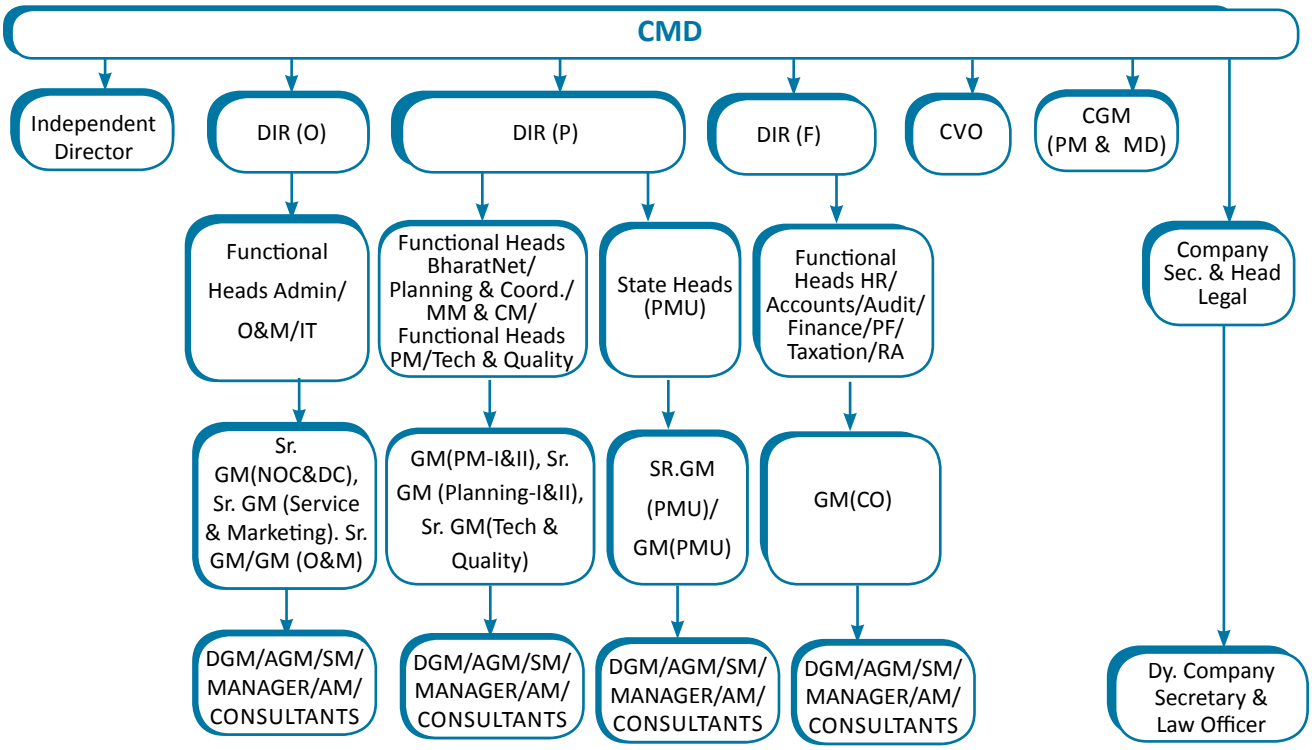

BBNL is a lean and thin organisation and is growing as per its need. As on 31st March 2018, your Company had strength of the employees as per details given below:

Level	Working (Total)	SC/ST	OBC	General	Women	SC/ST	OBC	General
Level – 1	96	20	10	66	3	0	0	3
Level – 2	30	5	7	18	6	2	0	4
Total	**126**	**25**	**17**	**84**	**9**	**2**	**0**	**7**

ix. Environmental Protection and Conservation

BBNL affirms its commitments towards Environmental Protection and conservation.

x) Accomplishments

BharatNet, approved by the Cabinet on 25.10.2011, is a project to create network to connect all the Gram Panchayats (approx. 2.5 lakh GPs) by broadband. This project is under implementation and the infrastructure created will be a national asset, accessible on a non-discriminatory basis to the Service Providers. The project aims to provide affordable broadband services to citizens and institutions in rural and remote areas, in partnership with States and the private sector, towards realization of the vision of 'Digital India'.

The Cabinet approved a modified strategy for BharatNet on July 19, 2017, which integrates the implementation experience of Phase-I of the project and aligns it with the vision of Digital India. The gist is as follows:

Phase-II:

i. The implementation is to be done through States, Private Sector and CPSUs.

ii. Optimal mix of media (OFC, Radio and satellite) to be used to connect GPs.

iii. Laying of fresh fibre from Block to GP (in Phase I incremental fibre from FPOI is being laid)

iv. Dark fibre to be available at the GP level for leasing out to Service Providers.

v. Operation and maintenance of the network for the lifetime of the project.

The total cost of the BharatNet, approved by the cabinet, is ₹ 42,068 crore (exclusive of GST, Octroi and local taxes).

A. Status of Phase-I:

The Phase-I of the project has been completed in December 2017, with over 1,00,000 GPs being made Service Ready.

B. Utilization of the BharatNet

- 9794 commercial Fiber to the Home (FTTH) connections have been provided.
- To trigger the ecosystem and promote BharatNet utilization, concessional Tariff for bandwidth and dark fibre for utilizing the network for service delivery has been formulated and applied.
- Further, to enable the Service Providers to test their equipment on the BharatNet, free trials (i.e. 10 trials per Service Provider) are also being tested by TSP and being facilitated by BBNL. As on date, Airtel, Reliance Jio, Idea and Vodafone are conducting trials.

C. Status of Phase-II :

The Phase-II is targeted to be completed by 31st March 2019. The progress is as follows;

- **State Led Model:** 8 States namely Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Odisha and Telangana have been approved for implementation under State-led model, along with quantum of funding, by Telecom Commission. Quadripartite MoUs have been signed with all the 8 States and the USOF and SIAs. These States have initiated the implementation process and mobilization advance of ₹ 877.57 crore has also been provided to them. All States except Tamil Nadu have floated the RFP. Chhattisgarh has signed the contract agreement with the Project Implementing Agency (PIA) for starting the work. Financial Bids have been opened in Jharkhand, Gujarat and Maharashtra.
- **Private Sector Led Model:** For implementation of the project under private sector model in Bihar and Punjab, Bharat Broadband Network Limited (BBNL) has placed orders under 6 packages and the survey is in progress.
- **CPSU Led Model:** PGCIL has been assigned the implementation work in two States and BSNL in 8 States. PGCIL has submitted the DPRs for Himachal Pradesh and BSNL has submitted the DPRs for 7 Telecom Circles namely Assam, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh (East), Uttar Pradesh (West), West Bengal and Sikkim and DPRs have been approved by the Telecom Commission on 01.05.2018. BSNL has floated Tenders for 41035 GPs and out of them, Work Orders issued for 17869 GPs. 9897 km duct has been laid. For the remaining GPs, tendering is at various stages. PGCIL has floated Tenders for their 2 States. Financial bids opened for Himachal Pradesh and Technical bids opened for Uttarakhand.
- **Satellite Connectivity:** 6407 GPs, located in remote and hilly locations of north east, J&K, HP and Uttarakhand have been approved to be connected on Satellite media so as to provide broadband connectivity to all the GPs within the approved timeline. Out of these 6407 GPs, 1407 GPs are being provided satellite connectivity through BSNL; while the rest are being implemented by BBNL through a bidding process. BSNL has selected the agency for implementation and Work Order/Purchase Order has been placed. The first two GPs out of the 1407 GPs have been commissioned in August 2018. BBNL's tender has since been finalised and work has been awarded.
- **Last Mile Connectivity:** Telecom Commission on 11.07.2018 has approved a Last Mile connectivity model through Wi-Fi or another suitable technology. At each GP, 5 Access Points (APs) are being set up, and out of these 3 APs are to be installed at Government institutions and 2 APs at public places including one at the GP location. Telecom Commission has also approved provision of 25000 and 3243 wifi hotspots in UP and HP respectively through

CSC-SPV. Further, CSC-SPV has been assigned the implementation of Wi-Fi at 1178 GPs of Tripura and 3407 GPs of Karnataka through the respective state governments. The work of last mile connectivity through wifi in 10000 GPs in Rajasthan is entrusted to the state government. The implementation is in progress and the current status is as follows:

S. No.	State	No. of GPs	Implementing Agency	Implementation Status
1.	Uttar Pradesh	25,000	CSC-SPV (A body under MeitY)	Installed in 10,000 GPs
2.	Himachal Pradesh	3243		Installed in 165 GPs
3.	Rajasthan	10,000	Rajasthan Government/ RISL	Installed in 6,500 GPs
4.	Remaining States	2.10 lakh (approx.)	BBNL	Tender opened on 18.9.2018

D. Status of BharatNet project:

As on 12.08.2018 the status of BharatNet project is as below:-

S. No.	Activity	Achievement
1.	Optical Fibre connectivity (GPs)	1,18,665
2.	OFC laid (Kms)	2,86,477 kms
3.	Service Ready (GPs)	1,14,186

xii. Renewable energy developments

BBNL operates in rural areas and understands the need for use of renewable energy. It has decided to use Solar Panel power system for all ONTs located in Gram Panchayats.

xiii. Foreign Exchange conservation

BBNL is helping conserve Foreign Exchange by adopting Preferential Market Access as decided by the Government.

xiv. Corporate Social Responsibility (CSR)

Company now is covered under the purview / criteria of Corporate Social Responsibility (CSR) as stipulated under the Companies Act 2013. In accordance with Companies Act, 2013, the Board has formed a CSR sub-committee of the Board and Company has contributed ₹15,00,000/- towards Swachh Bharat Kosh to comply with Section 135(5) of the Companies Act, 2013 for the FY 2016-17. A detailed Report on Corporate Social Responsibility is annexed as Annexure 'G' as per the requirements of Section 135 of the Companies Act, 2013.

Form No. MR-3 **ANNEXURE - F**

SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2018

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members

Bharat Broadband Network Limited
Room No. 306, 3rd Floor, C-Dot Campus
Mandi Gaon Road, Mehrauli
New Delhi-110030

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Bharat Broadband Network Limited** (hereinafter called the Company) having its Registered Office at Room No. 306, 3rd Floor C-DOT Campus, Mandi Gaon Road, Mehrauli New Delhi -110030. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms, returns filed and other records maintained by the company, the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, the explanations and clarifications given to us and the representations made by the Management,we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on March 31, 2018 generally complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records made available to us and maintained by the Company for the financial year ended on March 31, 2018 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made thereunder;

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and Rules made there under to the extent applicable on the company for having the shares in De-mat form;

(iii) The Depositories Act, 1996 to the extent applicable for unlisted company;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; if applicable.

(v) The Rules, Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'); (Not applicable to the Company during the audit period)

(vi) The Listing Agreement with any Stock Exchange; (Not applicable to the Company during the audit period)

(vii) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India with respect to board and general meetings, generally complied with.

(viii) Other laws applicable specifically to the Company namely:

a) Payment of Wages Act, 1936, and rules made thereunder,

b) Employees' State Insurance Act, 1948, and rules made thereunder,

c) The Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952, and rules made thereunder,

d) Payment of Gratuity Act, 1972, and rules made thereunder,

e) The Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970,

f) Telecommunication and Regulation Act of India, 1997

g) Maternity Benefit Act, 1981

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to our following observations:

(i) During the period under review it has been observed that the composition of Board of Directors of the Company has not been duly constituted due to non-presence of the Independent Directors in the

Company which also leads to the default under DPE Guidelines that requires number of Functional directors (including CMD/MD) should not exceed 50% of the actual strength of the board, further non-presence of the Independent Directors is also a default under Section 149 of the Companies Act, 2013.

(ii) The composition of committees of Board of Directors mandatorily required under Companies Act, 2013 is also not duly constituted due to non-presence of Independent Directors in the Company.

We further report that

The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views, if any, are captured and recorded as part of the Minutes of the Meetings.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period there were no specific events /actions in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc. having a major bearing on the Company's affairs.

For J. K. Gupta & Associates

Jitesh Gupta
FCS No. 3978
C P No.: 2448

Place: Delhi
Date: 17.09.2018

This Report is to be read with our letter of even date which is annexed as **"Annexure A"** and forms an integral part of this report.

'ANNEXURE – A'

To,

The Members

Bharat Broadband Network Limited
Room No. 306, 3rd Floor,
C-Dot Campus, Mandi Gaon Road,
Mehrauli, New Delhi-110030

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have relied on the Internal Auditors' Report for the period under review; hence we have verified the correctness and appropriateness of Statutory Compliances of the Company on sample basis. The qualifications/Observations mentioned in their Audit report also forming part of this report.
4. We have relied on the Statutory Auditors Report for the period under review; hence we have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company. The qualifications/ Observations mentioned in their Audit report also forming part of this report.
5. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
6. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
7. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company

For J. K. Gupta & Associates

Jitesh Gupta
FCS No. 3978
C P No.: 2448

Place: Delhi
Date: 17.09.2018

Annexure 'G'

A detailed Report on Corporate Social Responsibility as per the requirements of Section 135 of the Companies Act, 2013.

1. Brief outline of Company's CSR Policy including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR Policy and projects or programs.

BBNL is committed to conduct business in a socially, economically and environmentally responsible and sustainable manner, which enables the creation and distribution of wealth for the betterment of all its stakeholders, internal as well as external, through the implementation and integration of ethical systems and sustainable management practices. For this BBNL shall incorporate a balanced emphasis on all aspects of corporate social responsibility and sustainability with regard to its internal operations, activities and processes, as well as undertake initiatives and projects to facilitate capacity building, empowerment of communities, inclusive socioeconomic growth, environment protection, promotion of green and energy efficient technologies, development of backward regions, and upliftment of the marginalized and under-privileged sections of the society.

Web Link to the CSR Policy & Projects or programs:-

http://www.bbnl.nic.in/transparency/corporate-social-responsibility

2. The composition of the CSR Committee.

As on 31.03.2018, the Board Level Corporate Social Responsibility & Sustainability Committee comprises:-

One functional Director	:	Shri Manoj Anand, Director (Finance)
Govt. Nominee Directors	:	Shri Amit Yadav,
	:	Shri Mahmood Ahmed
Independent Directors	:	Yet to be appointed.

3. Average Profit Before Tax of the company for last three financial years.

Amount in INR

Particulars	2014-15	2015-16	2016-17	Total
	(14,16,551)	(5,65,97,155)	28,10,86,442	**22,30,72,736**
Average Net Profit				**7,43,57,579**
2% of Average Net Profit				**14,87,152**

Note: In view of above Company has contributed ₹15,00,000/- (more than 2% of average net profit) towards Swachh Bharat Kosh to comply with Section 135(5) of the Companies Act, 2013 for the FY 2016-17.

4. Prescribed CSR Expenditure (two percent of the amount as in item No. 3 above).

The prescribed CSR expenditure for Financial Year 2016-17 was ₹ 14,87,152/-which was rounded off to ₹ 15, 00,000/- and spent in the Financial Year 2017-18 (more than 2% of the average profit in terms of Section 135 for the last three years).

Previous Year Shortfall – NIL

Total Prescribed CSR Expenditure –₹ 15,00,000/-

5. Details of amount spent during the financial year for the CSR activities:

(a) Total amount to be spent for the financial year 2017-18: Against the allocated CSR Budget of ₹ 15, 00,000/-, the Company spent an amount of ₹ 15, 00,000/- in FY'18. This translates overall utilization of 100% CSR Budget.

(b) **Amount unspent: Nil**

(c) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:

Company has contributed ₹15,00,000/- towards Swachh Bharat Kosh to comply with Section 135(5) of the Companies Act, 2013 for the FY 2016-17.

Sl. No.	CSR project or activity identified	Sector in which the project is covered	Projects or Programs (1) Local area or other (2) Specify the State and district where projects or programs were undertaken	Amount outlay (budget) project or programs wise	Amount spent on the projects or programs Sub- heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Over-heads:	Cumulative expenditure upto the reporting period	Amount spent: Direct or through implementing agency
1.	Swachh Bharat Kosh	NA	NA	₹15.00 Lakh	₹15.00 Lakh	₹15.00 Lakh	Direct

Responsibility Statement

This is to certify that the implementation and monitoring of CSR Policy is in compliance with CSR objectives and Policy of the Company.

Sanjay Singh
Chairman-cum-Managing Director
DIN-07484614

Amit Yadav
Chairman-CSR Committee
DIN-06491798

Independent Auditor's Report

To

The Members of

Bharat Broadband Network Limited

REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS

We have audited the accompanying Financial Statements of Bharat Broadband Network Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2018, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement of the Company for the year then ended and a summary of accounting policies and other explanatory information. The company has 32 Project Monitoring Units (PMUs) and accounts of the same are included in accounts of Central office, and no separate accounts of these PMU were made by the company.

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act 2013 (' the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the Accounting principles generally accepted in India including Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with relevant rules issued there under from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities, selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

AUDITOR'S RESPONSIBILITY

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Basis of Qualification

The GST is implemented w.e.f. 01-07-2017 and the company has not maintained separate books of accounts for each PMU. There are other non-compliances of provisions of GST Act i.e. wrong claim of input on blocked items, non-payment of GST on liquidated damages or advance received from Telecom Service Provider etc. in time, which has created liability of interest, and excess input tax credit. The effect of the same is undetermined due to non-availability of complete details of all non-compliances by the company.

OPINION

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements subject to the effect of Para given under basis of qualification give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2018 and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following notes to the financial statement which describes the impact on the financial statements. Our opinion is not modified in respect of these matters.

a) Refer Note 1.6 and 9(iii)

(i) The execution of the work for connecting the GPs had been planned to be completed in 2 phases:

Phase-I: The target of completing 1,00,000 GPs under phase-I of BharatNet has been achieved in December 2017.

(ii) The GPON capitalization (71627) is based on GP lit status which is based on provision/working of FTTH at the GP by BBNL. This figure is not comparable to the service ready GPs, for which the target of 1,00,000 GPs was achieved in December 2017.

b) Refer Note 9 (iv)

The final bills are not received from executing agencies (BSNL, Railtel and PGCIL) and the capitalization is done on the basis of information available with the company. In case of any variation, the same shall be adjusted in the year of the final settlement.

c) Refer Note 10 (iii)

The percentage of cost taken towards capitalization of assets is taken as 3% of capex based on current trend of expenditure taking into account the future increase in Salary Expenditure.

d) Refer Note 16

Revenue from Broadband Charges represents amount directly collected by the company. The company has also entered into a revenue sharing arrangement (RSA) with BSNL for utilization of its network. The Revenue share of the company (20% of Net Revenue as per RSA) is presently not determinable as the appropriate codes in the billing software of BSNL are yet to be created. This revenue will be recognized in the year of settlement / receipt. As on 31.03.2018, 8,288 FTTH connections (by BSNL) and 3,766 Wi-Fi hotspots (by BSNL/CSC) are working on BharatNet.

e) Refer Note 17

The company has recognized other income amounting to ₹ 304,26,96,912 (FY 2016-17 ₹ 100,41,81,893) which represents the operating expenditure (Net Opex) net of revenue as per the modified implementation strategy of BharatNet approved by the Union Cabinet on 19.7.2017.

f) Refer Note 33

Amount receivable/payable to/from vendors is subject to confirmation.

Other Matter

1. The Inventories procured by the company for the purpose of creation of BharatNet assets, has been delivered to the CPSU's. The details of the consumption/utilization/custody report/certificates from the Executing Agencies CPSU's have not been obtained.
2. The company had given stock of ₹ 184,320,197/- to BSNL on loan basis during FY 2014-15, which is still pending and the amount has not been refunded to the company. Refer Note 14 of Statement of accounts.
3. The company has received details of purchase and invoice received from contractors from executing agencies (i.e. BSNL, Railtel and PGCIL) but Invoices from the Implementing executing agencies have not been provided.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, and on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we give in the Annexure 1, a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
2. We are enclosing our report in terms of Section 143 (5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, in the Annexure 2 on the directions issued by Comptroller and Auditor General of India, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
   a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
   b) Proper books of account as required by law

have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books; except separate books for each PMU having separate GSTN in each State.

c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;

d) In our opinion, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rule 2014

e) Being a Government Company, pursuant to the Notification No. GSR 463(E) dated 05th June 2015 issued by Government of India, provisions of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Company.

f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, according to the information and explanation given to us, the company has not yet established its internal financial control over financial reporting on criteria based on or considering the essential components of internal control stated in the guidance note on Audit of Internal Financial Controls over Financial reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Because of this reason, we are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis of our opinion whether the company had adequate internal financial controls over financial reporting and whether such internal financial controls were operating effectively as at March 31,2018.

We have considered the disclaimer reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of financial statements of the company, and the disclaimer does not affect our opinion on the financial statements of the company.

g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies(Audit and Auditors) Rules, 2014 as amended from time to time, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

(i) The Company has disclosed the pending litigation in its financial statements in respect of the contingent liability and the Capital Commitments.– Refer Note 27.1 to 27.2

(ii) The Company has made provisions, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts except stated above in our report and the company has not entered into any long term derivative contract.

(iii) The Company is not required to transfer any funds to the Investor Education and Protection Fund during the year ended March 31, 2018.

For Rawla & Company
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 001661N

CA Raja Ram Gupta
Partner
M. No. 081279

Place: New Delhi
Date: 09th August, 2018

Annexure 1: To Independent Auditor's Report for the year ended on 31st March, 2018

[Referred in Paragraph 1 of Independent Auditor's Report under the heading "Report on other Legal and Regulatory Requirements "of our Report of even date]

i. a. The Company is maintaining fixed assets registers showing quantitative details and situation of the fixed assets.

b. BharatNet Assets in different circles have been physically verified by officers of DOT {Controllers of Communication Accounts} who are the designated monitoring authority. There are material discrepancies in DOT reports some of which are as follows:-

(i) Components of some equipments were found missing.

(ii) Sign Board of USOF was not found on many sites.

(iii) Connectivity and speed limit issue was found below the company's benchmark.

The company has not taken any follow up action on these reports.

Fixed assets in office of PMUs have been physically verified by the management during the year but the physical verification reports do not certify that there is no variation as compared to fixed assets register.

For corporate office, a periodic system of physical verification of assets is being followed but no policy document is made available to us.

c. As explained to us, the company does not own any immovable property.

ii. The Inventories procured by the company for the purpose of creation of BharatNet assets, have been delivered to the executing agencies (BSNL, Railtel and PGIL). The details of the consumption/ utilization/custody report/certificates from the executing agencies have not been obtained.

Details of purchases made by the Implementing executing agencies along with purchase invoices have not been provided.

iii. The Company has not granted any loans secured or unsecured to companies, firms, limited liability partnerships or other parties covered in register maintained under Section 189 of the Act.

iv. The company had not granted any loans, guarantees and securities as per provisions of section 185/186 of the Companies Act, 2013.

v. The company has not accepted any deposits from the public, the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act and the rules framed there under are not applicable.

vi. The Central Government has not prescribed maintenance of cost records under sub section 1 of section 148 of the Companies Act

vii. a) The company is generally regular in depositing the undisputed statutory dues including provident fund, income tax, GST and other statutory dues with the appropriate authorities except the liability of interest on GST on advance received from Telecom Service Providers, liquidated damages recovered from vendors, unpaid trade payable beyond 180 days from the date of invoice etc. and amount could not be determined Refer Basis of Qualification.

b) There is no undisputed dues outstanding as on 31st March, 2018 for a period of more than six months from the date they become payable.

c) According to information & Explanation given to us, there were no disputed dues in respect of Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, GST and other material statutory dues in arrears as at 31st March, 2018.

viii. The Company has not defaulted in repayment of loans or borrowings dues to any financial institutions, banks, government or dues to debenture holders.

ix. The Company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) or term loan during the year.

x. No material fraud by the Company or on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the course of our audit.

xi. The Company has paid/ provided for managerial remuneration in accordance with the requisite approvals mandated by the provisions of section 197 read with Schedule V to the Act.

xii. The Company is not a Nidhi company. Accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.

xiii. Transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Act where applicable and details of such transactions have been disclosed in the financial statements, as required by the applicable accounting standards.

xiv. The Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year.

xv. The Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him.

xvi. The Company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

For Rawla & Company
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 001661N

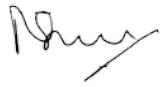

CA Raja Ram Gupta
Partner
M. No. 081279

Place: New Delhi
Date: 09th August, 2018

ANNEXURE 2

[Referred in Paragraph 2 of Independent Auditor's Report under the heading "Report on other Legal and Regulatory Requirements "of our Report of even date]

Report on directions u/s 143 (5) of Companies Act, 2013 for the year 2017-18

1. Whether the company has clear title deeds for freehold and leasehold respectively? If not please state the area of freehold and leasehold land for which title/ lease deeds are not available.
   - The company does not own any immovable property.
2. Please report whether there are any cases of waiver of debts/loans/interest etc., if yes, the reasons therefore and the amount involved.
   - No waiver of debts/loan/interest was observed during the year.
3. Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift from govt. or other authorities?
   - The Inventories procured by the company for the purpose of creation of BharatNet assets, has been delivered to the CPSU's. The details of the consumption/utilization/custody report/ certificates from the Executing Agencies CPSU's have not been obtained.
   - The executing agency BSNL had utilized Stock of ₹ 184,320,197 during the year 2014-15 out of the inventory purchased for the purpose of the company without any cost benefit on loan basis and the same is still unadjusted.

The company has received details of purchase and invoice received from contractors from executive agencies (i.e. BSNL, Railtel and PGCIL) but Invoices from the Implementing Agencies have not been provided.

For Rawla & Company
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 001661N

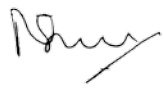

CA Raja Ram Gupta
Partner
M. No. 081279

Place: New Delhi
Date: 09th August, 2018

Balance Sheet as at 31st March, 2018

(Amount in ₹)

	Particulars	Note No.	As at 31st March, 2018	As at 31st March, 2017
A	**EQUITY AND LIABILITIES**			
1	**Shareholders' Funds**			
	Share capital	3	60,00,00,030	60,00,00,030
	Reserves and surplus	4	20,37,19,086	17,59,94,160
			80,37,19,116	**77,59,94,190**
2	**Non-current Liabilities**			
	Deferred Tax Liabilities (Net)	5	-	-
	Long-term liabilities	6	12,91,79,01,212	9,52,47,56,498
			12,91,79,01,212	**9,52,47,56,498**
3	**Current Liabilities**			
	Trade Payables	7	3,01,28,55,187	1,89,60,15,411
	Other current liabilities	8	1,06,76,65,51,475	68,22,17,70,680
			1,09,77,94,06,662	**70,11,77,86,091**
	TOTAL		**1,23,50,10,26,990**	**80,41,85,36,779**
B	**ASSETS**			
1	**Non-current Assets**			
	Property, Plant and Equipment	9	1,82,663	70,041
	Intangible assets	9	258	232
	Capital work-in-progress	10	22,48,75,75,740	18,13,47,60,387
			22,48,77,58,661	**18,13,48,30,660**
2	Long-term loans and advances	11	53,17,50,24,537	29,81,86,91,389
			53,17,50,24,537	**29,81,86,91,389**
3	**Current Assets**			
	Trade Receivables	12	-	47,19,816
	Cash and Bank Balances	13	28,61,99,15,103	19,61,19,23,097
	Short-term loans and advances	14	2,03,06,02,932	1,81,94,57,470
	Other Current Assets	15	17,18,77,25,757	11,02,89,14,347
			47,83,82,43,792	**32,46,50,14,730**
TOTAL			**1,23,50,10,26,990**	**80,41,85,36,779**
Summary of Significant Accounting Policies		2		
The accompanying notes are an integral part of the financial statements				

As per our Report of even date attached.
For Rawla & Company
Chartered Accountants
FRN 001661N

Raja Ram Gupta
Partner
M.No. 081279

For and On Behalf of Bharat Broadband Network Limited

Sanjay Singh
Chairman & Managing Director
DIN : 07484614

Manoj Anand
Director (Finance)
DIN : 07583289

Avinash Chandra Upadhyay
Company Secretary & Head Legal
M.No. F4324

Date : 09th August, 2018
Place : New Delhi

Statement of Profit and Loss

For the year ended 31st March, 2018

(Amount in ₹)

Sr. No.	Particulars	Note No.	For the year ended 31st March, 2018	For the year ended 31st March, 2017
1	Revenue from Operations	16	35,19,300	32,24,500
2	Other Income	17	3,09,64,72,238	1,06,00,61,543
3	**Total Revenue (1+2)**		**3,09,99,91,538**	**1,06,32,86,043**
4	**Expenses**			
	(a) Employee's Remuneration and Benefits	18	12,94,78,683	4,64,86,754
	(b) Finance costs	19	40,59,780	43,07,166
	(c) Depreciation and amortisation expense	9	-	50,01,242
	(d) Administrative, Operating and Other Expenses	20	2,90,35,97,143	72,29,72,554
	(e) Corporate Social Responsibility	24	15,00,000	
	Total Expenses		**3,03,86,35,606**	**77,87,67,716**
5	**Profit / (Loss) before Prior Period items and tax (3-4)**		6,13,55,932	28,45,18,327
6	Prior Period Items	21	(2,04,56,806)	(34,31,885)
7	**Profit / (Loss) before tax (5 + 6)**		4,08,99,126	28,10,86,442
8	**Tax Expense:**			
	(a) Current tax expense for current year		1,31,74,200	7,91,15,040
	(b) Current tax expense relating to prior period		-	-
	(c) Deferred tax			(2,65,09,084)
			1,31,74,200	5,26,05,956
9	**Profit / (Loss) after tax (7 -8)**		**2,77,24,926**	**22,84,80,486**
10	**Earnings Per Share :**	32		
	a) Basic		0.46	3.81
	b) Diluted		0.46	3.81
	Summary of Significant Accounting Policies	2		
	The accompanying notes are an integral part of the financial statements			

As per our Report of even date attached.

For and On Behalf of Bharat Broadband Network Limited

For Rawla & Company
Chartered Accountants
FRN 001661N

Raja Ram Gupta
Partner
M.No. 081279

Sanjay Singh
Chairman & Managing Director
DIN : 07484614

Manoj Anand
Director (Finance)
DIN : 07583289

Avinash Chandra Upadhyay
Company Secretary & Head Legal
M.No. F4324

Date : 9th August, 2018
Place : New Delhi

Notes Forming Part of the Financial Statements for the Year Ended 31st March 2018

1. COMPANY PROFILE - BHARATNET PROJECT

1.1 The Company is owned by the Government of India with registered Corporate Office at New Delhi. The company was incorporated on 25th February 2012 under the Companies Act 1956 as a Public-Sector Company with limited liability by shares and was set up as a Special Purpose Vehicle (SPV), to install National Optical Fibre Network (NOFN) now BharatNet, as per Government of India decision dated 25.10.2011 for providing broadband connectivity to approximately 2,50,000 Gram Panchayats (GPs) in India.

1.2 The creation of BharatNet and maintenance thereof shall be fully funded by Universal Service Obligation Fund (USOF).The company accordingly, entered into an agreement on 25.02.2014 with the President of India, acting through the Administrator USOF and BBNL to set up, provide (i.e. procure, install, test, commission), operate, maintain and manage OFC transport network and associated infrastructure required for effective provision of bandwidth on non-discriminatory basis in all the 2,50,000 GPs of India.

1.3 USOF shall provide grant / subsidy to BBNL for the entire Capital Expenditure (Capex) and Net Cost of Operating Expenditure (Opex) net of Revenue for creation, operation and maintenance of BharatNet up to 2020.

1.4 For the implementation of BharatNet, BBNL has entered into Memorandum of Understanding/ Agreement separately with Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL) and Railtel Corporation of India Limited (RAILTEL). Separate MOU / Agreement was made with Centre for Development of Telematics (C-DOT) for Network Management System (NMS) and NIC for implementation of Geographic Information System (GIS).

1.5 The Government of India approved on 19.7.2017 a modified implementation strategy for BharatNet whereby direct connectivity from block headquarters (BHQs) to Gram Panchayat is envisaged using an optimal mix of media, i.e. OFC on electricity poles, radio and satellite for speedier deployment and underground OFC as is being done in Phase I. The implementation of the project is through States and State's agencies, CPSU's and private sector agencies. Specific provisions for replacement of lossy fiber, to provide last mile connectivity in all GPs through viability Gap Funding and for operation and maintenance of the network have been made in the approval of the cabinet.

1.6 The execution of the work for connecting the GPs had been planned to be completed in 2 phases:

Phase-I: The target of completing 1,00,000 GPs service ready under phase-I of BharatNet has been achieved in December 2017.

Phase-II: To connect remaining 1,50,000 GPs directly to BHQs by 31st March, 2019.

1.7 Implementation of Phase-II of the project is as below:

i. State Led Model: Bharat Net is being implemented in 8 states namely AP, Telengana, Chhattisgarh, Tamilnadu, Jharkhand, Gujarat, Odisha and Maharashtra through this Model. DPRs for the project of all the States have been approved by Telecom Commission. RFP template has been shared with all the States for floating of tender. The mobilization advance to all the States have been released.

ii. Private Sector Led model: Two States namely Punjab and Bihar are being implemented through this model. RFP has been floated by BBNL for selection of the Project Implementing Agency for the State. The project implementing agencies for 3 packages in each state have since been selected.

iii. CPSU Led Model: In rest of the states, Project shall be implemented by this model by PGCIL (in Uttarakhand and HP) and by BSNL in all other States.

1.8 BBNL was initially conceptualized to provide 100 Mbps bandwidth at each GP. This has been increased to 1 Gbps on OFC in Phase-II along with provision of dark fibers to meet the specific needs of Telecom Service Providers (TSPs), Internet Service Providers (ISPs) and Multi System Operators (MSOs), etc. BBNL has also tied up with BSNL on revenue sharing basis for the provision of services. The State Governments, Central Government Departments, Department of Posts have been approached for

utilization of the network.

1.9 For utilization of BharatNet, WiFi hotspots (including Institutions in the state) on viability gap funding (VGF) are being set up through open bidding, CSC e-governance Ltd and State Governments.

1.10 BBNL is still under project construction stage. The projected completion date of the entire network is 31st March 2019. BBNL has received positive response from major TSPs for utilization of the network.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

2.1 BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

a. The financial statements have been prepared and presented in accordance with the generally accepted accounting principles in India (Indian GAAP) under the historical cost convention.

b. The financial statements have been prepared to comply in all material respects with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act 2013, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules 2016 and other relevant provisions of the Companies Act, 2013.

c. The Company follows the mercantile system of accounting and recognizes income and expenditure on an accrual basis except stated otherwise.

d. The accounting policies applied by the Company are consistent with those used in the previous year except stated otherwise.

2.2 USE OF ESTIMATES

The preparations of financial statements requires / are made using estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, revenue and expenses during the reporting period. Although such estimates and assumption are made on a reasonable and prudent basis taking into account all available information, actual results could differ from these estimates & assumptions and such differences are recognized in the period in which the results are crystallized.

2.3 CASH FLOW STATEMENT

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit / (loss) before extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

2.4 REVENUE RECOGNITION

Income from services is accounted for on accrual basis and in conformity with Accounting Standard - 9. Accordingly,

a) Revenue for all services is recognized when earned and are realizable at the time of billing. Un-billed revenues from the billing date to the end of the year are recorded as accrued revenue during the period in which the services are provided. Provisions are made in respect of bills considered to be disputed (by the management), debts outstanding for more than two years and for debts due for less than two years, to the extent considered necessary by the management.

b) Sale proceeds of scrap arising from maintenance are taken into miscellaneous income in the year of sale.

c) All incomes are recognized on accrual basis except where there is uncertainty in realization of income such as liquidated damages.

d) Subsidy received /receivable from USOF on account of Operating Expenses net of revenue streams, is accounted for as Other Income.

e) Interest is recognized on accrual basis on time proportion basis. The interest earned on funds received from Universal Service Obligation Fund (USOF) for creation of BharatNet, is recognized as Government Grant.

2.5 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

a) The tangible assets are stated at cost net of capital subsidy received for creation of that from USOF. Such assets are shown in books at nominal value of ₹1/- as below:

1.1 The cable system is represented in terms of OFC kms as ₹1/- per km.

1.2 The equipment is represented in terms of ONTs as ₹1/- per ONT.

1.3 The all other assets are also reflected as ₹1/- per unit.

b) Optical Fibre Cable network are capitalized to the extent Acceptance Testing (A/T) of OFC is done. GPON equipment of BharatNet are capitalized as and when the network links between Optical Line Terminal (OLT) and Gram Panchayat are commissioned after successful Acceptance Testing (A/T).

c) Cost of fixed assets which are not yet ready to use on the date of Balance Sheet are disclosed under "Capital Work- in- Progress".

The cost of capital work in progress includes:

(i) The cost of stores and materials issued to project, and

(ii) The cost of PLB duct and the cost of trenching, laying works as reported by executing agencies as utilized for the BharatNet.

(iii) Establishment and other expenses including employee remuneration and benefits of Project Management Units of States.

(iv) The cost of capital work in progress is reduced by the liquidated damage received from vendors.

d) Expenditure on replacement of tangible assets, equipment, instruments and rehabilitation works is capitalised if, in the opinion of the management, it results in enhancement of revenue generating capacity.

e) The intangible assets are stated at cost net of capital subsidy received from USOF. The same is shown at nominal value of ₹1/- per unit.

f) Network Management System / Network Operating Centre and Data Centre are capitalized when the same becomes ready for use after successful Acceptance Testing.

g) The percentage of cost taken towards capitalization of assets is taken as 3% of capex based on current trend and taking into account the future increase in Salary expenditure.

h) Depreciation is not applicable on assets created from grant/subsidy received from USOF/DOT as the Property, plant and equipment are being shown at a nominal value.

i) Inventories procured for creation of asset are valued at cost and transferred to CWIP for creation of BharatNet assets. The cost of inventory consists of the purchase price including duties and taxes (other than those subsequently by the enterprise from the taxing authorities), freight inwards and other expenditure directly attributable to the acquisition.

2.6 INVENTORIES

Inventories procured for repair and maintenance of asset are valued at cost. The cost of inventory consists of the purchase price including duties and taxes (other than those subsequently by the enterprise from the taxing authorities), freight inwards and other expenditure directly attributable to the acquisition.

2.7 GOVERNMENT GRANTS

a. The subsidy/grant relating to depreciable assets is deducted in arriving at the carrying value of the related assets. The government grant received during the year but not utilized for creation of tangible/intangible assets is carried forward as long term liability/ other current liabilities as the case may be.

b. The interest earned on funds received from Universal Service Obligation Fund (USOF) for creation of BharatNet, is treated as subsidy/ grant from USOF/DOT.

c. Government subsidy / grant related to revenue (Opex) is recognized in the statement of profit and loss as 'Other Income' on accrual basis.

2.8 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

Transactions in foreign currency are recorded at the exchange rate prevailing on the date of the transaction i.e. on the date of payment or the billing as the case may be.

Foreign currency monetary asset at Balance sheet date is reported at the exchange rate prevailing at the reporting date.

2.9 LEASES

Leases are classified as finance or operating leases based on the extent to which risks and rewards incident to ownership of a leased asset lie with the lessor or the lessee and accordingly leased assets and lease payments are recognized in the financial statement.

2.10 EMPLOYEES' BENEFITS

a. Short Term Employee Benefits:

Short Term employee benefits are recognized in

the period during which the services have been rendered.

Medical Benefits

Medical reimbursements and other personal claim bills of employees are accounted for on actual basis in respect of bills received till finalization of accounts.

b. LONG TERM EMPLOYEE BENEFITS:

i) Pension Contribution (including gratuity)

The Government employees and employees of other Public Sector Companies on deputation, who are governed as per extant Government Rules on the subject, are eligible for pension from the Government, which is a defined contribution plan. The company makes monthly contribution towards pension (including liability on account of gratuity) at the applicable rates as per Government Pension Rules and FR & SR, to the Government and the amount is expensed in the Statement of Profit & Loss.

ii) Employees' Provident Fund

For employees of other Public Sector Companies on deputation who are governed by EPF Act the Company remits Employer's Contribution and related administrative charges at a predetermined applicable rate of employees' basic salary and dearness allowance to concerned other Public Sector Companies, and the amount is expensed in the Statement of Profit & Loss.

For employees recruited by BBNL who are governed by EPF Act, the Company remits Employer's contribution and related administrative charges along with employees' contribution to EPFO. The employer's contribution and administrative charges are expensed in the Statement of Profit & Loss.

iii) Contribution for Leave Salary

For Government Employees and other Public Sector Companies on deputation, Leave salary contribution is paid by BBNL to Government / other Public Sector Companies for the deputation period in accordance with FR115(b) of FR & SR and the amount is expensed in the Statement of Profit & Loss. Consequently the leave salary payable for those on deputation during the period of leave rests with Government / other Public Sector Companies. Further any leave encashment either before or after quitting service / retirement is also the responsibility of Government / other Public Sector Companies.

iv) Gratuity

For employees on deputation from other Public-Sector Companies who are governed by Payment of Gratuity Act 1972 the company remits contribution towards gratuity to other Public-Sector Companies and the amount is expensed in the Statement of Profit & Loss.

v) Post- employment Benefits to employees recruited by BBNL

Gratuity: Provision is made for gratuity as per Payment of Gratuity Act 1972.

Contribution for Leave Salary: Provision in respect of Leave salary to be paid as post-employment benefit is made in accordance with FR115 (b) of Fundamental Rules & Supplementary Rules and the amount is expensed in the Statement of Profit & Loss. FR 115(b) is applicable to Central Government employee

As per guidelines issued by Department of Public Enterprise, Government of India Superannuation benefits shall be 30% of Basic Pay plus DA.

For the employees recruited by BBNL, the Company contributes Employer's contribution @ 12% and @ 4.81% of Basic & DA for EPF & for Gratuity respectively. For the balance superannuation benefits the company is yet to frame policies. Pending framing and approval balance superannuation benefits the Company makes provision @ 13.19% of Basic & DA of the employees.

2.11 PRIOR PERIOD ITEMS

Income or expenses which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of financial statements of one or more prior periods are recognized as prior period items in the Statement of Profit & Loss.

2.12 TAXES ON INCOME

Taxes on Income for the current period are determined on the basis of taxable income and tax credits computed in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961.

In accordance with the AS-22, Deferred Tax Liability / Asset is recognized on the timing differences between accounting income and the taxable income for the period taking into consideration the

contents of Accounting Standard Interpretations 3 and quantified using the tax rates in force or substantively enacted as on the reporting date.

Deferred Tax Assets are recognized and carried forward to the extent there is a virtual certainty that such deferred tax assets can be realized.

2.13 PROVISIONS

Provisions are recognized when the Company has a present obligation as a result of past events; it is more likely than not that an outflow of resources will be required to settle the obligation, and the amount has been reliably estimated.

2.14 CONTINGENT LIABILITIES

Liabilities, though contingent, are provided for if there are reasonable chances of maturing such liabilities as per management. Other contingent liabilities, barring frivolous claims, not acknowledged as debts, are disclosed by way of notes.

2.15 EARNINGS PER SHARE

Earnings per share ("EPS") comprises the Net Profit after Tax (excluding extraordinary income net of tax). The number of shares used in computing Basic & Diluted EPS is the weighted average number of shares outstanding during the year.

2.16 SEGMENT REPORTING

There is only one primary segment which is provision of long distance service i.e. provision of bandwidth/ dark fibre through BharatNet.

3. SHARE CAPITAL

(a) Authorized **(Amount in ₹)**

Particulars	As at 31st March 2018		As at 31st March 2017	
	Number of shares	Amount in ₹	Number of shares	Amount in ₹
(a) Authorised 100,00,00,000 (P.Y. 100,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10/- each	1000,000,000	10,00,00,00,000	1000,000,000	10,00,00,00,000
(b) Issued, Subscribed and Fully Paid Up 6,00,00,003 (P.Y. 6,00,00,003) Equity Shares of ₹ 10/- each	6,00,00,003	60,00,00,030	6,00,00,003	60,00,00,030

Refer Notes (i) to (ii) below

(i) Reconciliation of the number of shares and amount outstanding at the beginning and at the end of the year:

Particulars	As at 31st March 2018		As at 31st March 2017	
	Number of shares	Amount in ₹	Number of shares	Amount in ₹
Balance at the beginning of the year	6,00,00,003	60,00,00,030	6,00,00,003	60,00,00,030
Add: Issued during the year	0	0	0	0
Balance at the end of the year	6,00,00,003	60,00,00,030	6,00,00,003	60,00,00,030

(ii) Details of equity shares held by each shareholder holding more than 5% shares:

Name of shareholder	As at 31st March 2018		As at 31st March 2017	
	Number of shares held	Percentage of holding	Number of shares held	Percentage of holding
Central Government	6,00,00,000	99.99%	6,00,00,000	99.99%

- BSNL, PGCIL & RailTel hold one equity share each of ₹ 10/-
- The Company has only one class of equity shares having at par value of ₹ 10/- per share.
- **Vote of members :** Every member present in person and being a holder of Equity Share shall have one vote and every person either as a General Proxy on behalf of a holder of Equity Share, shall have one vote and upon a poll every member shall have one vote for every share held by him. On poll the voting rights of holder of Equity Share are specified in Section 47 of the Companies Act 2013.

4. RESERVE AND SURPLUS

(Amount in ₹)

Sr. No.	Particulars	As at 31st March 2018	As at 31st March 2017
(A)	**General Reserve**		
	Balance at the beginning of the financial year	8,46,81,834	3,46,81,834
	Add: Transfer from Profit & Loss of the financial Year	1,00,00,000	5,00,00,000
	Less: Adjusted from Loss of the financial Year	-	-
	Balance at the end of the financial year - General Reserve	**9,46,81,834**	**8,46,81,834**
(B)	**Surplus/(Deficit) in Statement of Profit and Loss**		
	Balance at the beginning of the financial year	9,13,12,326	(8,71,68,160)
	Add: Profit / (Loss) of the year	2,77,24,926	22,84,80,486
	Less : Transferred to General Reserve	(1,00,00,000)	(5,00,00,000)
	Balance at the end of the financial year - Surplus/ (Deficit)	10,90,37,252	9,13,12,326
	Total (A+B)	**20,37,19,086**	**17,59,94,160**

5. DEFERRED TAX LIABILITIES / ASSETS (NET)

(Amount in ₹)

	Particulars	As at 31st March 2018	As at 31st March 2017
(A)	**Deferred Tax Liabilities:**		
	Depreciation on fixed assets	-	-
	Others	-	-
	Total (A)	**-**	**-**
(B)	**Deferred Tax Assets:**		
	Provision for Gratuity	1,43,120	3,70,003
	Leave Encashment	3,27,448	8,46,569
	Superannuation	3,92,639	84,593
	TOTAL (B)	**8,63,207**	**13,01,165**
	Net deferred Tax Liabilities (A) - (B)	**(8,63,207)**	**(13,01,165)**

* The deferred tax assets are not recognized as a matter of prudency.

6. LONG TERM LIABILITIES

(Amount IN ₹)

SL.	Particulars	As at 31st March 2018	As at 31st March 2017
i	Post-employment benefits of own employee	2,21,07,027	22,54,280
ii	Subsidy received from Universal Service Obligation Fund for BharatNet Project*	12,89,57,94,185	9,52,25,02,218
	TOTAL	**12,91,79,01,212**	**9,52,47,56,498**
	*Represents Input Tax Credit adjustable from Grant/ Subsidy from USOF		

7 TRADE PAYABLE

(Amount IN ₹)

Particulars	As at 31st March 2018	As at 31st March 2017
Due towards micro and small enterprises*	3,88,96,016	-
Due towards related parties	-	-
Due towards others	2,97,39,59,171	1,89,60,15,411
Total	**3,01,28,55,187**	**1,89,60,15,411**

8. OTHER CURRENT LIABILITIES

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March 2018	As at 31st March 2017
Subsidy received from Universal Service Obligation Fund for BharatNet Project (1)	1,05,94,01,95,122	68,02,84,49,810
Statutory Dues	56,46,81,175	12,79,59,675
Liabilities towards Employees	79,74,045	57,45,673
Payable to Government Departments	3,71,31,116	5,05,38,619
Liability for AGR Based License Fee	-	4,17,129
Payable to PSUs	32,72,303	40,91,278
Payable to Others	3,24,42,499	28,94,778
Advance Received against Services	17,56,85,220	-
EMD and Performance Security Deposit	51,69,995	16,73,718
Total	**1,06,76,65,51,475**	**68,22,17,70,680**
NOTE:		
(1) Includes Advances to Executing Agencies and others for execution of work and supply (Refer Note No. 11)	53,17,50,24,537	29,81,86,91,389

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

(Amount in ₹)

Particulars	Balance as at 1st April 2017	Additions	Balance as at 31st March 2018	Grant Utilised against creation of Assets	As at 31st March 2018	As at 31st March, 2017
TANGIBLE ASSETS						
Tools	-	1,28,769	1,28,769	1,28,757	12	-
Optical fibre Cable	59,555	15,88,60,37,127	15,88,60,96,682	15,88,59,89,760	1,06,922	59,555
GPON	7,889	4,15,61,51,763	4,15,61,59,652	4,15,60,88,025	71,627	7,889
Office Equipment	328	23,08,592	23,08,920	23,08,489	431	328
Electrical Installations & Equipment	163	83,19,183	83,19,346	83,18,490	856	163
Furniture and Fittings	1,176	1,23,02,219	1,23,03,395	1,23,01,930	1,465	1,176
Computers and Data processing units	927	82,10,309	82,11,236	82,09,954	1,282	927
Books	3	8,199	8,202	8,134	68	3
Total (A)	**70,041**	**20,07,34,66,161**	**20,07,35,36,202**	**20,07,33,53,539**	**1,82,663**	**70,041**

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (Continued) **(Amount in ₹)**

INTANGIBLE ASSETS						
Software	227	44,98,789	44,99,016	44,98,763	253	227
Video Film	1		1		1	1
Website	1		1		1	1
Trademark	1		1		1	1
Entry fee for NLD License	1		1		1	1
Entry fee for ISP License	1		1		1	1
Total (B)	**232**	**44,98,789**	**44,99,021**	**44,98,763**	**258**	**232**
Grand Total (A)+(B)	**70,273**	**20,07,79,64,950**	**20,07,80,35,223**	**20,07,78,52,302**	**1,82,921**	**70,273**

(i) The addition to the fixed assets during the year has been arrived based on OFC kms and GPON works completed upto 31-03-2018.

(ii) The OFC capitalisation is based on AT carried out by CPSUs. Where the AT has not been done /report not released by CPSUs the capitalization has not been done.

(iii) The GPON capitalization is based on GP lit status which is based on provision/working of FTTH at the GP by BBNL. This figure is not comparable to the service ready GPs, for which the target of 1,00,000 GPs was achieved in December 2017.

(iv) The final bills are not received from executing agencies and the capitalization is done on the basis of information available with the company. In case of any variation, the same shall be adjusted in the year of the final settlement.

10. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS

(Amount in ₹)

Particulars	As at 1st April,2017	Additions during the year	Capitalised During the year	Adjustments	As at 31st March, 2018	As at 31st March, 2017
PLB ducts, Trenching, laying, works	10,30,13,56,088	16,12,33,52,068	13,74,02,42,848		12,68,44,65,308	10,30,13,56,088
OFC & GPON issued to CPSU and Bharat Net	7,56,03,40,564	14,86,06,74,971	5,94,55,29,540	6,42,39,78,943	10,05,15,07,052	7,56,03,40,564
Expense on Remuneration of Employees related to installation of BharatNet	81,93,48,420	25,65,88,784	58,21,31,372		49,38,05,832	81,93,48,420
Credit on a/c of						
(I) liquidated damage levied on inventory for BharatNet Project	(54,62,84,685)	(42,16,32,636)	(22,57,14,870)		(74,22,02,451)	(54,62,84,685)
Total	**18,13,47,60,387**	**30,81,89,83,187**	**20,04,21,88,890**	**6,42,39,78,943**	**22,48,75,75,740**	**18,13,47,60,387**

i. The value of the Optical Fibre Cable and GPON equipment procured by BBNL but received by CPSUs as consignees for the project is shown as CWIP at the cost of purchase. The OFC and other items purchased by CPSUs such as PLB Ducts and payment by CPSUs towards work orders for trenching and laying is transferred to CWIP as per the monthly fund utilization report (Appendix-IV) submitted by 3 CPSUs.

ii. Liquidated damages include ₹ 21,28,00,000/- received from encashment of Performance Bank Guarantee (PBG) and matter is subjudice with appellate authority.

iii. The percentage of cost taken towards capitalization of assets is taken as 3% of capex based on current trend and taking into account the future increase in Salary expenditure.

iv. In accordance with the significant accounting policy, the value of Optical Fibre Cable and the GPON equipment procured by BBNL and supplied to the executing agencies have been considered as CWIP.

11. LONG TERM LOANS AND ADVANCES

(Amount in ₹)

Sl.	Particulars	As at 31st March, 2018	As at 31st March, 2017
(A)	**Capital Advance** (Refer Note 23)	53,03,39,90,370	29,72,21,89,854
(B)	**Security Advance**	14,10,34,168	9,65,01,535
	Total (A+B)	**53,17,50,24,537**	**29,81,86,91,389**

12. TRADE RECEIVABLES

(Amount in ₹)

Sl.	Particulars	As at 31st March, 2018	As at 31st March, 2017
A	Outstanding for a period exceeding six months from the date they were due for payment		
i)	Secured	-	-
ii)	Unsecured	-	47,19,816
iii)	Doubtful	-	-
	Total	-	**47,19,816**
B.	**Less:** Provision for doubtful trade receivable	-	-
	Total Trade Receivable	-	**47,19,816**

The trade receivable is for providing circuits / bandwidth through BSNL.

13. CASH AND BANK BALANCES

(Amount in ₹)

Sl.	Particulars	As at 31st March, 2018	As at 31st March, 2017
1	**Cash and Cash Equivalents**		
	Cash in Hand	-	-
	- With Directors	25,222	20,000
	- With Employees	1,41,155	1,87,454
	Imprest Account of Employees	1,66,377	2,07,454
	BALANCE WITH BANK		
	Balance in Current Account	4,94,47,027	22,90,12,182
	Terms Deposits having maturity less than 3 months	-	3,91,83,00,000
	Fixed Deposit - Others	-	-
	TOTAL(A)	**4,96,13,404**	**4,14,75,19,636**
2	**Other Bank balances**		
	Terms Deposits having maturity less than 3 months	-	-
	Terms Deposits having maturity more than 3 months less than 12 months	28,56,96,11,699	15,46,37,53,461
	Terms Deposits having maturity more than 12 months	6,90,000	6,50,000
	Cheques, Drafts & Postal Order in hand	-	-
	TOTAL(B)	**28,57,03,01,699**	**15,46,44,03,461**
	Total (A+B)	**28,61,99,15,103**	**19,61,19,23,097**
	Note:- Amount held as margin against bank guarantees given by company for ROW, DMRC and DOT for license Fee	34,01,58,768	33,10,18,378

14. SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

(Amount in ₹)

Sl.	Particulars	As at 31st March, 2018	As at 31st March, 2017
A	**Loans and advances to employees-Unsecured,considered good**		
(i)	Advances to Employees	59,72,990	52,41,370
(ii)	Temporary Advance	52,572	9,309
Total Loans & Advances to Employees		**60,25,562**	**52,50,679**
B	**Advances to Others - Unsecured, considered good**		
	Government Departments	-	3,17,55,885
	Advance Tax (VAT)	-	23,955
	PSUs	1,60,12,76,552	1,45,95,02,412
	Optical fibre cable issued to BSNL on loan basis	18,43,20,197	18,43,20,197
	Hiring of Manpower	28,57,053	2,55,51,174
	Vendors, Contractors etc	1,59,296	1,71,918
Total Advances to Others		**1,78,86,13,098**	**1,70,13,25,540**
C	**Income Tax Paid**		
	Income Tax refundable	11,28,81,251	8,91,17,242
	Advance Tax - TDS	13,62,57,221	10,28,79,049
	Less- Provision For Income Tax	(1,31,74,200)	(7,91,15,040)
	Total Income Tax Paid	**23,59,64,272**	**11,28,81,251**
Total Short Term Loans & Advances		**2,03,06,02,932**	**1,81,94,57,470**

15. OTHER CURRENT ASSETS

(Amount in ₹)

Sl.	Particulars	As at 31st March, 2018	As at 31st March, 2017
A	**Interest Accrued on FDR**	**20,33,79,969**	**47,95,77,083**
B	Input Credit Receivable	12,89,57,94,185	9,52,25,02,218
C	**Others**		
i)	Recoverable from Govt. Departments	1,99,94,390	1,90,90,740
ii)	Recoverable from PSUs	19,06,144	17,91,096
iii)	Recoverable from Employees	-	-
iv)	Recoverable from Others	31,77,138	17,22,138
v)	Prepaid Expense	1,30,37,089	72,253
vi)	Receivable from USOF*	4,05,04,36,842	1,00,41,81,893
Total of Other Current Assets		**17,18,77,25,757**	**11,02,89,37,421**

* The due Operating expenditure (Net Opex) amounting to ₹ 304.62 Crore (FY 2016-17 ₹ 100.41 Crore) is taken as other income and corresponding amount is shown as receivable from USOF.

16. REVENUE FROM OPERATIONS

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2018	For the Year ended 31st March 2017
Bandwidth Charges	35,19,300	32,24,500
Total Revenue from Operation	**35,19,300**	**32,24,500**

NOTE:- This represents amount directly collected by the company. The company has also entered into a revenue sharing arrangement (RSA) with BSNL for utilization of its network. The Revenue share of the company (20% of Net Revenue as per RSA) is presently not determinable as the appropriate codes in the billing software of BSNL are yet to be created. This revenue will be recognized in the year of settlement / receipt. As on 31.03.2018, 8,288 FTTH connections (by BSNL) and 3,766 WiFi hotspots (by BSNL/CSC) are working on BharatNet.

17. OTHER INCOME

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2018	For the Year ended 31st March 2017
Interest on FDRs	1,18,50,76,827	1,02,88,56,523
Less: Related to USOF funds transferred to subsidy received	1,13,65,88,121	97,87,06,635
Interest recognized in Profit and Loss Account	**4,84,88,706**	**5,01,49,888**
Interest - Others	-	-
Other Non-operating Income	17,28,583	57,29,762
Subsidy from USOF on account of OPEX	3,04,62,54,949	1,00,41,81,893
Total Other Income	**3,09,64,72,238**	**1,06,00,61,543**

The company has recognized other income amounting to ₹ 304,62,54,949 (FY 2016-17 ₹ 100,41,81,893) which represents the operating expenditure (Net Opex) net of revenue as per the modified implementation strategy of BharatNet approved by the Union Cabinet on 19.7.2017.

18. EMPLOYEES' REMUNERATION AND BENEFITS

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2018	For the Year ended 31st March 2017
Salaries, Wages, Allowances and Benefits	30,77,37,412	26,18,76,799
Leave Salary Contribution	2,23,99,045	2,04,89,888
Pension Contribution	3,46,68,049	3,27,39,744
Contribution to Employees' Provident Fund & Gratuity	28,43,195	25,82,332
Medical Benefits	1,42,74,144	1,43,82,086
Perqusite Tax paid on behalf of employees	38,32,871	30,67,651
Gross Employees' Remuneration & Benefits	**38,57,54,716**	**33,51,38,500**
Less: Employees' Benefit Expenses allocated to Capital Work In Progress	25,62,76,033	28,86,51,746
Net Employees' Remuneration & Benefits taken to Statement of Profit & Loss	**12,94,78,683**	**4,64,86,754**

i. The entire expense on remuneration and benefits pertaining to employees of (i) Planning Branch (ii) Zone offices and (iii) Project Monitoring Unit; and proportionate expense of Finance Wing of Corporate Office have been allocated to CWIP.

ii. For all 36 E9 and 81 E7 posts sanctioned by the Board of Directors, the approval of the President of India has been received as per Article 89 of Articles of Association of the Company.

iii. All employees (except 22 directly recruited employees of the Company), are on deputation from Central Government / BSNL / MTNL and their remuneration are guided by Foreign Service Deputation Rules.

iv. The Company has not yet been classified by the Department of Public Enterprises (DPE). The Company has taken up the case of its categorization as a Schedule 'A' company with its Administrative Ministry. The Company is however, extending the facility of Schedule 'A' company to its employees at Board Level and below Board Level.

19. FINANCE COSTS

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2018	For the Year ended 31st March 2017
Bank Charges	40,35,634	43,03,272
interest by Bank	-	-
Interest on Statutory Payments - Others	1,91,68,084	3,894
Less: Recovered from BSNL*	1,91,43,938	-
	24,146	3,894
Other Financial Charges	-	-
Total Finance Cost	**40,59,780**	**43,07,166**

*Interest on account of delayed payment of Service Tax by Executing Agency.

20. ADMINISTRATIVE, OPERATIVE AND OTHER EXPENSES

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2018	For the Year ended 31st March 2017
Electricity	40,96,811	49,00,150
Rent	14,30,64,450	13,73,86,920
Operation & Maintenance*	2,47,29,95,375	61,56,87,927
Repair & Maintenance	2,61,53,354	2,38,56,130
Rates & Taxes	2,35,769	80,926
Advertisement Expense	49,39,303	21,80,920
Payment to Auditors - Audit Fee	5,00,000	4,62,500
Other Matters	20,000	16,000
Professional & Consultancy Charge	6,13,83,341	4,42,80,571
Expenditure on Services & Other Expense	33,85,168	61,05,594
General Expense	60,02,741	39,82,198
Travelling & Conveyance	1,64,85,153	1,02,64,045
Printing & Stationery	27,30,441	23,24,221
AGR Based License Fee	52,81,880	1,24,35,547
Communication Expense	42,08,807	38,26,317
Books & Periodicals	12,022	10,715
Security Service	23,57,951	16,49,380
Training Expense	2,25,684	6,26,243
Hiring of Manpower	9,58,49,509	3,60,20,343
Vehicle hiring Expense	5,35,36,328	2,93,42,608
Hosting charge for Software	1,33,056	-
Write Off Current Asset (Other Than Service Provided)	-	1,29,576
Loss others	-	1,04,160
Gross Administrative, Operative & Other Expenses	**2,90,35,97,143**	**93,56,72,991**

ADMINISTRATIVE, OPERATIVE AND OTHER EXPENSES (CONTINUED)

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2018	For the Year ended 31st March 2017
Less: Administrative, Operative & Other Expenses Allocated to Capital Work In Progress	-	21,27,00,437
Net Administrative, Operative & Other Expenses taken to Statement of Profit & Loss	**2,90,35,97,143**	**72,29,72,554**

* The Company has adjusted as operational & maintenance expense for maintenance of incremental fiber against the advance given by the company to BSNL. The bills issued by BSNL are under process in concerned PMUs.

21. PRIOR PERIOD ITEMS

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2018	For the Year ended 31st March 2017
Income (A)		
Sale of Tender Documents	-	-
Total (A)	**-**	**-**
Expenditure (B)		
Employees Benefits (B1)		
Salary & Allowances	-	47,400
House Rent for Quarters	-	-
Medical Benefits	-	-
Tax on Perquisite	-	-
Employees' Benefit - others	3,63,274	-
Total B1	**3,63,274**	**47,400**
Administrative, Operative & Other Expense (B2)		
Communication Expense	1,70,570	65,650
Expenditure on Service	-	-
General Expense	2,00,003	38,700
Power & Fuel	970	1,63,369
Professional & Consultancy Charge	(39,754)	1,01,836
License Fee for NLD Service (PP)	(74,63,312)	-
Rates & Taxes	24,565	488
Rent	45,45,779	34,38,706
Repair & Maintenance - Building	11,27,100	37,239
Repair & Maintenance - Others	97,903	22,178
Travelling & Conveyance	(10,178)	15,605
Printing & Stationery	185	6,952
Hiring of Manpower	2,14,35,022	2,07,05,410
Vehicle hiring Expens	3,229	96,547
Books & Periodicals	3,329	1,524
Hosting Charges for Software	3,10,872	-

PRIOR PERIOD ITEMS (CONTINUED)

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2018	For the Year ended 31st March 2017
Depreciation of Tangible Asset	-	-
Amortization of Intangible Asset	-	-
Total B2	**2,04,06,283**	**2,46,94,204**
Total Prior Period Items (A) - (B1) - (B2)	**(2,07,69,557)**	**(2,47,41,604)**
C1 Less: Prior Period Employees' Benefit Expense allocated to Capital Work In Progress	3,12,751	40,825
C2 Less: Prior Period Administrative, Operative & Other Expenses Allocated to Capital Work In Progress	-	2,12,68,894
Total Prior Period Items (Net) - (B2+C1+C2)	**(2,04,56,806)**	**(34,31,885)**

22. CAPITAL SUBSIDY RECEIVED

(Rupees in Crores)

Year	Carried forward from last year	Grant received/ adjusted	Interest on surplus funds	Total	Assets Created	Balance
2012-13	-	405.00	-	405.00	-	405.00
2013-14	405.00	514.00	-	919.00	-	919.00
2014-15	919.00	1,351.85	-	2,270.85	-	2,270.85
2015-16	2,270.85	2,415.11	-	4,685.96	-	4,685.96
2016-17	4,685.96	5,600.00	202.45	10,488.41	2,733.31	7,755.10
2017-18	7,755.10	6,000.07	113.66	13,868.82	1,985.22	11,883.60
Total		**16,286.03**	**316.11**		**4,718.53**	

23. CAPITAL ADVANCE

23.1 Detail of advances for BharatNet (Refer Note No. 11 (A))

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2018	As at 31st March, 2017
i) BSNL for BharatNet (Refer Note 23.2)	14,92,44,91,856	24,31,32,97,019
ii) PGCIL for BharatNet (Refer Note 23.2)	1,67,66,94,254	1,86,62,55,673
iii) RailTel for BharatNet (Refer Note 23.2)	55,07,06,908	1,95,50,56,937
iv) Centre for Development of Telematics (C-DOT)*	28,25,17,717	13,64,31,768
v) National Informatics Centre (NIC) for GIS **	17,45,88,893	17,45,88,893
vi) MoUD / NBCC for Office & Residential Space & NMS	1,10,57,74,729	1,12,34,58,105
vii) State agencies for Bharat Net Phase-II	9,03,97,76,013	15,31,01,460
viii) CSC for WiFi Hotspots (Viability Gap Funding)	2,25,94,40,000	-
ix) BSNL for Bharat Net Phase-II	23,02,00,00,000	-
Total of Long Term Loans & Advances (A) + (B)	**53,03,39,90,370**	**29,72,21,89,855**

* Includes Advance payment made for implementation of telecommunication Geo-intelligence Solution for Survey report analysis and GPON Planning tool.

** Released to NIC for payment against GIS project. The project is 62.5% completed on 31.03.2018. The completed portion of the work will be capitalised after successful AT.

23.2 RECONCILIATION OF ADVANCES GIVEN TO CPSUs FOR PHASE-I

(Amount in ₹)

Particulars	BSNL	PGCIL	RailTel
Total Advance paid upto 31.03.2017	64,13,59,87,935	6,53,64,50,757	6,14,46,99,821
Tranferred to CWIP upto 31.03.2017	39,82,26,90,916	4,67,01,95,084	4,18,96,42,884
Balance as on 31.03.2017	24,31,32,97,019	1,86,62,55,673	1,95,50,56,937
Advances given during the year 2017-18	21,10,29,22,958	4,34,07,36,389	2,89,26,69,099
Tranferred to CWIP during 2017-18	30,49,17,28,121	4,53,02,97,808	4,29,70,19,128
Balance of advances as on 31.03.2018	14,92,44,91,856	1,67,66,94,254	55,07,06,908

24. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Company has spent an amount of ₹ 15,00,000 during the year as required under section 135 of the Companies Act, 2013 by way of contribution to Swachh Bharat Kosh, set up by Central Government of India.

25. RELATED PARTY DISCLOSURE

a) Key Management Personnel

Designation	Name	Period of occupancy with effect
CMD	Shri Sanjay Kumar Singh*	From 18.03.2016
Director (F)	Shri Manoj Anand	From 29.07.2016
Director (O)/(P)	Shri B.K. Mittal	From 29.07.2015 to 31.10.2017
Director (O)	Shri N.K. Joshi	From 15.11.2017
Director (P)	Shri A.K. Saxena	From 15.11.2017
Govt. Nominee Director	Shri Mahmood Ahmed	From 16.12.2016
Govt. Nominee Director	Shri Shashi Ranjan Kumar	From 06.11.2015 to 31.01.2018
Govt. Nominee Director	Shri Amit Yadav	From 01.02.2018

* Also holding post of Administrator - USOF, Department of Telecom. The grant/subsidy received from USOF is as per Note 23 above.

26. MANAGERIAL REMUNERATION

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2018	For the period ended 31st March 2017
Salaries & Allowances *	62,44,205	38,62,999
Perquisites*	4,59,198	2,32,793
EPF Contribution	15,20,000	-
Sitting Fees	-	-
Total of Management Remuneration	**82,23,403**	**40,95,792**

* Managerial remuneration relates to Director (Planning) / (Finance), BBNL.

27. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS

27.1 Contingent Liabilities

(i) Claims not acknowledged as debts are follows :

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31.03.2018		As at 31.03.2017	
	No. of cases	Amount (in crores)	No. of cases	Amount (in crores)
Service Tax on construction linked installments paid to NBCC/ MOUD for built up leased space in the proposed complex at Kidwai Nagar	1	4,96,00,000	1	4,96,00,000
Differential Excise Duty claim for classification of Optical Fibre Cable	12	5,54,00,000	12	5,54,00,000
Arbitration cases on default by supplier/claims of supplier including the cases for which company is in process of appeal against award.	5	5,97,84,80,901	2	5,75,63,52,092

(ii) Bank Guarantees given by the Company

(Amount in ₹)

Item	As at 31.03.2018		As at 31.03.2017	
	With Cash Margin	Without cash margin	With Cash Margin	Without cash margin
No of cases	104	-	147	-
Amount	34,01,58,768	-	33,10,18,378	-

27.2 COMMITMENTS

Capital Commitments:

(Amount in ₹)

S. N.	Particulars	PO value/Cost of project	Value of supply received/ advance payment made	Balance commitment
1.	Optical Fibre Cable Supply	15,58,97,60,847	12,83,72,91,022	2,75,24,69,825
2.	GPON equipment	6,01,23,42,887	3,83,66,10,253	2,17,57,32,634
3.	GIS	38,48,00,000	19,32,00,000	19,16,00,000
4.	For building space	1,30,47,96,156	96,22,81,128	34,25,15,028
5.	BharatNet Phase-II	92,63,11,46,000	11,03,59,96,200	81,59,51,49,800

28. LEASE

The company has taken various premises and vehicles on operating lease.

(Amount in ₹)

Particulars	Not Later than one year	Later than one year and not later than five years	Later than five years
For Space	110,640,892	18,011,925	16,998,399
For Vehicle	16,497,996	18,923,892	-

FINANCE LEASE: The company does not have any significant finance lease as at March 31, 2018.

29. EXPENDITURE ON FOREIGN CURRENCY

(Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March 2018	For the period ended 31st March 2017
Travelling	3,50,835	1,45,516
Others	1,29,375	4,49,394
Total	**4,80,210**	**5,94,910**

30. EARNINGS PER SHARE

Description	For the year ended 31st March 2018	For the period ended 31st March 2017
A. Profit After Tax (Refer Statement of Profit and Loss)	2,77,24,926	22,84,80,486
B. Less: Preference Dividend including Tax	-	-
C. Balance available for Equity Shareholders used as numerator (A-B)	2,77,24,926	22,84,80,486
D. Weighted average number of Equity Shares used as denominator for calculating Basic and Diluted EPS	6,00,00,003	6,00,00,003
E. Face Value of shares	10	10
F.Basic & Diluted earnings per share (C/D)	0.46	3.81
G. Weighted average number of equity shares	6,00,00,003.00	6,00,00,003.00
H.Net profit as per Statement of Profit and Loss attributable to Equity shareholders (F*G)	2,77,24,926	22,84,80,486
Reconciliation of weighted average number of shares outstanding		
Weighted average number of equity shares used as denominator for calculating basic EPS	6,00,00,003.00	6,00,00,003.00
Equity shares issued during the year	NIL	NIL
Weighted average number of equity shares used as denominator for calculating diluted EPS	6,00,00,003.00	6,00,00,003.00

31. In the opinion of the Board of Directors, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of the Company's business, which is at least to the amount at which they are stated in the balance sheet.

32. Amount receivable/payable to/from vendors is subject to confirmation.

33. Previous year figures are regrouped or rearranged wherever required.

As per our Report of even date attached.
For Rawla & Company
Chartered Accountants
FRN 001661N

Raja Ram Gupta
Partner
M.No. 081279

Date : 09th August, 2018
Place : New Delhi

For and On Behalf of Bharat Broadband Network Limited

Sanjay Singh
Chairman & Managing Director
DIN : 07484614

Manoj Anand
Director (Finance)
DIN : 07583289

Avinash Chandra Upadhyay
Company Secretary & Head Legal
M.No. F4324

Bharat Boardband Network Limited

Cash Flow Statements

(Amount in ₹)

Cash flow for the finanical Year 2017-2018	Year ended 31st March, 2018	Year ended 31st March, 2017
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Profit before tax	4,08,99,126	28,10,86,442
Adjustments to reconcile profit before tax to net cash flows		
Depreciation and amortisation Expenses	-	50,01,242
Unrealised foreign exchange (gain)/loss (net)	-	-
Provision for doubtful trade receivables	-	-
Interest income	(4,84,88,706)	(5,01,49,888)
Other non operating income	(3,04,44,25,495)	(1,00,99,11,655)
Interest Expenses	24,146	3,894
Excess provisions no longer required written back	-	
Operating Profit before working capital changes	**(3,05,19,90,929)**	**(77,39,69,965)**
Movement in working capital		
(Increase) / Decrease in Trade Receivables	47,19,816	92,88,474
(Increase) / Decrease in Short-term loan and advances	(39,54,65,658)	(1,29,77,46,249)
(Increase) / Decrease in Other Current Assets	(6,15,81,15,412)	(9,18,97,86,466)
(Increase) / Decrease in Inventories	-	-
Increase / (Decrease) in Trade Payables	1,11,68,39,776	6,78,49,976
Increase / (Decrease) in Other Current Liabilities and Provisions	1,78,94,76,351	1,32,46,15,404
Cash generated from/(Used) in operations	**(3,64,25,45,128)**	**(9,08,57,78,861)**
Direct taxes paid (net of refunds)	(1,31,74,200)	(7,91,15,040)
Net Cash flow from/(used) in Operating Activities	**(6,70,77,10,257)**	**(9,93,88,63,866)**
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Purchase of fixed assets including capital work in progress	(4,35,29,28,001)	3,23,86,37,246
Grant utilised for Fixed Assets	(19,85,22,46,840)	(26,37,33,40,499)
Long Term Advances	**(23,17,20,12,952)**	**(10,10,23,31,909)**
Maturity of Bank deposits (having original maturity of more than three months)	(13,10,58,98,238)	(11,59,91,02,466)
Investment in shares of subsidiary companies	-	-

(Amount in ₹)

Cash flow for the finanical Year 2017-2018	Year ended 31st March, 2018	Year ended 31st March, 2017
Income from others operation	3,04,44,25,495	1,00,99,11,655
Proceeds from sale of fixed assets	-	-
Interest income received	4,84,88,706	5,01,49,888
Net cash flow/(used) in Investing Activities (B)	**(57,39,01,71,830)**	**(43,77,60,76,085)**
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Grant Received from USOF for NOFN	60,00,00,00,000	56,00,00,00,000
Interest paid	(24,146)	(3,894)
Dividends paid on equity shares (Including Corporate Dividend Tax)	-	-
Net cash flow/(used) in Financing Activities (C)	**59,99,99,75,854**	**55,99,99,96,106**
Net Increase/ Decrease in cash and cash equivalents (A+B+C)	**(4,09,79,06,232)**	**2,28,50,56,155**
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year	4,14,75,19,636	1,86,24,63,481
Effect of Exchange differences on cash and cash equivalents held in foreign currency		
Cash and Cash equivalents at the end of the year	**4,96,13,404**	**4,14,75,19,636**

As per our Report of even date attached.
For Rawla & Company
Chartered Accountants
FRN 01661N

Raja Ram Gupta
Partner
M.No. 081279

Date : 09th August, 2018
Place : New Delhi

For and On Behalf of Bharat Broadband Network Limited

Sanjay Singh
Chairman & Managing Director
Din : 07484614

Manoj Anand
Director (Finance)
DIN: 07583289

Avinash Chandra Upadhyay
Company Secretary & Head Legal
M.No. F4324

Management's Reply to the Comments of the Statutory Auditors for the Financial Year 2017-18

S.No.	Comments of Statutory Auditor	Management's Reply
1.	**Basis of Qualification** The GST is implemented w.e.f. 01-07-2017 and the company has not maintained separate books of accounts for each PMU. There are other non-compliances of provisions of GST Act i.e. wrong claim of input on blocked items, non-payment of GST on liquidated damages or advance received from Telecom Service Provider etc. in time, which has created liability of interest, and excess input tax credit. The effect of the same is undetermined due to non-availability of complete details of all non-compliances by the company.	The 2017-18 had been the 1st year of GST implementation wef 1.7.2017. The company has taken GST registration in 34 States /Union Territories. It has filed all the prescribed returns under the GST Act within due dates. These GST returns are filed mainly on the basis of information and data received from 3 implementing CPSUs of Phase-I who work on behalf of and in the name of BBNL. With respect to specific items pointed out by the statutory auditor, the company has enlisted the services of a reputed tax advisory firm and will take action accordingly. The company also intends to strengthen its finance staff in each state and also implement ERP solution at the earliest to ensure statutory compliances.
2.	**Report on Other Legal and Regulatory Requirements** 3(f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, according to the information and explanation given to us, the company has not yet established its internal financial control over financial reporting on criteria based on or considering the essential components of internal control stated in the guidance note on Audit of Internal Financial Controls over Financial reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Because of this reason, we are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis of our opinion whether the company had adequate internal financial controls over financial reporting and whether such internal financial controls were operating effectively as at March 31,2018. We have considered the disclaimer reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of financial statements of the company, and the disclaimer does not affect our opinion on the financial statements of the company.	BBNL has a system of internal checks and balances on pattern of government system of accounting and financial reporting. The majority of payments and accounting is carried out at the corporate office. Considering the current volume of work, the present system is considered adequate. The company also intends to strengthen its finance staff in each state and also implement ERP solution to ensure effective internal financial control over financial reporting at the earliest.

सत्यमेव जयते

कार्यालय

महानिदेशक लेखापरीक्षा (डाक व दूरसंचार)

शाम नाथ मार्ग, (समीप पुराना सचिवालय), दिल्ली–110 054

Office of the

Director General of Audit (Post & Telecommunications)

Sham Nath marg, (Near Old Secretariat), Delhi 110 054

No. Rep-PSU A/cs./F-173/BBNL/2017-18/45

Date : 25/09/2018

To,

The Chairman and Managing Director,
Bharat Broadband Network Limited,
C-Dot Campus, Mandi Gaon Road,
Mehrauli, New Delhi-110030

Subject : Nil Comments of the Controller & Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the accounts of Bharat Broadband Network Limited (BBNL) for the year 31st March, 2018.

Sir,

I am to forward herewith the Nil comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the annual accounts of BBNL for the year ended 31st March, 2018 for information and necessary action.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

Encl. : As above.

(Rajesh Ranjan)
Director (AMG-I)

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF BHARAT BROADBAND NETWORK LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018

The preparation of financial statements of Bharat Broadband Network Limited for the year ended 31 March 2018 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 09th August, 2018.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conduct a supplementary audit of the financial statements of Bharat Broadband Network Limited for the year ended 31 March 2018 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on the behalf of the

Comptroller & Auditor General of India

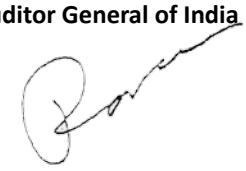

(Sangita Choure)
Director General of Audit
(Post and Telecommunication)

Place: Delhi
Date: 25.09.2018

एक्सेस एक्रॉस इंडिया
Access Across India

भारत ब्रॉडबैन्ड नेटवर्क लिमिटेड
BHARAT BROADBAND NETWORK LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम)

(A Govt. of India Undertaking)

CIN : U64100DL2012GOI232070

ithÑr dk;ky; % dejk u- 306] r`rh; ry] lh&MkV dEi l] ekMh xko ekx] egjkyh] ubl fnYyh & 110030

Regd. Office: Room No. 306, 3rd Floor, C-DOT Campus, Mandi Gaon Road, Mehrauli, New Delhi-110030

Qku@**Phone: 011-26806100** QDl@**Fax: 011-26806122** oclkbV@**Visit us at: www.bbnl.nic.in**